दसवीं लोक सभा, खंड 12, अंक 46

गुरुवार, 7 मई, 1992
17 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 41 से 49 तक है]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 12, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 46, गुरुवार, 7 मई, 1992/17 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 902 से 905	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—131
तारांकित प्रश्न संख्या 906 से 915 और 917 से 921	20—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 9339 से 9471, 9473 से 9498, 9498-क और 9498-ख	28—131
बोफोर्स मामले के बारे में	152—167
सभा पटल पर रखे गए पत्र	167—169
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	169
मंत्री द्वारा वक्तव्य	170
(एक) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन श्री अर्जुन सिंह	170
(दो) 6-5-1992 को दक्षिण मध्य रेलवे के बल्लारशाह-काजीपेट बड़ी लाइन खंड पर 7022 दक्षिण एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना श्री मल्लिकार्जुन	179—180
नियम 377 के अधीन मामले	170—180
(एक) केरल सरकार को राज्य में खेलों के विकास के लिए और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता प्रो० के० पी० थामस	170
(दो) तमिलनाडु की "कुरूवीकरन" जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता श्री पी० पी० कालियापेरूमल	171
(तीन) उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद रेल फाटक पर ऊपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता श्री प्रभु दयाल कठेरिया	171—172
(चार) आगरा से इलाहाबाद, वाराणसी और मुम्बई तक सीधी तीव्रगामी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता श्री भगवान शंकर रावत	172

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता डा० एस० पी० यादव	172
(छः) भारतीय चाय व्यापार निगम के प्रबंधाधीन पश्चिम बंगाल के कुछ चाय बागानों को डब्ल्यू० टी० डी० सी० को दिए जाने की आवश्यकता श्री जितेन्द्र नाथ दास	173
(सात) केरल में क्वीलोन में काजू बोर्ड की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता श्री कोडीकुन्नील सुरेश	173
याचिका समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण—सभा पटल पर रखे गए	173—174
संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन)	174—188
राज्य सभा द्वारा यथापारित	180
प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिए प्रस्ताव	
श्री के० विजय भास्कर रेड्डी	174—175
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	176—179
श्री मोहन सिंह	180—181
श्री राम विलास पासवान	181—182
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	183
श्री सोमनाथ चटर्जी	183
श्री रतिलाल वर्मा	184
डा० कार्तिकेश्वर पात्र	185
श्री पी० सी० थामस	185—188
संविधान (बिहत्तरवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 54 और 239 कक में संशोधन)	189—222
राज्य सभा द्वारा यथापारित	189
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री के० विजय भास्कर रेड्डी	189,190—195
श्री मदन लाल खुराना	190—194
श्री मनोरंजन भक्त	192
श्री भोगेन्द्र झा	193,195
श्री सूर्य नारायण यादव	193
श्री सुदर्शन राय चौधरी	193
श्री पीयूष तीरकी	194
खंडवार विचार	174—217
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री के० विजय भास्कर रेड्डी	217

लोक सभा

गुरुवार, 7 मई, 1992/17 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप प्रश्न संख्या 902 आरम्भ करें, मुझे एक निवेदन करना है । आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे साथी श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और वह सदन में नहीं आ सकते हैं । मुझे इस बारे में अभी संबंधित पत्र दिए गए हैं और मैं पूरी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपको ये पत्र कब प्राप्त हुये ? मैं समझता हूं केवल एक घंटे पहले ।

प्रश्न संख्या 902, श्री चन्द्राकर ।

7-5-92/11.01 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मिट्टी की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं

*902. **श्री चन्दू लाल चन्द्राकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिट्टी की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के प्रत्येक ब्लाक में ऐसी प्रयोगशाला की स्थापना करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसी एक प्रयोगशाला की स्थापना करने पर औसतन कितनी लागत आती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दस हजार मृदा नमूने प्रति वर्ष की जांच करने की क्षमता वाली एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की औसत लागत भूमि और भवन की लागत को छोड़कर लगभग 5.00 लाख रुपये होगी ।

विवरण

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या—राज्यवार

क्रमांक	राज्य	देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	31
2.	कर्नाटक	23
3.	केरल	19
4.	तमिल नाडु	34
5.	पाण्डिचेरी	02
6.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
7.	गुजरात	25
8.	मध्य प्रदेश	29
9.	महाराष्ट्र	22
10.	राजस्थान	12
11.	गोवा	02
12.	हरियाणा	30
13.	पंजाब	49
14.	उत्तर प्रदेश	71
15.	हिमाचल प्रदेश	12
16.	जम्मू और कश्मीर	08
17.	दिल्ली	01
18.	बिहार	44
19.	उड़ीसा	11
20.	पश्चिम बंगाल	13
21.	असम	13
22.	त्रिपुरा	02
23.	मणिपुर	02

विवरण—जारी

क्रमांक	राज्य	देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या
24.	मेघालय	01
25.	नागालैण्ड	01
26.	अरूणाचल प्रदेश	01
27.	सिक्किम	01
28.	मिजोरम	01
	कुल	463

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, चूंकि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में जमीन की उर्वरता जांच करने के लिए मशीन रखना अत्यन्त आवश्यक है और अभी तक इसकी पूर्ति नहीं हुई है इसलिए जैसा कि अभी उत्तर में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर, इतने बड़े पूरे देश में केवल 463 सॉयल टैस्टिंग मशीन्स हैं । मध्य प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के रूप में है, वहां केवल 29 मशीन हैं । मुझे किसी भी प्रदेश के बारे में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि केरल राज्य, जो कि मध्य प्रदेश के एक जिले बस्तर से भी छोटा है, वहां 19 मशीन हैं । हरियाणा में 30, पंजाब में 40 हैं लेकिन मध्यप्रदेश में केवल 29 मशीन हैं । हालांकि वहां की जमीन काफी उपजाऊ है, वहां पर पानी के साधन काफी हैं फिर भी वहां इतनी कम संख्या में मशीनें क्यों हैं ? मैं सरकार से यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को जोड़ने की कोशिश करेगी कि प्रत्येक ब्लॉक में एक मशीन कृषि भूमि की जांच करने के लिए लगाई जाएगी ? हालांकि उसका खर्च 5 लाख का है । एक ब्लॉक में यदि 5 लाख का खर्चा हो भी जाएगा, तो दूसरी ओर इससे खाद डालने में जो खर्च होता है वह करोड़ों रुपया बचेगा भी । तो क्या मंत्री जी इस बात को आप आठवीं पंचवर्षीय योजना में जोड़ने के लिए तैयार हैं ?

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : महोदय इस समय देश में 463 जांच प्रयोगशालायें हैं जिनमें से 100 चलती फिरती प्रयोगशालायें हैं । वर्तमान उपयोग क्षमता लगभग 75 प्रतिशत है । हम इन प्रयोगशालाओं की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये हैं । माननीय सदस्य का प्रस्ताव अच्छा है और यदि प्रत्येक ब्लॉक में एक ऐसी प्रयोगशाला हो तो इससे निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा । लेकिन एक ऐसी प्रयोगशाला की लागत लगभग 5 लाख रुपये हैं । एक प्रयोगशाला एक वर्ष में 10,000 नमूने दे पायेगी । संसाधनों की कमी की वजह से सरकार ने सर्वप्रथम इन वर्तमान प्रयोगशालाओं की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है ।

फिर सरकार नयी प्रयोगशालाओं को खोलने के बारे में सोच सकती है । जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है आठवीं योजना के अन्तर्गत इस वर्ष हमने देश में वर्तमान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए और कुछ और चलती फिरती प्रयोगशालाओं को भी शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपये दिये है । मैं मध्य प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए इस मामले पर विचार करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष जी, अभी जैसा मंत्री जी ने बताया है, खासकर मध्यप्रदेश में 5 करोड़ रुपये इन्होंने पंचवर्षीय योजना में दिया हुआ है, तो क्या मैं इसी तरह से आपके माध्यम से इनसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि प्रदेश में लगभग 400 ब्लॉक्स हैं, प्रत्येक ब्लाक में एक-एक सॉयल टैसटिंग मशीन इस पंचवर्षीय योजना में लगाने के लिए क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करेगी ? इसी तरह से हर राज्य में हरेक ब्लाक में सॉयल टैसटिंग मशीन खुलवाने के लिए किसी तरह से प्रयत्न करेगी ? हम उसका परिणाम चाहते हैं कि किसी तरह से आश्वासन दें कि पंचवर्षीय योजना में हर ब्लाक में सॉयल टैसटिंग मशीन लग जाएगी ।

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस समय सरकार का प्रत्येक प्रखंड में मृदा जांच प्रयोगशाला खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लेकिन जहाँ तक राज्य सरकारों की बात है हम निश्चित रूप से राज्य सरकारों को अपने मृदा जांच केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कहेंगे । धन की कमी की वजह से आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक प्रखंड में इस तरह की प्रयोगशाला खोलने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाने का मुख्य कारण यह है कि केवल कुछ किसान जो प्रगतिशील है और तथा जो मिट्टी के संबंध में जानकारी चाहते हैं उन्हें यह जानकारी मिल जाती है जबकि काफी अधिक किसान तो अभी तक इस सुविधा के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या संघ सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को उठाये जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव देगी । निःसंदेह, जैसा कि आपने कहा है प्रत्येक प्रखंड में मृदा जांच प्रयोगशाला खोलने में काफी लागत आयेगी । लेकिन वहाँ पहले से ही कृषि विभाग के कर्मचारी कार्यरत है ।

क्या संघ सरकार राज्य सरकारों को सुझाव देगी—क्योंकि वे राज्य स्तर पर कार्यान्वित करने वाले अभिकरण है—कि कृषि विभाग के जो कर्मचारी वहाँ कार्यरत है उनके लिए यह कार्य अनिवार्य कर दें कि वे प्रत्येक गांव से, सभी जगहों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करें और उनकी जांच कराये तथा ग्राम पंचायत कार्यालय को संबद्ध जानकारी दें ? यदि ऐसा होता है तो मृदा की प्रकृति, आवश्यक उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी इसमें कमी है उसमें सुधार किया जा सकता है । इससे उत्पादन भी बढ़ेगा । आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन चल-मृदा जांच प्रयोगशालाओं की संख्या दुगनी हो जाये, ताकि कम से कम उत्पादन बढ़ सके, आवश्यक कदम उठायेंगे ? अगर ऐसा किया जाता है तो एक चल-मृदा जांच प्रयोगशाला से दो जिलों को यह सुविधा दी जा सकती है । इससे काफी सहायता मिलेगी । क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री के० सी० लेंका : महोदय, यह सच है कि इन प्रयोगशालाओं का पूर्णक्षमता तक प्रयोग न किये जाने का कारण प्रयोगशालाओं में जांच के लिए मृदा का न आना है । हमारे देश में कोई भी आधारभूत ढांचा नहीं है, इस समय इस संबंध में रुचि रखने वाले किसान प्रयोगशालाओं में मृदा जांच के लिए स्वयं आते हैं । प्रयोगशाला में जांच के लिए किसानों से मिट्टी इकट्ठी करने के लिए कोई अभिकरण नहीं है । आठवीं योजना के दौरान, विशेष रूप से इस वर्ष भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों से मिलने वाले मिट्टी के नमूनों की संख्या बढ़े और इन प्रयोगशालाओं की क्षमता के इस्तेमाल की प्रतिशत बढ़े, उर्वरकों के संतुलित और समन्वित उपयोग के लिए एक केन्द्रीय योजना शुरू कर रही है ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में किसानों को इसमें शामिल कर सकें ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 71 केन्द्रीय प्रयोगशालाएं हैं । जो 71 प्रयोगशालाएं हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में मुझे जानकारी है कि कुछ ही प्रयोगशालाएं बड़ी हैं, लार्ज स्केल पर हैं और बराबर वहां के लोग अनुभव कर रहे हैं कि लार्ज स्केल की प्रयोगशालाएं कम से कम कमीश्नरी स्तर पर एक अवश्य हो । उत्तर प्रदेश सरकार ने 1986 में भी प्रयोगशालाओं को बढ़ाने के लिए विधान सभा में चर्चा की थी । मैं जानना चाहता हूं कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े जिले गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, सोनभद्र, इन सब जिलों में इनका बहुत अच्छे ढंग से प्रचार भी नहीं है कि प्रयोगशालाओं में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है । किसानों को बहुत कम जानकारी है । क्या आप कमिश्नरी स्तर पर कोई बड़ी प्रयोगशाला स्थापित करके और वहां के किसानों में प्रचार करवाने की योजना बनवा रहे हैं या आप आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इसका लाभ छोटे से छोटे किसान, जो वहां पर छोटी खेती करते हैं, छोटी जोत वाले हैं उनको भी मिल सके और एक कमिश्नरी में एक बड़ी प्रयोगशाला स्थापित हो ।

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, वहां पंजीकृत प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमता का उपयोग राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है । लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़े जिलों के लिए यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है ।

लेकिन किसानों को प्रशिक्षित करने तथा किसानों में इस योजना को यह कहकर प्रचारण करने के लिए कि अच्छी फसल लेने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मुख्य आवश्यकता मृदा जांच की है, आठवीं योजनाओं हम एक योजना शुरू करेंगे ।

श्री सुधीर सावंत : इस देश के कई क्षेत्रों में खेती करने के तरीके अभी तक बहुत पुराने हैं क्योंकि कृषि अनुसंधान विशेष रूप से मैदानी और पठारी इलाकों के लिए ही किये जाते है जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों की पूरी तरह से अवहेलना की गयी है जैसे कि कोकण क्षेत्रों में कई सिंचाई परियोजनायें मखरली मिट्टी के कारण असफल साबित हुयी है । लाखों रुपया खर्च किया गया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ । इसीलिए इन तटीय क्षेत्रों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए । क्या ऐसी कोई योजना है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में तटीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री के० सी० लेंका : इस प्रणाली से कृषि में बहुत सहायता मिलती है क्योंकि इस प्रणाली से मिट्टी में पादप पोषकतत्वों की कमी का पता चल जाता है । अत: हम मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों महत्व के बारे में

जानने को प्राथमिकता दे रहे है और तदनुसार हम किसानों को उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह देते है और हम इसमें भूजल की जांच भी करते हैं तथा किसानों को सिंचाई के प्रयोजन से इसका उपयोग करने का सुझाव देते हैं।

तटीय जिलों में भी जो प्रयोगशालायें स्थापित की गयी है वे मुख्य रूप से इस पर ही ध्यान देती है कि वहां मिट्टी में क्षारीय जल है या उसमें पोषक तत्वों की क्या मात्रा है और वे इन जांच निष्कर्षों को किसानों को देते है और तदनुसार किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं।

तेल के कुओं की खुदाई

*903. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री शंकर सिंह वाघेला } : **क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल के उन कुओं का ब्यौरा क्या है जहां इस समय खुदाई चल रही है और प्रत्येक कुएं की खुदाई पर प्रतिमीटर कितनी लागत आ रही है;

(ख) क्या खुदाई पर आने वाली लागत को कम करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्णा कुमार) : (क) फिलहाल 136 कूपों का वेधन किया जा रहा है। प्रत्येक कूप में प्रति मीटर वेधन की लागत स्थान, गहराई, भूगर्भ शास्त्र आदि के आधार पर बदलता रहता है।

(ख) और (ग) वेधन क्षमता में सुधार के लिए अध्ययन किए गए हैं। इस संबंध में विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप रिग की उत्पादकता में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम प्रतिवर्ष और वित्त मंत्री महोदय ने कल इसकी पुष्टि की थी कि 15 हजार करोड़ रुपए का पेट्रोलियम उत्पाद आयात कर रहे हैं। आयल एण्ड नेचुरल गैस कमिशन किस तरह से काम कर रहा है, यह न केवल सार्वजनिक आलोचना का विषय है, वित्त मंत्री ने स्वयं कमिशन के कार्यभार पर टिप्पणी की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय कितने कुएं बन्द पड़े हैं, अगर मंत्री महोदय के पास जानकारी न हो तो यह कह कर बच सकते हैं कि आपने नोटिस नहीं दिया था, लेकिन मंत्री महोदय जानकार हैं और जब हम कितने कुएं काम कर रहे हैं यह पूछ रहे हैं तो उसमें से यह प्रश्न भी निकलेगा कि कितने कुएं काम नहीं कर रहे हैं और वे कब से काम नहीं कर रहे हैं? क्या यह सच है कि कुओं की उपेक्षा हो रही है? क्या यह सच है कि कमिशन अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से पालन नहीं कर रहा है? आखिर तेल का उत्पादन जितना बढ़ना चाहिए उतना क्यों नहीं बढ़ रहा है?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्णा कुमार : निगम का कार्य करने का तरीका ऐसा होता है कि हमेशा कुछ कुएँ बेकार पड़े रहते है और कुछ कूपों में मरम्मत का कार्य चलता रहता है । कुल मिलाकर लगभग एक हजार कूप या तो बेकार पड़े है या जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है .। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का हमेशा यह प्रयास रहता है कि बेकार कूपों की संख्या कम रहे, वर्तमान कुओं के उत्पाद में सुधार किया जाये ताकि कम समय में उत्पादन बढ़ सके ।

जहाँ तक प्रश्न के भाग (क) का संबंध है यह सच है कि मांग और कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशीय उत्पादन में काफी अन्तर है जिससे हमारे उपर आयात करने का दबाव पड़ता है । छोटे, मझौले और दीर्घकालीन उपायों के जरिये यह सुनिश्चित करना इस मंत्रालय का कार्य है कि यह अन्तर कम हो जाये और घट जाये । हमने मुम्बई हाई में प्रमुख विकास योजनायें शुरू की है । आठवी योजना में लगभग सात मुख्य परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी जिनके कार्यान्वित किये जाने पर प्रतिवर्ष लगभग चौदह मिलियन टन उत्पादन बढ़ेगा ।

हमने 13 खण्डों के लिए आमंत्रित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के संबंध में बोली बोले जाने की प्रक्रिया का चौथा दौर पूरा किया: 24 बोलियों के प्रस्ताव आये, यह प्रस्ताव अगले कुछ माह में उत्पादन में भागीदार होने वाले अनुबन्धों में परिवर्तित हो जायेंगे ।

इसी तरह हमें देश के विभिन्न भागों में चल रहे खोज प्रयासों के कारण नये कुओं का पता लगाना पड़ेगा । यदि इन कूपों में से किसी भी कूप से उत्पादन शुरू कर दिया जाता है तो आठवीं योजना के दौरान अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है । अत: यह उत्पादन में सुधार लाने के लिए एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम है जिस पर सरकार ध्यान केन्द्रित कर रही है और सरकार की इस संबंध में एक सार्थक नीति तो है ही साथ ही साथ एक कार्य योजना भी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण पर जो व्यापक आलोचना हुयी है उसका विशेष रूप से जिक्र किया था । मैने स्वयं वित्त मंत्री द्वारा की गयी आलोचना का भी जिक्र किया था । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय ने इस प्रकार की आलोचना पर कोई ध्यान दिया है । उन्होंने आयोग के कार्यकरण को और कारगर बनाने के लिए क्या किया है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : मैं माननीय मंत्री की तेल उत्पादन के संबंध में उत्सुकता और चिन्ता के बारे में पूरी तरह सहमत हूँ । यह सच है— मैं इससे इन्कार नहीं करता हूँ— कि पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन नीचे आया है । लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब कभी एक बार किसी भी तेल क्षेत्र का विकास किया जाता है, जो कूएँ खोदे जाते हैं उनमें वर्षों तक लगातार तेल नहीं मिल सकता है । इनमें एक तरह का तेल भंडार जैसा होता है और यह तेल कूप के गर्भ में से ही प्राप्त हो सकता है । तेल की खुदाई अधिकतम स्तर तक तेल भंडार संबंधी दबाव, विकास में आने वाली बाधाओं और अन्य परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही की जा सकती है । यह हमें सुनिश्चित करना है कि तेल जादा अधिक मात्रा में जितना भी संभव हो उत्पादित किया जा सके ।

हम यह बात भी जानते है कि देश में तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए देश में अधिक तेल उत्पादित करने का प्रयास करना चाहिए । हम इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करके आयातित तेल पर निर्भर नहीं रह सकते है । हम यह बात जानते हैं । वस्तुत: जैसे कि सभा को विदित है यह पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी कि तेल का उत्पादन क्यों घट रहा है और दासगुप्ता समिति ने इस संबंध में विभिन्न

पहलुओं पर गौर किया । उन्होंने कतिपय सिफारिशों की ओर हम समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना रिज़रवायर है और कितना परसेंटेज आप एक्सप्लोर अभी कर रहे हैं और एक्सप्लोर करने पर ओ एन जी सी की अपनी गड़बड़ अपनी जगह चल रही है । नवम्बर 1990-91 में सरकार ने निर्णय किया था ज्वाइंट सेक्टर एक्सप्लोरेशन के लिए प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा उसका प्रयोग करना, तो आज कितनी इंडियन और फॉरेन कंपनीज़ एक्सप्लोरेशन कर रही हैं और ज्वाइंट सैक्टर में कितनी कर रही हैं और रिज़रवायर कितना है और कितना एक्सप्लोर आप कर रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्णा कुमार : विभिन्न प्रकार के भंडार हैं । देश में 26 तलघटी बेसिनों में लगभग 5 मिलियन बैरल तेल है जिन्हें पुर्वानुमानित भंडार कहा जाता है । विकसित भंडारों में से हम साढ़े चार प्रतिशत उत्पादन करते हैं अर्थात उत्पादन और भंडार का अनुपात 1 : 23 है । अन्य देशों की तुलना में उत्पादन-भंडार का यह अनुपात कम है । इसका मतलब है कि हम संभव दर पर अपने भंडारों का दोहन नहीं कर रहे । ऐसा कार्य सम्बन्धी अनेक अड़चनों के कारण है जिसमें समय समय पर विदेशी मुद्रा की उपलब्धता भी शामिल है । यह सच है कि हमारी सरकार की नई आर्थिक नीति के अनुसार तेल अर्थव्यवस्था के अनेक भाग विशेषकर तेल की खोज का कार्य निजी क्षेत्र और विदेशी कम्पनियों की भागीदारी के लिए खोल दिए गए हैं । महोदय, इस आधार पर 72 खण्ड 39 तट से दूर और 33 तट पर, बोली के लिए रखे गए हैं । जैसा कि मैंने कहा, 13 खण्डों के लिए 24 बोली आई हैं । इन्हें अनुबन्धों में बदला जाएगा ।

जहां तक शेष खंडों का संबंध है, हम शीघ्र ही निर्धारित की जाने वाली एक नीति के अनुसार उन्हें और बोली हेतु रखेंगे । इसलिए हमारा प्रयास है कि इस उद्देश्य हेतु विशिष्ट स्थानों पर स्थित कूओं में संयुक्त कार्य की संभावनाओं का पता लगाने के लिए खोज कार्य में लगी कम्पनी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की क्षमता को ईष्टतम किया जाए । इस प्रकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति से पूरा लाभ लिया जाएगा ।

डा० सी० सिलवेरा : महोदय, यह माना जाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में तेल के काफी भंडार हैं । मिजोरम राज्य में कुछ प्रारंभिक जांच की गई थी । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इस समय कितनी जगह खुदाई कार्य चल रहा है; विशेषकर मिजोरम राज्य में और बिल्काओकलीर में खुदाई का क्या परिणाम निकला और मिजोरम राज्य में तेल की संभाव्यता क्या है ?

श्री एस० कृष्णा कुमार : महोदय, मिजोरम में तेल की खोज का कार्य चल रहा है । 1991 में एक कुआ खोदा गया जिसे रिंगटे कहा जाता है ।

मिजोरम में तेल खोज इसकी संभावनाओं और संभाव्यताओं से संबंधित और जानकारी के लिए हमें पूर्व सूचना (नोटिस) की जरूरत होगी । मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।

श्री सुधीर गिरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में तेल कुएं की खुदाई हुई और क्या वहां पर तेल मिला या नहीं । यदि हां, तो मालदा जिले में तेल भंडार की कितनी मात्रा है ?

श्री एस० कृष्णा कुमार : महोदय, पश्चिम बंगाल में कुल 33 कूएं जमीन पर और 7 कुएं तट से दूर खोदे गए हैं । पश्चिम बंगाल में तेल की खोज पर अभी तक लगभग 600 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं । हम खोज कार्य जारी रखे हुए हैं । लेकिन अगर आप एक जिले के एक विशेष भाग के बारे में उत्तर चाहते हैं तो हमें पूर्व सूचना (नोटिस) चाहिए । मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पाइपलाइनों की खरीद

*५७४ **श्री जार्ज फर्नान्डीज**
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाम्बे हाई से निकलने वाली प्राकृतिक गैस को जलाये जाने से रोकने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पाइपलाइनों की खरीद में बरती गई कथित अनियमितताओं की जांच कराये जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्णा कुमार) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा "एस एच जी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स" के लिए लाइन पाइपों की खरीद में कुछ अनियमितताओं के आरोप के संबंध में संसद सदस्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । इन आरोपों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं—यह कि एक संकाय को आदेश दिया गया जिसके नेता ने आयातित सामग्री का गलत इस्तेमाल करके और उसे बेचकर सीमा शुल्क बचाया है, यह कि फर्म के पास कोई उपयुक्त निर्माण अथवा संसाधन की कोई सुविधा नहीं है, यह कि संसाधन का भाग एक अन्य फर्म द्वारा किया जाना था जिसकी बोलियों को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तकनीकी दृष्टि से अक्षम होने के कारण चार बार अस्वीकृत किया गया आदि ।

(ग) करार से संबंधित कोई कार्रवाई करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री को जो निवेदन किया था उसमें दस्तखत करने वालों में मैं भी एक था । मुझे आश्चर्य हो रहा है प्रधान मंत्री को लिखे पत्रों पर मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं

[अनुवाद]

"अनुबन्ध से संबंधित कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं मानी जाती ।"

[हिन्दी]

हो सकता है कि उनका कहना अपनी जगह सही हो, क्योंकि वे अच्छे वकील हैं । कांट्रेक्ट हो चुका है इसलिए एक्शन लेने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन जो गोलमाल है उस पर प्रधान मंत्री एक्शन ले सकते हैं, यह कहने का भी अर्थ हो सकता है । मुझे इस सारे मामले को लेकर तीन आपत्तियां उठानी हैं, जिन पर मैं मंत्रीजी से सफाई चाहूंगा । पहली बात यह है कि जिस कम्पनी को आपने ठेका दिया है पी० जे० पाइप्स, मैं

देख रहा हूं सबसे पहले अक्तूबर 31, 1990 को बिड्स को बुलाया और जब बिड्स खोली गई तो पी० जे० पाइप्स की कोई एप्लीकेशन नहीं थी । उन्होंने बिड्स का फार्म पैसा देकर खरीदने का तो काम किया, लेकिन बिड में हिस्सा नहीं लिया । क्या यह बात सही नहीं है ? दूसरी बात है कि जिस कम्पनी को आज कंसोरटीयम का सदस्य कहा है वह सोपाइप्स लिमिटेड है उसका बिड रिजेक्ट किया था । नॉट टेक्नीकली क्वालिफाईड कहकर । उसमें यह लिखा था, आपकी टेंडर कमेटी ने जिसके तीन जनरल मैनेजर्स ओ० एन० जी० सी० के सदस्य रहे हैं,

[अनुवाद]

"बोली लगाने वाला 'सोर सर्विस एप्लीकेशन' के लिए लाइन पाइप की सप्लाई का अनुभव नहीं रखता ।"

[हिन्दी]

यानि वह बिलकुल काबिल नहीं है, यह आपका कहना था । तीसरी बात है कि जिस कम्पनी को आज आपने कंसोरटियम का ठेका दिया है इसके ऊपर वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसी कार्यवाही हो रही है जिसमें साढ़े सात करोड़ रूपये के विदेश से लाये हुए सामान को जो ओ० एन० जी० सी० को दिया हुआ है उसने इजाजत के बगैर खुले आजार में बेचकर पैसा कमाने का काम किया और उन्होंने डायरेक्टर पर मुकदमा चलाने का काम किया है । ये तीन बातें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, इनका मंत्री जी कृपया खुलासा करें ।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्णा कुमार : महोदय, माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देने की जरूरत नहीं है । वह*

मुझे उनके मत पर उत्तर नहीं देना ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं इन शब्दों पर आपत्ति करता हूं कि मैं*

मैं इन शब्दों के प्रयोग पर एतराज करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : माना कि हमारी बातें परेशान करती हैं इसलिए हम यहां पर खड़े होते हैं ।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्णा कुमार : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैंने इस पर गौर किया है, मैं कहता हूं कि यह विशिष्ट फर्म पी० जे० पाइप्स या इस विशिष्ट फर्म के तहत समूह ने सबसे कम निविदा दी थी । यह तकनीकी रूप से सही थी और हमारी जांच में यह बोली वैध थी । इसलिए यह अनुबन्ध इस फर्म को दिया गया । यह सच है कि उच्च वरीयता प्राप्त हमारे शून्य गैस जलन समापन परियोजना से संबंधित इस

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

विशेष अनुबन्ध के लिए अन्तिम तिथि को आठ महीने के लिए बदला गया क्योंकि इसे विश्व बैंक के कार्यक्रम से धनराशि उपलब्ध कराने से किसी अन्य स्रोत में बदलना था । बाद में पी० जे० पाइप्स ही नहीं बल्कि अनेक फर्मों के अनुरोध पर तिथि आगे बढ़ाई गई । यह भी सच है कि इसी फर्म ने काले बाजार में आयातित स्टेनलैस स्टील बेचकर गड़बड़ी की । राजस्व आसूचना निदेशालय ने इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की है और कार्यवाही चल रही है । लेकिन इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मुद्दे पर अनुबन्ध दिया गया था, यह फर्म उस पर काली सूची में नहीं डाली गई है । जहां तक अनुबन्ध करने वाले मंत्रालय का संबंध है, उनके लिए तब तक किसी फर्म को अनुबन्ध देने पर विचार से परे रखना कानूनी रूप से असंभव है जब तक कि उस फर्म को उपयुक्त मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस न दिया जाए और उचित प्रक्रिया अपनाकर फर्म को काली सूची में न डाला जाए । अनुबन्ध देने के समय कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था । सिर्फ सूचना के आधार पर कि फर्म द्वारा गड़बड़ करने के मामले पर डी० आर० आई० ने गौर किया है, हमारे लिए कानूनी रूप से यह ठीक नहीं है कि अनुबन्ध देने का अवसर उसे न दें विशेषकर तब जबकि यह कम निविदा है । ऐसा करना हमारे लिए गैर-कानूनी होता । इस प्रकार यह स्थिति है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपने मंत्री महोदय का उत्तर देखा कि अनियमितता बरतने वाली कम्पनी को अनुबन्ध देना गैर-कानूनी होता । वास्तव में उन्होंने यह शब्द प्रयोग किये जिसने काले बाजार में वस्तुएं बेची थीं । उन्होंने कहा है कि कार्यवाही की जा रही है और यह कार्यवाही यह है कि अब वह 180 करोड़ रुपये का एक और अनुबन्ध दे रहे हैं । यह कार्यवाही हुई है ।

[हिन्दी]

और अध्यक्ष जी, मैं अब उसकी बहस नहीं करूंगा । इस पर आपको इस सदन में बहस का मामला लेना चाहिये मगर मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा कि लोएस्ट टैंडर है, तो क्या यह बात सही है कि आपने ठेका दिया और दो साल की इन्तज़ारी के बाद जिस जल्दबाजी में आगे, पीछे अनेक बार चलने के बाद जिसको दिया तो उस वक्त अन्तर्राष्ट्रीय दाम और ये सब चीज़ गिर गयी थीं और जिस दाम पर टैण्डर दिया है, अगर आपने 25 अप्रेल तक बिड्स जारी रखा होता तो इससे कम पैसे में आपका यह ठेका जा सकता था ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार बोलियों का मूल्यांकन होता है, और निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । निविदाएं आमंत्रित करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है । निविदाएं आमंत्रित करने के बाद बोलियों को खोला जाता है और पहले तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन होता है जब हम किसी निविदा देने वाले के तकनीकी पहलुओं से आश्वस्त हो जाते हैं तो मूल्य की बोली खोली जाती है । इस मामले में तकनीकी रूप से वैध नहीं पाई गई फर्म पी० जे० पाइप्स नहीं बल्कि कोई अन्य पाइप्स थी । निःसन्देह यह समूह का एक सदस्य है । बोली के तकनीकी कारणों से पी० जे० पाइप्स को अयोग्य करार नहीं दिया गया है । अन्ततः बोली के लिए सफल हुई केवल दो कम्पनियां थी और वे पी० जे० पाइप्स के तहत भारतीय समूह और एक विदेशी समूह थे । इसमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उचित और बेहतर मूल्य के प्रयास किए गए । बेहतर मूल्य के प्रस्ताव के लिए चर्चाएं जारी रहीं । देश के पक्ष में उचित मूल्य लेने के लिए यह देश के हित में था । अन्त में जब अवधि बढ़ाने की मांग की गई तो हमने उनके प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया । काफी समय बाद जापानी समूह ने वैधता की अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया । अब एक ही समूह अर्थात भारतीय समूह बचा । इसका मूल्यांकन भी किया गया । इस समूह में दो भारतीय कम्पनियां थी और एक जर्मन कम्पनी तथा अन्य समूह से सहायता प्राप्त थी । इसमें पी० जे० पाइप्स अकेली कम्पनी नहीं है । यह एक समूह है जिसे अनुबन्ध दिया गया है । इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, वह गलत जानकारी दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री जी० शंकरानन्द : मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं। आखिरकार, निविदा आमंत्रित करने की कुछ शर्तें होती हैं। इन शर्तों को पूरा करने वालों के निविदा स्वीकार हो जाते हैं। हमारे पास मना करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मामले में जब कोई कम्पनी या सरकार या व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करता है और जब यह सारी शर्तें पूरी करता है तो उसे निविदा इन्कार करने का कोई अधिकार नहीं है।

माननीय सदस्य ने इस संबंध में एक विशेष कम्पनी द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों का उल्लेख किया है। मैं कहूंगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ इस कम्पनी द्वारा किसी अनुबन्ध को पूरा करने में कोई आर्थिक अपराध किया हुआ नहीं पाया गया। इस मामले में अयोग्य ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं के आरोप का मामला एक भिन्न मंत्रालय या विभाग के तहत आता है जो ऐसे मामलों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और इस संबंध में उन्हें कार्यवाही करनी पड़ती है। मैं आर्थिक अपराध या अनियमितता बरतने वाली कम्पनी को बचाने इस सभा में नहीं आऊंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं केवल एक सफाई आपसे चाहता हूं . . .।

अध्यक्ष महोदय : मुझसे क्या सफाई चाहते हैं? . . .

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके माध्यम से चाहता हूं। इस मामले में कि मंत्री जी ने कहा कि जिस कंपनी को हमने ठेका दिया है, सोम पाइप्स को तो डिस्क्वालिफाई किया था चूंकि वह टेक्निकली कंपीटेंट नहीं थी, लेकिन जो पी० जे० पाइप्स है, इनके पास मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी ही नहीं है, यह ठेकेदारों की ठेकेदार है। बनाती है सोम पाइप्स,

[अनुवाद]

उसके पास विनिर्माण की सुविधा है। माननीय मंत्री ने अभी अभी सभा को गुमराह किया है।

श्री जी० शंकरानन्द : मैंने सभा को गुमराह नहीं किया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की संचालक समिति किसी अनुबन्ध को मंजूरी देने के लिए आवश्यक तथ्यों की जांच हेतु सभी कदम उठाए हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन आपने कहा कि . . .

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार जारी नहीं रखा जा सकता। श्री अनुचकोडी आदित्यन अपना अनुपूरक रखें।

श्री आर० अनुचकोडी आदित्यन : महोदय, पूर्व ठेकों में पाइप सप्लाई में फर्म का पहले का कार्य कैसा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या फर्म ने अनुबन्ध के मुताबिक तकनीकी मानदंड और अन्य जरूरतें पूरी की हैं।

श्री एच० कृष्ण कुमार : महोदय, पूर्व अनुबन्धों से सम्बन्धित इस फर्म के कार्य के संबंध में हमारे पास कुछ जानकारी है। पहले अनुबन्ध में जो 31-12-1988 को समाप्त हुआ 2,656 पाइप का आर्डर दिया गया और पूरी मात्रा सप्लाई की गई तथा केवल 24 पाइप अस्वीकृत हुए। यह 0.9 प्रतिशत बनता है। दूसरे

अनुबन्ध में 233 पाइप का प्रस्ताव था और पूरी मात्रा सप्लाई की गई । केवल एक पाइप रद्द हुआ । यह 0.4 प्रतिशत बनता है । मुझे विश्वास है कि आमतौर से यह कार्य संतोषजनक है । रद्दगी का प्रतिशत कम था ।

जहां तक इस अनुबन्ध में तकनीकी मानदंडों की विशिष्टियों को पूरा करने का मुद्दा है, इस बारे में डी० आर० आई० द्वारा भी अपराध का आरोप है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कहना है कि उसने इस अनुबन्ध में कोई अनियमितता नहीं बरती है । सभी तकनीकी मानदंड पूरे किए गए । कुछ भी रद्द नहीं किया गया । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उनकी सप्लाई पूर्णतः तकनीकी रूप से अनुमोदित की गई ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कृष्ण कुमार जी ने जार्ज फर्नान्डीज़ जी के प्रश्न का जवाब देते हुए यह आकायदा गिनाया कि एक कंपनी ने किस तरीके से इल्लीगलिटीज़ की थी और भारत सरकार के रिवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उनको दोषी पाया था । फिर उसके बाद शंकरानंद जी बोल रहे हैं कि ओ० एन० जी० सी० के सिलसिले में कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए हमने उनको कांट्रैक्ट दिया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और उससे पहले आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस संसद में इस तरह से मंत्री जी बयान करें कि वे मानते हैं कि इल्लीगेलिटी हुई है और उस इल्लीगेलिटी को भारत सरकार के मंत्रालय ने पकड़ा है, लेकिन ओ० एन० जी० सी० की इल्लीगेलिटी नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से उस फर्म को ठेका दिया गया, यदि यह मैसेज इस संसद से जाएगा, तो अध्यक्ष महोदय, देश के लिए यह ठीक नहीं होगा । यह एक प्रेस्टिज का सवाल नहीं है, इसलिए कि यह इल्लीगेलिटी है, गलत काम किया है, इल्लीगल काम किया है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब उनका करैक्टर संदेहास्पद है, तो फिर आपने ओ० एन० जी० सी० की तरफ से उनको ऑनर क्यों किया और क्या भविष्य में भी उनको ऑनर करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्णा कुमार : महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने यह नहीं कहा था कि इन लोगों को ठेके इस लिए दिए गए क्योंकि इन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विरूद्ध कोई अपराध नहीं किया है । इस कम्पनी द्वारा आर्थिक अपराध किए गए हैं जो कि राजस्व आसूचना निदेशालय की जानकारी में हैं तथा इस सम्बन्ध का जुर्माना भी किया गया है और इस सम्बन्ध में प्रक्रिया चल रही है । मैंने यह कहा था कि कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए एक नियमित विधायी प्रक्रिया अपनायी जाती है जो कि आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित की गई है । वह इस सम्बन्ध में आधारभूत विभाग है । अगर उस प्रक्रिया को पूरा किए बिना कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो उस विशिष्ट कम्पनी को ठेका देने के सम्बन्ध में विचार करने से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिए हैं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा स्पेसिफिक सवाल है ।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्णा कुमार : मैं इस मुद्दे पर भी आ रहा हूँ । (**व्यवधान**) । मैं इस विशिष्ट मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा ।

इसलिए प्रश्न यह है कि क्या तेल तथा प्राकृतिक आयोग को इस तथ्य को मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इस विशिष्ट कम्पनी ने किसी अन्य एजैन्सी के विरूद्ध अपराध किया है । हमें इसकी जानकारी थी, परन्तु, हम वैधानिक रूप में तब तक उस कम्पनी को ठेका देने पर विचार करने से इन्कार नहीं कर सकते, जब तक उसे ब्लैक लिस्ट नहीं कर दिया जाता । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, काली-सूची कौन बनाएगा? विभाग ही तो बनाएगा । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्णा कुमार : कम्पनी को फिर भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है । परन्तु उस समय उन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था, इसलिए हम उनके सम्बन्ध में विचार करने से इन्कार नहीं कर सके ।

श्री अन्ना जोशी : कम से कम आपको इसकी जानकारी थी । (**व्यवधान**)

श्री एस० कृष्णा कुमार : जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दीजिए ऐसे मत करिए ।

श्री एस० कृष्णा कुमार : इतनी जानकारी होना कि उन्होंने आर्थिक अपराध किया है, उन्हें ठेका देने पर विचार करने से मना करने के लिए पर्याप्त नहीं है । उन्हें ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा । (**व्यवधान**) महोदय, मैं उनकी बात समझ रहा हूं । मैं उस कम्पनी को बचाने अथवा उसकी वकालत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ । परन्तु प्रश्न यह है कि यह डी० आर० आई० का कार्य .....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुनिए । सुनने के बाद आप प्रश्न करिए । अगर आप बोलने नहीं देंगे, तो यह ठीक नहीं है ।

[अनुवाद]

आप उन्हें बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं । यह ठीक नहीं है ।

श्री एस० कृष्णा कुमार : हम राजस्व आसूचना निदेशालय से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, तथा अगर आवश्यक हुआ तो कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा परन्तु किए गए अपराध के सम्बन्ध में साक्ष्य, अपराध करने की तारीख इत्यादि सभी कुछ राजस्व आसूचना निदेशालय के पास है । हम कारण बताओ नोटिस भी नहीं दे सकते क्योंकि अपराध तेल तथा प्राकृतिक आयोग के ठेके से स्पष्ट रूप से सम्बन्धित नहीं है । इसलिए यह वस्तुस्थिति है तथा वैधानिक स्थिति है ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला । मेरा स्पेसिफिक सवाल है । जब भारत सरकार का रैवेन्यू इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट कहता है—

[अनुवाद]

"कि कम्पनी ने आर्थिक अपराध किया है ।"

[हिन्दी]

तो उसके बावजूद भी सरकार का एक उपक्रम ओ० एन० जी० सी० उस फर्म को कांट्रैक्ट देगा ? यह सवाल मैंने किया है इसका जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने जवाब में एक्सप्लेन किया है ।

[अनुवाद]

श्री जी० शंकरानन्द : मैं इसे पुन: स्पष्ट करता हूँ । महोदय, माननीय सदस्य ने उचित रूप से यह प्रश्न उठाया है और यह एक बहुत ही सुसंगत और महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं किसी ऐसी कम्पनी अथवा किसी समूह इत्यादि को बचाना नहीं चाहता जो कि आर्थिक अपराध की दोषी है । यह बात सारे सदन को स्पष्ट होनी चाहिए । हम ऐसे किसी आदमी को बचने नहीं देंगे, जिसने कि आर्थिक अपराध किया हो । यह बात स्पष्ट होनी चाहिए । **(व्यवधान)** । अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपकी शंका का समाधान हो जायेगा । ऐसी कम्पनी जिसने आर्थिक अपराध किया हो उसे ठेका नहीं मिलना चाहिए । माननीय सदस्यों का यही मत है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत टोकिए । उन की बात ध्यान से सुनिए ।

श्री जी० शंकरानंद : महोदय, जब हम ठेके के लिए दी गई बोली पर विचार करते हैं, तब हम ठेका देने सम्बन्धी शर्तों पर भी गौर करते हैं ; तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि बोलीदाता शर्तों को पूरा करे । अगर यह शर्तें पूरी हो जाती हैं तो किस अधिकार से हम यह कह सकते हैं कि उसे ठेका नहीं दिया जा सकता ? यह एक पहलू है । माननीय सदस्य द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस मामले को विधि मंत्रालय के पास भेजा था तथा विधि मंत्रालय ने यह मत प्रकट किया है कि हम ठेका रद्द नहीं कर सकते ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, दोनों ही मंत्रियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें उक्त कम्पनी द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं की जानकारी थी ; इसके बावजूद पैट्रोलियम मंत्रालय ने विधि मंत्रालय द्वारा उस कम्पनी के सम्बन्ध में निर्णय देने तक की प्रतीक्षा नहीं की । इस विशिष्ट कम्पनी ने आर्थिक अनियमितताएं की हैं जो कि किसी अन्य विभाग से सम्बन्धित हो सकती हैं परंतु जिसके सम्बन्ध मे जांच जारी है । इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विधि मंत्रालय द्वारा उक्त कम्पनी को दोषमुक्त करने तक प्रतीक्षा करना उचित नहीं था ।

श्री एस० कृष्णा कुमार : महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने पहले ही बताया है कि विधि मंत्रालय का दृष्टिकोण भी इस सम्बन्ध में पूछा गया था, जिन्होंने कहा कि ठेका रद्द करने का कोई आधार नहीं है । दूसरे, ठेका देते हुए हमने राजस्व आसूचना विभाग को ठेके देने के सम्बन्ध में सूचना दे दी थी । पत्र-व्यवहार जारी है तथा कभी भी डी० आर० आई० ने हमें उक्त फर्म को ठेके देने के लिए अयोग्य घोषित करने अथवा उक्त फर्म

को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नहीं कहा । इसलिए वैधानिक रूप में ठेका प्रदान करते हुए, ठेका देने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था । किसी अन्य विभाग से सम्बन्धित अपराध के लिए जाने की जानकारी ही वैधानिक रूप में सबसे कम दर के बोली दाता को ठेका देने से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो कि अन्यथा ठेका प्राप्त करने के लिए पात्र हैं तथा जो 'ब्लैक लिस्ट' में नहीं है ।

दिल्ली में व्यापारियों का अपहरण

[हिन्दी]

*905. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में व्यापारियों के अपहरण की घटनाओं में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1991 में और 1992 के दौरान अब तक दिल्ली में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) कितने मामले सुलझा लिए गए हैं और कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं;

(घ) उक्त मामलों के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) दिल्ली में व्यापारियों के अपहरण के 7 मामले 1991 में और 2 मामले 1992 में (15 अप्रैल तक) सूचित किए गए । इनमें से एक मामला रद्द कर दिया गया, 3 मामलों पर न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया और 5 मामलों में जांच कार्य अभी पूरा होना है । इन मामलों में पुलिस द्वारा 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(ङ) किए गए उपायों में गश्त को तेज करना, सूचित मामलों की उचित जांच करना और आसूचना-तंत्र को सुदृढ़ करना शामिल है ।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, उससे स्पष्ट लगता है कि ऐसी घटनाओं की गम्भीरता से इन्हें कोई चिन्ता नहीं है । इस देश की राजधानी दिल्ली है, जहां अनेकों प्रकार के अपराध हो रहे हैं । गत 9 अक्तूबर, 1991 को रोमानिया के राजदूत का यहां से अपहरण कर लिया गया । उसके पहले, 15 सितम्बर, 1991 को बम्बई के 5 हीरे के व्यापारियों का अपहरण हुआ । उसकी गुत्थी आप अभी तक सुलझा नहीं पाये हैं । आपके द्वारा दूसरे सदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि इस अपहरण में विदेशी तंत्र का भी हाथ है और उन्होंने जो फोन किया था उसमें कराची भी शामिल था । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं को दिल्ली में रोकने के लिये वे क्या कोई विशेष जांच दल का गठन करेंगे, जो सिर्फ इसी प्रकार के अपहरण से सम्बन्धित अपराधों की जांच करे और उस दल के लोगों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिलाने की आप व्यवस्था करेंगे, यह मेरा पहला प्रश्न है । दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि इस अपहरण का एक लम्बा व्यापार चल रहा है जिसके माध्यम से इस प्रकार के

जो धन उगाहे जा रहे हैं उसके द्वारा अनेक प्रकार के हथियार और देशद्रोही कार्यों में उसका उपयोग हो रहा है ? यदि ये सूचनाएं सही हैं तो क्या सरकार इस गंभीर विषय पर कोई विशेष कार्यवाही करने का मन बना रही है ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि ये अपहरण फिरौती लेने के लिए किए गए । परन्तु, दुर्भाग्यवश, जो इन अपहरणों का शिकार बनते हैं, न तो वे शुरू में सहयोग करते हैं और न ही जांच के दौरान । बड़ी मुश्किल से इतनी जानकारी प्राप्त होती है कि उन्हें अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने के लिए फिरौती देनी पड़ी । इसीलिए अगर किसी का अपहरण होता है तो अगर अपहरण के शिकार व्यक्ति पुलिस के साथ सहयोग करें और आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दें तो अवश्य ही पुलिस इस सम्बन्ध में सही दिशा में कोई कार्य कर सकती है ।

मैं माननीय सदस्य के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में चौकसी आवश्य बताई जानी चाहिए ।

श्री सत्यदेव सिंह : मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि ये घटनाएं बड़ी गंभीर हैं और लोग सूचना देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं । लोग सूचनाएं क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्या इस पर सरकार ने कभी विचार किया है ? आज सरकार की क्रैडीबिलिटी अपराधियों की क्रैडीबिलिटी से कहीं कम है । वे इस बात में ज्यादा सुरक्षित मानते हैं कि वे उन्हें पैसा देकर अपनी जान बचाएं, बजाए इसके कि आपके तथाकथित पुलिस फोर्स के संरक्षण में जाएं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि इस प्रकार की धन उगाही के लिए अपना क्रैडिट बनाने के बाद अपहरणकर्ताओं ने दिल्ली में टेलीफोन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और टेलीफोन पर ही धमकी और धन उगाही की राशि मांगी जा रही है ? क्या आपकी जानकारी में यह बात है कि इस प्रकार की घटनाएं करने के लिए अनेक पड़ोसी राज्यों से वहां के अपराधी दिल्ली में आते हैं और अपराध करने के बाद यहां से चले जाते हैं ? मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि क्या आपने, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों से इस बात का आग्रह किया है, मिलकर कोई कार्य योजना तैयार की है कि इन अपराधिक गतिविधियों की सूचना हो क्योंकि यह मामला सिर्फ व्यापारियों के अपहरण तक ही सीमित नहीं है, देश की एकता और अखंडता पर भी चोट पहुंचाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं अनेक प्रदेशों में हो रही हैं । यह मात्र दिल्ली में सीमित नहीं रह गया यह एक राष्ट्रीय समस्या है । क्या इस पर आप कोई कार्य योजना बनाकर प्रदेश सरकारों का सहयोग लेकर इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे कि कम से कम दिल्ली की राजधानी, जिसमें इस प्रकार के अपराध होते हैं, रातू के अपहरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारी मर्यादा गिरी है, उनको रोकने के लिए कुछ किया जा सके ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह प्रश्न पुलिस की विश्वसनीयता का नहीं है, अपितु अपहृत व्यक्तियों को मिलने वाली धमकियों का है । फिरौती प्राप्त करने के लिए लोगों का अपहरण किया जाता है । एक मामले में अपहृत व्यक्ति के फिरौती देने में असफल रहने के कारण उसकी वास्तव में ही हत्या कर दी गई । इसलिए व्यापारियों को सदैव यह भय रहता है कि अगर वे फिरौती नहीं देंगे तो उनकी हत्या कर दी जायेगी ।

मैं माननीय सदस्य की एक बात से सहमत हूं कि टेलिफोन पर भी धमकियां दी जाती हैं तथा पुलिस के लिए दोषी व्यक्तियों को पहचानना संभव हो सकता है, अगर प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे ।

उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों के सम्बन्ध में मासिक तथा त्रैमासिक आधार पर बैठकें की जाती हैं । त्रैमासिक आधार पर होने वाली बैठकों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेते हैं, तथा आपस में जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं क्योंकि यह एक तथ्य है कि कुछ अपराधी पड़ोसी क्षेत्रों से आते हैं, दिल्ली में अपराध करते हैं तथा वापस उन्हीं इलाकों में चले जाते हैं । इसलिए, उपलब्ध जानकारी का आदान-प्रदान आवश्यक हो गया है, ताकि ऐसे अपराधियों को पकड़ कर दण्ड दिया जा सके ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि हमको पूरा सहयोग नहीं मिलता । मैं एक केस दे रहा हूं । दिल्ली में कुछ दिन पहले मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के एक शू मैनूफैक्चरर का अपहरण हुआ और उसकी फिरौती की धनराशि हरियाणा की एक जेल में सजा काट रहे लाईफर को दी गई । जिसका अपहरण किया गया उसके संबंधी को यहां से ले जाया गया । रोहतक जिले के अन्दर एंट्री खुली थी, उसका आज भी नाम दर्ज है और वहां एक जो लाइफर है उसको फिरौती दी गई और तब जा करके उसकी रिहाई हुई । इस केस की मैंने उस आफिसर से बात की वह मानते हैं और अखबारों में भी आया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या कार्यवाही करेंगे । **(व्यवधान)** मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे अपहरणों से आम जनता का कानून-व्यवस्था और सरकार से विश्वास उठता जा रहा है ।

मेरा आपसे निवेदन है कि क्या कोई ऐसा एक्शन प्लान आए दिल्ली के बारे में, जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा कोई एक्शन प्लान बनाया जाए जिससे ऐसी घटनाएं रूक सकें । इसका संबंध केवल मैंने दिल्ली से नहीं कहा, इसका संबंध यहां टेरेरिस्ट से भी है और आप जानते हैं कि उनके भी अड्डे यहां खुल चुके हैं उसके बारे में कोई एक्शन प्लान पर आप विचार कर रहे हैं । अगर विचार कर रहे हैं आपने जो आश्वासन दिया था कि दिल्ली के एम० पीज़० को भी दिल्ली की कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विश्वास में लिया जाएगा, क्या उस बारे में भी आप कुछ सोच रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : प्रश्न पहले भाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मुझे प्रसन्नता होगी अगर ऐसी कार्य योजना हम बना पायें, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक दिल्ली में यह सब होता रहेगा । आप यह बता दीजिए कि दिल्ली में कब तक चुनाव कराइएगा ।

श्री एस० बी० चव्हाण : आपका यह तो दावा नहीं है कि बिहार में चुनाव होने के बाद सब ठीक-ठाक हो गया ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपका चुनावों में कोई विश्वास नहीं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : दिल्ली से माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं तथा जो आश्वासन दिल्ली के संसद सदस्यों को दिया गया था कि दिल्ली के उप राज्यपाल माननीय

सदस्यों से उनके व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव जानने के लिए निरन्तर बैठकें करते रहेंगे, उसके महत्व को भी मैं समझता हूं। मेरे विचार में अपहरण का मुद्दा भी उसमें सम्मिलित होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न दिल्ली से सम्बन्धित है। मैं आपको चेतावनी देता हूं।

श्री मृत्युन्जय नायक : प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण स्टेशन की भांति दिल्ली एक आतंकवादग्रस्त शहर बन गया है। पिछले दिनों हुई राजदूत राहू से सम्बन्धित घटना तथा दो दिन पहले कुवैत दूतावास में हुई घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि दिल्ली आतंकवादियों का निशाना बन गई है। इसलिए स्पष्ट तौर पर मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री कोई नया पुलिस सैल स्थापित करेंगे अथवा हमें दिल्ली में पुलिस सुरक्षा प्रदान करेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में कोई नई नीति अपनाई जानी चाहिए। केवल सैल स्थापित करने से यह समस्या हल नहीं हो जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों के सुझावों पर अवश्य ही विचार करूंगा तथा इस संभावना पर विचार करूंगा कि क्या किसी नए तरीके से इस तरह की स्थिति को टाला जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली में ऐसे 91-92 में केवल सात मामले हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस स्टेशन का रवैया है कि ऐसे मामले दर्ज नहीं करते, एफ० आई० आर० के, जिससे कि अपराधों की संख्या न बढ़े। तो क्या मंत्री महोदय का भी यह रवैया है कि केवल सात अपराध उन्होंने बताए, मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक मामले को उन्होंने रद्द किया है, रद्द करने का क्या कारण था? यह मैं पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय मैं नहीं समझता कि यह मेरे लिए उचित होगा, परन्तु क्योंकि माननीय सदस्य ने यह जानकारी मांगी है कि एक व्यापारी अपनी किसी महिला मित्र के साथ जा कर वापस आया है। तथा इसीलिए केस को रद्द कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है। क्योंकि वह व्यक्ति वापस आ गया है, तथा उसने ऐसी जानकारी दी है, इसलिए केस रद्द कर दिया गया।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्य को पुलिस स्टेशन के सम्बन्ध में जानकारी है जिसने केस रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया था, तो कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

गोताखोरों की सेवाएं

*906. **श्री राजेश कुमार**
श्री तेज नारायण सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समुद्र में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों और सामग्री का निरीक्षण करने और उनकी मरम्मत कराने के लिए गोताखोरों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों से सम्पर्क किया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां गोताखोरों की सेवाएं किन-किन शर्तों पर प्रदान करने के लिए सहमत हुई हैं : और

(घ) ऐसे मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम

*907. **श्री मोहन रावले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 में अधिनियमित किया गया था :

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है :

(ग) इसके क्या कारण है : और

(घ) सभी राज्यों में यह अधिनियम समान रूप से लागू करने हेतु केन्द्र सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 को ग्यारह राज्यों नामत आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय नागालैंड, पंजाब त्रिपुरा, तमिल नाडु और पश्चिमी बंगाल ने अभी तक लागू नहीं किया है ।

(ग) जैसा कि संविधान में अपेक्षित है इन राज्यों ने भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को अपनाने के लिये अपनी-अपनी विधान सभाओं में अभी तक संकल्प पारित नहीं किया है।

(घ) संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी-अपनी विधान सभाओं में अपेक्षित संकल्प पारित करके इस अधिनियम को लागू करें।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी-विरोधी कार्यवाही

*908. **श्री श्रवण कुमार पटेल**
श्रीमती बिभूकुमारी देवी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च और अप्रैल, 1992 के दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी-विरोधी कार्यवाही में कितनी सफलता मिली है तथा आतंकवादियों के छिपने के कितने ठिकानों का पता लगाया गया, कितने आतंकवादी मारे गए तथा कितने गिरफ्तार किए गए और उनसे कितने हथियार बरामद किए गए: और

(ख) उक्त राज्य में अनुमानतः कितने आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) मार्च में और अप्रैल, 1992 के मध्य तक आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों के दौरान 112 आतंकवादी मारे गए और 242 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया गया, जिसमें ए० के० राईफल-619, रिवाल्वर/पिस्तौल-109, हथगोले-340, मशीनगन-25, राकेट/राकेट लांचर-39, माइन्स (ए० पी०, ए० टी० और क्लेमूर)-28, और लगभग 10 किलो विस्फोटक सामग्री सम्मिलित है। विशिष्ट सूचना और आसूचना के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में चयनात्मक आधार पर तलाशियां और खोजबीन अभियान चलाए गए।

उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में सक्रिय उग्रवादियों की संख्या लगभग 2,500 आंकी गई है।

[हिन्दी]

कैलाश की तीर्थ यात्रा

*909. **कुमारी उमा भारती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय तीर्थयात्रियों को कैलाश ले जाने के लिए चीन के साथ वार्ता करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से मिल जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार सितम्बर 1981 से प्रतिवर्ष भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत तथा मानससरोवर झील की यात्रा का प्रबंध कर रही है। सरकार इस यात्रा को सुचारू और सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए संबद्ध चीनी अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्याज का उत्पादन

*910. **डा० राजागोपालन श्रीधरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में प्याज का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्याज का कितना अधिक उत्पादन हुआ है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां प्याज का उत्पादन सामान्य से अधिक हुआ है; और

(घ) सम्पूर्ण देश में प्याज का वितरण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के लिए प्याज के उत्पादन का अंतिम आकलन अब तक राज्यों से देय नहीं हुआ है । बहरहाल, उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष (1990-91) की अपेक्षा बेहतर होने की सूचना मिली है ।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ उत्पादन केन्द्रों से प्याज खरीदता रहा है तथा उसे सम्पूर्ण देशों में विभिन्न (टर्मिनल) बाजारों तथा अपनी शाखाओं के जरिए वितरित करता रहा है ।

उड़ीसा में मत्स्य उद्योग का विकास

*911. **श्री के० प्रधानी**
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1991-92 और 1992-93 के लिए उड़ीसा सरकार को मत्स्य उद्योग के विकास के लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने 1991-92 के दौरान इस कार्य के लिए आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित मत्स्य उद्योग विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (घ) । वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान मात्स्यिकी परियोजना के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उड़ीसा सरकार के लिए कोई धनराशि स्वीकार नहीं की गई है । बहरहाल, 31-3-1991 तक संचयी रूप से उड़ीसा सरकार के लिए 441.688 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है, जिसमें से 62.102 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए हैं । 1991-92 के दौरान 1991-92 के पूर्व जारी मंजूरी पत्रों के प्रति उड़ीसा सरकार को 29.498 लाख रुपये की धनराशि दी गई है, जिसका राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है ।

2. तीन मात्स्यिकी परियोजनाएं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में विचारार्थ लम्बित हैं । उनके ब्यौरे निम्नवत् हैं :—

(1) मार्च, 1992 के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 4 मछुआरा सहकारी समितियों द्वारा तट पर माल उतारने वाली 20 उन्नत नौकाओं की खरीद के लिए उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । चूंकि भारत सरकार ने तट पर माल उतारने वाली उन्नत नौकाओं को चालू रखने की स्कीम 1-4-1991 से बंद कर दी है, अतः राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्य सरकार से इसकी पुष्टि करने का अनुरोध किया कि क्या उसके प्रस्ताव पर अविकसित/कम विकसित राज्यों में सहकारी विपणन, संसाधन, भण्डारण आदि के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत विचार किया जा सकता है । राज्य सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) क्योंझर, सुन्दरगढ़ तथा कोरापुट जिले में क्रमशः सालन्दी, मंदिरा और अपर कोलाब नामक सिंचाई के तीन जलाशयों में मात्स्यिकी विकास की उड़ीसा सरकार द्वारा विधिवत् संस्तुत परियोजना, जिसका कुल जल क्षेत्र 8780 हैक्टेयर है तथा जिसमें 81.84 लाख रुपये का परिव्यय शामिल है, फरवरी, 1992 के दौरान प्राप्त हुई थी । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया गया तथा सहकारी संबंध, जलाशयों में स्टॉक करने के लिए मछलियों के पर्याप्त डिम्ब, परियोजना प्रबंध, लागत आदि के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए । यह सूचना प्राप्त होने पर, प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

(3) 42.77 लाख रुपये की ब्लॉक लागत पर महावीर झींगापालक सहकारी समिति लिमिटेड, कटक द्वारा खारा जल झींगा पालन के विकास हेतु प्रस्ताव फरवरी, 1992 में प्राप्त हुआ था । प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है ।

भारत में भूटानी राष्ट्रिक

*912. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारी संख्या में भूटानी राष्ट्रिक भारत के विभिन्न भागों में आकर रहने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है और वे किन-किन क्षेत्रों में बसे हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) काफी लोग भूटान से भारत में आये ।

(ख) यह अनुमान है कि ऐसे लगभग 5000 लोगों ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में शरण ली हुई है ।

(ग) सरकार इस मामले में भूटान की रॉयल सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है ।

पूर्वोत्तर सीमा से भारी संख्या में शरणार्थियों का आना

*913. **श्री राम नाईक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यानमार के कुछ छात्रों ने भारत में शरण ली है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर सीमा से भारी संख्या में आ रहे ऐसे शरणार्थियों को रोकने तथा उन्हें वापस स्वदेश भेजने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी हां । म्यानमार के 117 छात्र भारत में शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं ।

(ग) हमारी सूचना के अनुसार अब छात्र शरणार्थी नहीं आ रहे हैं । जो शरणार्थी भारत में पहले से ही हैं, म्यानमार के लोकतांत्रिक आन्दोलन के प्रति सहानुभूति और समर्थन को देखते हुए सरकार की यह नीति है कि इन्हें तब तक भारत में रहने की अनुमति दी जाए जब तक म्यानमार में उनको सुरक्षित वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन जाती, बशर्ते वे भारत में अपने प्रवास के दौरान कोई राजनीतिक गतिविधियां न करें ।

[हिन्दी]

वियतनाम के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

*914. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम के विदेश मंत्री ने मार्च, 1992 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान कोई समझौते भी किये गये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) द्विपक्षीय आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है । इस यात्रा के दौरान भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग का पांचवा सत्र सम्पन्न हुआ और द्विपक्षीय सहयोग के अनेक क्षेत्र निर्धारित किए गए । इस यात्रा से भारत-वियतनाम संबंधों को बल मिला और अनेक क्षेत्रों में, विशेषकर व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्रों में, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा ।

आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों जिनमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन और संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्भाव्य भूमिका शामिल है, पर भी चर्चा हुई । इन मसलों पर विचारों में बहुत समानता देखी गई ।

वियतनाम के विदेश मंत्री ने कश्मीर पर भारतीय रुख के प्रति अपनी सरकार का समर्थन दोहराया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अमरीकी राजनयिक की फैजाबाद यात्रा

*915. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री गुरुदास कामत } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में फैजाबाद की यात्रा की थी जैसा कि दिनांक 11 अप्रैल, 1992 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो समाचार पत्र में छपे मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) स्थापित राजनयिक प्रक्रिया के अनुसार तथा हमारे लोकतांत्रिक मानदण्डों के अनुसार भारत में प्रत्यायित राजनयिक अपने कार्यभार के निष्पादन के अंतर्गत वैध रूप से देश में भ्रमण कर सकते हैं और सभी वर्ग के लोगों से मिल सकते हैं ।

चेचक के टीके

*917. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी टीके का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो परीक्षण का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार ने परीक्षण करने से पहले पर्याप्त सुरक्षोपाय अपनाए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या चेचक के वर्तमान "टिश्यू कल्चर रिन्डरपेस्ट वेक्सीन" टीके के स्थान पर "वेक्सिनिया ग्राइरस रिकाम्बनेंट रिन्डरपेस्ट वेक्सीन" का उपयोग करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

पर्यावरण और विकास पर बैठक

*918. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्याध्यक्षों की कोई बैठक अप्रैल, 1992 में आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या भारत ने इस बैठक में भाग लिया था;

(घ) यदि हां, तो इसमें भारत ने क्या-क्या प्रस्ताव रखे थे; और

(ङ) उन पर अन्य प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया क्या थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

मिट्टी के तेल की आयात

*919. **श्री काशीराम राणा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान मिट्टी के तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया था;

(ख) इसका किस दर पर आयात किया गया था; और

(ग) यह तेल किन-किन देशों से आयात किया गया था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 215 अमेरिकी डालर प्रति मी० टन की औसत दर पर लगभग 3.3 एम एम टी मिट्टी के तेल का आयात किया गया था । मिट्टी के तेल का आयात रूस, संयुक्त अरब गणराज्य, बहरीन, मलेशिया आदि से किया गया ।

उक्रेन के राष्ट्रपति की यात्रा

*920 **श्री प्रभू दयाल कठेरिया**
श्रीमती भावना चिखलिया } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्रेन के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उन्होंने किन-किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर बातचीत की तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां। उक्रेन के राष्ट्रपति क्रावचुक 25 से 29 मार्च 92 तक भारत की यात्रा पर आए।

(ख) दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर लाभ के सहयोग को और विकसित तथा मजबूत करने के तरीकों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, गुट-निरपेक्ष, निरस्त्रीकरण आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा की।

(ग) जी, हां।

(घ) शांति और सहयोग पर भारत उक्रेन संधि अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की पुष्टि करती है कि दोनों पक्ष शांति, लोकतंत्र, अहिंसा, मानवाधिकार तथा मूलभूत स्वतंत्रता के समान आदर्शों का पालन करेंगे। इस संधि में बहुमुखी तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की भी व्यवस्था है। व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेल और जन संचार माध्यम के क्षेत्रों में सहयोग तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग से संबंधित रूपरेखा करार पर भी हस्ताक्षर हुए।

राष्ट्रपति क्रावचुक ने नई दिल्ली में अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सैन्य सहयोग के विषय वैज्ञानिक और तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के हित के लिए होगा।

[अनुवाद]

नकदी फसल

*921. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में नकदी फसलो का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र को कितना सहायता प्रदान की गई; और

(ग) महाराष्ट्र में नकदी फसलों की खेती के अंतर्गत भू-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान, महत्वपूर्ण नकदी फसलों का उत्पादन गन्ने के मामले में 387.58 लाख मीटरी टन, तिलहनों के मामले में 9.25 लाख मीटरी टन, कपास के मामले में 12.07 लाख गाठें और प्याज के मामले में 1990-91 में 8.04 लाख मीटरी टन होने का अनन्तिम अनुमान है।

(ख) महाराष्ट्र को तिलहन उत्पादन कार्यक्रमों के लिये कार्यक्रम के अंतर्गत 705.50 लाख रुपये तथा गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 233.37 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है और खाद्य विभाग

द्वारा गन्ना विकास के लिए गन्ना विकास कोष के तहत चार उपक्रमों के वास्ते 361.85 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है ।

(ग) सरकारी सहायता का मुख्य जोर नकदी फसलों के तहत जमीन से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर रहा है । भारत सरकार ने नकदी फसलों को खेती करने हेतु किसानों को बढ़ावा देने के लिये खरीफ पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है तथा अन्तर फसल एवं फसल-क्रम पर जोर दिया है ।

जमीन के सौदे की जांच

9339. **श्री जीवन शर्मा :** क्या गृह मंत्री रान एअर होटल की जमीन के सौदे की जांच के बारे में 30 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3581 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुआवजा देने में तथाकथित अनियमितताओं के संबध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(ग) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है तो इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि मामले को बंद समझा जाए ।

(ख) से (घ) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में बैरक निर्माण कार्य में तथाकथित घपला

9340. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में बैरक निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है जैसा कि 17 मार्च, 1992 के संडे मेल (हिन्दी) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में यथाप्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है ।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्य में तथाकथित अनियमितताएं

9341. **श्री आरे लाल जाटव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में विकास गतिविधियों में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ईसाई मिशनरी

9342. **श्री ललित उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय पंजीकृत ईसाई मिशनरियों की राज्यवार संख्या कितनी है·

(ख) इस समय विदेशी सहायता प्राप्त करने वाली ऐसी मिशनरियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इन मिशनरियों द्वारा पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे अंशदान किन-किन देशों से प्राप्त हुए;

(ङ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई कि इन मिशनरियों ने इस धनराशि का किस रूप में उपयोग किया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-91 को भारत में पंजीकृत विदेशी क्रिश्चियन मिशनरियों की संख्या 1907 थीं । राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) से (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय प्राप्त करने/उसका प्रयोग करने के लिए विशिष्ट मिशनरियों की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) से (च) प्रश्न नहीं उठता है ।

विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश	—	113
2. असम	—	3
3. बिहार	—	255
4. चण्डीगढ़	—	3

विवरण—जारी

5.	दिल्ली	—	37
6.	गोआ	—	13
7.	गुजरात	—	164
8.	हरियाणा	—	3
9.	हिमाचल प्रदेश	—	18
10.	जम्मू और कश्मीर	—	7
11	कर्नाटक	—	233
12.	मध्य प्रदेश	—	62
13.	महाराष्ट्र	—	142
14.	मणीपुर	—	6
15.	मेघालय	—	64
16.	मिजोरम	—	6
17.	नागालैंड	—	17
18.	उड़ीसा	—	36
19.	पांडिचेरी	—	22
20.	पंजाब	—	2
21.	राजस्थान	—	14
22	सिक्किम	—	1
23.	तमिल नाडु	—	336
24.	उत्तर प्रदेश	—	144
25.	पश्चिम बंगाल	—	206
		जोड़ :	1907

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर

9343. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन, कालीकट और त्रिवेन्द्रम के पासपोर्ट कार्यालयों में कितने कम्प्यूटर उपलब्ध हैं;

(ख) इन पासपोर्ट कार्यालयों में इनमें से कितने बेकार पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार को इन कार्यालयों से पासपोर्ट जारी करने में देरी करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो देरी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ) इस समय कोचीन, त्रिवेन्द्रम और कोजीकोड पासपोर्ट कार्यालयों में कोई ऑपरेशनल कम्प्यूटर नहीं है। 486 कम्प्यूटरों के लिए उपयुक्त पासपोर्ट नियंत्रण प्रणाली विकसित कर ली गई है जिसे 1992-93 के दौरान कुछ पासपोर्ट कार्यालयों में लगाने का प्रस्ताव है। पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम्प्यूटरों से पासपोर्ट लिखने के व्यावहारिक पक्ष की भी जांच की जा रही है।

"इकोनोमाइजिंग ओ० एन० जी० सी० स्टाइल" शीर्षक से समाचार

9344. **श्री सनत कुमार मंडल**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 30 मार्च, 1992 के "फाइनांसियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली में प्रकाशित "इकोनोमाइजिंग ओ०एन०जी०सी० स्टाइल" शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा देने के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रिगों को किराए पर लिया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी एहतियात बरतती है कि किसी के प्रति पक्षपात न हो।

उड़ीसा में दैतारी में तेल शोधक कारखाना

9345. **श्री गोपी नाथ गजपति**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "गल्फ आयल एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन" इंडियन आयल कारपोरेशन के साथ उड़ीसा में दैतारी में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तेल शोधक कारखाने की अनुमानित लागत और क्षमता क्या है; और

(घ) क्या तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए दैतारी में स्थान का चयन कर लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द): (क) से (घ) आठवीं/नौवीं योजना अवधि के दौरान पूर्वी भारत में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापित करने का इंडियन आयल कारपोरेशन ने प्रस्ताव किया है और उपयुक्त स्थान निर्दिष्ट करने के लिए एक "स्थान चयन समिति" का गठन किया गया है। पूर्वी भारत में रिफाइनरी स्थापित करने में भाग लेने के लिए "गल्फ आयल ट्रेडिंग कंपनी" ने अपनी इच्छा प्रकट की है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन

9346. **श्री राम कृष्ण कोंताला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्यान्नों की मांग कितनी है तथा उन राज्यों में इनका उत्पादन कितना होता है :

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य की खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है :

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन 50.14 लाख मीटरी टन (1990-1991) है । योजना आयोग द्वारा राज्यवार मांग का आकलन नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिये राज्यों में समेकित चावल विकास कार्यक्रम विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम गेहूं, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्का व कदन्न, और राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है । ये कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेंगे ।

कवास परियोजना को गैस की सप्लाई

9347. **प्रो० के० बी० थामस :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कवास परियोजना को गैस की सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैस की सप्लाई कवास परियोजना के बजाय रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड यूनिट तथा एस आर ग्रुप के स्पंज लौह संयंत्र को की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विभिन्न परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति, आबंटन, अनुबन्धों तथा उपलब्धता के अनुसार की गई है । हालांकि एन टी पी सी की कवास परियोजना को गैस की आपूर्ति करने में कुछ बाधा सामने आई है, वर्तमान में गैस की आपूर्ति परीक्षण तथा परियोजना आरम्भ करने के कार्य के लिए की जा रही है ।

भेड़ों का संकर प्रजनन

9348. **श्री राम नारायण डेरवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में भेड़ों से प्राप्त की जाने वाली ऊन की तुलना में देश में प्रति भेड़ ऊन की

औसत प्राप्ति कम है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) क्या ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थानीय भेड़ की किस्मों को आयातित भेड़ों से संकर प्रजनन करने हेतु प्रयास किए गए हैं:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ङ) राज्यस्थान में इस समय ऐसे कितने भेड़ प्रजनन केन्द्र हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भेड़ों से ऊन की कम प्राप्ति होने के मुख्य कारण हैं—इन भेड़ों का आनुवंशिक दृष्टि से कमजोर गठन, अपर्याप्त चराई संसाधन और कमजोर प्रबंध पद्धतियां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने और इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये देशी भेड़ों का बेहतर विदेशी नस्लों की भेड़ों के साथ संकर प्रजनन करवा कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कुछ राज्य सरकारों द्वारा नई नस्ल की भेड़ें विकसित की गई हैं ।

(ङ) इस समय राजस्थान में 178 भेड़ प्रजनन केन्द्र है ।

राजस्थान में कृषि उत्पादकता

9349. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में इसकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु कोई व्यापक और भावी योजना तैयार की है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इन योजनाओं को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तलापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां । राजस्थान सरकार ने एक व्यापक सन्दर्शी योजना निरूपित की है ताकि राजस्थान में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल कृषि उत्पादकता में सुधार लाया जा सके ।

(ख) ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(i) फील्ड चैनलों/पाइप लाइनों की मेंटे बनाकर, पानी का कुशल एवं विवेकपूर्ण इस्तेमाल, सिंचाई की छिड़काव/ड्रिप प्रणाली को लोकप्रिय बनाना, भू-जल का दोहन तथा किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में जल सम्बन्धी बजट बनाना तथा फसल नियोजन ।

(ii) पानी के दबाव की परिस्थितियों के तहत, फसल विविधिकरण अर्थात्, जल की अधिक खपत करने वाली फसलों के स्थान पर जल की कम खपत करने वाली फसलों को लोकप्रिय बनाना ।

अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में तुम्बा (ऑयल कीपर) तथा हिना (मेंहदी) जैसी गैर-परम्परागत फसलों की खेती शुरू करना ।

(iii) कृषि-वानिकी, वन-चारागाह एवं पगडण्डी फसल-पध्दति को लोकप्रिय बनाना ।

(iv) खराब मृदाओं का सुधार एवं बंजर भूमि विकास ।

(v) शुष्क-बागवानी के विशेष सन्दर्भ में बागवानी विकास।

(vi) दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों को उनके घरों पर ही आसानी से निवेश उपलब्ध कराना ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. सिंचाई पाइप लाइनों/छिड़काव्कों/ड्रिप प्रणाली स्थापित करने में प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ; जल सम्बन्धी बजट तैयार करने तथा फसल नियोजन में किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है ।

2. पानी की कमी वाले इलाकों में फसल विविधिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा तुम्बा और हिना (मेंहदी) जैसी लाभकारी फसलें शुरू की जा रही हैं ।

3. कृषि-वानिकी, वन-चारागाह और पगडण्डी फसल-नियोजन के तहत बीजों का प्रदर्शन एवं वितरण करना ।

4. खराब मृदाओं का सुधार तथा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करने में रियायती दर पर जिप्सम का प्रयोग करना ।

5. राज्य के शुष्क-अंचल में बेर, अनार, कस्टर्ड सेब, आँवला के पौध रोपण का प्रवर्धन एवं सब्जियों, मसालों और फूलों आदि के तहत क्षेत्र का विस्तार करना ।

6. दूरस्थ क्षेत्रों में और फुटकर दुकानें खोलने के लिए बीजों के मामले में 10 क्विंटल और उर्वरक के मामले में 10 मी० टन स्टॉक को एक बार में रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्स शुल्क में छूट दी जाती है ।

आपरेशनल रिसर्च सेंटर

9350. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आपरेशनल रिसर्च सेंटर खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक स्थापित ऐसे सेंटरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों हेतु स्थानों के चयन का क्या आधार है; और

(घ) महाराष्ट्र में वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन स्थानों पर ऐसे सेंटर खोलने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० लेंक्का) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं की कुल संख्या 143 है । इन केन्द्रों की राज्य-वार सूची निम्नलिखित है :—

1.	आंध्र प्रदेश	11
2.	बिहार	11
3.	मध्य प्रदेश	12
4.	महाराष्ट्र	13
5.	उड़ीसा	9
6.	पश्चिम बंगाल	7
7.	उत्तर प्रदेश	17
8.	गुजरात	11
9.	हरियाणा	10
10.	मेघालय	2
11.	केरल	6
12.	पंजाब	8
13.	तमिलनाडु	5
14.	राजस्थान	11
15.	हिमाचल प्रदेश	2
16.	जम्मू और कश्मीर	1
17.	कर्नाटक	6
18.	असम	1
		143

(ग) जहां तक समस्या-परक व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं का सम्बन्ध है, स्थान का चुनाव स्थानिक विशिष्ट समस्याओं जैसे मृदा लवणता, कीट-व्याधियों का प्रकोप आदि की मौजूदगी पर आधारित होता है । संसाधन प्रबंध से सम्बन्धित व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं के स्थान का चुनाव विशिष्ट बारानी क्षेत्रों में किया जाता है जहां प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ेगा ।

(घ) 1992-93 के दौरान महाराष्ट्र में कोई नये व्यावहारिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

अन्तर्देशीय मत्स्यपालन का विकास

9351. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जल में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के अन्तर्देशीय जल में कितनी मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) अन्तर्देशीय जल में मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

1. मछुवारा विकास एजेंसी और खारा जल मछुवारा विकास एजेंसी कार्यक्रमों जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से ताजा जल और खारा जल मछली पालन के तहत क्षेत्र का विस्तार करना ।

2. प्रौद्योगिकी का उन्नयन करके उत्पादकता बढ़ाना और उन्नत आदानों का उपयोग करना ।

3. मछली पालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें इसके लिये प्रोत्साहित करना ।

4. 1992-93 से 7 वर्षों की अवधि के लिये 283.00 करोड़ रुपये की लागत पर आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में श्रिम्प पालन के लिये लगभग 3000 हेक्टेयर खारा जल क्षेत्र का विकास करने और आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में जलाशयों/"आक्स बी" प्रकार की झीलों के लगभग 51,000 हैक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन का विकास करने के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक श्रिम्प और मछली पालन परियोजना का कार्यान्वयन करना ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय जल में पैदा की गई मछलियों की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	(हजार मीटरी टन में)
1988—89	69.90
1989—90	75.87
1990—91	83.29

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा करना

9352. **श्री जगमीत सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की चल रही परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में 7.278 मिलियन टन की गिरावट हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इन परियोजनाओं के समय पर पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी प्रत्येक परियोजना को कब तक पूरा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

दिल्ली में बच्चों की कथित बिक्री

9353. **श्री डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में जामा मस्जिद के निकट हरि बाबू मजार पर बच्चों की बिक्री के कुछ मामले आए हैं :

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1990-1991 तथा 1992 के दौरान अब तक इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुध्द क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण

9354. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने 90 दिन का टेस्ट इन सर्टिफिकेट जो हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के निर्माण के संबंध में कुल समेकित प्रणाली की पुष्टि करता है, सहित पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भी प्रतिधारण धनराशि मुक्त नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ठेकेदार पर परिसमापन क्षतिपूर्ति लागू करने के क्या कारण हैं यदि गैस अथारिटी आफ इंडिया गैस की पूरी मात्रा को बेचने में समर्थ है जिसे हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर द्वारा ले जाया जा सकता है; और

(घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा वर्ष 1989 से संघ का भुगतान रोकने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) एच० बी० जे० पाइपलाइन के निर्माण के संबंध में गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० और उनके ठेकेदार के बीच विभिन्न विवाद हैं । मामला न्यायाधीन है ।

पेट्रोलियम डीलरों को कमीशन की समान दर

9355. **श्री ए० वेंकट रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन समान है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को संसद सदस्यों सहित अन्य लोगों से लघु और सीमान्त पेट्रोल डीलरों के लिए कमीशन में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री सी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) एम एस/एच एस डी के डीलरों को प्राप्त कमीशन की दरें निम्न प्रकार से हैं :—

स्लैब (बिक्री की मात्रा) (कि० लि० प्रति वर्ष)	कमीशन (रु० प्रति कि० लि०) कमीशन (रु० एमएस 87	Y¢sw sao लि०) एच एस डी
1. 0—360	308	145
2. 361—600	229	101
3. 601—1080	204	77
4. 1080—से ऊपर	172	70

(ग) जी, हां ।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

बिहार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज

9356 श्री भोगेन्द्र झा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज हेतु बिहार के किन स्थानों का चयन किया गया है तथा उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर खोज कार्य शुरू किया गया है और वहां से इन उत्पादों की कितनी मात्रा का उत्पादन होने की सम्भावना है ; और

(ख) मधुबनी जिले में दुल्लीपट्टी चम्पारन जिले के रक्सौल में तथा अन्य स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य शुरू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, 5 अन्वेषी कुओं की ड्रिलिंग की गई है, यथा:—रक्सौल—1, पूर्णिया—1, मधुबनी—1, गंडक—1 और गनौली—1, पश्चिमी चंपारन जिले के कदमाहा—1, कुएं में काम चल रहा है । पूर्णिया के निकट भू-कंपीय सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं । अभी तक कोई हाइड्रोकार्बन नहीं प्राप्त हुए हैं ।

(ख) मधुबनी और चंपारन जिलों के क्रमशः मधुबनी—1 और रक्सौल—1 कुओं की ड्रिलिंग हुई है और इस क्षेत्र में आगे अन्वेषी कार्य करने के लिए कोई उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए ।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी सम्मेलन

9357. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 और 1992 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी सम्मेलनों के नाम, स्थानों, तिथियों और उद्देश्य का ब्यौरा क्या है जिनमें मंत्री और अधिकारी स्तर पर पृथक्-पृथक् सरकार का प्रतिनिधित्व किया गया था : और

(ख) उन अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी सम्मेलनों के नाम, स्थानों, तिथियों और उद्देश्य का ब्यौरा क्या है जिसमें सरकार द्वारा भेजे गये तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधियों ने पृथक्-पृथक् भाग लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

आर्य समाज आन्दोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करना

9358. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1991 की एक रिट याचिका (सिविल) सं० 75 में यह निर्णय दिया था कि आर्य समाज आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को 1 अगस्त, 1980 से पेंशन मंजूर की जानी चाहिए,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) श्री सुराज सिंह और 54 अन्य व्यक्तियों ने जिन्होंने सन 1938-39 के आर्य समाज आन्दोलन में हिस्सा लिया था और जिन्हें छः माह या अधिक का कारावास दिया गया था किन्तु जिन्हें प्राधिकारियों द्वारा उनके दंड की अवधि पूरी होने से पहले ही हैदराबाद के निजाम के जन्म दिन पर अपने आप छोड़ दिया गया था, उच्चतम न्यायालय में, पेंशन की स्वीकृति के लिए माननीय न्यायालय के निदेश के लिए, एक रिट याचिका (सिविल) दायर की । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13-9-1991 के निर्णय में निदेश दिए हैं कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को दिनांक 1-8-1980 से पेंशन स्वीकृत की जाए ।

निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही संबंधित व्यक्तियों के मामलों पर त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ की गई । अब तक 26 व्यक्तियों को, जिन्होंने पहचान संबंधी सभी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे, पेंशन स्वीकृत कर दी गई है । शेष लोगों को, पहचान संबंधी सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर, पेंशन स्वीकृत की जाएगी ।

राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

9359. **श्री धर्मसिंह राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित करने का है:

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) देश में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भरतपुर, राजस्थान में तोरिया-सरसों पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने जा रही है। जूनागढ़ और इन्दौर में क्रमशः मूंगफली और सोयाबीन के राष्ट्रीय अनुसंधान के केन्द्र पहले से ही हैं।

(ग) तिलहनों की अनेक किस्में विकसित की गई हैं जो जैव और अजैव दबाव रोधी और परम्परागत और गैर-परम्परागत मौसम और स्थितियों के लिए उपयुक्त हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल साधनों, पौध संरक्षण उपायों, सुधरे फार्म उपस्करों और प्रदर्शनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

एल० पी० जी० के आबंटन के मानदंड

9360. **श्री जायनल आबेदिन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एल० पी० जी० एजेंसी के आबंटन हेतु स्थान के चयन तथा वितरक के कार्यक्षेत्र के निर्धारण के लिए क्या नियम/मानदंड निर्धारित किये गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : वर्तमान नीति के अनुसार, आर्थिक व्यावहार्यता, उत्पाद की उपलब्धता आदि को देखते हुए नगर निगम वाले शहरों सहित देश के विभिन्न स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से एल० पी० जी० की एजेंसियां खोली जाती हैं। विभिन्न श्रेणियों के अधीन सभी डीलरों का चयन स्वीकृत चयन बोर्डों के माध्यम से उद्योग दिशा-निर्देशों के अनुसार और सरकार के विवेकानुसार भी किया जाता है।

डीलर का विपणन क्षेत्र आमतौर पर शहर के नगर निगम की सीमाओं और बाजार के आकार तथा क्षेत्र में प्रचालन कार्य कर रहे डीलरों की संख्या तक सीमित होता है। इसके अतिरिक्त, सभी पर्वतीय बाजारों के एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत उन डिस्ट्रीब्यूटरों को 15 कि० मी० की परिधि में कनेक्शन देने की अनुमति है जो दो वर्षों के पूरा होने के बाद भी अपर्याप्त मांग क्षमता के कारण प्रचालन के आर्थिक रूप से व्यावहार्य स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं।

फसल बीमा योजना

9361. **श्रीमती आसवा राजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत और अधिक फसलों को सम्मिलित करने और इसके अंतर्गत और क्षेत्र बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने दावे बकाया पड़े हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तुलापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्तमान बृहत फसल बीमा योजना के तहत और अधिक फसलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बृहत फसल

बीमा योजना एक क्षेत्र आधारित स्वैच्छिक योजना है और इसका कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश इस योजना के तहत किसी बीमाकृत फसल के लिए किसी क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि उनके पास पिछले पैदावार आंकड़े हों और प्रत्येक मौसम के अंत में 16 फसल कटाई प्रयोग आयोजित करने की क्षमता प्राप्त कर ली हो । इस प्रकार बृहत फसल बीमा योजना के तहत क्षेत्र बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना कार्यान्वयनकारी राज्यों/संघ शासित प्रशासनों का काम है । तथापि, और अधिक फसलों को शामिल करने की कार्यान्वयनकारी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की मांग को ध्यान में रखते हुए हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि यद्यपि वर्तमान योजना अपने विद्यमान स्वरूप में जारी रहे, परन्तु सभी कृषकों, और सभी जोखिमों में सभी फसलों को शामिल करते हुए एक मार्गदर्शी योजना प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के एक जिले में लागू की जाए और प्रीमियम की बीमांकित दर पर प्रभार लिया जाये । प्रस्तावित योजना को तैयार करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है ।

(ग) अब तक के कुल बकाया दावे जिनका भुगतान बृहत फसल बीमा योजना के तहत अभी किया जाना है, 291.75 करोड़ रुपये के हैं ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का शासी निकाय

9362. **श्री कृष्णादत्त सुल्तानपुरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के शासी निकाय के वर्तमान सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ख) इस निकाय के गठन की विशेष बातें क्या हैं और इसके सदस्यों का चुनाव किस किस प्रकार किया जाता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) विवरण—1 संलग्न है ।

(ख) विवरण—2 संलग्न है ।

विवरण—1

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के शासी निकाय के सदस्यों की सूची

1. डा० शंकर दयाल शर्मा
   भारत के उप राष्ट्रपति/अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
2. श्री जे० एन० दीक्षित
   विदेश सचिव/उपाध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
3. श्रीमती पुपुल जयकर
   उपाध्यक्षा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
4. श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद
   उपाध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
5. श्रीमती (डा०) नजमा हेपतुल्ला
   उप सभापति, राज्य सभा

विवरण—जारी

6. श्री अरविन्द त्रिवेदी, संसद सदस्य
7. श्रीमती बिम्बु कुमारी देवी, संसद सदस्य
8. डा० डी० पी० चट्टोपाध्याय, कलकत्ता
9. श्री एम० जे० अकबर
10. श्री अनिल बोर्डिया
    सचिव (शिक्षा)
11. श्री भास्कर घोष
    सचिव (संस्कृति)
12. डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
    सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
13. श्रीमती मीरा कुमार
14. श्री के० ए० चंद्रशेखरन
    अपर सचिव (एफए)
    विदेश मंत्रालय
15. डा० लोकेश चन्द्र
    निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक अकादमी
16. श्रीमती मल्लिका साराभाई
    निदेशक, दर्पण कला अकादमी
17. डा० मन मोहन सिंह, वित्त मंत्री, नई दिल्ली
18. प्रो० सी० नारायण रेड्डी
    उप कुलपति, तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद
19. श्रीमती वीना सीकरी
    महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

विवरण—2

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संविधान, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है, के अनुच्छेद—7 के अनुसार शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. अध्यक्ष:
2. तीन उपाध्यक्ष:
3. सचिव:
4. वित्त सलाहकार:

विवरण — 2 जारी

5 आम सभा के लिए मनोनीत सदस्यों में से भारत सरकार द्वारा मनोनीत तीन सदस्य;

6. आम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से नौ सदस्य चुने जाएंगे जिनमें से कम से कम एक राज्य सभा का सदस्य और दो लोक सभा के सदस्य होंगे ।

दिल्ली में थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटियां

9363. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आज की तारीख तक कितनी पंजीकृत कॉपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटियां चल रही हैं;

(ख) क्या अनेक थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटियां पांच वर्षों से अधिक समय से चलने के बावजूद अपनी वार्षिक आम बैठकों का आयोजन करने में असफल रही हैं;

(ग) यदि हां, ऐसी कितनी सोसाइटियां हैं जिन्होंने अपनी वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाई है; और

(घ) उन सोसाइटियों के विरुध्द क्या कार्रवाई की गई है/कराने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) आज की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 1179 रजिस्टर्ड थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसाइटियां हैं । इनमें से 800 कार्यरत हैं तथा शेष निष्क्रिय हैं या समाप्त हो गई हैं ।

(ख) से (घ) वार्षिक आम बैठक बुलाना इस संबंध में बनाए गए अधिनियमों तथा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार संबध्द सोसाइटी के सचिव का कार्य है । सचिव द्वारा वार्षिक आम बैठक न बुलाने के बारे में यदि कोई शिकायत मिलती है, तो अध्यपेक्षा (रिक्विजिशन) बैठक बुलाने के प्रश्न पर कॉपरेटिव सोसाइटीज़ दिल्ली के रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जाता है । ऐसी अध्यपेक्षा (रिक्विजिशन) बैठक बुलाने के लिए कार्यरत थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटियों से रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटिज, दिल्ली को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

सब-डिवीजनल मुख्यालयों में एल० पी० जी० एजेंसियां

9364. **श्री दत्तात्रय बंडारू**
श्री अन्ना जोशी } : **क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी सब-डिवीजनल मुख्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां अब तक एल०पी०जी० एजेंसियां नहीं खोली गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सभी सब-डिवीजनल मुख्यालयों में एल० पी० जी० एजेंसी खोलने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) यह सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है ।

(ख) से (ग) आर्थिक व्यावहार्यता, उत्पाद की उपलब्धता आदि को देखते हुए 20,000 और इससे अधिक आबादी वाले सब डिवीजनल मुख्यालयों सहित देश के विभिन्न स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से एल०पी०जी० की एजेंसियां खोली जाती हैं ।

मानवरहित द्वीप

9365. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे द्वीपों की संख्या कितनी है जिस पर मनुष्यों की आबादी नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन द्वीपों को विकसित करने की दृष्टि से वहां भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य प्रगतिशील बेरोजगार युवकों को पुनर्वास प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

सांस्कृतिक केन्द्र

9366. **श्री अन्ना जोशी**
श्री बलराज पासी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने किन-किन देशों में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) इन केन्द्रों के कार्यों की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं और इन केन्द्रों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में और अधिक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लीरो) : (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने काहिरा (मिस्र), बर्लिन (जर्मनी), जार्जटाउन (गयाना), जकार्ता (इण्डोनेशिया), पोर्ट लुई (मारीशस), मास्को (रूस), पारामारिबो (सूरीनाम) और लन्दन (यू०के०) में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की है ।

ये केन्द्र सभी वर्गों के स्थानीय नागरिकों के साथ सम्पर्क विकसित करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं । इन वर्गों में छात्र, अध्यापक, विद्वान, सांस्कृतिक व्यक्तित्व, विश्वविद्यालय और सहयोगी संस्थान शामिल हैं । इन केन्द्रों में पुस्तकें, आडियो कैसेट्स, वीडियो टेप, वाद्य-यंत्र और व्यावसायिक अध्यापक और कलाकार हैं ।

इन केन्द्रों ने अपने कार्य संचालन देशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अधिक जागरूकता और महत्ता पैदा की है ।

(ग) से (ङ) नए सांस्कृतिक केन्द्र खोले जाने के सभी प्रस्तावों पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है । इस कार्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई राशी निर्धारित नहीं है ।

मिजोरम में तेल और प्राकृतिक गैस

9367. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में तेल और प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने की कोई सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन क्षेत्रों के नाम क्या है;

(ग) क्या बिलखावनालिर में खनन कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अब तक मिजोरम में तेल और प्राकृतिक गैस की कोई खोज नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) बिलखावनालिर के नजदीक एक कूप रेंगटे—1 की खुदाई 3001 मी० की गहराई तक की गई थी और चूंकि यह सूखा था अत: इसे छोड़ दिया गया ।

[हिन्दी]

जर्मनी के साथ द्विपक्षीय मैत्री समझौता

9368. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जर्मनी के साथ कोई द्विपक्षीय मैत्री समझौता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

लोकटाक जल विद्युत परियोजना द्वारा क्षति

9369. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकटाक जल विद्युत परियोजना के पूरा हो जाने के बाद मणिपुर के सोनवाल और भीष्मपुर जिले के धान के खेत और गांव प्रतिवर्ष डूब जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांव और कृषि पट्टा भूमि का कितना क्षेत्र डूब गया;

(ग) क्या इस प्रकार डूबे कृषि पट्टा भूमि के मालिकों और गांवों को क्षतिपूर्ति करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) लोकटाक जल विद्युत परियोजना लोकटाक झील के पानी का उपयोग करती है । यह झील एक प्राकृतिक झील है और इस परियोजना के लिये कोई कृत्रिम जलाशय नहीं बनाया गया है । इस प्रकार, इस परियोजना से कोई अतिरिक्त क्षेत्र नहीं डूबेगा ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में बोरट में कुओं से निकलने वाली गैस का उपयोग करना

9370. **श्री राम अदन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाराणसी से प्रकाशित होने वाले 15 जनवरी, 1992 के "जनव्रत" दैनिक में "पश्चिम बंगाल में सउदी अरब से अधिक तेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में बोरट में खोदे गए कुएं से अभी भी गैस निकल रही है जिससे लोगों के जानमाल को खतरा पैदा हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा गैस के उपयोग के लिए बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) बंगाल बेसिन में 1949 में अन्वेषण कार्य शुरू किया गया था और यह अभी भी चल रहा है । गहन भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, 41 अन्वेषी कूपों की पहले ही ड्रिलिंग हो गई है जो सूखे निकले । वेधनाधीन इच्छापुर—1 कुएं में तेल होने के संकेत मिले हैं जहां परीक्षण कार्य चल रहा है । बोली के चौथे दौर के आधीन भारतीय और विदेशी निजी कंपनियों को तटवर्ती क्षेत्र के 2 ब्लाकों और अपतटीय क्षेत्र के तीन ब्लाकों की पेशकश की गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए विकास पत्र का विक्रय

9371. श्री नवल किशोर राय
श्री राम सागर } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1992 के दैनिक जनसत्ता में "गैस कनेक्शन के लिए विकास पत्र खरीदने की शर्त से परेशानी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने 200/- रुपये के विकास पत्र को 250/- रुपये में बड़े पैमाने पर बिक्री कर रहे एजेंटों के विरुध्द कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल कंपनियों ने रिपोर्ट दी है कि जयपुर के जिला प्राधिकारी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें अलवर के सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को सलाह दी गई है कि वे विकास पत्र के प्रति गैस के नए कनेक्शनों के लिए बुकिंग करें । तेल कंपनियों के अनुरोध पर सरकार ने आदेश वापिस ले लिए हैं ।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

9372. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम खपत वाले क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार कुल कितनी खपत हुई ;

(ग) क्या इन तीन वर्षों में उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उत्पादन :—

	(आंकड़े एम एम टी में)
1989—90	50.078
1990—91	50.086
• 1991—92	50.425
• अनंतिम	प्रमुख

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार खपत संलग्न विवरण में दी गई है । वर्ष 1991-92 के दौरान की खपत के क्षेत्रवार ब्यौरें अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुछ प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की क्षेत्रवार अनुमानित खपत

(आंकड़े टी एम टी में)

		1989-90	1990-91
एस० के० ओ०			
रेलवे		11.22	10.39
अन्य सीधे उपभोक्ता		277.63	288.32
रीसेलरों की मार्फत खपत		7949.74	8124.29
	जोड़ :	**8238.59**	**8423.00**
एल० पी० जी०			
घरेलू		1810	1894
वाणिज्यिक/उद्योग		422	487
अन्य		36	34
	जोड़ :	**2268**	**2415**
नैफ्था			
उर्वरक		1835	1842
पेट्रो केमिकल		842	766
अन्य		673	838
	जोड़ :	**3350**	**3446**
एच० एस० डी०			
परिवहन (कृषि खुदरा व्यापार सहित)		18341	18813
वृक्ष रोपन/खान		270	318
विद्युत उत्पादन		126	104
उद्योग		1512	1431
अन्य		457	473
	जोड़ :	**20706**	**21139**

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कंटीले तार लगाना

9373. श्री साईमन मरान्डी
श्रीमती शीला गौतम
श्री राजेश कुमार } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच पुंछ क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कंटीले तार नहीं लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का पता किस आधार पर लगाती है; और

(ग) आवश्यक कंटीले तार कब तक लगाये जायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जैसा कि नाम से ही जाहिर है, "नियंत्रण रेखा" उस क्षेत्र पर आधारित है जो वास्तव में भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण में है और शिमला समझौते के अनुसार दोनों सरकारों द्वारा मान्य है ।

(ग) इस समय ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं ।

घरेलु प्रयोग के लिए रसोई गैस पर राज सहायता

9374. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रसोई गैस के घरेलु प्रयोग पर राज सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रति सिलिंडर लागत मूल्य कितना है;

(ग) इस लागत मूल्य में शामिल सरकारी शुल्क, ढुलाई और प्रशासकीय व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लागत मूल्य को कम करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप लागत मूल्य में कितनी कमी होने की संभावना है :

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उत्पादन की लागत और इसके विभिन्न तत्व अलग-अलग यूनिटों में अलग-अलग होते हैं । खुदरा कीमतों में भंडारण-स्थल की कीमत, भाड़ा, डीलर का कमीशन, स्थानीय लेवियां और कर शामिल हैं और ये अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती हैं ।

(घ) और (ङ) यद्यपि उत्पादन की लागत का प्रमुख तत्व कच्ची सामग्री की लागत है, उत्पादक

यूनिटों के प्रचालन में सुधार के लगातार प्रयास किए जाते हैं ताकि संसाधन की लागतें कम की जा सकें।

इंडियन आयल द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि के मालिकों के परिवारों के सदस्य को रोजगार

9375. **श्री मदन लाल खुराना**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित घेवरा गाँव की भूमि इंडियन आयल के लिए अधिगृहीत कर ली गई है;

(ख) क्या दिए गए समझौते के अनुसार उन लोगों के परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को अब तक रोजगार प्रदान किया जा चुका है;

(घ) शेष लोगों को रोजगार नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार शेष परिवारों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने रिपोर्ट दी है कि भू-स्वामियों को रोजगार देने के संबंध में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। तथापि, ऐसे 18 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

दिल्ली में चोरियां

9376. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों से दिल्ली में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों और स्मैक और नशीली पदार्थों के लती लोगों की सांठ-गांठ के कारण हो रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरी के जिन मामलों की सूचना दी गई, उनकी संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
1989	12,335
1990	12,217
1991	13,145

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि दिल्ली में चोरी के मामले पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ से

नहीं हो रहे हैं। जहां तक स्मैक और मादक द्रव्य सेवियों के साथ सांठ-गांठ का संबंध है, दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाकिस्तान, उग्रवादियों और अकालियों के बीच सांठ-गांठ

9377. **श्री मोहन सिंह**
श्री सुखेन्दु खां } : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में चुनावों के बहिष्कार के मसले पर पाकिस्तान, उग्रवादियों और अकालियों के बीच सांठ-गांठ होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

[अनुवाद]

"अर्थ समिट" में गैर-सरकारी संगठन

9378. **डा० रवि मल्लू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रियो-डि-जेनेरो में होने वाले आगामी "अर्थ समिट" में विश्व भर के ऐसे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भाग लिये जाने के बारे में जानकारी है जो अच्छी अर्थव्यवस्था हैल्थ, अनवरत, कृषि, विकास और पर्यावरण इत्यादि जैसे क्षेत्र में सक्रिय हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार का विचार भारत से गैर-सरकारी संगठनों की सुदृढ़ उपस्थिति सुनिश्चित करने का है:

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है:

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वित्तीय अथवा अन्य सहायता प्रदान करने का है: और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) 3 से 14 जून, 1992 तक रियो-डि-जेनेरो में पर्यावरण और विकास पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र कांफ्रेंस में विश्व के विभिन्न भागों से गैर-सरकारी संस्थाएं भाग लेंगी। ये संस्थाएं 1992 ग्लोबल फोरम सहित उसी समय होने वाले समानान्तर आयोजनों में भी भाग लेंगी। यद्यपि भारत की अनेकों गैर-सरकारी संस्थाएं इन आयोजनों में भाग लेंगी, तथापि सरकार का इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

दक्षिण भारत में प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने हेतु पाइपलाइन बिछाना

9379. डा० महादीपक सिंह शाक्य
श्री नितीश कुमार
} : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने हेतु पाइपलाइन बिछाने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए मई, 1990 में गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है ।

[अनुवाद]

रिगों को किराये पर लेना

9380. **श्री संदीपन भगवान थोराट** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने रिगों को किराये पर लिया है;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनसे ये रिग किराये पर लिये जाते हैं तथा किस ठेके दर पर लिये जाते हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने धन का भुगतान किया गया; और

(घ) अभी तक लम्बित देय राशि का ब्यौरा क्या है और इसके भुगतान हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) विभिन्न समयों में चार्टर हायर के अंतर्गत रिगों की विभिन्न संख्या प्रचालन करती है । 1-5-1992 की स्थिति के अनुसार 30 रिगें चार्टर हायर पर थी ।

(ख) और (ग) ये रिगें विदेशी और भारतीय कम्पनियों दोनों से करीब 7000 अमेरिकी डालर से 29000 अमेरिकी डालर के बीच विभिन्न दरों पर भाड़े पर ली गई थी । इन रिगों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का करीब 899 करोड़ रुपए का हिसाब बैठता है ।

(घ) विभिन्न कारणों से कुल करीब 35 करोड़ रुपए का बकाया अभी भी बाकी है । इन इस बकाए को अतिशीघ्र निष्पादित किए जाने की आशा है ।

एल० पी० जी० सिलेन्डर

9381. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में "फोर्जिंग फार एल० पी० जी० सिलेन्डरस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समाचार के संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने छान बीन की है। डीलरों के द्वारा किये गये अनाचार का कोई विशिष्ट मामला प्रमाणित नहीं हुआ है। इन दो कंपनियों ने यह सूचित किया है कि विजयवाडा में एल० पी० जी० रिफल की पर्याप्त उपलब्धता के लिए उन्होंने विभिन्न आवश्यक कदम उठा लिये हैं।

(घ) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के काम की निगरानी नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण द्वारा निरन्तर की जाती है।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु की जांच रिपोर्ट

9382. **श्री इन्द्रजीत**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की लन्दन में हुई मृत्यु के कारणों संबंधी जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या लायर्स फोरम फार सिविल लिबर्टिज ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, नहीं। अभी तक नहीं, क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जांच अभी चल रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उच्चतम न्यायालय के एक सेवा निवृत न्यायाधीश द्वारा जांच शुरू की जा चुकी है तथा वह चल रही है।

फालतू भूमि का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में वितरण विषय पर सम्मेलन

9383. **श्री के० एच० मुनियप्पा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू भूमि को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों में वितरण करने के विषय पर हाल ही में नई दिल्ली में राज्य के राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भूमि सुधार के बारे में राज्यों के राजस्व मंत्रियों का एक सम्मेलन 14 मार्च, 1992 को हुआ था। यह सम्मेलन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया

9384. **श्री पीयूष तिरकी**
श्री विश्व नाथ शास्त्री } : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के विरुध्द कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) कल्याण मंत्रालय को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें इस मंत्रालय की सहायक यंत्र तथा उपकरण योजना के अन्तर्गत दी गई निधियों के कुप्रबन्ध, अनुचित क्रय-प्रक्रिया, डीलरों की नियुक्ति में अनियमितताओं तथा कम्पनी के सामान्य प्रबन्ध में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।

(ग) मंत्रालय ने इन शिकायतों की जांच करवायी है। जांच रिपोर्ट, जो अब प्राप्त हो चुकी है, का परीक्षण किया जा रहा है और आगे जांच-पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

जम्मू व कश्मीर में राज्य सलाहकार परिषद

9385. **श्री मोरेश्वर सावे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू व कश्मीर में एक राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संरचना व कार्यकरण क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) परिषद के 12 गैर-सरकारी सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी
2. मियां बशीर अहमद
3. श्री मोहम्मद शाफी भट
4. श्री थप्सटन छेवांग
5. प्रो० चमन लाल गुप्ता
6. श्री जी० आर० कर
7. श्री पी० नामगियाल
8. बाबू परमानन्द
9. श्री मंगत राम शर्मा
10. श्री एम० वाई० तारीगामी
11. श्री एम० एम० वजीर
12. मोहम्मद हसन कमांडर

परिषद को, राज्य में लोगों की शिकायतों को दूर करने और शांति, सुरक्षा तथा सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विकासात्मक मामलों तथा नीतिगत उपायों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना होता है तथा सलाह देनी होती है ।

नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र

9386. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह**
डा० कार्तिकेश्वर पात्र } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) नक्सलवादी कार्रवाइयों से सबसे अधिक प्रभावित राज्य बिहार और आन्ध्र प्रदेश हैं । नक्सलवादियों के छोटे-छोटे प्रभाव-क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में भी हैं । चूंकि "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए मजबूत उपाय करने और विभिन्न उपाय सोचने तथा जहां भी आवश्यक हो, नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्यों को इस बारे में सभी संभव सहायता केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सहायता

9387. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में वानिकी के काम में लगे श्रमिकों के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सहायता मिली है :

(ख) यदि हां, तो इस सहायता के आबंटन हेतु राज्यों का चुनाव करने के लिये क्या मानदंड अपनाया गया है :

(ग) क्या अन्य राज्यो में वानिकी के काम में लगे श्रमिकों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सहायता मिलने की संभावना है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य सहायता पाने के इच्छुक राज्य सरकारों को, लक्षित समूह के लोगों तथा पिछड़े इलाकों के विकास और पोषकीय व पोषण कार्यक्रमों तथा आर्थिक विकास के लिए उनकी सिनाख्त करना तथा परियोजना प्रस्ताव तैयार करना और उसे केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के माध्यम से विश्व खाद्य कार्यक्रम को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होता है ।

(ग) और (घ) बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के अलावा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में वानिकी कार्यकलापों में लगे कामगारों को भी विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य सहायता प्राप्त हो रही है । परियोजना प्रस्तावों के आधार पर विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा अन्य राज्यों को सहायता देने पर विचार किया जा सकता है ।

असम के उग्रवादी संगठनों का विदेशों से सम्पर्क

9388. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी**
श्री चित्त बसु } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्फा तथा असम के अन्य उग्रवादी संगठन विदेशों, विशेषकर पाकिस्तान, बंगला देश और म्यानमार से लगातार सम्पर्क में रहे है :

(ख) क्या यह संगठन इन देशों से हथियार, गोला-बारूद तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त कर रहे है :

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने यह मामला इन देशों के साथ उठाया है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व निष्कर्ष क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एम॰ जैकब) : (क) बंगला देश और म्यानमार में उल्फा के अपने शिविर अड्डे हैं । पाकिस्तानियों के साथ उनके सम्पर्कों के बारे में सूचनाएं हैं ।

(ख) इस आशय की रिपोर्टें हैं ।

(ग) और (घ) इन देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर मामला उठाया गया है तथापि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि इस प्रकार की कोई सहायता दी जा रही है।

अखिल भारतीय कल्याण संगठनों को ऋण

9389. **श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम के उप नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बिना किसी प्रतिभूति के ऋण दिये जाने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों को सरकारी प्रत्याभूति के अभाव में पिछले तीन वर्षों के दौरान पहले ही मंजूर किये ऋणों को जारी न करने के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) संस्था ज्ञापन के विनियम III ख के खण्ड 21 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को ऐसी शर्तों पर, जो उचित समझी जाएं, प्रतिभूति सहित अथवा उसके बिना ऋण देने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के बोर्ड ने निर्णय लिया है कि गारंटियां प्राप्त करने के पश्चात ही ऋणों का वितरण किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े तथा अल्पसंख्यकों के अखिल भारतीय कल्याण संगठन से ऋण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के अधिकारियों का चुन्दूर का दौरा

9390. **श्री सोलम राम जांगड़े :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के कुछ अधिकारियों ने 6 अगस्त, 1991 की घटना के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास पर अध्ययन कराने के लिए आन्ध्र प्रदेश में गुन्टूर जिले के चुन्दूर स्थान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के एक प्रबंधक ने 7 से 10 अगस्त, 1991 तक हैदराबाद गुंटूर और चुन्दूर गांव का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आवंटन हेतु भूमि अधिग्रहण करने, लघु व्यवसाय/उद्योगों को स्थापित करने, बागवानी करने के

लिए सहायता देने, पशुपालन और मत्स्यपालन क्रियाकलापों के लिए सरकार से 50% आर्थिक सहायता, 25% सीमांत धन ऋण और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से रियायती ब्याज दर पर 25% नियमित ऋण प्रदान करने की सिफारिश की । 6 अगस्त, 1991 की घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों के लाभार्थ योजनाएं बनाने के लिए सिफारिशों की रिपोर्ट 20-11-91 को आंध्र प्रदेश अनु० जाति सहकारी वित्त निगम को भेज दी गई है । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस पर कार्यवाई की जा रही है ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

9391. **प्रो० राम कापसे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "विश्व खाद्य कार्यक्रम" के अंतर्गत अमेरिका के साथ कोई करार किया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात किये जाने वाली वस्तुओं के पर्याप्त स्टाक करार पूर्व मूल्यों पर देश में स्थानीय खपत के लिये आरक्षित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यूनियन कारबाइड के भूतपूर्व चेयरमैन का प्रत्यर्पण

9392. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल गैस दुर्घटना के मुकदमे के संबंध में यूनियन कारबाइड (इंडिया) लिमिटेड के भूतपूर्व चेयरमैन के प्रत्यर्पण की मांग करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

[हिन्दी]

फलदायी वृक्षों का लगाना

9393. **श्री परशुराम गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान देश के विभिन्न भागों में फलदायी वृक्षों को लगाने का है :

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन राज्यों को अभिज्ञात किया गया है ; और

(ग) आम के वृक्ष लगाये जाने वाले क्षेत्रों की राज्य-वार स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की चालू स्कीमों के तहत देश के सभी मुख्य फल उत्पादक राज्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

(ग) मुख्य आम उत्पादक राज्यों में आम के बागान के तहत अनुमानिक क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

आम के बागान के तहत राज्य-वार क्षेत्र (1988-89)

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

	राज्य का नाम	क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	178946
2.	बिहार	144204
3.	गोवा	3359
4.	गुजरात	31000
5.	हरियाणा	7204
6.	कर्नाटक	63597
7.	केरल	67532
8.	मध्य प्रदेश	21579
9.	महाराष्ट्र	35400
10.	मणिपुर	1380
11.	मिजोरम	78
12.	उड़ीसा	92198
13.	पंजाब	10537
14.	राजस्थान	7689
15.	सिक्किम	50
16.	तमिलनाडु	44748
17.	त्रिपुरा	4892
18.	उत्तर प्रदेश	255456
19.	पश्चिम बंगाल	54400

[अनुवाद]

एमनेस्टी रिपोर्ट

9394. **डा० आर० श्रीधरण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत

संबंधी ताज़ा रिपोर्ट के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) एमनेस्टी इण्टरनेशनल की "भारत-हिरासत में उत्पीड़न, बलात्कार और मृत्यु" पर रिपोर्ट, जिसमें सामान्य दृष्टि से व्यापक तथा सारहीन बातों का सहारा लिया गया है, अत्यन्त अतिशयोक्तिपूर्ण है और यह रिपोर्ट भारत में मौजूदा मानवाधिकार स्थिति का एकांगी और पक्षपातपूर्ण चित्रण करती है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में विद्यालयों में लड़कियों को प्रताड़ित किया जाना

9395. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 में अब तक विद्यालयों में लड़कियों को प्रताड़ित करने के कितने मामलों का पता चला है :

(ख) कितने मामले सुलझा लिए गए तथा कितने मामले अभी लम्बित पड़े हैं :

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है ; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : (क) वर्ष 1989, 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान दिल्ली में स्कूलों में लड़कियों को प्रताड़ित करने के सूचित किए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1989	—
1990	1
1991	1
1992 (16-4-1992 तक)	—

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दोनों मामलों को हल कर लिया गया है और वे न्यायालयों में विचारण के लिए लम्बित हैं ।

(ग) चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) महिलाओं के प्रति अपराध निरोधक सैल, महिलाओं के साथ होने वाली छेड़-छाड़ तथा अभद्र व्यवहार करने के विरुद्ध अभियान चलाता है ।

(ii) जब कभी भी इस प्रकार की घटना ध्यान में आती है तो पी सी आर वाहन/मोटर साइकिलों और पुलिस टुकड़ियों द्वारा त्वरित तथा तत्काल कार्रवाई की जाती है ।

(iii) बस स्टापों, कालेजों के नजदीक आदि स्थानों पर विशेष गश्त लगाई जाती है ।

(iv) यू-स्पेशल बसों में सादी वर्दी में पुलिस तैनात की जाती है ।

[अनुवाद]

कच्चे नारियल का मूल्य

9396. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कच्चे नारियल का मूल्य बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में कच्चे नारियल के मूल्य में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) कृषि उत्पाद विपणन समिति, आजादपुर, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कच्चे नारियल के मूल्यों में वृद्धि का रूख है । कच्चे नारियल के थोक मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से रेल भाड़े में वृद्धि और पैकिंग सामग्री की दरों में बढ़ोत्तरी होने के कारण हुई है । दिल्ली में कच्चे नारियल के मूल्यों को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है ।

रोहिंगा शरणार्थी

9397. **श्री रामचन्द्र मारोतराव धंगारे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार के रोहिंगा मुसलमानों ने भारत में शरण ली है;

(ख) यदि हां, तो इन शरणार्थियों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इन शरणार्थियों को स्वदेश भेजने हेतु क्या उपाय कर रही है;

(घ) क्या सरकार का इन मुद्दों को राष्ट्रसंघ में उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं, हमारी जानकारी के अनुसार म्यांमार के किसी रोहिंगा मुसलमान ने भारत में शरण नहीं ली है ।

(ख) और (ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सोयाबीन की खेती

9398. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु में सोयाबीन की खेती में वृद्धि की काफी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) तमिल नाडु में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी अतिरिक्त भूमि सोयाबीन की खेती के अंतर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) सोयाबीन सहित विभिन्न तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तमिल नाडु सहित विभिन्न

राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात "तिलहन उत्पादन कार्यक्रम" चल रहा है । राज्य सरकारों को सोयाबीन के तहत क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट मार्गनिर्देश दे दिए गए हैं । सोयाबीन की खेती में लगे विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को एक मैनुअल भी भेज दिया गया है ।

(ग) 1992-93 के दौरान सोयाबीन के वर्तमान में नगण्य क्षेत्र को 10,000 हैक्टेयर तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए पर्यवेक्षणात्मक तंत्र

9399. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की गतिविधियों की निगरानी हेतु किसी निरीक्षणात्मक और परामर्शदात्री तंत्र का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, हां । परिषद के निम्नलिखित अधिकरण भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्रियाकलापों में सलाह देते हैं, मानीटर करते हैं और पर्यवेक्षण करते हैं :—

(i) आम सभा

(ii) शासी निकाय

(iii) वित्त समिति

(iv) अध्यक्ष, आम सभा अथवा शासी निकाय के निदेशानुसार परिषद के किन्हीं कार्यों को देखने के लिए गठित कोई अन्य समिति ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में धामरा मत्स्य पत्तन का विकास

9400. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में धामरा मत्स्य पत्तन का कुछ और विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) धामरा मात्स्यिकी बन्दरगाह का आगे और विकास करने के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली नगर निगम में दिहाड़ी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

9401. **श्री रोशनलाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने दिहाड़ी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु कोई नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली नगर निगम में जोनवार तथा संवर्गवार कितने दिहाड़ी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) योग्य कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) निगम ने तारीख 20-11-1978 के अपने संकल्प संख्या 709 के तहत यह प्रस्ताव पारित किया था कि दिहाड़ी/मस्टर रोल कर्मचारियों को चरणबध्द रूप से नियमित किया जाएगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और इस प्रकार के कर्मचारियों की नियमित आधार पर स्थायी प्रकार के कार्य के लिए आवश्यकता हो ।

(ग) विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे मस्टर रोल मजदूरों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है :

इंजीनियरिंग विभाग	1800
बागवानी विभाग	673
सी० एस० ई० विभाग	7755
स्वास्थ्य विभाग	316
शिक्षा विभाग	374
सामुदायिक सेवा विभाग	123
केन्द्रीय स्थापना विभाग	17
ए० सी० (मुख्यालय) कार्यालय	86

(घ) मस्टर रोल मजदूरों को नियमित करने का कार्य, उपरोक्त (क) और (ख) में बताये अनुसार किया जाएगा ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति का जायजा लेने के लिये केन्द्रीय दल

9402. **श्री आनन्द अहिरवार**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह
श्री चन्द्रभान चन्द्राकर
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति का जायजा लेने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्रीय दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश को कितनी अतिरिक्त सहायता का आवंटन करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मध्य प्रदेश को राहत उपायों के लिए अतिरिक्त सहायता देने पर विचार किया जाएगा ।

[अनुवाद]

मत्स्य पालन में शैक्षणिक तथा अनुसंधान सुविधाएं

9403. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में मत्स्य पालन तथा झींगा पालन में अत्यधिक प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में मत्स्य पालन में शैक्षणिक तथा अनुसंधान सुविधाओं में सुधार करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) ताजे पानी में सघन संवर्धन पद्धति के अंतर्गत प्रति वर्ष 15 टन प्रति हैक्टर उत्पादन प्राप्त किया गया था । खारे पानी में अर्ध सघन झींगा पालन पद्धति के अंतर्गत 4.5 टन प्रति हैक्टर झींगों का उत्पादन प्रदर्शित किया गया । प्रजनक मछली के संग्रह (ब्रूड स्टाक) का विकास, प्रजनन, बीज उत्पादन तथा ताजे पानी तथा खारे पानी में मछली पालन और झींगा पालन की तकनीकों को मानकीकृत किया गया है । समुद्र में झींगा पालन के अंतर्गत 8 व्यावसायिक महत्व की प्रजातियों के जीरे उत्पादन को मानकीकृत किया गया है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्तर पर मात्स्यिकी शैक्षिक कार्यक्रमों के सुधार के लिए केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान का दर्जा बढ़ाकर उसे डीम्ड विश्वविद्यालय कर दिया गया है । संबद्ध शाखाओं में उच्चतर अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय मीठाजल जल-जीव पालन संस्थान में दो उच्च अध्ययन केन्द्र शुरू किये गये हैं ।

खारे पानी में मत्स्य-पालन विकास एजेंसियां

9404. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में मार्च, 1992 तक खारे पानी में मत्स्य-पालन विकास की कितनी एजेंसियां स्थापित की जा चुकी हैं;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में समुद्री मछली/झींगा मछली पकड़ी गई; और

(घ) वर्ष 1992-93 में राज्य-वार झींगा/मछली उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) मार्च, 1992 तक देश में 31 खारा पानी मछली पालन विकास एजेंसियां खोलने के लिए मंजूरी दी गई थी ।

(ख) 1992-93 के दौरान 3 और ऐसी एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(मात्रा/मीटरी टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समुद्री मछली उत्पादन		झींगा उत्पादन		1992-93 के दौरान मछली उत्पादन* (जिसमें झींगा भी शामिल है) का लक्ष्य
		1989-90	1990-91	1989-90	1990-91	
1.	आन्ध्र प्रदेश	111.35	120.35	17.78	15.58	282.58
2.	अरुणाचल प्रदेश					1.34
3.	असम					83.06
4.	बिहार					174.68
5.	गोवा	52.65	53.18	4.86	4.87	62.31
6.	गुजरात	432.36	500.00	26.97	29.19	603.96
7.	हरियाणा					25.38
8.	हिमाचल प्रदेश					5.70
9.	जम्मू और कश्मीर					14.26
10.	कर्नाटक	186.13.	183.83	6.19	6.19	262.05
11.	केरल	535.71	514.24	32.44	52.49	610.23
12.	मध्य प्रदेश					40.27
13.	महाराष्ट्र	393.00	325.00	77.94	106.52	430.40
14.	मणिपुर					9.23
15.	मेघालय					1.68
16.	मिजोरम					3.19
17.	नागालैंड					0.84
18.	उड़ीसा	77.89	78.00	6.33	7.71	177.48
19.	पंजाब					12.25
20.	राजस्थान					6.54
21.	सिक्किम					0.17
22.	तमिलनाडु	289.00	238.95	14.27	19.61	410.14
23.	त्रिपुरा					23.16
24.	उत्तर प्रदेश					113.94
25.	पश्चिम बंगाल	89.00	125.00	26.80	26.80	745.09
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	13.60	15.15	—	—	16.84
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—
28.	दादर, नगर हवेली	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	7.73	7.73	—	—	8.68

विवरण—जारी

30. दिल्ली	—	—	—	—	3.36
31. लक्षद्वीप	6.97	7.60	—	—	8.42
32. पांडिचेरी	29.51	30.62	2.91	3.96	37.06
33. गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए किराये पर लिये गये जलयान	50.00	50.00	—	—	55.37
कुल	2274.90	2299.65	216.69	273.02	4230.00

* डीगा उत्पादन के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

नादिया, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ

9405. श्री सुकदेव पासवान
श्री नीतिश कुमार } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 1951 से निरन्तर घुसपैठ होते रहने के कारण जनसंख्या में 549.75 प्रतिशत की भारी वृद्धि हो गई जैसा कि 13 अप्रैल, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के अनुसार तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) समाचार के अनुसार, नादिया जिले की जनसंख्या में 1951 और 1991 के बीच 549.75% बढ़ोतरी हुई है । नादिया जिले की जनसंख्या 1951—1991 के दौरान 236.77% बढ़ी ।

(ग) "विदेशियों की घुसपैठ रोकना" और "मोबाईल टास्क फोर्स" योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में पुलिस बल की संख्या बढ़ायी गयी है । अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के उद्देश्य से विदेशी अधिनियम, 1946 के उपबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं । पश्चिम बंगाल सरकार से सीमान्त क्षेत्रों में पहचान पत्र जारी करने के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया गया है ।

ग्राम सुरक्षा बल

9406. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्राम सुरक्षा बल गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह बल अस्थाई होगा अथवा स्थाई होगा; और

(घ) 1992 के दौरान इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों का अभ्यावेदन

9407. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए;

(ख) कितने मामलों में 15 दिनों के भीतर प्राप्ति-स्वीकृति भेजी गई और कितने मामलों में अब तक अन्तिम उत्तर नहीं दिए गए हैं;

(ग) प्राप्ति-स्वीकृति को पन्द्रह दिन के भीतर तथा अन्तिम उत्तर तीन महीने के भीतर न भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पत्रों, ज्ञापनों आदि के शीघ्र निपटान के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

दिल्ली में औषधि संबंधी कथित घोटाला

9408. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अप्रैल, 1992 के "द हिन्दू" में "लेक्स इन डेल्ही ड्रग्स स्कैंडल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में लिप्त स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं :

(ग) 1991-92 के दौरान उन्हें अनुदानों की कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) इन स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय ने निम्नलिखित चार स्वैच्छिक संगठनों के वित्तीय और संगठनात्मक मामलों में कुछ विसंगतियां नोट की थीं :

(1) समाज सेवा संघ, दिल्ली;

(2) एसोसिएशन फॉर सोशल हैल्थ इन इण्डिया, नई दिल्ली;

(3) होम इकॉनामिक्स एजुकेशन सोसायटी, नई दिल्ली;

(4) ऑल इण्डिया एसोसिएशन फॉर सोशल वेल्फेयर ऑफ डाउन टॉउन, नई दिल्ली ।

वर्ष 1991-92 के लिए "मद्य निषेध एवं नशीली दवा दुरुपयोग निवारण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" की योजना के अंतर्गत उनमें से दो को स्वीकृत पहली किस्त का अनुदान निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	संगठन	1991-92 के लिए स्वीकृत अनुदान
1.	होम इकॉनामिक्स एजुकेशन सोसायटी, नई दिल्ली	1,33,470
2.	एसोसिएशन फॉर सोशल हैल्थ इन इण्डिया, नई दिल्ली	8,43,124

1991-92 के दौरान निम्नलिखित दो संगठनों को कोई अनुदान निर्मुक्त नहीं किए गए :

1. समाज सेवा संघ, दिल्ली ;

2. ऑल इण्डिया एसोसिएशन फॉर सोशल वेल्फेयर ऑफ डाऊन टॉडन, नई दिल्ली ।

(घ) दिल्ली प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, अनुदान की दूसरी किस्त 1991-92 के दौरान निर्मुक्त नहीं की गई थी ।

नीलगढ़ डिकोम चाय बागान के समीप तेल कूप में विस्फोट

9409. **श्री द्वारकानाथ दास** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नीलगढ़ डिकोम चाय बागान के समीप 7 अप्रैल, 1992 को तेल कूप संख्या 1320 में हुए विस्फोट की जानकारी है जिसमें इसके आस पास के 800 घर क्षतिग्रस्त हो गये थे;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विस्फोट से काफी बड़े धान के खेत की भूमि बंजर हो गई है; और

(ग) विस्फोट पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) दिनांक 7-4-1992 को डिब्रूगढ़ के पूर्व में लगभग 15 कि०मी० की दूरी पर स्थित कूप नं० डिकोम-1 में विस्फोट हुआ । विस्फोट की वजह से किसी भी घर को कोई क्षति नहीं हुई ।

(ख) कूप की मेड़ से 70 मीटर के अंदर तीन दिशाओं में धान के खेतों के आस पास लगभग 16.5 एकड़ का क्षेत्र प्रभावित हुआ है ।

(ग) प्रभावित भूमि-मालिकों की क्षति पूर्ति के लिए मैसर्स आयल इंडिया लि० खड़ी मौसमी फसलों की संभावित क्षति का मूल्यांकन कर रहा है । प्रभावित धान वाले क्षेत्र का आयल इंडिया लि० द्वारा स्थायी तौर पर अधिग्रहण भी किया जा रहा है ।

असम में बाढ़

9410. **श्री लाईला उम्मे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के तिनसुखिया जिले में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गये हैं और अरुणाचल प्रदेश के लोहित तथा दिबंग घाटी जिलों की संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके नुकसान का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या राहत उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या नाओ-दिहिंग और बूरी-दिहिंग को प्रचन्ड नदियों को उनके मूलभूत पथ पर बहाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) 29-3-1992 को असम के तिनसुखिया जिले में नाहेहिंग नदी के तटबंध में दरार के कारण आई बाढ़ से अरुणाचल प्रदेश में लोहित तथा दीबन्द घाटी जिलों का सड़क सम्पर्क विच्छिन्न हो गया था । प्रारम्भिक रिपोर्टों के आधार पर असम सरकार ने निम्नलिखित क्षति की सूचना दी है :—

1.	प्रभावित क्षेत्र	45,000 हैक्टेयर
2.	प्रभावित जनसंख्या	35,000
3.	प्रभावित गांव	75
4.	जन हानि	1

राज्य सरकारों द्वारा किए गए राहत कार्यों में निःशुल्क राहत, चावल, दाल, नमक, सरसों का तेल, घिरत, गुड़, शिशुआहार, टाट आदि जैसे अनिवार्य जिनसों का वितरण करना तथा परिवहन के लिए नावों को लगाना शामिल है ।

(ग) से (ङ) सम्बद्ध राज्य सरकारों से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं ।

मुम्बई में बोटलिंग प्लांटों के मजदूर

9411. **श्री राम नाईक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के रसोई गैस भराई संयंत्रों में मथाडी मजदूरों में धीरे काम करो अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) इस समय काम सामान्य रूप से चल रहा है ।

दिल्ली में हीरो के व्यापारियों के अपहरण के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट

9412. **श्री गुरूदास कामत**
श्री तेज नारायण सिंह } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुए हीरो के व्यापारियों के अपहरण की जांच कर रहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या अपहरण की घटना के बाद इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोगों के प्रवेश एवं निर्गम कार्डों की जांच की गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन कार्डों की भलीभांति जांच करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां, श्रीमन् ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि कार्डों की जांच की गई है ।

तीन बीघा पट्टी के लिए उपरिपुल

9413. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन बीघा पट्टी से भारतीयों के आने-जाने के लिए उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तीन बीघा कारीडोर से होकर भारतीयों के आने-जाने के लिए एक फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए सरकार के विचारार्थ फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

9414. **श्री नारायणभाई अमलाभाई राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली पुलिस में श्रेणीवार कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना संलग्न ब्यौरे में निहित है । सीधी भर्ती कोटे और पदोन्नति कोटे में रिक्त पदों का श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को यथाशीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण-1

सीधी भर्ती कोटा में रिक्त पदों की स्थिति

क्रम सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित	
			अनु० जाति	अनु० जन० जाति
1	2	3	4	5
1.	सहायक प्रोग्रामर (निरीक्षक)	1	—	—
2.	कम्प्यूटर आपरेटर (निरीक्षक)	1	1	—
3.	एम० टी० चार्जमैन (निरीक्षक)	1	—	—
4.	निरीक्षक (बैण्ड)	1	—	—
5.	तकनीकी पर्यवेक्षक	1	—	—
6.	निरीक्षक (फिंगरप्रिंट)	1	—	—
7.	एस० आई० (एक्स०)	388	57	29
8.	एस० आई० (महिला)	9	2	1
9.	इनपुट/आउटपुट सहायक (एस० आई०)	2	1	1
10.	फिंगर प्रिन्ट (एस० आई०)	2	—	—
11.	ड्राफ्टसमैन (एस० आई०)	1	—	—
12.	लाइब्रेरियन (एस० आई०)	1	1	—
13.	ए० एस० आई० (महिला)	16	1	5
14.	ए० एस० आई० (फिंगरप्रिंट)	7	—	3
15.	ए० एस० आई०-एम० टी० फिटर श्रेणी-I (इलैक्ट्रिशियन)	4	—	1
16.	ए० एस० आई० (रेडियो टेक०)	21	—	4
17.	ए० एस० आई० (डाटा एन्ट्री आपरेटर)	3	1	—
18.	ए० एस० आई० (स्टेनो)	42	13	8
19.	वरि० (ए० एस० टी०)	3	2	1
20.	एच० सी० (ए० डब्ल्यू० ओ०)	254	—	2
21.	एच० सी० (स्टोर क्लर्क)	1	1	—
22.	एच० सी० (ए० एम० टी)	1	—	—
23.	एच० सी० (मिन)	145	6	65
24.	एच० सी० (एम० टी०) फिटर श्रेणी-II पेंटर	1	—	—

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
25.	एच० सी० (एम० टी०) फिटर ग्रेणी-II आल्कम/टायर	1	—	—
26.	कांस्टेबल (एक्स०)	2283	389	139
27.	कांस्टेबल (ड्राइवर)	75	8	32
28.	कांस्टेबल (महिला)	104	23	16
29.	कांस्टेबल (एम० टी०)	12	2	1
30.	कांस्टेबल (माउंटिड)	3	—	—
31.	कांस्टेबल (बैण्ड)	6	2	2
32.	ए कांस्टेबल (डाग होल्डर)	20	3	4
सिविलियन पद				
32.	लाइब्रेरियन (सिविल)	1	—	—
33.	सहायक लाइब्रेरियन	2	1	—
34.	की पंच आपरेटर	1	1	1
34ए.	टयूबवैल आपरेटर	1	—	1
34बी.	इलैक्ट्रिशियन	1	1	—
35.	साइंटिफिक असिस्टेंट	6	1	1
36.	ए लैब असिस्टेंट	5	—	—
37.	लैब असिस्टेंट	3	—	—
38.	फार्मेसिस्ट	1	—	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				
39.	नाई	3	1	—
40.	दर्जी	2	—	—
41.	माली	1	—	—
42.	स्वीपर	9	9	—
43.	रसोइया	6	—	1
44.	मारकर	1	—	—
45.	मोची	1	1	—

विवरण-2

पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों की स्थिति

क्रम सं०	पद का नाम	रिक्त पड़े हुए पदों की संख्या	आरक्षित	
			अनु० जाति	अनु० जन० जाति
1	2	3	4	5
1.	डी० सी० पी०	3	1	—
2.	डी० सी० पी०/एम० टी०	1	—	—
3.	ए० सी० पी०/एम० टी०	2	1	—
4.	ए० सी० टी०/प्रोग्रामर	2	1	—
5.	ए० सी० पी०/टी० पी० टी० इंजीनियर	1	—	—
6.	ए० सी० पी०	12	2	1
7.	ए० सी० पी०/संचार	4	1	1
8.	ए० सी० पी०/अंगुली छाप	1	—	1
9.	इन्सपैक्टर/ओ० पी० आर०/सी० ओ० एम० एन०	2	1	—
10.	इन्सपैक्टर एम० टी०	1	—	—
11.	सहायक प्रोग्रामर	1	—	—
12.	कम्प्यूटर सेंटर	2	1	—
13.	एम० टी० चार्जमैन	2	1	—
14.	आरमोरर	1	—	—
15.	एस० आई० (ई० एक्स०)	242	36	18
16.	एस० आई० (महिला)	61	9	5
17.	एम० टी० ओ० पी० आर०	2	1	—
18.	इनपुट/आउटपुट सहायक	1	—	—
19.	सुपर० टेक० सी० ओ० एम० एम० एन०	1	—	—
20.	सुपर० ओ० पी० आर० सी० ओ० एम० एम० एन०	5	1	1
21.	डॉग स्क्वायड	1	—	—
22.	ए० एस० आई० (महिला)	64	10	5
23.	बैंड सी० एच० मेन	1	—	—
24.	टर्नर	1	—	—
25.	अप होल्स्टर	1	—	—

विवरण — 2 जारी

1	2	3	4	5
26.	ए० एस० आई०/एम० टी० फिटर ग्रेड-I	6	1	1
27.	डाटा एन्ट्री आपरेटर (ए० एस० आई०)	1	—	—
28.	एम० टी० आपरेटर (ए० एस० आई०)	4	1	1
29.	रेडियो टेक० (ए० एस० आई०)	18	3	2
30.	वर्कशाप सहायक	5	1	1
31.	एम० टी० स्टोरकीपर	1	—	—
32.	ड्राइवर	3	1	—
33.	डॉग स्क्वाड (ए० एस० आई०)	1	—	—
34.	माउन्टेड	1	—	—
35.	एच० सी० (ई० एक्स०)	341	46	23
36.	एच० सी० (महिला)	229	34	17
37.	एच० सी० (ड्राइवर)	51	—	—
38.	एच० सी० (एम० टी० फिटर)	22	3	2
39.	एच० सी० (फिटर बैट०)	17	3	2
40.	एच० सी० (फिटर इलैक्ट्रीक)	21	3	2

आन्ध्र प्रदेश को प्राकृतिक गैस पर रायल्टी

9415. श्री राम कृष्ण कोंतागला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पश्चिमी गोदावरी जिले में पाई गई प्राकृतिक गैस के लिए रायल्टी देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में सर्वेक्षण कार्य कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को प्राकृतिक गैस पर रायल्टी का भुगतान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्किम में उद्यान कृषि विकास कार्यक्रम

9416. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान सिक्किम में उद्यान-कृषि की योजनाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ उस राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) सिक्किम में विभिन्न बागवानी फसलों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत सिक्किम में बागवानी का विकास शुरू किया जाएगा। अलग-अलग योजनाओं के तहत 1992-93 के लिए राज्यवार वित्तीय आबंटन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत

9417. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर औसत खपत कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि में उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर औसत खपत में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों की औसत प्रति हैक्टेयर खपत का अनुमान 72.17 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर लगाया गया है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों की खपत का स्तर बढ़ाकर लगभग 106.0 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) प्रति हैक्टेयर उर्वरक की खपत में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) भारत सरकार ने सातवीं योजना के दौरान दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में खुदरा केन्द्र खोलने के लिये एक योजना कार्यान्वित की है।

(2) दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन में सहायता देने और छोटे कृषकों में उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे पैकों में उर्वरक के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(3) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उर्वरकों की सुगम उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 10 मीटरी टन उर्वरक की सीमा तक विक्रेताओं को विक्रेता पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दें।

(4) गहन कृषि क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग की क्षमता में सुधार करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(5) उर्वरक उपयोग और उर्वरक के संतुलित कुशल उपयोग के लाभों से संबंधित प्रदर्शन राज्य कृषि विस्तार एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।

(6) उर्वरकों के उचित उपयोग पर युक्तिसंगत सलाह देकर कृषकों को सहायता देने के लिये मृदा परीक्षण सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है।

बाम्बे हाई में तेल के लिए खिदण कार्य

9418. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई में कोई खिदण कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्याप्त तेल शोधक सुविधाओं के अभाव में कच्चे तेल का निर्यात

9419. श्री जगमीत सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त तेल शोधक सुविधाओं के अभाव में कच्चे तेल का निर्यात करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात किन-किन देशों को किस दर पर किया गया;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में देश के भीतर ही तेल शोधन करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

9420. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का कितनी मात्रा में आयात किया गया, मुख्य सप्लायरों के नाम क्या है और किन-किन देशों से कितना-कितना आयात किया गया :

(ख) क्या आयात प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है ; और

(ग) सरकार के साथ किए गए सौदों अथवा कम्पनियों के साथ किये गये करार अथवा नीलामी के मौके पर की गई खरीद जैसे खरीद माध्यमों के अन्तर्गत माध्यमवार कुल कितना आयात किया गया है और वर्ष के दौरान प्रत्येक खरीद माध्यम के लिए औसत लागत भीमा भाड़ा यूनिट मूल्य कितना था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात दोनों ही आवधिक करारों और स्पाट पर खरीद के तहत किया जाता है । स्पाट-खरीद हमेशा ही किसी देश-विदेश से नहीं की जाती है । वर्ष 1991-92 के दौरान कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों की आवधिक आपूर्तियां रूस, ईरान, संयुक्त अमीरात गणराज्य, सऊदी अरब, मलेशिया, बहरीन और चीन से की गई । वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 12,700 करोड़ रुपए के मूल्य का लगभग 33.2 एम एम टी कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया जिसमें से 13.6 एम एम टी आवधिक करारों के अधीन था । प्रत्येक आवधिक करार और स्पाट-खरीद के लिए कीमत अलग-अलग होती है ।

किसानों को रियायती दरों पर बीजों की सप्लाई

9421. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने आप अथवा संयुक्त उपक्रमों द्वारा देश में अनाज, दालों और बागवानी में अधिक उपज देने वाले बीजों का विपणन किया है;

(ख) क्या सरकार का इन कम्पनियों से ऐसे बीजों को खरीदकर देश के गरीब किसानों को रियायती दरों पर देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) ऐसी 21 बीज कम्पनियां हैं जिन्होंने देश में बीज/रोपण सामग्री के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के साथ वित्तीय तकनीकी सहयोग आरम्भ किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियां

9422. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में जिलावार कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सप्लाई के लिए कोई क्षेत्र सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) जिला हमीरपुर में गैस एजेंसियां किन-किन क्षेत्रों को रसोई गैस की सप्लाई करती है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र सीमा में वृद्धि करने का है जो निकटतम रसोई गैस एजेंसी से 12-15 किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को हमीरपुर जिला सहित सभी पर्वतीय बाजारों में 15 कि० मी० की परिधि में कनेक्शन देने की अनुमति है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	जिला	डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या
1	2	3
1.	बिलासपुर	1
2.	चम्बा	3
3.	कांगड़ा	12
4.	हमीरपुर	2
5.	मंडी	4
6.	कुल्लू	1
7.	लाहुल स्पीति	1
8.	सोलन	5
9.	सिरमौर	3
10.	किन्नौर	1

विवरण—जारी

11.	सिमला	12
12.	ऊना	1
	कुल =	46

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज हेतु रूसी फर्म के साथ समझौता

9423. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के बारे में रूसी फर्मों के साथ कितने समझौते किये गये थे;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में उनमें से कुछ समझौते रद्द कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन समझौतों को रद्द करने से क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1973 से 1987 तक पूर्व के सोवियत संघ के साथ अन्वेषण/विकास से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के संबंध में बारह करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच

9424. श्री दत्तात्रेय बंडारू
श्री भगवान शंकर रावत
श्री मंगल राम प्रेमी
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री नरेश कुमार बालियान } : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच के बारे में 12 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6878 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भाग (क) से (ग) तक के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में जासूसी का जाल

9425. **श्री जीवन शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में पता लगाए गए जासूसी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन जासूसी के मामलों में लिप्त सरकारी कर्मचारियों/रक्षा कर्मियों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एम॰ जेकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम क्षेत्र का सम्मेलन

9426. **श्रीमती बासवाराजेश्वरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र में हाल ही में हुए सम्मेलन में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर नियन्त्रण हटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कौन-कौन से प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए;

(घ) क्या इसमें दिए गए सुझावों की सरकार द्वारा जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द) : (क) से (ङ) कीमतों की अविनियमन के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइज तथा ऊर्जा द्वारा आयोजित दिनांक 28-2-1992 की कांग्रेस में, क्रूड के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समानता मूल्य, रिफाइनरियों द्वारा क्रूड किसी भी स्रोत से खरीदने संबंधी छूट, उपयुक्त समायोजन सहित अन्तर्राष्ट्रीय रिफाइनरी मार्जिन के आधार पर उत्पाद की रिफाइनरी पर कीमतों का निर्धारण तथा बाजार कीमत द्वारा रिफाइनरियों में उत्पाद-प्रतिमान का निर्धारण आदि सुझाव दिए गए। लागतों, मांग में वृद्धि तथा सामाजिक-आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कीमतों में परिवर्तन किए जाते हैं।

रसोई गैस ग्राहकों का बीमा

9427 श्रीमती भावना चिखलिया
श्री अन्ना जोशी } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस वितरकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने ग्राहकों का तृतीय पक्ष दायित्व बीमा करवाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रसोई गैस के सिलेंडर फटने से कुल कितनी मौतें हुईं; और

(घ) कितने मामलों में बीमा राशि का भुगतान किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) देयता बीमा में किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा शारीरिक रूप से जख्मी होना/अथवा गैस सिलेण्डर, उपकरणों, प्रेशर रेगुलेटरों आदि से हुए सम्पत्ति के नुकसान को कवर किया गया है ।

(ग) एल पी जी के इस्तेमाल से जुड़े विभिन्न कारणों से मौतों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
1989-90	53
1990-91	58
1991-92	46
कुल =	157

(घ) दो मामलों में, एल पी जी सिलेण्डर के विस्फोट से इतर कारणों से बीमा धनराशि मृत्यु होने पर भुगतान कर दी गई ।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा सरकारी क्वार्टरों की जांच करना

9428. श्री राजेश कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टरों की दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस द्वारा दिल्ली में कुल कितनी कालोनियों की जांच की गई;

(ग) कितने सरकारी क्वार्टरों में किरायेदार और असामाजिक तत्व पाए गए, उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे क्वार्टरों के आबंटितियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; अथवा की जा रही है; और

(ङ) शेष कालोनियों की कब तक जांच की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) रोमानिया के राजनयिक श्री लिविय राडू के अपहरण के परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस ने 108 सरकारी/पुलिस कालोनियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया । 1985 सरकारी क्वार्टरों को किराएदारों के कब्जे में पाया गया और 253 निवासियों को विभिन्न अपराधों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया । दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि लगभग सभी कालोनियों की जांच कर ली गई है ।

[अनुवाद]

ऐमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा मानवाधिकारों पर शोध करने का सुझाव

9429. **श्री नवल किशोर राय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मानवाधिकारों पर शोध करने हेतु ऐमनेस्टी इंटरनेशनल का कोई सुझाव/प्रस्ताव मिला था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के कुछ भागों, जिनमें पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर शामिल हैं, यात्रा का प्रस्ताव किया है । इन यात्राओं के लिए अभी तक सहमति नहीं दी गई है ।

दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कथित रैकेट

9430. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में कोई रैकेट कार्य कर रहा है जो नकली अधिकार पत्रों पर दूसरों के नाम पर पासपोर्ट जारी करवाता है तथा बाद में उनका विभिन्न उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग करता है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली क्षेत्रीय परिपत्र कार्यालय में कार्यरत ऐसे किसी गिरोह के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस प्रकार के गिरोह के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है ।

तेल की चोरी

9431. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और देश के अन्य भागों में पाईप लाइन में छेद करके भारी मात्रा में तेल की चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष तेल की कितनी मात्रा में चोरी होने का अनुमान है;

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने मूल्य के तेल की चोरी की गई है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की तेल पाइपलाइन से कच्चे तेल की चोरी जाने की घटनाएं हुई हैं।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार, चोरी गए तेल की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (कि० लो०)	चोरी गए कच्चे तेल का अनुमानित मूल्य
1989-90	4.00	रु० 8,000/-
1990-91	21.10	रु० 55,500/-
1991-92	शून्य	शून्य
1992-93 (अप्रैल, 1992 तक)	शून्य	शून्य

(घ) और अधिक फुल प्रूफ सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए, विशेषत: पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के लिए, वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की पुनरीक्षा की गई थी।

आम्बे हाई में ठेका दिया जाना

9432. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम्बे हाई (उत्तर) के एल० ए०, एल० बी०, एल० सी०, एल० डी० और एल० ई० प्लेटफार्मों पर गैस जलाने के उद्देश्य की परियोजना के लिए दक्षिण कोरिया के औद्योगिक घराने, हयून्दई को बड़ा ठेका दिया गया है;

(ख) क्या उक्त कम्पनी को ठेका देने से पहले कोई निविदाएं आमंत्रित की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) बाम्बे हाई उत्तर में एल० ए०, एल० बी०, एल० सी०, एल० डी० तथा एल० ई० तेलकूप प्लेटफार्मों के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने मैसर्स हयून्दई हैवी इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, कोरिया को एक सशर्त आशय पत्र जारी किया है ।

(ख) और (ग) यह आशय पत्र तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मूल रूप से नवम्बर, 1990 में जारी की गई विश्व व्यापी निविदा के क्रम में था ।

सिख संगठनों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्ञापन

9433. **श्री विस्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सिख संगठनों ने पंजाब में मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे ज्ञापनों में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के आरोप बहुत बढ़ा-चढ़ा कर, राजनैतिक प्रेरणा से लगाए गए हैं और पंजाब की मौजूदा स्थिति को विकृत करने की कोशिश की गई है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आम के पेड़ लगाना

9434. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान और अधिक क्षेत्र में आम के पेड़ लगवाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितना क्षेत्र चुना गया है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु राज्यों को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में आम के बागानों के तहत क्षेत्र विस्तार के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है । वैसे, शुष्क तथा टॉपिकल क्षेत्रों के लिये चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री जैसे महत्वपूर्ण आदानों की सप्लाई के साथ मौजूदा आम-उद्यानों की उत्पादकता सुधारने के लिये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है । 1991-92 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 3.57 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी ।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

9435. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न जिलों में कई कृषि विज्ञान केन्द्र काम नहीं कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस समय राज्य-वार वास्तव में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र चल रहे हैं; और

(घ) इन केन्द्रों को पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) महोदय, इस समय देश के विभिन्न जिलों में 109 कृषि विज्ञान केन्द्र काम कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य को सुचारू और कारगर रूप से चलाने के लिए कारगर प्रबोधन (मानीटरिंग) की जा रही है।

विवरण

राज्यवार कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या

क्र०सं०	राज्य का नाम	कृ० वि० के० की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	असम	2
3.	बिहार	8
4.	गुजरात	5
5.	हरियाणा	4
6.	कर्नाटक	5
7.	केरल	4
8.	मध्य प्रदेश	5
9.	महाराष्ट्र	6
10.	उड़ीसा	5
11.	पांडिचेरी	1
12.	तमिलनाडु	6
13.	उत्तर प्रदेश	15
14.	राजस्थान	11
15.	पंजाब	6
16.	हिमाचल प्रदेश	3
17.	जम्मू और कश्मीर	1
18.	पश्चिमी बंगाल	5
19.	अरूणाचल प्रदेश	1
20.	गोवा	1
21.	मणिपुर	1

विवरण—जारी

क्र०सं०	राज्य का नाम	कृ० वि० के० की कुल संख्या
22.	नागालैंड	1
23.	सिक्किम	1
24.	मेघालय	1
25.	त्रिपुरा	2
26.	मिजोरम	1
	कुल	109

नकली रसोई गैस सिलेंडर और रेगुलेटर

9436. **श्री मोहन रावले :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में मुम्बई में नकली एल०पी०जी० गैस सिलेण्डरों और रेगुलेटरों की बिक्री के मामले आए हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है :

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और बी०पी०सी० द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जाली एल०पी०जी सिलेंडरों और प्रेशर रेगुलेटरों की बिक्री का एक मामला अगस्त, 1991 माह में बम्बई पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में पुलिस द्वारा एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया है । इस समय यह मामला न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा हुआ है ;

[हिन्दी]

दिल्ली में हत्याएं

9437. **कुमारी उमा भारती :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सिर पर वार करके हत्या करने के मामलों में हाल ही में वृद्धि हुई है :

(ख) वर्ष 1991 तथा वर्ष 1992 के दौरान आज तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है :

(ग) क्या दिल्ली पुलिस ऐसी हत्या करने वाले गिरोह का पता लगाने में सफल हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) दिल्ली में 1991 में इस प्रकार के 16 मामले और 1992 में (15-4-1992 तक) 5 मामले सूचित किए गए हैं ।

(ग) और (घ) दक्षिणी जिला पुलिस ने हत्यारों, डकैतों के एक कुख्यात गिरोह का पता लगाया है जो राजधानी में डकैती और हत्या के एक दर्जन से भी अधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त है । 16-17 मार्च, 1992 की रात को पुलिस गश्ती दल द्वारा पीछा करने के बाद गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने के बाद और उससे प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया ।

(ङ) उठाए गए कदमों में, गश्त गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती करना, आसूचना तंत्र को मजबूत करना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारना, निगरानी में बढ़ोत्तरी करना और पड़ौसी राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना सम्मिलित हैं ।

[अनुवाद]

राज्य पुनर्गठन अधिनियम

9438. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) राज्य पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है । समय-समय पर, मुख्यतया आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता के कारण, नए राज्यों के गठन की मांगे आती रही है । सरकार का यह दृढ़ मत रहा है कि किसी राज्य विशेष में आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का मामला अनिवार्य रूप से योजना-तंत्र के जरिए तथा विकास बोर्ड, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, आदि जैसे उपयुक्त मूलभूत संरचनाओं की स्थापना करके हल किया जाना चाहिए और अलग राज्य का गठन करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है ।

[हिन्दी]

सूखे के कारण रबी की फसल को क्षति

9439. **श्री मोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में भयंकर सूखे की स्थिति से रबी की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू रबी फसल में कितनी वास्तविक कमी आई है और क्या इससे खाद्यान्नों की खरीद प्रभावित होने की संभावना है· और

(ग) यदि हां, तो सूखे के कारण हुई खाद्यान्न की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुक्तापल्ली रामाचन्द्रन): (क) और (ख)

केरल :

राज्य द्वारा 4016 हैक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल के नुकसान की सूचना दी गई है जिसमें से 2556 हैक्टेयर क्षेत्र पूर्णत: और 1460 हैक्टेयर क्षेत्र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है । लगभग 6460 मीटरी टन चावल की क्षति हो जाने की सूचना मिली है ।

दलहन फसलों के संबंध में 913 हैक्टेयर क्षेत्र पूर्णत: और 145 हैक्टेयर क्षेत्र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है । लगभग 728 मीटरी टन दाल (लोबिया) के क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना मिली है । सूचित गिरावट अपर्याप्त उत्तर पश्चिमी मान्सून के कारण हुई है ।

आंध्र प्रदेश :

राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है ।

मध्य प्रदेश :

राज्य सरकार ने रबी खाद्यान्नों में 17.23 लाख मीटरी टन की गिरावट की सूचना दी है । यह गिरावट गेहूं की बुवाई के समय जाड़े ऋतु की वर्षा की विफलता के कारण आई है । 5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई नहीं की जा सकी तथा भूमि खाली पड़ी रही ।

राजस्थान :

अपर्याप्त वर्षा के कारण 1991-92 के दौरान रबी फसलों की बुवाई 59.70 लाख हैक्टेयर के प्रति 56.62 लाख सूचित की गई है । रबी अनाजों को तथा दालों को बुवाई के क्षेत्र में क्रमश: 2.15 लाख हैक्टेयर तथा 3.39 लाख हैक्टेयर की कमी आई है । तिलहन के मामले में 1.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई है । आर्द्रता की निम्न उपलब्धता ने रबी उत्पादन को प्रभावित किया है ।

61.60 लाख मीटरी टन खाद्यान्न के लक्ष्य के प्रति अनुमानित उत्पादन 53.85 लाख मीटरी टन है जो लक्ष्य का 87 प्रतिशत है । यह खाद्यान्नों की खरीद को प्रभावित कर सकता है ।

उड़ीसा :

राज्य सरकार द्वारा किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) गेहूं की खरीद 1-4-1992 से शुरू हुई तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 35.50 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गई है । संबंधित राज्य केन्द्रीय पूल तथा अधिशेष वाले राज्यों से खरीद के लिए उपयुक्त उपाय कर रहे हैं ।

स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन

9440. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के पेंशन हेतु राज्य-वार कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इनके शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) जब विधवाएं पेंशन के स्थानान्तरण के लिए आवेदन देती हैं तो उस समय उन्हें पहचान संबंधी दस्तावेज और पेंशनर्स हाफ ऑफ पेंशन पेमेन्ट आर्डर प्रस्तुत करने होते हैं । इन दस्तावेजों के प्राप्त न होने से कभी-कभी देरी होती है । कुछ मामलों में, अर्थात जब स्वतंत्रता सेनानी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अपनी पत्नी का नाम न दिया गया हो तो विधवा के बारे में ब्योरे देने वाली एक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट से मंगानी होती है । जब कोई आवेदन-पत्र सब तरह से पूर्ण होता है तो प्राथमिकता के आधार पर आदेश जारी कर दिए जाते हैं । दूसरे मामलों में दस्तावेज या जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट, जो भी हो, मंगाई जाती है ।

2. इसके अलावा दिनांक 1-5-92 से स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन देने के मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से सरल बनाया गया है :—

(i) उन मामलों में, जिनमें नामांकन हुआ होता है अर्थात् स्वतंत्रता सेनानी के आवेदन पत्र में पत्नी अथवा आश्रित पुत्री (पुत्रियों) का नाम अंकित होता है, स्वतंत्रता सेनानी का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर वितरण अधिकारी को नामित व्यक्ति(यों) को भुगतान देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(ii) उन मामलों में, जिनमें नामांकन किया हुआ नहीं होता है, वितरण अधिकारी को पेंशन का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, बशर्ते कि दावे को जिलाधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित एवं सत्यापित किया गया हो ।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	असम	03
3.	बिहार	50
4.	गुजरात	11
5.	हरियाणा	02
6.	हिमाचल प्रदेश	01
7.	जम्मू तथा कश्मीर	01
8.	कनार्टक	21
9.	मध्य प्रदेश	19
10.	महाराष्ट्र	42
11.	मेघालय	01

विवरण—जारी

क्र.सं.	राज्य का नाम		लम्बित मामलों की संख्या
12.	उड़ीसा		06
13.	पंजाब		03
14.	उत्तर प्रदेश		54
15.	पश्चिम बंगाल (मिदनापुर जिले सहित)		107
		योग	331

[अनुवाद]

तेल उत्पादन

9441. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तेल उत्पादन की क्षमता और अर्थक्षमता का गहराई से अध्ययन करने के लिए कृत्रिम थल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किए गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण से उड़ीसा में महानदी बेसिन और बंगाल की खाड़ी तट में तेल के भंडारों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अतिरिक्त आयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी अपतट में 4 अन्वेषण कूपों का और महानदी और उड़ीसा के अपतटीय उत्तर-पूर्वी समुद्र तटीय बेसिन में 11 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है । लेकिन अब तक किसी वाणिज्यिक दृष्टि से दोहन योग्य हाइड्रोकार्बन के भंडारों का पता नहीं चला है ।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध दर्ज मामले

9442. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990, 1991 और 1992 के दौरान अब तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) इन दर्ज मामलों में से कितने मामलों के संबंध में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं;

(ग) इन मामलों के तेजी से न निपटाये जाने के क्या कारण है; और

(घ) इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बाढ़ प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता

9443. **प्रो० उम्मा रेड्डिड वेंकटेश्वरलु**
श्री अन्ना जोशी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1989-90 और 1990-91 के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को राहत के रूप में कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने उक्त अवधि के दौरान आपदा राहत कोष से कितने धन का उपयोग किया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बाढ़ से हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (घ) 1989-90 और 1990-91 के दौरान बाढ़ों से प्रभावित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का और क्षति का ब्यौरा क्रमश: विवरण 1 और विवरण 2 में दिया गया है ।

(ख) और (ग) 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों में बाढ़ राहत उपायों के लिये अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा और 1990-91 के दौरान आपदा राहत निधि के तहत किए गए प्रावधान और इस निधि से व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण 3 पर दिया गया है ।

विवरण-1

1989 के दौरान बाढ़ द्वारा हुई क्षति

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर में)	प्रभावित जन संख्या (मिलियन में)	फसल हानि		क्षतिग्रस्त मकान		पशु हानि (संख्या)	जन हानि (संख्या)	जनोपयोगी वस्तुओं की हानि (करोड़ रु॰ में)	कुल हानि (करोड़ रु॰ में) (कालम 6+8+11)
				क्षेत्र (मिलियन हैं॰ में)	मूल्य (करोड़ में)	संख्या	मूल्य (करोड़ में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.480	8.940	0.780	368.740	234725	20.950	43213	264	525.660	915.350
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.003	0.140	0.003	1.520	3000	सू॰ न॰	8000	24	सू॰ न॰	1.520
3.	असम	0.721	2.526	0.371	69.150	116051	16.246	3086	34	223.223	308.619
4.	बिहार	0.471	1.879	0.165	7.050	7746	1.610	शून्य	26	0.840	9.500
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	8	0.001	शून्य	शून्य	शून्य	10.001
6.	गुजरात	0.023	0.081	0.023	1.120	6559	1.940	2592	98	1.100	14.160
7.	हरियाणा	0.005	0.006	0.004	0.801	788	0.075	1	1	0.040	0.916
8.	हिमाचल प्रदेश	0.410	2.870	0.410	99.560	397	2.000	98	33	80.130	181.690
9.	कर्नाटक	0.040	शून्य	0.040	18.760	23005	2.610	477	55	44.440	65.810
10.	केरल	1.470	7.250	0.130	352.800	134383	89.710	9639	73	332.080	774.590
11.	महाराष्ट्र	0.330	3.110	0.330	35.870	118764	14.410	14629	917	85.680	135.960
12.	मणिपुर	0.080	0.730	0.080	सू॰ न॰	52884	सू॰ न॰	51	4	शून्य	सू॰ न॰
13.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1500	सू॰ न॰	शून्य	10	शून्य	सू॰ न॰
14.	उड़ीसा	0.009	0.630	0.009	सू॰ न॰	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	सू॰ न॰
15.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15	21	शून्य	सू॰ न॰
16.	उत्तर प्रदेश	1.003	4.861	0.652	सू॰ न॰	77625	सू॰ न॰	516	168	सू॰ न॰	सू॰ न॰
17.	पश्चिम बंगाल	0.010	1.124	0.010	1.240	4618	0.260	59	9	5.580	7.080
18.	पांडिचेरी	नगण्य	नगण्य	नगण्य	0.130	287	0.003	शून्य	शून्य	शून्य	0.133
	कुल	8.055	34.147	3.007	956.741	782340	149.815	82376	1738	1298.773	2405.329

सू॰ न॰ = सूचित नहीं किया ।

टिप्पणी :—स्रोत केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है ।

विवरण—2

1990 के दौरान बाढ़ द्वारा हुई क्षति

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर में)	प्रभावित जन संख्या (मिलियन में)	फसल हानि		क्षतिग्रस्त मकान		पशु हानि (संख्या)	जन हानि (संख्या)	जनोपयोगी वस्तुओं की हानि (करोड़ रु॰ में)	कुल हानि (करोड़ रु॰ में) (कालम 6+8+11)
				क्षेत्र (मिलियन हे॰ में)	मूल्य (करोड़ में)	संख्या	मूल्य (करोड़ में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	सू॰ न॰	0.018	सू॰ न॰	सू॰ न॰	76420	सू॰ न॰	सू॰ न॰	52	82.530	82.530
2.	असम	0.488	1.692	0.207	63.700	36685	4.119	4787	28	6.649	74.540
3.	बिहार	0.870	3.960	0.320	18.170	11009	1.600	76	36	1.820	21.590
4.	गोवा	सू॰ न॰	सू॰ न॰	सू॰ न॰	सू॰ न॰	3	0.003	सू॰ न॰	सू॰ न॰	सू॰ न॰	0.003
5.	गुजरात	0.484	4.357	0.481	77.662	165799	36.116	48503	273	131.636	245.614
6.	हरियाणा	0.086	0.318	0.045	9.835	16633	2.927	1207	12	0.806	13.568
7.	हिमाचल प्रदेश	सू॰ न॰	सू॰ न॰	सू॰ न॰	15.720	13657	37.160	1413	62	44.930	97.810
8.	कर्नाटक	सू॰ न॰	सू॰ न॰	सू॰ न॰	0.041	6	0.019	5	7	5.231	5.291
9.	केरल	0.003	सू॰ न॰	0.003	सू॰ न॰	5170	सू॰ न॰	सू॰ न॰	36	सू॰ न॰	सू॰ न॰
10.	मध्य प्रदेश	0.041	सू॰ न॰	0.041	नगण्य	102967	नगण्य	2520	70	1.674	1.674
11.	महाराष्ट्र	0.270	सू॰ न॰	0.270	सू॰ न॰	182508		1510	280	18.360	68.630
12.	मिजोरम	0.002	0.018	नगण्य	1.530	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.530
13.	उड़ीसा	0.780	9.800	0.480	सू॰ न॰	287369	सू॰ न॰	29692	120	सू॰ न॰	294.040
14.	पंजाब	0.004	0.100	0.004	4.420	10795	1.250	258	7	34.640	40.320
15.	राजस्थान	1.799	2.333	0.083	5.787	51682	15.142	36571	165	78.651	99.580
16.	सिक्किम	सू॰ न॰	सू॰ न॰	सू॰ न॰	2.510	4000	0.730	सू॰ न॰	37	8.900	12.140
17.	तमिल नाडु	सू॰ न॰	सू॰ न॰	सू॰ न॰	सू॰ न॰	15160	सू॰ न॰	714	124	सू॰ न॰	सू॰ न॰
18.	उत्तर प्रदेश	2.208	8.876	1.204	481.578	151301	60.520	3028	492	23.987	566.265
19.	पश्चिम बंगाल	2.268	8.787	0.041	14.267	257728	54.075	3870	41	15.452	83.794
	अखिल भारत	9.303	40.259	3.179	695.610	1019930	213.733	134154	1855	455.266	1708.919

सू॰ न॰ = सूचित नहीं ।

टिप्पणी : ब्यौरा केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है ।

विवरण—3

1989-90 के दौरान आद्र राहत के लिये अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा और 1990-91 के दौरान आपदा राहत निधि के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि व इस निधि से व्यय की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1989-90 के दौरान आद्र राहत के लिये अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा	1990-91 के लिये आपदा राहत निधि			1990-91 के दौरान आपदा राहत निधि से व्यय
			केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	*125.66	21.50	147.16	167.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.70	1.50	0.50	2.00	सूचित नहीं किया
3.	असम	27.42	22.50	7.50	30.00	10.24
4.	बिहार	—	26.25	8.75	35.00	17.28
5.	गोवा	—	0.75	0.25	1.00	—
6.	गुजरात	—	63.75	21.25	85.00	56.19
7.	हरियाणा	—	12.75	4.25	17.00	8.03
8.	हिमाचल प्रदेश	10.78	13.50	4.50	18.00	18.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1.39	9.00	3.00	12.00	सूचित नहीं किया
10.	कर्नाटक	9.33	20.25	6.75	27.00	20.48
11.	केरल	36.78	23.25	7.75	31.00	21.57
12.	मध्य प्रदेश	—	27.75	9.25	37.00	73.12
13.	महाराष्ट्र	26.96	33.00	11.00	44.00	81.51
14.	मणिपुर	5.78	0.75	0.25	1.00	—
15.	मेघालय	—	1.50	0.50	2.00	0.11
16.	मिजोरम	0.09	0.75	0.25	1.00	0.13
17.	नागालैंड	—	0.75	0.25	1.00	0.39
18.	उड़ीसा	—	57.13	11.75	68.88	67.20
19.	पंजाब	—	21.00	7.00	28.00	10.10
20.	राजस्थान	—	93.00	31.00	124.00	42.35
21.	सिक्किम	—	2.25	0.75	3.00	3.00
22.	तमिलनाडु	0.69	29.25	9.75	39.00	41.53
23.	त्रिपुरा	—	2.25	0.75	3.00	1.73
24.	उत्तर प्रदेश	23.98	67.50	22.50	90.00	52.29
25.	पश्चिम बंगाल	—	30.00	10.00	40.00	9.06

*इसमें 1990 के दौरान समुद्री तूफान की स्थिति में अग्रिम रूप से निर्मुक्त किए गए 61.16 लाख रुपये का केन्द्र का अंशदान भी शामिल है।

**इसमें 1990 के दौरान समुद्री तूफान की स्थिति में अग्रिम रूप से निर्मुक्त किए गए 21.88 करोड़ रुपये का केन्द्र का योगदान भी शामिल है।

पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थान

9444. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों को कितनी सहायता दी गई ;

(ग) क्या सहायता का पूरा उपयोग कर लिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है :

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे और अनुसंधान संस्थान खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों की पहचान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) देश में कार्यरत पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 के अनुसार दिया गया है।

(ख) दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण-2 के अनुसार दिया गया है।

(ग) और (घ) 1990-91 को छोड़कर सहायता का पूरा उपयोग किया गया है। इसका कारण आठवीं योजना को अंतिम रूप न दिया जाना था।

(ङ) नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण—1

देश में राज्य-वार पशुविज्ञान अनुसंधान संस्थानों का विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. मुर्गीपालन पर प्रायोजना निदेशालय,
   डेअरी विज्ञान विभाग के सामने,
   आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर,
   राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500 030

अरूणाचल प्रदेश

1. याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र,
   दिरांग (पश्चिम कामेंग),
   पिन-790 101

हरियाणा

1. राष्ट्रीय डेअरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
   पिन-132 001 (हरियाणा)
2. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो,
   रा० डे० अ० संस्थान परिसर,
   करनाल-132 001
3. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान,
   रा० डे० अ० संस्थान परिसर,
   करनाल-132 001.
4. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान,
   सिरसा रोड, हिस्सार-125 001
5. घोड़ों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र,
   सिरसा रोड, हिस्सार-125 001

केरल

1. केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान,
   पो० बा० नं०-2704, कोचीन-682 031
2. केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान,
   विलिंगडन द्वीप, मत्स्य पुरी, डा० खा० कोचीन
   पिन-682 029

महाराष्ट्र

1. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान,
   जय प्रकाश रोड,
   सातवां बंगला, वरसोवा,
   बम्बई-400 061

मेघालय

1. मिथुन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र,
   विष्णुपुर, निकट शंकरदेव कालेज,
   शिलांग-/93 003

उड़ीसा

1. केन्द्रीय मीठा जल, जल-जीव संस्थान,
   कौशल्यागंज,
   पिन-751 002.

राजस्थान

1. केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान,
   अविकानगर (मालपुरा) वाया जयपुर,
   राजस्थान-304 501

2. ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र,
जोरबीर, पोस्ट बाक्स सं०-7,
बीकानेर-334 001

तमिलनाडु

1. केन्द्रीय लवण जल, जल-जीव संस्थान,
12, लीथ कैसल स्ट्रीट, सेन्थोम, मद्रास-600 028

उत्तर प्रदेश

1. भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243 122
2. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान,
फराह, मथुरा-282 122
3. केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान,
इज्जतनगर-243 122
4. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो,
2, बागम्भरी हाउसिंग स्कीम,
शिवनगर, अल्लाहपुर, इलाहाबाद-211 006
5. गो-पशुओं पर प्रायोजना निदेशालय,
जी-123, मेरठ-250 005
6. शीतल जल मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र,
शिल्वा, हिल नर्सरी, रूपनगर,
पो० बा० सं० 28, हलद्वानी

पश्चिम बंगाल

1. केन्द्रीय अंत:स्थलीय मत्स्य प्रग्रहण अनुसंधान-
संस्थान, बैरकपुर
पिन-743 101 (प० बं०)

विवरण—2

पशुविज्ञान अनुसंधान संस्थानों को उपलब्ध की गयी सहायता का विवरण

	1989-90	1990-91	1991-92
			(लाख रुपयों में)
आंध्र प्रदेश			
1. मुर्गीपालन पर योजना निदेशालय, डेयरी विभाग के सामने, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500 030	88.25	124.00	172.00

विवरण — 2 जारी

अरूणाचल प्रदेश				
1.	याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, दिरांग (पश्चिम कामेंग) पिन-790 101	6.00	35.00	55.00
हरियाणा				
1.	राष्ट्रीय डेअरी अनुसंधान संस्थान, करनाल पिन-132 001 (हरियाणा)	950.00	1150.00	1095.00
2.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, रा० डे० अ०-संस्थान परिसर, करनाल-132 001	14.60	28.00	32.00
3.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान, रा० डे० अ०-संस्थान, परिसर, करनाल-132 001	32.00	47.00	53.00
4.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सिरसा रोड, हिस्सार-125 001	122.80	201.00	175.00
5.	घोड़ों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, सिरसा रोड, हिस्सार-125 001	60.00	125.00	105.00
		1989-90	**1990-91**	**1991-92**
केरल				
1.	केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, पो० बा० सं०-2704, कोचीन-682 031	511.50	523.00	540.00
2.	केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान विलिंग्डन द्वीप, मत्स्य पुरी, डा० खा० कोचीन पिन-682 029	318.00	315.00	338.00
महाराष्ट्र				
1.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, जय प्रकाश रोड, सातवां बंगला, वरसोवा, बम्बई-400 061	294.00	.316.00	429.00
मेघालय				
1.	मिथुन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, विष्णुपुर, निकट शंकरदेव कालेज, शिलांग-793 003	12.00	56.00	16.00
उड़ीसा				
1.	केन्द्रीय मीठा जल, जल-जीव संस्थान, कौशल्या-गंज, पिन-751 002	178.90	230.00	273.00
राजस्थान				
1.	केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (मालपुरा) वाया जयपुर, राजस्थान-304 501	257.90	287.00	336.00
2.	ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, जोरबीर, पो० बाक्स सं० -7, बीकानेर-334 001	51.50	79.00	72.00

तमिलनाडु			
1. केन्द्रीय लवण जल, जल-जीव संस्थान, 12, लीथ कैसल स्ट्रीट, सेन्थोम, मद्रास-600 028	120.00	160.00	174.00
	1989-90	**1990-91**	**1991-92**
उत्तर प्रदेश			
1. भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243 122	1416.00	1500.00	1580.00
2. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, फराह, मथुरा-282 122	156.00	211.00	268.00
3. केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243 122	149.90	209.00	227.00
4. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, 2, बागम्भरी हाउसिंग स्कीम, शिवनगर, अल्लाहपुर, इलाहाबाद-211 006	59.20	70.00	90.00
5. गो-पशुओं पर प्रायोजना निदेशालय, जी-123, मेरठ-250 005	126.25	120.00	160.00
6. शीतल जल मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, शिल्वा, हिल नर्सरी-रूपनगर, पो० बा० नं०-28, हलद्वानी	33.60	39.00	48.00
पश्चिम बंगाल			
1. केन्द्रीय अंत:स्थलीय मत्स्य-ग्रहण अनुसंधान, संस्थान, बैरकपुर, पिन-743 101 (पं० बं०)	296.00	301.00	330.00

दिल्ली में पुलिस हिरासत/जेलों से उग्रवादियों का पलायन

9445. **श्री अर्जुन चरण सेठी**
श्री आपू हरि सोरे } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1989, 1990, 1991 और 1992 में अब तक पुलिस हिरासत/जेल से कितने उग्रवादियों ने पलायन किया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1989, 1990, 1991 तथा 1992 (30-4-92 तक) के दौरान दिल्ली में पुलिस हिरासत/जेल से कोई भी आतंकवादी नहीं भागा ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी] **कच्चे तेल की शोधन क्षमता का उपयोग**

9446. **श्री सुकदेव पासवान**
श्री नीतीश कुमार } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे तेल की शोधन क्षमता इसकी खपत से कम है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल की शोधन क्षमता के कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया; और

(ग) इन वर्षों के दौरान अतिरिक्त शोधन क्षमता पैदा करने हेतु कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की तुलना में शोधन क्षमता कम है ।

(ख)

वर्ष	स्थापित क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
1989-90	100.2
1990-91	99.8
1991-92	99.2

(ग) इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित रिफाइनरी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन रही हैं :—

(एम एम टी पी ए में)

परियोजना	सृजित की जाने वाली शोधन क्षमता
बिग्बोई आधुनिकीकरण :	0.15
मद्रास रिफाइनरी विस्तार :	0.90
गुवाहाटी रिफाइनरी विस्तार :	0.15
बोंगाईगांव रिफाइनरी विस्तार :	1.00
नारीमनम क्रूड आसवन यूनिट :	0.50
मंगलौर रिफाइनरी :	3.00
*कोचीन रिफाइनरी विस्तार :	3.00
**बरौनी रिफाइनरी विस्तार :	0.50

* दिनांक 17-3-1992 को सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव ।

** असम में आन्दोलनों के कारण कार्यान्वयन स्थगित रखा गया ।

कृषि आदानों की खरीद

9447. **श्री आनन्द रत्न मौर्य**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान आदानों की खरीद हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितना-कितना अल्पकालिक ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने किसान लाभान्वित हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) राज्यों को हर वर्ष खरीफ और रबी मौसमों के लिए अलग-अलग अल्पकालिक ऋण प्रदान किए जाते हैं। 1991-92 में विभिन्न राज्यों को दिए गए अल्पकालिक ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) अल्पकालिक ऋण सीधे किसानों को नहीं दिए जाते बल्कि राज्य की संस्थागत एजेंसियों के लिए होते हैं ताकि वे उर्वरकों, प्रमाणित बीजों और कृमिनाशी दवाओं जैसे कृषि आदानों की खरीद और उनका वितरण कर सकें।

विवरण

1991-92 के दौरान राज्यों को स्वीकृत किए गए अल्पकालिक ऋण

(रुपये करोड़ों में)

क्रमांक	राज्य	खरीफ, 1991	रबी 1991-92	कुल 1991-92
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.75	13.90	32.65
2.	कर्नाटक	10.70	4.65	15.35
3.	केरल	2.00	1.25	3.25
4.	तमिल नाडु	9.45	9.85	19.30
5.	गुजरात	9.45	5.20	14.65
6.	मध्य प्रदेश	11.30	6.95	18.25
7.	महाराष्ट्र	20.35	7.70	28.05
8.	राजस्थान	11.10	11.20	22.30
9.	हरियाणा	5.30	6.40	11.70
10.	पंजाब	8.15	8.15	16.30
11.	उत्तर प्रदेश	18.15	20.45	38.60
12.	हिमाचल प्रदेश	1.60	1.15	2.75
13.	जम्मू और कश्मीर	0.00	1.90	1.90
14.	बिहार	16.90	12.00	28.90
15.	उड़ीसा	8.40	3.75	12.15
16.	पश्चिम बंगाल	18.30	23.90	42.20

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	असम	0.00	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	0.00	0.50	0.50
19.	मणिपुर	0.60	0.15	0.75
20.	मेघालय	0.15	0.15	0.30
21.	गोवा	0.05	0.05	0.10
22.	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.00	0.05
	कुल	170.75	139.25	310.00

[अनुवाद]

चावल का उत्पादन

9448. **श्री रामकृष्ण कोंतालाः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीफ चावल उत्पादन रबी चावल उत्पादन की अपेक्षा कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और खरीफ उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या चावल की संकर किस्मों की पैदावार करने हेतु प्रयोग किए गए हैं; और

(घ) चावल की इन संकर किस्मों के क्या परिणाम निकले हैं और बड़े पैमाने पर इनकी पैदावार कब शुरू की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तलापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) रबी चावल की तुलना में खरीफ चावल की कम पैदावार होने के कुछ कारण ये हैं—(1) खरीफ चावल फसल के बड़े क्षेत्र का मानसून पर निर्भर रहना (2) खरीफ मौसम के दौरान बादलों से घिरे आकाश तथा अत्यधिक आर्द्रता के कारण फसलों का कीट पतंगों तथा रोगों के आक्रमण उन्मुख होना (3) सूखा तथा बाढ़ आदि के जोखिम के कारण किसानों द्वारा, खासकर वर्षासिंचित स्थिति में, उर्वरकों जैसे आदानों का कम मात्रा में प्रयोग करना।

खरीफ चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रचार किया जा रहा है तथा प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित "चावल विकास एकीकृत कार्यक्रम" को कार्यान्वित करके किसानों को उसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) संकर किस्म के चावल का विकास करने के लिए किए गए प्रयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं तथा संकर-किस्म के चावल को वाणिज्यिक खेती करने के लिए यथासंभव शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

"आम्बे हाई" क्षेत्र में रुग्ण तेल कुओं का बन्द किया जाना

9449 **श्री राम नाईक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आम्बे हाई" क्षेत्र में रुग्ण तेल कुओं को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन कुओं को बन्द करने से कितनी उत्पादन हानि हुई है ; और

(घ) इन कुओं में पुन: उत्पादन शुरु करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) ओ एन जी सी के अनुसार, 1 अप्रैल, 1992 को 70 तेलकूप निष्क्रिय/अनुत्पादी थे । यह तेल क्षेत्र की एक सामान्य घटना है कि कुछ तेल उत्पादित करने वाले कुएं निष्क्रिय/बीमार हो जाते हैं तथा कुछ निष्क्रिय/बीमार तेलकूपों को वर्क-ओवर प्रक्रिया द्वारा पुन: उत्पादन योग्य बनाया जाता है ।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान का सम्मेलन

9450. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 मार्च, 1992 को लन्दन में हुई अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के सम्मेलन में विदेश सचिव ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) उन्होंने तथा अन्य भारतीय प्रतिनिधियों ने कौन-कौन से विषय सम्मेलन में रखे ; और

(घ) अन्य देशों के प्रतिनिधियों की उन विषयों पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) विदेश सचिव के ब्रिटेन में अपने समकक्ष अधिकारी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए की गई लन्दन यात्रा के दौरान 12 मार्च, 1992 को इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटैजिक स्टडीज में "शीत युद्ध के बाद विकास कार्यों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य" पर गोल-मेज चर्चा में हिस्सा लिया था ।

(ख) से (घ) अपने भाषण में विदेश सचिव ने जिन विषयों को लिया था उनमें भारत की विदेश और आर्थिक नीतियों में नए अभिविन्यास, नाभिकीय अप्रसार के प्रति भारत का दृष्टिकोण तथा अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध शामिल है । गोल मेज चर्चा से ब्रिटेन की ओर से भाग लेने वालों को भारत की विदेश नीति और घरेलू आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं को और बेहतर ढंग से समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद मिली है ।

[अनुवाद]

तेल भंडारों का सर्वेक्षण करने हेतु रूसी फर्मों के साथ ठेका

9451. श्री अगमीत सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों में सम्भावित तेल भंडारों के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण कराने के संबंध में रूसी फर्मों के साथ किये ठेके को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रद्द किये गये परियोजना स्थल पर कितने श्रमिकों को रखा गया है; और

(घ) इस परियोजना को आगे किस प्रकार चलाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार दोनों पक्ष भूकम्पीय सर्वेक्षण को बंद करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(ख) किए गए अन्वेषण कार्य से हाइड्रोकार्बन के किसी योग्य भंडारों की उपस्थिति स्थापित नहीं हुई है।

(ग) किसी नियमित कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया है। सर्वेक्षण कार्य में लगे केवल आकस्मिक श्रमिकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं।

(घ) उपलब्ध आंकड़ों की संख्या और अध्ययन के आधार पर अन्वेषण के भावी कार्यक्रम के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

इजरायल के साथ कृषि सहयोग

9452. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इजरायल के साथ कृषि क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के लिए कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पता लगाए गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पेट्रोल डीलर

9453. श्री गुरुदास कामत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेट्रोल डीलर अत्यंत प्रज्वलनशील पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन डीलरों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का अवैध रूप से भंडारण किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे डीलरों के विरुध्द क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) पेट्रोल डीलर पेट्रोल का कारोबार करते हैं जो अत्यंत ज्वलनशील उत्पाद होता है। उत्पाद को विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक से प्राप्त लाइसेंस के अनुसार, अपने स्टोरेज टैंकों में रखना आवश्यक होता है।

(ग) किसी भी डीलर द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का अवैध भंडारण किए जाने के संबंध में तेल कंपनियों के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फिलस्तिनियों के साथ एकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

9454. **श्री दत्तात्रेय बंडारू**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फिलस्तिनियों के साथ एकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस" हैदराबाद में 1 दिसम्बर, 1991 को मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो देश-विदेश के किन-किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया;

(ग) क्या इसमें भाग लेने वाले कुछ भारतीय व्यक्तियों ने भारत के कुछ घरेलू मुद्दों को उठाने की कोशिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां। इस समारोह का आयोजन भारत-अरब इस्लामी युवा संगठन हैदराबाद ने किया था जो एक गैर-सरकारी संगठन है।

(ख) इसके सहभागियों की पूरी सूची सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह समझा जाता है कि यह राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मसले को फिलस्तीनी समस्या के समकक्ष रखे जाने का समानान्तर प्रयास था।

(घ) सार्वजनिक वाद-विवाद के दौरान तथा व्यक्तिगत हैसियत से टिप्पणियां की गई थी तथा अन्य सहभागियों द्वारा उनका विरोध किया गया था। सरकार घरेलू मसलों को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के प्रयास पर खेद प्रकट करती है।

स्वतंत्र असम के लिए "अल्फा" का संघर्ष

9455. **श्री जार्ज फर्नान्डीज**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 अप्रैल, 1992 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार कुछ "अल्फा" उग्रवादियों ने घोषणा की है कि संगठन स्वतंत्र असम के लिए सशस्त्र संघर्ष करेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को इस आशय के समाचार की जानकारी है ।

(ख) 1 अप्रैल, 1992 से उन अलफा कार्यकर्ताओं के विरुध्द कार्रवाई पुन: शुरु की गई है, जो संविधान के ढांचे के अन्तर्गत बातचीत करने के विरुध्द हैं ।

दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विकास योजना के लिए धनराशि

9456. **श्रीमती दिल कुमार भण्डारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना सफल रही है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद् विकास योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता राशि निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	राशि (रु० लाखों में)
1989-90	1875.00
1990-91	2100.00
1991-92	1932.00

(ख) से (घ) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने की क्षमता में वृद्धि

9457. **श्री राजेश कुमार**
श्रीमती शीला गौतम } : **क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन तेल शोधक कारखाने में रसोई गैस की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए कितना धन आबंटित किया गया है; और

(घ) विस्तार का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सरकार ने 481.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कोचीन रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ा करके 3 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है । इस विस्तार से, एल पी जी की वर्तमान उत्पादन क्षमता 1,43,000 मी० टन प्रति वर्ष के स्तर से बढ़कर लगभग 2,31,000 मि० टन से 2,42,000 मि० टन प्रति वर्ष जो क्रूड मिक्स पर निर्भर करता है हो जाने का अनुमान है । इस परियोजना के मार्च, 1995 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर पेट्रोल की चोरी

9458. **श्री मोहन रावले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने मध्य रेलवे में इगतपुरी रेलवे स्टेशन यार्ड पर रेलवे पेट्रोल टैंकरों से पेट्रोल की चोरी के कारण हुए नुकसान के लिए रेलवे पर दावा किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि का दावा प्रस्तुत किया गया है ;

(ग) क्या इस बीच इस दावे का निपटान कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने भारतीय रेलवे के विरुद्ध 4 नवम्बर, 1991 को 17,11,163 रुपए का दावा दायर किया है । दावे का निपटान नहीं हुआ है ।

दालों का उत्पादन

9459. **श्री शंकर सिंह वाघेला**
श्रीमती वसुन्धरा राजे } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले दालों का वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दालों के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जानकारी इस प्रकार है:—

(मिलियन मी० टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
1990-91	15.0	14.06
1991-92	15.5	13.80 (प्रत्याशित)

(ख) और (ग) जी हां। योजना आयोग ने बताया है कि आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1996-97 के लिए दालों के उत्पादन का लक्ष्य 17.00 मिलियन मीटरी टन रखा गया है।

[हिन्दी]

स्वतन्त्र देशों के राष्ट्रकुल में भारतीय विद्यार्थी

9460. **श्री मोहन सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतन्त्र देशों के राष्ट्रकुल के विभिन्न देशों में इंजीनियरों तथा चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय विद्यार्थियों की देशवार संख्या कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एहुआर्डो फैलीरो) : स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल में भारतीय छात्रों की संख्या, जो इन देशों में हमारे मिशनों में पंजीकृत है, नीचे दी गई है :—

राज्य	छात्रों की संख्या
रूस	1961
यूक्रेन	1041
बेलारूस	141
आर्मेनिया	160
अजरबैजान	86
लातविया	49
मोलदोवा	6
उजबेकिस्तान	340
ताजिकिस्तान	48
किरगीजस्तान	7
कजाकस्तान	12
योग	3851

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत चुने गए गांव

9461. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत चुने गए गांवों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सिताराम केसरी) : महाराष्ट्र में 20 प्रखण्डों (पूर्णत: शामिल) तथा 27 प्रखण्डों (अंशत: शामिल) को समाविष्ट करते हुए 15 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत चयनित 5691 ग्रामों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है और सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	जिला	आई० टी० डी० पी०	शामिल किए गए प्रखंडों की संख्या पूर्णतः	शामिल किए गए प्रखंडों की संख्या अंशतः	शामिल किए गए प्रखंडों का नाम पूर्णतः	शामिल किए गए प्रखंडों का नाम अंशतः	गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	थाने	1. जौहर	5		1. दहानु		164
					2. तालासारी		27
					3. मोखाडा		79
					4. जौहर		123
					5. वाडा		168
		2. शाहपुर	1	4	1. शाहपुर		209
						1. पालघर	164
						2. वस्सी	51
						3. मिवंडी	73
						4. मर्वाद	77
2.	नासिक	1. कल्वान	2	1	1. कल्वान		160
					2. सुरगाना		166
						1. बगलान	60
		2. नासिक	1	3	1. पाइंट		154
						1. डिंडोरी	117
						2. इगतपुरी	93
						3. नासिक	75
3.	धूले	1. तलोडा	3		1. तलोडा		92
					2. अकरानी		160
					3. अक्कालुवा		187
		2. नंदूरबार	1	4	1. नवापुर		133
						1. सकरी	102
						2. सिरपुर	62
						3. शहादा	145
						4. नंदूरबार	107
4.	जलगांव	1. यावाल		3		1. चोपडा	25
						2. यावाल	16
						3. रवार	22
5.	अहमदनगर	1. राजपुर		1		1. अकोला	106
6.	पुणे	1. मंचाल		2		1. जुन्नार	65
						2. अम्बेगांव	58
7.	नांदेड	1. किनवाट		1		1. किनवाट	185

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	अमरावती	1. धारनी	2		1. धारनी		140
					2. चिखालदरा		196
9.	यावतमाल	1. पंधारकावाड़ा		4		1. मारोगांव	132
						2. रालेगांव	43
						3. केलापुर	103
						4. घाटनजी	56
10.	गढ़चिरौली	1. एतापल्ली	3		1. सिरोंचा	1. सिरोंचा	124
						2. अहेरी	214
						3. एतापल्ली	316
		2. धनोरा	2	3	1. धनोरा		272
					2. कुरखेड़ा		
						1. गढ़चिरौली	62
						2. आरमोरी	74
						3. चुमेराड़ी	132
11.	चंद्रपुर	1. देवाडा		1		1. राजपुरा	182
							5691

11. जिले (1 पूर्णतः: 10 अंशतः:) 15 आई० टी० डी० पी० 20 प्रखंड पूर्णतः शामिल 27 प्रखंड अंशतः: शामिल

सूरजमुखी की खेती

9462. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में सूरजमुखी की खेती शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के किन-किन क्षेत्रों को सुरजमुखी की खेती के लिए चुना गया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी सहायता देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) सुरजमुखी सहित तिलहनों के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सहित कई राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) हालांकि तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत राज्यस्थान के 27 जिलों का पता लगा लिया है, फिर भी सूरजमुखी की खेती के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ग) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज, पौध संरक्षण उपायों, बीज मिनिकिटों, जिप्सम एवं पावरादरम, छिड़काव सैटों, उन्नत फार्म उपकरणों के वितरण फ्रंटलाइन और आम प्रदर्शन हेतु सहायता मुहैया की जाती है ।

दिल्ली में फल और सब्जी के बिक्री केन्द्र

9463. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मदर डेयरी के फल और सब्जी के बिक्री केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है :

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन बिक्री केन्द्रों द्वारा बेची जाने वाली सब्जी और फल घटिया किस्म के होते है ; और

(घ) यदि हां, तो बेहतर किस्म की सब्जी और फलों को उचित दामों पर बेचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तलापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के फल एवं सब्जी उत्पादकों को शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ना है ।

(ख) उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक संघ, केन्द्रीय वितरण सुविधा तथा दिल्ली में लगभग 176 खुदरा केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

फुआरा सिंचाई प्रणाली

9464. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय फुआरा सिंचाई प्रणाली पर, जिसका अमेरिका में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, प्रयोग कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों द्वारा अब तक किए गये अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है :

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में यह सिंचाई प्रणाली शुरू की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सूखा क्षेत्रों में इस प्रणाली को शुरू करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) सिंचाई की छिड़काव (स्प्रिंकलर) पद्धति के विभिन्न सक्षमता सम्बन्धी प्राचलों (पेरामीटरों) पर अनुसंधान कार्य शुरू किये गये हैं तथा पम्पिंग इकाई की उपयुक्ततम क्षमता, पानी का डिस्चार्ज, पानी देने में समरूपता लाना और विभिन्न फसलों में जल उपयोग क्षमता ।

(ग) छिड़कावक (स्प्रिंकलर) पद्धति का उपयोग इस समय गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के चाय बागानों में काफी बड़े क्षेत्र में किया जाता है।

(घ) नहीं।

दिल्ली में बिक्री कर की प्राप्ति

9465. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में प्राप्त किए गए बिक्री कर का अलग-अलग ब्यौरा क्या है :

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में बिक्री कर की वसूली में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में बिक्री कर की वसूली निम्नवत रही :—

वर्ष	बिक्री कर की वसूली (आंकड़े करोड़ रूपयों में)
1988—89	518.17
1989—90	597.96
1990—91	690.02

(ख) जी नहीं श्रीमान। वर्ष 1990-91 के दौरान 690.02 करोड़ रूपयों की तुलना में वर्ष 1991—92 के दौरान बिक्री कर की वसूली रू० 787 करोड़ रूपए रहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में गन्ने का उत्पादन

9466. **श्री रामकृष्ण कोंनाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की तुलना में आंध्र प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए समुचित फसल योजना आरंभ करने और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैकल्पिक फसल आरंभ करने का है :

(ग) क्या चीनी के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दी गई रूपयों में किसानों के हिस्से का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है : और

(घ) यदि नहीं, तो क्या गन्ना उत्पादकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा इस तरह का कोई अध्ययन कार्य कराया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) आंध्र प्रदेश में गन्ने की प्रति हैक्टेयर पैदावार उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्रति हैक्टेयर पैदावार की तुलना में अधिक है।

(ख) दोनों राज्यों की जलवायुवीय परिस्थितियां अलग-अलग है अर्थात् आंध्र प्रदेश में उष्णकटिबंधीय और उत्तर प्रदेश में उप-उष्णकटिबंधीय किसी भी क्षेत्र/राज्य में सस्यन पद्धति वहां की कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों और स्पर्धात्मक मूल्य संरचना और फसलों की लाभप्रदता द्वारा नियंत्रित की जाती है । हालांकि उत्तर प्रदेश की सस्यन पद्धति संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्रति हैक्टेयर पैदावार आंध्र प्रदेश में गन्ने की प्रति हैक्टेयर पैदावार की तुलना में कम है, फिर भी आंध्र प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन की लागत अधिक लाभप्रद है । इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए क्षेत्र की प्रति इकाई पैदावार और समय आंध्र प्रदेश में गन्ने की प्रति इकाई पैदावार और समय की तुलना में अधिक है । उत्तर प्रदेश में संसाधन के उपयोग की प्रति इकाई गन्ने की पैदावार आंध्र प्रदेश की तुलना में अधिक है, और इस प्रकार गन्ना उत्पादन में आगत-निर्गत अनुपात आंध्र प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश में अधिक अनुकूल है । इसलिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल का कोई विकल्प व्यवहार्य नहीं है और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को "शिफ्ट" करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, उत्तर प्रदेश में गन्ने की प्रति हैक्टेयर भौतिक पैदावार बढ़ाने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) चीनी मिलों से किसानों को उनके गन्ने के लिए मिलने वाले मूल्यों का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है । चीनी के उत्पादन के लिए गन्ना एक अन्तिमोत्पाद नहीं है बल्कि एक अन्तवर्ती उत्पाद है । "ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइसिस" चीनी की लागत संरचना का समय-समय पर अध्ययन कर रहा है । गन्ने को चीनी में बदलने की लागत और चीनी के मूल्यों पर विचार करते हुए चीनी के लिए उपभोक्ता द्वारा प्रदत्त रुपए में किसानों की भागीदारी का समय-समय पर अध्ययन किय जाता है ।

श्रीनगर में आतंकवादियों की गतिविधियां

9467. **श्री राम नाईक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में हाल ही में कुछ आतंकवादियों ने हजरतबल के पवित्र स्थान के पास ध्वज फहराने तथा गोलियां चलाने सहित कुछ आपत्तिजनक गतिविधियां की :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या कुछ लोगों ने उक्त पवित्र स्थान के पास स्थित एक पुस्तकालय में आग लगा दी : और

(घ) यदि हां, तो आग से हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) 21 फरवरी, 1992 को हजरतबल के पवित्र स्थान के पास आतंकवादियों द्वारा झण्डा फहराने तथा गोलियां चलाने सहित कुछ आपत्तिजनक कार्रवाइयां की गई । सुरक्षा बलों ने जवाब में गोली चलाई । फिर भी आगजनी की एक प्रत्यक्ष घटना में कुछ राष्ट्र-विरोधी एवं समाज-विरोधी तत्वों ने पवित्र स्थान के निकट एक पुस्तकालय को आग लगा दी । आग में कुछ पुस्तकें जल गई और पुस्तकालय भवन को क्षति पहुंची ।

दक्षिण-पश्चिम मानसून

9468. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के देरी से आने की भविष्यवाणी की है :

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य मानसून के देरी से आने के कारण किसानों की सहायता के लिए कोई आकस्मिकता योजना बनाई जा रही है; और

(ग) आकस्मिकता योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तलापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 8 अप्रैल, 1992 को "1992 के मानसून" का प्रारंभिक अनुमान जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि "भारत संभवत: सामान्य मानसून की ओर बढ़ रहा है परन्तु उसके पुन: सामान्य से नीचे होने से आगामी मानसून के मन्थर गति से आरंभ होने की संभावना है।" यह अनुमान स्वाभाविक तौर से ही अनंतिम है। 1992 मानसून मौसम में वर्षा के संबंध में पूर्वानुमान विगत वर्षों की भांति प्रेक्षणविषयक पूरे आंकड़े प्राप्त होने पर मई के अंत में जारी किए जाएंगे।

(ख) और (ग) सूखे का सामना करने के लिए, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्राप्त अनुसंधान अनुभवों पर आधारित आकस्मिक फसल योजना तथा कृषि-विज्ञान पद्धतियों का विस्तार राज्य कृषि विभागों के माध्यम से कृषक समुदाय तक कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषकों को उपलब्ध पानी के युक्तसंगत उपयोग के साथ शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देर से बोने/शीघ्र बोने आदि के लिए उपयुक्त किस्मों की स्थिति के अनुसार प्रोत्साहित किया जाएगा।

श्रीनगर प्रेस में पाकिस्तान समर्थक साहित्य छापने का आरोप

9469. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को श्रीनगर स्थित स्थानीय प्रेस द्वारा पाकिस्तान समर्थक साहित्य छापे जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि कश्मीर के स्थानीय समाचार-पत्र अपने यहां बन्दूक के डर, धमकी, जबरदस्ती अथवा लालच के कारण आतंकवादी-समर्थक साहित्य छापते हैं। जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ी नजर रखी हुई है और प्रेस की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक होने पर, देश-हित के खिलाफ छापी जाने वाली सामग्री के बारे में कार्रवाई करती आ रही है।

पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ पंजाब और कश्मीर पर वार्ता

9470. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा के दौरान उनके साथ वार्ता में पंजाब और कश्मीर का मुद्दा छाया रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नेताओं ने पंजाब और कश्मीर की स्थिति पर हमारे दृष्टिकोण से पुर्तगाल के राष्ट्रपति को अवगत कराया था। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने हमारी चिन्ताओं को समझा है।

सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित बच्चों का कल्याण

9471. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की पहली बैठक हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी :

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं :

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की है :

(घ) यदि हां, तो इसका, राज्यवार किस प्रकार वितरण किया जायेगा :

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस धन-राशि में वृद्धि करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की पहली बैठक केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 21 मार्च, 1992 को हुई । फाउंडेशन की स्थापना एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई है और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इसके संचालन परिषद में शामिल किया गया है, ताकि फाउंडेशन उनके अनुभव से लाभान्वित हो सके । अध्यक्ष ने सदस्यों से अपील की है कि वे फाउंडेशन के कार्य में सक्रिय रूचि लें और इसे अपने विचार तथा समय दें, ताकि यह एक प्रभावी तथा उच्च प्रतिष्ठित संगठन बन सके और अच्छे उद्देश्यों के लिए उत्कृष्ट योगदान प्रदान करें, जिसके लिए इसका गठन किया गया है । उन्होंने सदस्यों से यह भी अपील की कि वे फाउंडेशन के लिए दान में वृद्धि करके सक्रिय सहायता दें और विशेष कर इस क्षेत्र में कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियां लें । योजना भी तैयार की जा रही है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) साम्प्रदायिक हिंसा से पीड़ित पूरे देश के बच्चों को यह सहायता दी जानी है ।

(ङ) और (च) वर्ष 1992-93 के बजट में नौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इसके कार्यालय के गठन में हुए प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के बाद यह राशि फाउंडेशन की संचय राशि बनेगी और यह आशा की जाती है कि फाउंडेशन इस राशि पर ब्याज/आय अर्जित करेगा, जो इसकी आय के रूप में होगी ।

चने की दाल का उत्पादन

9473. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से चने की दाल का उत्पादन स्थिर है ; और

(ख) यदि हां, तो चने की दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है :

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जहां चने का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश में चने की दाल के उत्पादन के लिए किन-किन क्षेत्रों को उपयुक्त पाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चने की दाल की उपज में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)
1988—89	753
1989—90	652
1990—91	701

(ख) चना सहित दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) की केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की जा रही है, ताकि किसानों को सहायता पहुंचाई जा सके । इन योजनाओं के तहत, राज्यों को बीज उत्पादन, पौध सरक्षण उपायों, बीज मिनिकिटों के वितरण, छिडकाव यंत्रों, रिजोवियम कल्चर, फार्म उपकरणों और "फ्रंटलाइन" और सामान्य प्रदर्शनों का आयोजन करने आदि जैसे आदानों पर वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ग) और (घ) दाल की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिये नौ राज्यों में कुल मिलाकर 111 जिलों की पहचान की गई है । ये हैं—मध्य प्रदेश (33), राजस्थान (14), उत्तर प्रदेश (26), महाराष्ट्र (11), कर्नाटक (6) गुजरात (3) हरियाना (3), बिहार (14) और पंजाब (1) ।

हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना

9474. **सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रांसीसी न्यायालय द्वारा लगभग छः महीने पहले भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को 120 करोड़ रुपयों के भुगतान के निर्णय का अभी पालन नहीं हुआ है ;.

(ख) क्या स्पिक-कापाग-संघ (कंसोर्टीयम) द्वारा भुगतान करने में अवरोध खड़ा करने की संभावना है : और

(ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का प्रतिष्ठित हाजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना को पूरा करने वाले कम्पनियों के संघ (कंसोर्टीयम) से इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) बैंक गारंटी को भुनाने के लिए अनेक वैधानिक और वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है ।

दिल्ली में खाद्यान्नों को जलाना

9475. श्री गुरूदास कामत
श्री के० प्रधानी
श्री आनन्द रत्न मौर्य
श्री जगमीत सिंह
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में किसानों ने खाद्यान्न जलाए थे :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) इसके क्या कारण हैं : और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (घ) समाचार पत्रों की सूचनाओं से संकेत मिलता है कि गेहूं के आयात और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होने के लिये विरोध प्रकट करने के लिए हाल ही में दिल्ली में खाद्यान्नों की कुछ मात्रा जलाई गई थी ।

2. गेहूं को आयात करने के निर्णय को पहले ही जुलाई, 1992 तक स्थगित कर दिया गया है ।

3. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में न केवल उत्पादन की लागत सम्मिलित होती है बल्कि इनसे उत्पादक को लाभ की एक उचित गुंजाइश भी मिलती है । 1992-93 के विपणन मौसम के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो 1991-92 के विपणन मौसम के वास्ते निर्धारित मूल्य से 25/-रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है । इसके अलावा, सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि जो किसान पहली अप्रैल, 1992 से 31 मई, 1992 तक की अवधि में भारतीय खाद्य निगम और इसकी एजेंसियों को गेहूं बेचेंगे उन्हें 25/-रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा ।

पासपोर्ट

9476. श्री जार्ज फर्नान्डीज
श्री अन्ना जोशी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992 से अब तक पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट कार्यालयवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए : और

(ख) पासपोर्ट कार्यालयवार कितने पासपोर्ट जारी किए गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) एक जनवरी से 16 अप्रैल, 1992 की अवधि के दौरान पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनों तथा जारी किए गए पासपोर्टों के संबंध में आंकड़े संलग्न विवरण में पासपोर्ट कार्यालय वार दिए गए हैं । 7 मई, 1992 तक के आंकड़े एकत्र किए जा रहें है ।

विवरण

एक जनवरी, 1992 से 16 अप्रैल, 1992 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	कार्यालय	पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
1.	अहमदाबाद	50214	38145
2.	बंगलोर	40507	20609

विवरण—जारी

1	2	3	4
3.	बरेली	24445	18220
4.	भोपाल	8264	7847
5.	भुवनेश्वर	3774	3201
6.	बम्बई	87855	74285
7.	कलकत्ता	20246	11175
8.	चन्डीगढ़	36796	23685
9.	कोचीन	69312	52323
10.	दिल्ली	47266	32337
11.	गोवा	6460	6798
12.	गोहाटी	1998	1758
13.	हैदराबाद	90274	72670
14.	जयपुर	47567	28712
15.	जालंधर	40169	20254
16.	कोजीकोड़	82359	45800
17.	लखनऊ	38357	43066
18.	मद्रास	49243	20784
19.	नागपुर	4196	3900
20.	पटना	15351	7043
21.	त्रिची	59988	32210
22.	त्रिवेनद्रम	42099	4415
		866740	569237

उर्वरक का मूल्य निर्धारण

9477. **श्री सुधीर गिरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश में उर्वरक का मूल्य निर्धारण करने के बारे में कुछ शर्तें लगाई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई सामान्य शर्तों से संबंधित प्रश्न का उत्तर लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा 28-2-92 को दिया गया था (लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 844 द्वारा) ।

ग्रामीण कृषि बीमा निगम

9478. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण कृषि बीमा निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

पाकिस्तान सीमा और कटीले तार के बीच स्थित भूमि के स्वामियों को मुआवजा

9479. **श्री मोहन सिंह** (फिरोजपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उन किसानों को मुआवजा दिया गया है जिनकी भूमि पाकिस्तान सीमा और कटीले तार के बीच स्थित है;

(ख) कटीले तारों के आगे उगाई जाने वाली उन फसलों के संबंध में सरकार ने क्या व्यवस्था की है जो वन्य प्राणियों द्वारा नष्ट कर दी जाती है;

(ग) सीमा पर किसानों के लिए खोले जाने वाले फाटकों का नियमित रूप से दिन के दौरान न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सीमा के पास कार्य करने वाले किसानों का पर्ची लेने के लिए परेशान करने के क्या कारण हैं जबकि केवल उन किसानों के लिए इन पर्चियों का लिया जाना न्यायोचित है जिन्हें कटीले तारों को पार कर काम करना पड़ता है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सीमा और जिस स्थान पर बाड़ लगायी गयी है उसके बीच के भूमि के कुछ टुकड़ों पर भू-स्वामियों द्वारा खेती बाड़ी की जा रही है ।

(ख) जंगली जानवरों द्वारा फसल को नष्ट करने के कोई उदाहरण नहीं है ।

(ग) और (घ) केवल उन्हीं किसानों को स्लिप जारी की जाती है जो बाड़ वाले गेटों से जाते हैं । गेट प्रात: खोले जाते हैं और शाम को जब किसान अपना काम समाप्त कर लेते हैं तो गेट बंद कर दिए जाते हैं । इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि किसानों को आवश्यक रूप से तंग किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

पशुओं के लिये पेयजल

9480. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के लिये पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भूमिगत जल का दोहन करने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के लिए पेयजल को शामिल करने के राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) मरूस्थल क्षेत्रों में जल की कमी पर विचार करते हुए मरूस्थल विकास कार्यक्रम में नमी के संरक्षण, अपवाह-जल का संचयन तथा भूजल संसाधनों को "रिचार्ज" करने पर जोर दिया गया है । इसी प्रकार सिंचाई अथवा पेयजल प्रयोजनों के लिए भूजल का दोहन करना इस कार्यक्रम के तहत वांछनीय कार्यकलाप नहीं है ।

(ग) और (घ) गौपशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए निर्मित भू-स्तर के जलाशयों को पाइपलाइनों के जरिए जल संसाधनों से जोड़कर शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को, 1991-92 में निर्मुक्त की गई अतिरिक्त धनराशि और 1992-93 के दौरान डी० डी० पी० आबंटन की 15 प्रतिशत राशि का उपयोग करते हुए विशेष मामले के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टाल

9481. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के सरकारी कार्यालयों के परिसरों में पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टाल स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का विचार दिल्ली में प्राइवेट मार्किटों के परिसरों में भी ऐसे स्टाल स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां । दिल्ली दुग्ध योजना ने सरकारी कार्यालयों के निम्नलिखित परिसरों में पूर्ण दिवसीय दुग्ध स्टाल स्थापित किए हैं :—

1. पार्लियामैंट हाउस,
2. पार्लियामैंट हाउस एनेक्सी,
3. कृषि भवन,
4. रेल भवन,
5. उद्योग भवन,
6. संघ लोक सेवा आयोग,
7. पी० एण्ड टी०,
8. ईस्टर्न कोर्ट,
9. योजना भवन,

10. ए० जी० सी० आर०,
11. सी० जी० ओ० कॉम्प्लैक्स,
12. ई० आई० एल०, भीकाजी कामा प्लेस,
13. टाउन हाल,
14. पुराना सचिवालय,
15. नार्थ ब्लॉक,
16. डी० एम० एस० का परिसर (बाहरी दरवाजा) (आम जनता के लिए),
17. डी० एम० एस० का परिसर (कार्यालय परिसर) स्टॉफ को रियायती दर पर बिक्री हेतु ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना का दिल्ली के प्राइवेट बाजार परिसरों में पूर्ण दिवसीय दुग्ध स्टाल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों द्वारा मामूली किराए पर जगह मुहैया की जाती है जबकि प्राइवेट बाजारों में उपयुक्त जगह प्राप्त करने में कठिनाई होती है ।

कृषि विज्ञान केन्द्र

9482. **डा० अखीम बाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में रामकृष्ण सेवा केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे देवाच्याय कृषि विज्ञान केन्द्र और बुल मदर फार्म सन्तोष ढंग से कार्य नहीं कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र और फार्म को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन्हें कितनी धनराशि आवंटित की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, इस कृषि केन्द्र की समस्या के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से विचार-विमर्श किया गया । बुल मदर फार्म रामकृष्ण सेवा केन्द्र की योजना है और भा० कृ० अ० परिषद की नहीं है ।

(ग) रू० 29.82 लाख ।

छोटे और सीमांत कृषक

9483. **श्री पी० पी० कालियापेरूमल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने सीमांत किसान हैं और कितने छोटे किसान हैं; और

(ग) इन कृषकों को नवीनतम तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापुल्ली रामचन्द्रन) : (क) नवीनतम उपलब्ध संगणना के अनुसार देश में प्रचालनरत जोतों की कुल संख्या 97.15 मिलियन थी ।

(ख) सीमांत जोतों की संख्या 56.15 मिलियन और छोटी जोतों की संख्या 17.92 मिलियन थी ।

(ग) विस्तार सेवाओं का पुनर्गठन, प्रदर्शन, प्रशिक्षण और उन्नत फार्म प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करने के लिये सूचना संप्रेषण समर्थन और कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों को प्रौद्योगिकी का अंतरण करने के लिए अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं ।

लद्दाख और कारगिल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

9484. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 9 अप्रैल, 1992 को नई दिल्ली में लद्दाख और कारगिल के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में इन प्रतिनिधियों की सुनिश्चित मांग क्या थी; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन लेह के लिए स्वायत्तशासी जिला पहाड़ी परिषद के गठन की मांग कर रहा है ।

अन्य प्रतिनिधि इस बारे में स्पष्ट नहीं है और उनके कुछ भिन्न दृष्टिकोण भी हैं । कारगिल और लेह के प्रतिनिधियों ने मई की तीसरे सप्ताह में होने वाले आगे के विचार-विमर्श में भाग लेने पर सहमत हो गए हैं ।

मद्य निषेध के कारण राज्यों को हुए राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति

9485. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने मद्य निषेध लागू किया है;

(ख) केन्द्र सरकार का ऐसी राज्य सरकारों को, मद्य निषेध के कारण हो रहे राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति किस प्रकार करने का विचार है; और

(ग) मद्य निषेध के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा लक्षद्वीप (अंगारम द्वीपसमूह को छोड़कर) में मद्य निषेध लागू किया गया है । तमिलनाडु में आंशिक मद्य निषेध लागू किया गया है ।

(ख) जो राज्य मद्य निषेध लागू करते हैं उनको मुआवजा देने के लिए इस समय केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है ।

(ग) भारत सरकार ने मद्य निषेध के लिए 1975 में न्यूनतम कार्यक्रम तथा 1978 में मद्य निषेध के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं ।

[हिन्दी]

भारत-बंगला देश सीमा पर तस्करी

9486. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री के० वी० तंग्काबालू } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को भारत-बंगला देश सीमा के 15 किलोमीटर के अन्दर व्यापार करने हेतु लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने और मौजूदा व्यापार पर कड़ा नियन्त्रण रखने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है ताकि सीमा पर बढ़ती हुई तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके जैसा कि 9/15 फरवरी, 1992 के "सन्डे मेल" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत-बंगला देश सीमा पर 5-10 किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा पट्टी बनाने का है ताकि घुसपैठ और अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) समस्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह विचार व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता ।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में बूचड़खाने का आधुनिकीकरण

9487. श्री एम० जी० रेड्डी
कुमारी पद्मश्री कुड्मला } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश मांस निगम द्वारा बूचड़खाने के आधुनिकीकरण के बारे में भेजा गया प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना का उद्देश्य 1100 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर गोश्त उपलब्ध कराना, पशु के बाड़ों की व्यवस्था करना, पशुओं की वध-पूर्व और वध-पश्चात जांच करना, पशुओं का अक्रूर रूप से वध करना, और पशु उप उत्पादों का उपयोग करना है ।

(ग) परियोजना को तभी स्वीकृति दी जा सकती है जब आठवीं योजना में इस उद्देश्य के लिये प्रस्तावित योजना सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो जाएगी ।

दिल्ली में पुलिस हिरासत से खतरनाक अपराधियों का भाग जाना

9488. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में पुलिस हिरासत से कुछ खतरनाक अपराधी भाग निकलने में सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार किया गया है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पुलिस स्टेशन, बसंत विहार, दिल्ली में मा० दं० सं० की धारा 380/458 के अन्तर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 32/92 के अधीन गिरफ्तार किए गए दो अपराधी, पुलिस स्टेशन हवालात के पिछवाड़े की दीवार में छेद करके 21-4-1992 को 2.20 बजे पूर्वाह्न आर० के० पुरम पुलिस हवालात से फरार हो गए । पुलिस स्टेशन आर० के० पुरम में मा० दं० सं० की धारा 223/224 के अन्तर्गत 21-4-1992 को एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 231 दर्ज किया गया और जांच-पड़ताल का कार्य अपराध शाखा को सुपुर्द कर दिया गया है ।

(ग) से (ङ) पुलिस अपर आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र) द्वारा जांच की गयी और 5 पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया और थानेदार का तबादला कर दिया गया है ।

(च) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

(i) दो संतरियों की तैनाती, एक पुलिस हवालात के सामने और एक पिछवाड़े में;

(ii) पुलिस स्टेशन के परिसर में प्रकाश की व्यवस्था करना; और

(iii) अधिकारियों द्वारा रात में हवालात का निरीक्षण करना ।

जम्मू और कश्मीर में रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा

9489. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों तथा अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिवर्ष कितने रेल यात्री मारे गए तथा कितने घायल हुए;

(ख) मृतकों के निकट सम्बन्धियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संम्बन्ध में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।

[हिन्दी]

विदेशों में शरणार्थी

9490. **डा० परशुराम गंगवार**
श्री जी० देवराजन
श्री परसराम भारद्वाज } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, तिब्बत, बर्मा और बांगला देश से आये अनुमानत: कितने-कितने शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत में ऐसे कितने-कितने शरणार्थियों के आने का अनुमान है;

(ग) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे कितने शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया है और अभी कितने शरणार्थियों का पुनर्वास किया जाना बाकी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन शरणार्थियों पर केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान अनुमानत: ऐसे कितने शरणार्थियों को उनके अपने देश वापस भेज दिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान 46 शरणार्थी तिब्बत से आए । जो व्यक्ति इन वर्षों के दौरान पाकिस्तान, पाक-अधिकृत कश्मीर, बर्मा तथा बंगला देश से भारत आए, उन्हें शरणार्थी नहीं माना गया, अपितु विदेशी माना गया और उनके मामलों में, उन पर लागू संबंधित कानूनों के अधीन कार्रवाई की गई ।

(ग) और (घ) 46 तिब्बती शरणार्थियों को, जो गत तीन वर्षों के दौरान भारत आए, हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प तथा कृषि योजनाओं के अधीन बसाया गया । गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा उन पर व्यय की गई राशि लगभग 2.25 लाख रुपए है ।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत आए सभी तिब्बती शरणार्थियों को बसा लिया गया है । अत: उन्हें उनके मूल देश को प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्त्रियों को शिक्षा

9491. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां बड़ी संख्या में कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि विस्तार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ग्रामीण स्त्रियों को शिक्षित करने की कोई विशिष्ट योजना बनायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि विस्तार के भाग के रूप में ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयोजन के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा गुजरात राज्यों में इस समय बाहरी सहायता से विशेष स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है—

(1) **महिला तथा युवा प्रशिक्षण विस्तार परियोजना, कर्नाटक** : इस कार्यक्रम में प्रमुख जोर कृषक महिलाओं को उचित कृषि प्रौद्योगिकियों की अद्यतन जानकारी देने तथा उन्हें अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार में लाने में उनकी मदद करने पर दिया गया है। यह परियोजना, 12.04 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से, बीदर को छोड़कर कर्नाटक के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। अभी तक दिसम्बर, 1991 तक इस परियोजना के अंतर्गत 43866 फार्म महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

(2) **कृषि में तमिलनाडु की महिलाएं (तानवा)** : 3.21 करोड़ रुपये की कुल लागत पर यह परियोजना 6 जिलों नामत: चेंगलपेट, दक्षिण आरकोट, तंजावर, दुक्काटाइ, तिरुनेलवेली और पारमाकुडी में क्रियान्वित की गई है, जिसमें आवश्यकता आधारित कौशल ओरियन्टिड प्रशिक्षण प्रदान करने पर मुख्य जोर दिया गया है। तानवा के अंतर्गत दिसम्बर, 1991 तक 10892 कृषक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

(3) **कृषि में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा विस्तार (टेवा) उड़ीसा** : 2.13 करोड़ रुपये की कुल लागत पर यह परियोजना 4 जिलों नामत: बोलानगिर, गन्जम, पुरी तथा धेंकानाल में क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण महिला कृषि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना है जो बाद में सामूहिक सम्पर्कों से लगभग 50,000 ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करेंगी। मार्च, 1992 तक 93 ग्रामीण महिला कृषि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उपर्युक्त तीन परियोजनाएं डेनिडा के माध्यम से प्राप्त सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं।

(4) **गुजरात में कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण** : यह परियोजना डच से सहायता प्राप्त योजना है तथा इसकी कुल लागत 24 करोड़ रुपये है। यह गुजरात के पांच जिलें नामत: पंचमहल, सूरत, बनासकांटा, भावनगर तथा जूनागढ़ में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मार्च, 1992 तक कृषि तथा दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 5389 कृषक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ऊपर यथा उल्लिखित चार राज्यों में क्रियान्वित की जा रही विशिष्ट स्कीमों के अतिरिक्त कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रशिक्षण देकर कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण देने में प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नदी के मुहाने के आस-पास की भूमि में खाद्यान्न उत्पादन

9492. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गंगा के मैदानों और प्रमुख नदियों के मुहानों के आस-पास के क्षेत्रों की भूमि में गेहूं तथा चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब की भूमि की तुलना में कम होता है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में भूमि की उत्पादन क्षमता में वृध्दि करने के लिए कोई समयबध्द कार्यक्रम बनाया गया है ताकि इसे पंजाब की उत्पादन क्षमता के बराबर लाया जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां । पंजाब की तुलना में इन राज्यों में प्रति हैक्टेयर निम्न उत्पादकता के कारण कृषि मौसम की स्थितियों, मृदा उर्वरता, सिंचित भूमि का निम्न अनुपात, प्रति हैक्टेयर उर्वरकों तथा प्रमाणीकृत बीजों का कम उपयोग और अन्य सामाजिक, आर्थिक कारक आदि हैं ।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों, जिनमें गंगा नदी के मैदान और नदी के डेल्टा से आवृत्त राज्य भी शामिल हैं, में भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न चालू कार्यक्रम जैसे (1) समेकित चावल विकास कार्यक्रम (2) गेहूं का विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (3) उथले नलकूपों/खुदे हुए कुओं के निर्माण के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देना क्रियान्वयनाधीन हैं । अन्य राज्यों में पंजाब के समकक्ष उत्पादकता के स्तर को प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि उपज क्षमता परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी के तहत गतिशील रहता है ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा बाजार नियंत्रण

9493. **श्री राम नाईक**
श्रीमती बासवाराजेश्वरी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य तेलों के व्यापार में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के बाजार नियंत्रण के बारे में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा बड़ी आलोचना करने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को उचित मार्ग निर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) तिलहनों और खाद्य तेलों के व्यापार के बारे में कृषि लागत और मूल्य आयोग की अन्य सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेलों में मण्डी हस्तक्षेप कार्यों के लिए सरकार ने पहले ही व्यापक मार्गनिर्देश जारी कर दिए है । सरकार ने तिलहन नीति पर एक अधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया है जो इन मण्डी हस्तक्षेप कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करती है ।

(ग) इस आयोग ने 1991-92 की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में खाद्य तेलों में मण्डी हस्तक्षेप योजना की समीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने की सिफारिश की है ।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में पुलिस कर्मी

9494. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, बर्खास्त, निलंबित तथा गिरफ़्तार किए गए पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में उपर्युक्त अवधि के दौरान "टाडा" के अंतर्गत गिरफ़्तार किये गये पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ग) राज्य में उन पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध उपर्युक्त अवधि के दौरान फौजदारी के मामले दर्ज किये गये हैं;

(घ) अदालतों में ऐसे कितने मामले दायर किये गये और

(ङ) राज्य के कितने पुलिस कर्मी इस समय जेलों में बन्द हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

दालों के मूल्य में वृध्दि

9495. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता से आयातित दालें अधिक महंगी हो गई हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में बाजार मूल्यों के बढ़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो दालों के मूल्यों में वृध्दि को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुक्कामपल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) रुपये में आंशिक परिवर्तनीयता लागू हो जाने से विदेशी मुद्रा की बाजार दर पर दालों के आयात की अनुमति दी जाती है ।

2. दालों के मूल्य प्राय: बढ़ रहे हैं, इसमें बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति जारी है, जो केवल दालों की सापेक्षिक कमी प्रदर्शित करते हैं । सरकार इस समस्या से अवगत है तथा सरकार ने वर्धित उत्पादन तथा आयातों के जरिए आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए हैं । दालों के उत्पादन में वृध्दि करने के लिए देश में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और केन्द्रीय क्षेत्र का विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम दलहन जैसी स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

दलहन का उत्पादन

9496. **श्री चन्दुलाल चन्द्राकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दलहन के उत्पादन के लिये उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सरकार का दलहन की अधिक पैदावार करने वाले बीजों की किस्मों का विकास करने हेतु अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है: और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने दलहनों को खेती के विस्तार हेतु कुछेक क्षेत्रों का चयन किया था । केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गहन दलहन विकास के लिये 134 जिलों को चुना गया है ।

(ग) और (घ) दलहनों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास पर अनुसंधान, अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना के अंतर्गत देश भर में स्थित 31 केन्द्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत दलहन अनुसंधान निदेशालय में किया जाता है ।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच

9497. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री दिल्ली में अनधिकृत निर्माण की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के बारे में 8 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारियों के विरुध्द शिकायतों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने शिकायतों का सत्यापन किया है । उनकी जांच-पड़ताल से पता चला कि नई दिल्ली नगर पालिका के कुछ अधिकारियों की ओर से हुए विलम्ब के कारण भवन निर्माता 24 अतिरिक्त फ्लैट वाले 4 अतिरिक्त तलो का निर्माण कर सके । जांच-पड़ताल करने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच के लिए मामले को दर्ज न करने और मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इस मामले को 30-1-1992 को मुख्य सतर्कता अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय को भेजने का निर्णय किया ।

अनारक्षण निवारण हेतु कानून

9498. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित खाली पड़े पदों के अनारक्षण निवारण हेतु कोई विधान बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस विधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार संसद के इसी सत्र में विधान प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली प्रशासन में अवर श्रेणी लिपिक

9498-क **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में अवर श्रेणी के लिपिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या कुछ निर्धारित वर्षों की सेवा के पश्चात् अवर श्रेणी के लिपिक टाइपिंग टेस्ट पास किये बिना पदोन्नति के पात्र हैं : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त सभी ग्रेड-घ (दि० प्र० स० से०)/अ० श्रे० लिपिकों को 12 महीने की सेवा पूरी करने पर आवधिक रूप से वार्षिक वेतनवृध्दि प्रदान की जाती है ।

ग्रेड-घ (दि० प्र० स० से०)/अ० श्रे० लि० को जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नत है तथा जो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें टंकण परीक्षा पास करने पर या नियमानुसार टंकण परीक्षा पास करने से छूट दिए जाने पर वार्षिक वेतनवृध्दि प्रदान की जाती है ।

(ग) और (घ) अ० श्रे० लिपिकों/ग्रेड-घ (दि० प्र० स० से०) कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों, अर्थात्

(i) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से ग्रेड-घ (दि० प्र० स० से०)/अ० श्रे० लि० के रूप में पदोन्नत ; तथा

(ii) जो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं तथा और क्रमश: अपनी पदोन्नति/नियुक्ति के समय 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे 45 वर्ष की आयु के होने पर बिना टंकण परीक्षा पास किए ही वार्षिक वेतनवृध्दि के लिए तथा श्रेणी-ग में प्रोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं क्योंकि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उन्हें टंकण परीक्षा पास करने से छूट है । ठीक इसी प्रकार से इन श्रेणियों के कर्मचारियों को यदि वे अपनी पदोन्नति/नियुक्ति के समय 35-40 वर्ष की आयु समूह के हैं, 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर टंकण परीक्षा पास करने से भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार छूट दे दी जाती है बशर्ते कि उन्होंने टंकण परीक्षा पास करने के लिए एक सच्चा प्रयास किया हो । साथ ही इन श्रेणियों के उन कर्मचारियों को, जो अपनी पदोन्नति/नियुक्ति के समय 35 वर्ष की आयु से कम के रहे हों; भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार टंकण-परीक्षा पास से छूट दे दी जाती है, बशर्ते कि उन्होंने यह परीक्षा पास करने के लिए दो सच्चे प्रयास किए हों ; उन कर्मचारियों को, जो चतुर्थ श्रेणी से ग्रेड-घ (दि० प्र० स० से०)/अ० श्रे० लि० के रूप में पदोन्नत होते समय अथवा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के समय 45 वर्ष से अधिक आयु के हों, बिना टंकण परीक्षा पास किए वार्षिक वेतन-वृध्दि प्रदान की जाती है ।

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टर

9498-ख. **श्री विलास राव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों की संख्या कितनी है और श्रेणी-

वार ये कहां-कहा हैं;

(ख) दिल्ली नगर निगम में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या कितनी है और क्या ये क्वार्टर उनके लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए और अधिक क्वार्टरों के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है, यदि हां तो इनका निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है तथा इनकी संख्या कितनी है और ये कहां कहां बनाए जायेंगे;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान पारी से पहले कितने क्वार्टर आबंटित किए गए; और

(ङ) जिन नियमित कर्मचारियों ने 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है उन्हें ये क्वार्टर कब तक आबंटित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : (क) दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए 1722 रिहायशी मकान है । जिनके श्रेणी-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

श्रेणी 1	897
श्रेणी 2	602
श्रेणी 3	159
श्रेणी 4	58
श्रेणी 5	10

ये मकान अधिकांशत: दिल्ली के विभिन्न भागों में फैले जलाशयों और पम्पिंग स्टेशनों के नजदीक है ।

(ख) नियमित कर्मचारियों के श्रेणी-वार संख्या निम्नप्रकार है :—

"क"	"ख"	"ग"
126	360	18232

इस समय उपलब्ध मकान कर्मचारियो के लिए पर्याप्त नहीं हैं ।

(ग) दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान बनाने का प्रस्ताव है जिनके 3 से 5 वर्ष में पूरा होने की संभावना है ।

(घ) पिछले 2 वर्षों के दौरान (अप्रैल, 1990 से मार्च, 1992 तक) 12 मकान पारी से पहले आबंटित किए गए ।

(ङ) कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए ।

गृह मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए । आप बैठ जाइए । केरल में सूखे की स्थिति के बारे में बोलने के लिए मैं श्री पी० सी० चाक्को को बुला रहा हूं । श्री पी० सी० चाक्को आपने मुझे केरल में सूखे की स्थिति के संबंध में सूचना दी है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, इनको वक्तव्य देना चाहिए । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, पटना के चीफ जस्टिस ने दूसरी शादि की·····(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, साधारण आदमी को क्या सुरक्षा मिल सकती है बिहार में, अगर चीफ जस्टिस को कोई सुरक्षा नहीं मिलती ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे तब बात करूंगा जब आपका जोश कम हो जाएगा । अब आप बैठ गए हैं इसलिए मैं एक के बाद एक को बुलाऊंगा । ऐसा करने दें । क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, उसका निर्णय मामला सामने आने पर ही होगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पता नही चल रहा है कि मैं सब लोगों की मदद कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : पटना में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है । पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश·····

अध्यक्ष महोदय : मैं उसी मुद्दे पर आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं जिसकी आपने सूचना दी है । वह भी महत्वपूर्ण है । आपने केरल में सूखे की स्थिति के बारे में सूचना दी है ।

श्री पी० सी० चाक्को : जी हां महोदय । आप मुझे अनुमति दें·····

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं किसी और को अनुमति दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाणा) : लेकिन इस मुद्दे पर सभा को तत्काल ध्यान देना चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

पहले आपने कहा था कि जांच करनी चाहिए और आज यह खुलासा हो गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम एक के बाद एक को बुलाएंगे। अन्य सदस्यों के भी अपने विचार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री चाक्को को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक मुद्दा सदन से संबंधित उठा रहा हूं। 23 अप्रैल को प्रधान मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको बोलने नहीं दे रहा हूं तो आपको भी बोलने नहीं दूंगा। जब मैं आपको बुलाऊं तब आप बोलिए। एक के बाद एक बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए। थोड़ी शांति हो जायेगी तब आप बोल सकेंगे। वहां बैठकर आप अपनी सीट के बारे में समझते हैं। मैं यहां बैठकर सारी सीटों के बारे में समझता हूं। मैं दूसरों को बुला रहा हूं तो शांति हो जायेगी उसके बाद आप बोल सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला काफी सूखे की चपेट में है। हमारे सोनभद्र-मिर्जापुर की भौगोलिक रूपरेखा अलग है जिसका अधिकतर भाग पहाड़ी है।.....(व्यवधान) यहां के लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे पीने का पानी, सिंचाई की उचित सुविधा का अभाव है। 44 वर्ष हो गए, आपको मालूम होगा कि आज वहां के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर गर्मी में पीने के लिए पानी टैंकर से भेजा जाता है तथा सरकार कोई स्थायी व्यवस्था अभी तक नहीं कर सकी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है जिसका 7388.36 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है तथा 10 लाख से भी अधिक इसकी आबादी है जिसमें प्राय: गरीब, गोरखा आदिवासी जनजाति है। भूखे-प्यासे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। दूसरी ओर डिंडातको, डाइटेक

कार्बन एवं कनौडिया केमिकल जैसी फैक्टरियों के प्रदूषण एवं उसके गन्दे पानी से इंसान जानवर दोनों मौत के मुंह में पहुंच रहे हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए अनियमितता बरत रही है । वहां पर आदिवासियों के लिए खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर जो बांध है अंग्रेजों के समय बनाया गया था अगर उसको भरा जाये तो वहां के लोगों को उससे पानी मिलेगा । हमारे यहां म्योरपुर ब्लाक है, दुधी ब्लाक है, चोपन, चतरा, नगरा, राजगढ़ व भीडहाय ब्लाक, लालगंज, घोरावंस जो कि पहाड़ी एरिया है पूरा सूखे की चपेट में है । वहां पर प्रदेश सरकार द्वारा गल्ला नहीं भेजा जा रहा है, जबकि चोर-बाजारी के लिए भेजा जा रहा है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर खाने के लिए गल्ला व पानी के लिए हैंड पम्प की शीघ्र व्यवस्था की जाये और छोटे-छोटे बांधों को भरा जाये । वहां पर सोन पम्प परियोजना है उसको तत्काल पूरा करके पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाये और राबर्टसगंज नगरपालिका में बड़ा बांध है जो लगभग 200 वर्षों से बना पड़ा है तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा है, पानी का तालाब हो गया है, उससे बीमारियां फैल रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : समाप्त कीजिए । आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है ।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे राबर्टसगंज और मिर्ज़ापुर में पत्थर की खदानें हैं, वहां पर आदिवासी काम करते हैं, लेकिन उनको पूरी मजदूरी नहीं दी जाती । वहां पर सरकार ने सेल्स टैक्स लगा रखा है और जबरन उसकी वसूली की जाती है । मेरा निवेदन है कि वहां सेल्स टैक्स की वसूली समाप्त की जाये और वहां मिर्जापुर-सोनभद्र में तत्काल पानी व खाने पीने की व्यवस्था कराई जाये । वहां की जनता के लिए तथा वहां कार्य करने वाले लोगों की दशा सुधारने के लिए रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए सरकार कुटीर उद्योग के लिए व्यवस्था करे । हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं । इस गंभीरता को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र की इन विपदाओं से बचाने के लिए अविलंब अपेक्षित विशेष धन की व्यवस्था करें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं विश्वनाथ शास्त्रीजी को बुला रहा हूं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वहां पर सैंकड़ों कुएं सूख गये हैं इसलिए केन्द्र सरकार वहां तत्काल ध्यान दे । **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा विद्वेश और प्रतिशोध की भावना से जो कार्य किया जा रहा है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे ठीक प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री : मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं । गाजीपुर जनपद में युसुफपुर मोहम्मदाबाद के अन्दर जिस परिवार में डा० मुख्तार अहमद अंसारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उसी परिवार से सम्बन्धित डा० शौकतुल्ला अंसारी रहे हैं, उसी परिवार के अन्दर आसिफ अंसारी हैं जो कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज रहे हैं । उसी परिवार के अंदर ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी रहे हैं, जो कि

शहीद हो चुके हैं । उसी परिवार के अन्दर अफज़ल अंसारी हैं जो तीन बार से विधायक हैं, उनके गार्डस् को कुछ दिन पहले वापस ले लिया गया । उसी परिवार के अन्दर उनके भाई मुख्तार अंसारी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सी० आई० डी० द्वारा जांच का आदेश दिया । उसके बाद यह वापस ले लिया गया । वापस लेने के बाद मुख्तार अंसारी के मुकाम पर पुलिस ने कल कुड़की की । इस पर हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन उनके भाई अफज़ल अंसारी जो उस इलाके के विधायक हैं पुलिस उनके परिवार वालों के पास गई और उनके घर की कुड़की कर दी और पुलिस ने उनके परिवार में औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके सारे गहने उठा ले गई । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इसी सदन में बीस साल तक मेम्बर रहे हैं सरजू पाण्डे, उनकी तस्वीर को तोड़ दिया गया और पैरों से कुचला गया तथा कुरान को फाड़कर फेंक दिया गया । सुभानअल्लाह अंसारी जो चेयरमेन रहे हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया । नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष श्री एयाजुल-हक अंसारी के साथ बदसलूकी की गयी, उनका स्कूटर उठा लिया गया । पुलिस जितना सामान उठा सकती थी, वह ले गयी लेकिन उस सामान की लिस्ट तक नहीं दी । यह सब बनारस और गाज़ीपुर की पुलिस ने मिलकर किया ।

दूसरी तरफ गत चुनाव के बीच हमारी पार्टी के नेता में श्री सुरेन्द्र प्रसाद राय, कमला सिंह, झिंगुरी राम गुप्ता की हत्या की गयी और हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गये । यह सब पुलिस के संरक्षण में चल रहा है । इस तरीके से उत्तर प्रदेश में द्वेष और प्रतिशोध की भावना से लगातार कार्रवाई की जा रही है । गृह मंत्री इस पर ध्यान दें । आज से दस दिन पहले श्री अफज़ल अंसारी के शैडों को हटा दिया गया जिससे उनकी जान को खतरा पड़ा हुआ है, उनकी किसी भी समय हत्या करवाई जा सकती है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो फैमिली राष्ट्रीय स्तर की रही है, उनके खिलाफ इस तरह से द्वेष एवं प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है, उनको पूर्ण सुरक्षा दिये जाने की मांग करता हूं और न्याय की मांग करता हूं । **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, एक विधायक के साथ जो व्यवहार हुआ है, उसके लिए गृह मंत्री बोले, नेता विरोधी दल भी बोलना चाहें तो बोलें । गृह मंत्री जी से जवाब दिलवायें.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय मंत्री जी इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके ऊपर गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं अधिक से अधिक यही कर सकता हूं कि मैं माननीय सदस्य को पूर्ण जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से अनुरोध करूं कि वह उत्तर भेजें ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह अकेला मामला नहीं है । उत्तर प्रदेश में.. .....

श्री भोगेन्द्र झा : चिट्ठी लिखकर जवाब मांगना काफी नहीं है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, चिट्ठी लिखने से यह महीनों का मामला हो जायेगा..... गृह मंत्री जी का यह कहना कि चिट्ठी से जवाब आयेगा.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : उत्तर पर्याप्त नहीं है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गृह मंत्री का यह बयान अधूरा है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ज़रा आहिस्ता बोलिए, ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : गुजरात में उत्तर प्रदेश के मंत्री के सचीव को लूटा गया, उन्हें मारा गया । .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए । क्या आपने डिसाइड किया है कि आज ऐसे ही चलना है । अगर डिसाइड किया है तो बोल दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए । आप पहले बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा है....., आप पहले बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज यह निर्णय लिया है कि पीछे बैठने वालों को बोलने का मौका दिया जाएगा । लेकिन आप सब एक साथ बोल रहे हैं । अत: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक के बाद एक बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं तभी आपकी सहायता कर सकता हूं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका शोर बहुत सुन चुका हूं, आप जरा दो मिनट शांत बैठ जाइए। आप ऐसे उठकर मत कहिए, बैठकर भी मत कहिए। ऐसे सब लोग एक एक करके उठेंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी।

[अनुवाद]

आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे कार्यवाही चलाऊँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस प्रकार कार्यवाही चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। आप ऐसे ही कार्यवाही चला सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): मंत्री जी ने बिहार के बारे में स्टेटमेंट देने का वायदा किया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? सुनील दत्त जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अरे भाई नीतीश कुमार जी, आप ज़रा चुप करके बैठ जाइए और अपने साथियों को भी ज़रा शांत रखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप कह सकते हैं कि मैं पीछे की सीटों पर बैठता हूं जिसे आपने बोलने का अवसर दिया। इस सम्माननीय सभा में हमने देश की अनेक समस्याओं पर चर्चा की है। हमने बोफोर्स के मामले पर चर्चा की है। राम-जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद और सूखे के मुद्दे पर चर्चा की है। हमने देश की अनेक प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की है।

सबसे पहली बात यह है कि हम एक महत्वपूर्ण दिन अर्थात् पृथ्वी दिवस, जो 22 अप्रैल को था, उसे भूल गए । उस दिन केवल बोफोर्स पर चर्चा हुई । उस दिन किसी ने भी पृथ्वी दिवस का उल्लेख नहीं किया । (व्यवधान)

इस खूबसूरत पृथ्वी पर क्या हो रहा है । हम मानव को विवेकशील प्राणी मानते हैं । हम विवेकशील प्राणियों की तो बात करते हैं लेकिन हम कभी भी पशुओं की बात नहीं करते हैं । हम सूखे की और उन व्यक्तियों की बात करते हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता है लेकिन हम कभी भी यह बात नहीं करते हैं कि पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है और पशु जीवित कैसे रहेंगे क्योंकि हर जगह सूखा पड़ा हुआ है ।

मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हम वन्य जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं । हम चिड़ियाघरों में वन्य जीवन के बारे में बात कर रहे हैं । सार्वजनिक क्षेत्र में 41 चिड़ियाघर है और गैर-सरकारी क्षेत्र में तीन चिड़ियाघर हैं । चिड़ियाघरों की स्थिति बहुत खराब है । ऐसी स्थिति में चिड़ियाघरों में जानवरों को रहना पड़ रहा है । आज कोई भी चिड़ियाघरों की बात नहीं करता है । हमारी राष्ट्रीय नीति यह है कि इन सभी पशुओं को बड़े पिंजरों में रखना चाहिए ताकि वे आराम से रह सकें । जिन स्थितियों में पशु रह रहे हैं उन्हें आप अवश्य देखें । मैं चाहता हूं कि इस सम्माननीय सभा में बैठे कुछ सदस्य चिड़ियाघर जाएं और यह देखें कि पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और वे कैसे मर रहे हैं । चिड़ियाघरों में अनेक पशु मर जाते हैं । वहां अनेक पशु बीमारियों से ग्रस्त हैं । उन्हें तपेदिक, पक्षघात और जख्म हो जाते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं किया जाता है । ऐसी कोई दवाई नहीं है कि पहले उन्हें बेहोश कर दिया जाए ताकि चिकित्सक उनके पास जा सकें और उनका इलाज कर सकें । हमारे चिड़ियाघरों में ऐसी स्थिति है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि चिड़ियाघर जनता के मनोरंजन के लिए नहीं बने हैं । इनका उद्देश्य खतरनाक प्रजातियों को संरक्षित और संवर्धित करना, वन्यजीवन के महत्व के प्रति लोगों को जागृत करना तथा पशु-व्यवहार के बारे में अनुसंधान करना है । लेकिन आप देखिए कि चिड़ियाघरों में सैतानी किस प्रकार पशुओं से व्यवहार करते है । वे उन्हें चप्पल, छड़ी दिखाते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं । इस प्रकार के बुरे व्यवहार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । यदि सैतानी पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए । (व्यवधान) आप मनुष्य हैं । जब मैं पशुओं के बारे में बोल रहा हूं तब कृपया मेरी बात सुनिए । बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि आदि स्थानों पर संसद सदस्यों की समिति जाती है । इसी प्रकार कुछ संसद सदस्यों को चिड़ियाघर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि पशु वहां कैसे रह रहे हैं । महोदय, यह मेरा विनम्र अनुरोध है ।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय, आप इस मुद्दे पर अवश्य कुछ कहें ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा मुद्दा है और यह मुद्दा उठाने के लिए हम सुनील जी का धन्यवाद करते हैं । उन्होंने जो कुछ कहा उसका पालन करना हमारा कर्त्तव्य है । मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति उनसे सहमत है ।

श्री पी० सी० चाको : महोदय, मैं सूखे का मुद्दा उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा । मैं कृष्णा साही जी को बोलने के लिए कह रहा हूं । लेकिन जब तक मैं बैठ नहीं जाता हूं तब तक वह खड़ी नहीं हो सकती हैं । मैं जानता हूं कि वह सभा में

कौन सा मुद्दा उठाना चाहती हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य: आपने एक विनिर्णय भी दिया है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुझे कम्पलीट करने दीजिए । बाद में आप बोलिएगा । मैं क्या बोल रहा हूं, पहले उसे सुन लीजिए । अगर आप सुनेंगे नहीं, अपनी बात करेंगे तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पायेंगे ।

[अनुवाद]

कृष्णा साही जी सभा में एक मुद्दा उठाना चाहती हैं । इस समय हम वह कार्य करते हैं जो सूचीबद्ध नहीं होता है । संविधान में यह प्रावधान है कि आप दो दिन की सूचना किए बिना किसी मामले पर चर्चा नहीं कर सकते हैं । वे ऐसा मुद्दा उठाने जा रही हैं जिससे अनेक उलझने पैदा होंगी । इससे देश में एक गलत प्रथा स्थापित होगी । इससे और नई उलझने पैदा होंगी ।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए । जब तक मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर लेता तब तक आप खड़े न हों ।

इसीलिए मैं इस सभा से पूछ रहा हूं कि क्या यह सभा ऐसे मामलों पर चर्चा करना चाहती है जिनके लिए सूचना नहीं दी गई है । चाहे मामले उलझनपूर्ण हों चाहे सदस्य कुछ मुद्दों पर रोष प्रकट करें लेकिन उनके लिए भी इस सभा में कुछ मानदंड हैं । यदि आप मानदंडों का पालन न करें और आप उसके भावी प्रभाव को नज़रअंदाज करते हुए उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, तो उनसे अनेक संस्थानों में समस्याएं पैदा हो जाएंगी । हमें यह निर्णय लेना है कि क्या उन मामलों पर चर्चा करना आवश्यक है अथवा नहीं । इस सभा के वरिष्ठ सदस्यों और उन व्यक्तियों, जो देश व संस्थाओं का हित चाहते हैं को इस पर विचार करके कुछ कार्यवाही करनी चाहिए । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि "ऐसा नहीं करें ।" मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि "आप ऐसा करें ।" मैंने इसमें अंतर्निहित उलझनों के बारे में आपको चेतावनी दे दी है । यदि आप उसका पालन नहीं करते है तब और समस्याएं पैदा होंगी । हमारे समक्ष अनेक समस्याएं हैं । प्रश्न यह है कि क्या हम एक और समस्या पैदा करना चाहते हैं और यही बात मैं आपके विचारार्थ रख रहा हूं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी आपने जिस मुद्दे का जिक्र किया है, उस पर कोई भी व्यक्ति सभा में तर्क नहीं कर सकता । मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, सदस्यों को सभा में होने वाली चर्चाओं के दौरान सरकार की विभिन्न संस्थाओं की मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए । इसीलिए कल जब आपके कक्ष में हमने आपके साथ विशेषकर इस मुद्दे पर चर्चा की थी जिस पर संभवत: माननीय सदस्य महोदया चर्चा करना चाहती हैं, मैं भी इससे सहमत था कि यह एक ऐसा मामला है, जिसे उचित रूप से नोटिस दिये बिना और उचित जानकारी हासिल किये बिना यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिए ।

इस मामले विशेष में सरकार ने सभा को आश्वासन दिया था कि वे इस बारे में जानकारी प्राप्त करके सदन में देंगे । उन्होंने ये शब्द कहे थे "जानकारी हासिल करके सदन में आयेंगे" । मैं उस बात पर भी जोर नहीं दे रहा हूं । मैं सरकार से और इस तरफ के अपने सहयोगियों से और निश्चित रूप से अपने दल के

सहयोगियों से भी आग्रह कर रहा हूं कि इस मामले में हम दोहरे मापदण्ड नहीं अपना सकते ।

उदाहरण के लिए आज एक मुद्दा उठाया गया था जो कि पूरी तरह से कुछेक राज्यों की कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित था । उस पर तुरन्त ही गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया था । उन्होंने खड़े होकर कहा था कि उन्होंने राज्य सरकार से पता किया है । मैं कहूंगा कि ऐसे मुद्दों को सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए और सरकार कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित प्रत्येक मुद्दे के लिए स्वयं जबाबदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती । कुछेक मुद्दों पर यह निर्भर करता है । हरिजनों और महिलाओं पर हुए अत्याचारों से सम्बन्धित मुद्दों को तो मैं समझ सकता हूं जो कि सभा में उठाये जाते रहे हैं न कि इस प्रकार के कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित मुद्दे ।

महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैं सभा को दिये गये आपके परामर्श से पूरी तरह सहमत हूं और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार का यह दायित्व है कि इन मामलों में दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाए जाने चाहिए । अभी तक की घटनाओं से मेरे दल को यह विश्वास हो गया है कि कम से कम इन मामलों में इस दल के दोहरे मानक हैं और वे एक दल को दूसरे दल के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह ठीक तरीका नहीं है ।

अत: में आप से पूरी तरह इस मुद्दे पर सहमत हूं । मैं कहूंगा कि यह देखना मुख्यत: सत्ता-पक्ष की जिम्मेवारी है कि केवल केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित मामलों पर ही यहां चर्चा की जाये । यही संकेत प्रत्येक नियम और परम्पराओं में भी दिया गया है । कुल मिलाकर केवल केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित मामलों अथवा केन्द्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलों को ही यहां पर उठाया जाना चाहिए । मैं यही कहना चाहता हूं ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं विपक्ष के माननीय नेता द्वारा लगाये गये इस आरोप का खण्डन करना चाहूंगा कि सरकार दोहरे मापदण्ड अपना रही है । मैंने यही बताया था । यदि कुछ माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कुछ सदस्यों को धमकियां दी गई हैं, तब क्या उन्हें लिखना मेरा दायित्व नहीं है ? यह केवल लिखने का प्रश्न नहीं है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आवला) : ऐसा कैसे चलेगा ?

श्री एस० बी० चव्हाण : क्यों नहीं चलेगा, बराबर चल सकता है ।

[अनुवाद]

वास्तव में यह मेरा पहला दायित्व है कि मैं राज्य सरकार से जानकारी हासिल करूं और इसमें कुछ गलत नहीं है । मैं उनके खिलाफ कोई परोक्ष संकेत नहीं दे रहा हूं । मैंने मुख्यमंत्री जी को केवल इतना लिखा है कि वह कृपया इस मामले को देखें और यदि वह इस की रिपोर्ट मुझे देना चाहें, तब निश्चित रूप से वह ऐसा कर सकते हैं ।

महोदय, जो मुद्दा विपक्ष के माननीय सदस्य ने उठाया है, मै उससे पूरी तरह सहमत हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे है जिनके बारे में परम्पराओं का पालन इस सभा में करना होता है । मुझे बेहद खुशी है कि विपक्ष के नेता का यह दृढ़ विचार है कि जो मामले राज्य सरकारों के हैं उन्हें सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये । लेकिन बड़े मुद्दे भी हैं जिनका उल्लेख विपक्ष के माननीय सदस्य ने किया है । संविधान में उल्लिखित विभिन्न संस्थाओं

के बीच हितों का टकराव है । यदि हम संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कार्य करना है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता ऐसी समस्याओं के उत्पन्न होने का मेरे विचार में यदि आवश्यक हो कि अध्यक्ष महोदय सभी राजनीतिक दलों से विचार करके कुछ मुद्दों पर एक आचार संहिता तैयार करें जिस के द्वारा कुछ मुद्दों का—यद्यपि वे अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें एक साथ चर्चा के लिये रखा जाए तो उन मुद्दों के संबंध में भविष्य में उलझन पैदा हो जाएंगी—उन मुद्दों को यहां नहीं उठाया जा सकता है ।

केवल दो दिनों का नोटिस देकर ऐसी स्थिति से बचने की आवश्यकता है तो उस स्थिति से नहीं बचा जा सकता । और इसीलिये इस प्रकार के न्यायपालिका और विधायिका के बीच अथवा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद से बचने के लिये यदि किसी तरह के आचार संहिता का निर्माण किया जाए तो मेरे विचार में इस प्रकार की स्थिति को सुलझाने में उससे मदद मिलेगी ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने जो बात कही थी वह तथ्यों के आधार पर थी । गृह मंत्री जी ने उसका प्रतिवाद किया है, मैं उस प्रतिवाद को उसी रूप में लेता हूं कि वह भविष्य के लिए आश्वासन है कि फिर से इस प्रकार से नहीं होगा, अन्यथा कल ही यहां सदन में, मुझे स्मरण है कि लगातार विपक्ष के सभी सदस्यों ने जब आंध्र में तीन हरिजन महिलाओं के बलात्कार और हत्या का उल्लेख किया तो मंत्रीमंडल का एक सदस्य खड़ा होने को इतना मात्र के लिए तैयार नहीं था कि हम आंध्र से इस बात का पता लगाएंगे और जानकारी देंगे । जब बहुत समय लगा उसक बाद बड़ी कठिनाई से खड़े हुए । लेकिन आज तत्परता से खड़े हो गए जबकि मैं नहीं जानता था, इतना हल्ला था कि मैं समझ नहीं पाया कि विषय क्या था । मोटे तौर पर किसी पुलिस ने जाकर किसी को धमकी दी आदि जोकि प्राईमा फेसी, मुझे लगता था कि प्योर लॉ एंड आर्डर का मामला है जिसमें किसी के भी बोलने की आवश्यकता नहीं थी । फिर भी गृह मंत्री जी ने खड़े होकर वौलंटियर किया कि मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा और आपको जानकारी दूंगा ।

मेरा निवेदन है कि किस मामले में केन्द्र सरकार अपने ऊपर जवाबदारी लेती है क्योंकि यहां सदन में जब गृह मंत्री जी कोई बयान देते है ।

[अनुवाद]

यह सभा के लिये आश्वासन होता है ।

[हिन्दी]

यहां पर जिस विषय को लेकर आज अध्यक्ष जी को कहना पड़ा उस विषय में संसदीय कार्य मंत्री ने कल आश्वासन दिया था सदन में कि मैं इस बारे में जानकारी करके सदन को दूंगा । फिर भी अध्यक्ष जी के कमरे में बैठकर जब हमने ऐग्री किया, इसलिए मैंने आग्रह नहीं किया, कोई बात नहीं । इसलिए आपकी बात मानकर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि साधारणतया राज्य के मसले यहां पर नहीं उठने चाहिएं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आपके कमरे में क्या होता है हमको भी बताया जाए । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : काम दुरुस्त करने का काम होता है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यद्यपि उसमें फर्क है । फर्क यह है कि लॉ एंड आर्डर भले ही राज्य का मामला हो लेकिन अगर कहीं पर सरकार के दो हिस्सों में ऐसा संघर्ष पैदा होता है जिसके कारण संवैधानिक

संकट पैदा हो सकता है तो वह तो केन्द्र का मामला है, संसद का मामला है । इस विषय में, क्योंकि तथ्यों की जानकारी पूरी नहीं थी, अधिकृत नहीं थी, एक वर्शन था जो सरकार के पास था, दूसरा वर्शन था जो हमारे जनता दल के मित्रों ने दिया था । अलग-अलग वर्शन होने के कारण मैंने उसपर बल नहीं दिया । मैं इस कारण आपसे सहमत होते हुए भी फिर से गृह मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा ।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक ही निवेदन करना है । अटल जी ने मजाक के लहजे में कहा लेकिन मैं उसको गंभीरता से लेता हूं । आपके कमरे में क्या होता है, यह बात है कि संसद की कार्यवाही उससे चल सकती है लेकिन देश में जो मानस बनता है उसका प्रतिकार या संशोधन उससे नहीं हो । आपने सलाह दी, सलाह अच्छी है, लेकिन संसद की परम्परा है संविधान में कि कुछ सवाल हैं जो उठाए जाते रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे और उठाए जाते रहने चाहिएं । वह सवाल चाहे हरिजनों पर अत्याचार का हो, चाहे अल्पमत के साथ अत्याचार का हो, यह सवाल केवल राज्यों का सवाल नहीं है । यह मान्यता है कि इस सदन में कौन से सवाल उठने चाहिएं कौन से नहीं उठने चाहिएं । यह बात अगर आप कह देंगे और नेता मान लेंगे, इससे गरीब तबके के लोग, उपेक्षित तबके के लोग आश्वस्त नहीं होंगे, जो माईनौरीटीज के हैं, दलित वर्ग के हैं, उनके मन में पीड़ा रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : माफ कीजिए, मैं आपके बीच में बोल रहा हूं । बात उस बारे में नहीं थी, एग्ज़ीक्यूटिव और जूडीशियरी के बारे में थी ।

श्री चन्द्र शेखर : मैं उसके बारे में भी कहता हूं । जो सवाल अभी उठा था, जो सवाल आंध्र में उठा, एक हरिजन का सवाल था । आज जो हुआ वह माईनौरीटीज का सवाल था । इसलिए मैंने कहा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई गलत बात नहीं की है । आप उनका अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, अब पता नहीं इन लोगों को क्यों बेचैनी हो रही है । **(व्यवधान)** अगर क्रिमिनल है तो आप साबित कर दीजिए कि वह क्रिमिनल है । **(व्यवधान)**

"मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता लेकिन डॉ० अन्सारी से लेकर फरीदुल अंसारी तक, उसके दूसरे लोगों को एक नहीं, पिछले 60, 70, 80 वर्षों से वह परिवार एक राष्ट्रीय परिवार रहा है और उसका सम्मान उस इलाके में है । अब वह क्रिमिनल होगा मैं उसके बारे में नहीं जानता लेकिन वह चुना हुआ सदस्य है इतनी बात मैं मानता हूं । क्रिमिनल तो आप किसी को भी कह सकते हैं, मुझ को भी कह सकते हैं आपको इतना गुस्सा आ रहा है । दूसरी बात मैं आपको यह कहता हूं, **(व्यवधान)** . . . मैं नहीं जानता कि कृष्णा साही जी क्या सवाल उठा रही हैं लेकिन बिहार में मामला वो शासन के विंगों का नहीं है यह कांस्टीट्यूशनल आथोरिटीज का मामला है, जो संविधान की आथोरिटी है—एक गवर्नर है, एक जूडिशियरी है और इसका महत्व नहीं होता ।

आज दुर्भाग्यवश एक बयान आया है, इंटरव्यू है यह न्यूज नहीं है । हिन्दुस्तान टाइम्स में राज्यपाल महोदय ने एक बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे सवाल पर भी भारत सरकार को मौन रह जाना चाहिए । **(व्यवधान)** हम भारत सरकार से यह चाहते हैं कि उसमें क्या वर्सन सही है, क्योंकि इसका सवाल देशभर में उठेगा ।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राज्यपाल एक बात कहे, संसद बैठी हुई हो। आप अगर यह सलाह दें कि इससे लोगों के मन में दुविधा, भ्रम पैदा हो जाएगा और संसद इस पर चुप रह जाएगी तो इसका क्या नतीजा होगा ?"

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके मत से सौ टके सहमत हूं, सिर्फ इतना ही है कि उसको एक पद्धति से करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनलिस्टीड आवर में अचानक नहीं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं वही परम्परा बता रहा हूं कि जब गवर्नर कोई बात कहता है तो उस पर तत्काल गृह मंत्री साहब को बयान देना चाहिए क्योंकि इस तरह का अगर भ्रम पैदा होगा, मैं नहीं जानता कि वह सत्य है या असत्य है यह तो वे जानते होंगे लेकिन अगर उनके पास कोई रिपोर्ट है, अगर गवर्नर ने यह बात कही है तो गवर्नर की बातों की किसी अखबार की रिपोर्ट नहीं माना जा सकता। गवर्नर की बात किसी सदस्य के आक्षेप और आरोप या पार्टियों का झगड़ा नहीं है, या तो गवर्नर सही हैं या मुख्य मंत्री सही हैं और दोनों में एक-सा फैसला श्रीमान एस० बी० चव्हाण को करना होगा। यह नहीं कह सकते कि दोनों सही हैं, यह नहीं हो सकता कि अध्यक्ष महोदय हमको सलाह दें और हम इस पर चुप रह जाएं। हम तो चुप रह जाएं लेकिन देश का मानस इस पर चुप नहीं रह जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गंभीरता से आपसे विनय करूंगा कि संसद को सलाह देते समय शांतिमय प्रक्रिया चलाने के लिए संसद को निकम्मा बनाने का काम नहीं होना चाहिए, इसलिए संसद को निष्क्रिय नहीं बनाया जा सकता। जहां गवर्नर और चीफ जस्टिस का मामला हो उसमें संसद को पूरा अधिकार है, अधिकार नहीं बल्कि उसका कर्त्तव्य है कि उस पर बात करे। अब यह तो मैं गृह मंत्री पर छोड़ता हूं कि उनको इस पर बयान देना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह गंभीर सवाल है इससे लोगों के मन में प्रतिक्रिया बुरी होगी, दोनों तरफ से, एक तरफ मामला साफ होना चाहिए और श्रीमान गृह मंत्री जी को इसमें वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक ही बात मेरे मन में जो रह गई है वह यह है कि ऐसे मामले क्या जीरो आवर में ही उठने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मामले उठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, उठेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सदन देश की आशाओं का, अपेक्षाओं का, निराशाओं का और रोष का भी प्रतिबिंब बनेगा, बनना चाहिए। मैं कोई रेखा नहीं खींचना चाहता, केन्द्र है, केन्द्र का दायरा है, प्रदेशों की सरकारें चल रही हैं। इस सदन का कोई सदस्य नहीं चाहेगा क्योंकि इस सदन में जो भी सदस्य बैठे हैं, अगर केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है तो प्रदेशों में हर किसी न किसी दल की सरकारें है और इसलिए डबल स्टेंडर्ड गृह मंत्री के लिए भी नहीं हो सकता और हम लोगों के लिए भी नहीं होना चाहिए लेकिन यह डबल स्टेंडर्ड हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि मामला किस प्रतिक्रिया से उठाया जाए । मान लीजिए मामला गंभीर है तो क्या उसके लिए प्रश्न-काल स्थगित करना जरूरी है ? क्या बात 12 बजे नहीं उठ सकती और 12 बजे अगर बात उठ सकती है और बात में दम है, बात सारे सदन का ध्यान खींचती है तो कांग्रेस के इतने सदस्य खड़े हो जाएं और कभी हम खड़े हो जाते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है खड़े होने में और फर्क है भी । लेकिन फर्क होना चाहिये । क्या एक सदस्य खड़ा हो जाए और आप उसको मौका दें, वह अपनी बात कहे और उस पर चर्चा हो, जैसे कि आप चर्चा चलाना चाहते हैं, मैं यह देख रहा हूं आपने एक अच्छी प्रक्रिया शुरू की है । मगर आरम्भ में तो हंगामा हो जाता है । मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच समझ कर ज़रा हंगामा हो जाने देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं रोक नहीं सकता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ताकि भड़ास निकल जाएगी, फिर लोग स्वयं शांत हो जायेंगे, फिर पटरी पर आ जायेंगे । अगर इतनी दूरदर्शिता है तो फिर मैं कुछ कहना नहीं चाहता ।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, दूसरा दृश्य क्यों दिखायी देता है । क्या मामलों को उठाने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग एकमत नहीं हो सकते ? मैं जानता हूं इस बात के लिए मेरे दल को भी मनाना मुश्किल है । कोई सवेरे 11 बजे आते ही बोल दे, मामला बहुत गम्भीर है, प्रश्न काल स्थगित कर दो, मामला गम्भीर हो या न हो, मगर बहस इतनी लम्बी चलेगी कि प्रश्न चले जायेंगे और जितने मंत्री हैं, जिनके उस दिन सवाल होते हैं, बड़े आराम की सांस लेंगे । प्रश्नों का सामना करना सदन में एक परीक्षा है । अब जो मामला उठाए वह 12 बजे उठाए, एक-एक कर के उठाए । अध्यक्ष महोदय, इसको आप कुछ नियमित कीजिए । स्टैण्डर्ड हम सबके लिए होना चाहिए । अभी हमारे आडवाणी जी सरकार पर आरोप लगा रहे थे उनका डबल-स्टैण्डर्ड है । मुझे तो कभी-कभी लगता है कि उनका कोई स्टैण्डर्ड ही नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है । मैंने भी विनम्रतापूर्वक इस मुद्दे को जब कभी भी ऐसे प्रश्न इस सभा में किये गए हैं, तब उठाया है । हम यह कहते रहे हैं कि जिन मामलों का निपटारा राज्य विधान सभाओं द्वारा किया जाना है, अथवा राज्य सरकारों द्वारा, जो संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध हैं उसे मद्दे नजर रखते हुए जहां भी शक्ति एवं कृत्यों साथ केन्द्र एवं राज्यों के विभिन्न सरकारों के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है, उन मामलों में इस सभा को विधान सभा के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये और राज्य सरकारों के अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिये ।

जहां तक कुछ मुद्दों का संबंध है हम सभी और सदस्यगण उससे चिंतित हुए । अतः उन पर अन्यत्र कहीं भी अच्छी तरह से चर्चा हो सकती है और निर्णय लिये जा सकते है लेकिन उस मुद्दों को यहां उठाए जाने से नहीं बचा जा सकता है । और जब ऐसे मुद्दे जो अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और आदिवासियों आदि के मुद्दों को उठाया गया है, तो उनकी अनदेखी केवल इसलिये नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे देश के इन लोगों के कल्याण से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा है । न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव का मामला ले, स्पष्ट रूप मे टकराव का आरोप है जिसकी जानकारी हमें नहीं है । राज्यपाल अपनी बात समाचार पत्रों में छपवा देते हैं । यह अत्यंत विचित्र बात है । यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कोई टकराव है भी तो राज्यपाल ने संवाददाताओं को कैसे बुला लिया, उस संबंध में एक समाचार पत्र विशेष को बुलाकर साक्षात्कार दे दिया ? क्या उन्होंने प्रेस में जाने के संबंध में

गृह मंत्री या विधि मंत्री से अनुमति ली थी ? यहाँ यह और भी बेचैन करने वाली बात है । चूंकि · · · की अनुपस्थिति में हम बैठने का निर्णय नहीं ले सकते · · ·(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने गृह मंत्री से अनुमति क्यों मांगी ? · · · **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : किससे अनुमति उन्हें लेना है मैं यह नहीं जानता । यह उनका कार्य नही है । वह भारत के राष्ट्रपति को सूचित कर सकते हैं । निर्णय करना राष्ट्रपति पर निर्भर है कि वह क्या कदम उठाने का निर्णय लेते हैं । राज्यपाल जो एक समाचार पत्र वाले को बुलवाया और प्रेस को साक्षात्कार दे दिया चाहे गृह मंत्री की अनुमति मिली हो या नहीं यह मुझे नहीं पता है । वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ? · · ·**(व्यवधान)**

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा) : राज्यपाल के कृत्यों पर यहां चर्चा नहीं हो सकती · · · **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल का कहना ठीक है । हम यहां न्यायपालिका पर चर्चा करने के लिये नहीं आए हैं । लेकिन हम राज्यपाल पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां क्या हो रहा है ? सभी माननीय सदस्य उस पर ही चर्चा कर रहे हैं । राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर वे मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्य मंत्री के कृत्यों पर चर्चा कर रहे हैं । आप कैसे इसकी अनदेखी कर सकते हैं । मेरा यह कहना है कि दोहरा मानदंड नहीं अपनाया जाना चाहिये । यह एक ऐसा मामला है, जिससे बचना चाहिये । जब तक कि यह ऐसा मामला नहीं हो जाता जो इस देश के कमजोर वर्ग से जुड़ा है—यह एक ऐसा मामला जिसमें हम किसी भी तरह न पड़े—स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि एक उचित प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिये । लेकिन अनुमति नहीं देने का कोई प्रयास किया गया और इसे शुरू में ही दबा दिया गया तो ऐसे मुद्दों को उठाने अथवा इन पर कोई प्रारम्भिक चर्चा शुरू करने से केवल परेशानियां ही पैदा होंगी । आप कुछ देर के लिये इस गड़बड़ी की अनुमति दे सकते ताकि सदस्य थक जाएं, जैसा कि श्री वाजपेयीजी ने सुझाव दिया हैं । मैं नहीं जानता लेकिन प्रक्रियाएं निर्धारित हैं । यदि आपने कुछ मामलों की अनुमति दी है तो या तो आप सभी मामलों की अनुमति दें, अथवा किसी भी मामले की अनुमति न दें । अतः आपको उस सिद्धांत का पालन करना होगा और मैं इस मुद्दे की गहत्ता को देखते हुए ऐसा कह रहा हूं । कृपया इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दें । लेकिन, साधारणतया ऐसे मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । हमारा यह कहना है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्दपारा) : अध्यक्ष जी, सवाल प्रोसीजर के बारे में है । इस तरीके से अहम सवाल लगता है कि केन्द्र के दायरे में नहीं है । उसके बारे में आप हम लोगों की राय ले सकते हैं । इस सवाल के बारे में श्री चन्द्रशेखर जी और श्री सोमनाथ जी ने ज़िक्र किया है । आपकी दिक्कत मैं समझ सकता हूं । असल में लॉ एंड आर्डर सिचुएशन के बारे में मैं जानता हूं । राज्य में एपीडेमिक होने पर सदन में चर्चा हुई है । मैं यह मानकर चलता हूं कि यह आपके लिए नाज़ुक सवाल है । · · · **(व्यवधान)** जिस सवाल का हम खुलासा नहीं कर रहे हैं, साही जी जो सवाल उठाना चाहती हैं तो यह गंभीर सवाल है । चव्हाण साहब सुन रहे हैं । यह सवाल अखबार में निकला है । आपके लिए दिक्कत है कि कोई मैम्बर दो-चार दिन पहले · · · **(व्यवधान)** और प्रोसीजर में विधान है कि इस चीज को उठाना चाहिए, यह दुरूस्त है । गृह मंत्री जी के पास सुबह सात-आठ बजे या उससे पहले यह सूचना आई होगी कि किस तरीके का सवाल कहां है । कुछ

लोग कह रहे थे कि सेन्ट्रल हॉल में बैठकर गवर्नर ने इस तरह की बात कही है, मैं नहीं जानता हूं । पार्टिज़न पोलिटिक्स में किसी गवर्नर को हिस्सा नहीं लेना चाहिए । · · · (व्यवधान) नागालैंड के गवर्नर श्री थामस ने संविधान के तहत काम किया और बाद में उनको निकाल दिया गया । पार्टिज़न पोलिटिक्स में जो हिस्सा लेते हैं तो केन्द्र सरकार उनके साथ ज्यादा प्यार करती है । क्या यह गृह मंत्री का कर्तव्य नहीं है कि आपके सामने इस तरह का सवाल आनेवाला था तो एक मिनट में आपकी अनुमति लेकर सो-मोटो बयान दे सकते है । · · · (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि यह प्रक्रिया नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : · · · (व्यवधान) दोनों तरफ लोगों में रोष है । उस रोष को रिफ्यूज करने के लिए एक इशारा हो सकता है । मैं इतना ही कह रहा हूं कि मंत्री जी को ग्यारह बजे से पहले आपको मिल लेना चाहिए और उसके बाद रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत अनुमति देते तो आज इस तरह की बात सदन में नहीं आती ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकुल वासनिक

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके उस विचार से सहमत हूं जिसे आपने अभी व्यक्त किया । · · · (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है · · ·

(व्यवधान) *

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके उस विचार से सहमत हूं जिसमें आपने कहा है कि किसी को भी इस सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये । · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा है कि किसी भी मुद्दे को न उठाया जाए ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : जो मुद्दे देश की प्रमुख समस्याओं के लिये बाद में समस्याएं खड़ी कर सकती है, और इस प्रक्रिया में हम इस सभा के साथ सहयोग करने का प्रयास करेंगे, हर संभव तरीके से अध्यक्ष पीठ की सहायता करेंगे । लेकिन मुझे आडवाणी जी का यह कथन याद है जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति अत्यंत गंभीर है और उस सभा को उसे गंभीरता से लेनी चाहिये और सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये । यह दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया है · · · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मुझे सभी सदस्य प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा । बिना सूचित किये आप ऐसा न करें ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : दुसरी, यह समस्या आज हमारे सामने इसलिये आई है क्यों देश के इतिहास में पहली बार ऐसी रिपोर्ट प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई है और हम प्रेस में नहीं जा रहे हैं ।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

सभापति जो भी निर्णय लेंगे हम उसका पालन करेंगे । परन्तु यह समस्या पहली बार खड़ी हुई है क्योंकि देश के इतिहास मे प्रेस में जो रिपोर्ट आई है उसकी राज्यपाल ने पुष्टि की है । मैं आप से केवल यह आग्रह करना चाहूंगा कि जब इस तरह के मामले आप के पास आयें हो आप उन्हें बहुत गंभीरता से लें । जब राज्यपालों पर आरोप लगाए जाएं तो उन्हें गंभीरता से लिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यही बात है ।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के कार्यकरण के बारे में हमारे समक्ष बहुत महत्व का मुद्दा है और वास्तव में यह मुद्दा हमारे संविधान के कार्यकरण के बारे में है । मैं आप से सहमत हूं कि हमें ऐसे मुद्दों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे बचना चाहिए, जो राष्ट्रीय मामलों को जटिल बनाते हैं, तो भी मैं यह नहीं समझता हूं कि हमें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम यहां बैठ कर उन मुद्दों के बारे में मूल नियम बनाएं जो यहां पर उठाए जा सकते हैं और कौन से नहीं । मैं अटल जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस तरह के किन्ही भी मामलों पर दोहरे मानदण्ड न हों ।

मुझे याद है कि मैंने करीब तीस वर्षों से दर्शक दीर्घा से इस सदन की कार्यवाही देखी है । मुझे पंडित जी के समय के वह दिन याद हैं जब राज्यों में कानून और व्यवस्था का कोई भी मुद्दा कभी भी सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी गई और जब कभी कोई मुद्दा उठाया भी गया हो उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राज्य सरकार से संबंधित है । यह राज्य का विषय है और इसे यहां पर उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । फिर भी मैं केवल वह बता रहा हूं जो होता था । मैं इस विशेष मामले में एक अनुरोध करूंगा । बिहार का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है । यह संविधान के कार्यकरण से संबंधित है और मैं यह भी समझता हूं कि केंद्र की यह जिम्मेदारी है कि वह संविधान को बरकरार रखे, सभी राज्यों में संविधान के अनुसार कार्य हो । इसीलिए अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की और राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की शक्तियां दी गई हैं ।

1.00 म० प०

हम सबको संविधान को बरकरार रखना चाहिए, जब कभी दो संस्थानों के बीच विवाद होता है, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह केंद्र की जिम्मेदारी है और मैं समझता केंद्र को संविधान को बरकरार रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए । यह मेरा आग्रह है । . . . **(व्यवधान)** . . .

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले तो मैं यहां के सारे ज्येष्ठ सदस्यों का, जो उन्होंने राय व्यक्त की है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारे जो कनिष्ठ सदस्य हैं और चुपचाप बैठकर मदद कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं । मैं सिर्फ एक बात आपके सामने लाना चाहता था कि आपने देखा होगा कि किसी भी विषय पर यहां चर्चा होने से रोका नहीं गया है मगर कुछ ऐसे विषय होते है जिनको हम दूसरी पद्धति से लेते तो शायद उस पर हम इससे भी अच्छे ढंग से यहां पर चर्चा करते । अब समझें कि यही विषय है और यदि इसका नोटिस दिया जाता, बिजनैस एडवायज़री कमेटी में हम सारे नेताओं को बुलाते और उनकी राय ले लेते, 193 के नीचे उसको फिक्स करते, गवर्नमेंट की तरफ से मालूमात करते, उसको आपके सामने रखते तो सब लोग अगर चाहते कि इस पर चर्चा होनी चाहिये तो उस पर चर्चा हो सकती थी मगर हम ऐसा नहीं करेंगे । यदि इसमें जो गंभीर विषय हैं, वे ऐन वक्त पर यहां पर उठायेंगे तो

उससे न किसी पार्टी को, न किसी व्यक्ति को, न देश को और न संविधान को कोई मदद होने वाली है । तो यह विषय आपके सामने रखा और मैं समझता हूं कि इस पर अच्छे ढंग से चर्चा हो तो रुकना नहीं चाहिये मगर वह अच्छे ढंग से करनी चाहिये । किस ढंग से करनी चाहिये, उसमें अगर आप लोगों की मदद मिले तो हम जरूर उस पर चर्चा करवा सकते हैं और अच्छे ढंग से कर सकते हैं ।

आज का जो विषय है, मैं इसमें आपको चर्चा के लिए अलाऊ कर रहा हूं मगर मैं दो-तीन बातें बताना चाहता हूं कि इसमें आपको किसी जज के खिलाफ, किसी गवर्नर के खिलाफ नहीं बोलना होगा । इसके बाद जो चर्चा करना चाहे, आप कर सकते हैं । अब आप बोलेंगे कि ऐसी चर्चा कैसी कर सकते हैं तो हाऊस में बैठकर चर्चा कर सकते हैं । . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कि खाली बिहार की सरकार के खिलाफ हम बोल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम पॉलिटिशियन्स तो क्रिटिसिज़्म के लिए हमेशा खुले ही रहते हैं . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह भी कह रहा हूं कि बिहार सरकार में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उनका कहना-सुनना हमारे लिए बराबर जरूरी है और इसीलिए अगर कोई बात कहना है, या कुछ और कहना तो उसे उस प्रकार से कहें न कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का विरोध कर रही है, यह बात भी अच्छी नहीं रहेगी और यह बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जायेगा । इसीलिए इस ऑवर में ऐसी चर्चा नहीं निकले तो ठीक है । हम कहते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्ली नोटिस दिया होता तो उसकी चर्चा करवाते . . . .

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो अभी पद्धति बतायी है, उस पर विचार होना चाहिये । श्री मुकुल वासनिक ने जो बात कही, अगर उन्होंने उस दिन ध्यान दिया होगा तो मैंने यह कहा कि जो बात हमने सुनी है और जिसकी चर्चा राज्य सभा में कल हुई, वह अगर सही है तो बहुत गंभीर है और मैंने इससे आगे जाकर यह भी कहा कि संविधान में जो यह व्यवस्था है कि कहीं संवैधानिक व्यवस्था टूट जाय तो मैं उसे टूट नहीं मानता हूं । अगर वास्तव में वह बात सही है लेकिन सही है कि नहीं है, मैं नहीं जानता । अगर सही नहीं है तो जिसने इसको प्रसारित किया है वह बहुत बड़ा दोषी है । मैंने यहां कहा है और इसीलिए कहा कि इस बात की जरूरत है कि इस पर चर्चा हो लेकिन उसके पहले सरकार के पास जो जानकारी है, वह अधिकृत रूप से हमें दें और केवल मात्र अखबारों के आधार पर चर्चा न हो ।

अध्यक्ष जी, आपने जो अभी व्यवस्था दी, उसी प्रक्रिया से चर्चा शुरू होने वाली होती तो वह एक प्रकार से अखबारों के आधार पर चर्चा शुरू हो जाती । मैंने दो दिनों से इनका वर्सन भी सुना, जनता दल के लोगों का वर्सन भी सुना । और सरकार को जो जानकारी है उसका भी वर्सन सुनो, लेकिन जब तक अधिकृत रूप से सरकार की ओर से इस विषय में और खासकर गवर्नर के वक्तव्य के बाद आज सरकार इस स्थिति में है कि अधिकृत रूप से यहां वक्तव्य दे, उसके बाद चर्चा हो, यह उपयुक्त होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इस मत का हूं कि मैंने जो कहा कि गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ न बोलें और न चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोले । यह भी इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका भी उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा । इसलिए आप बोलेंगे कि हम एक-एक के खिलाफ बोलेंगे, दूसरे गवर्नर को

ठिकाने कर देंगे, तो इससे भी कांफ्लीकेशंस बहुत हो जाएंगी, इसलिए जो उठाना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर उठाना चाहेंगे तो आपकी सारी बातों को रोकते-रोकते मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। आपको इस तथ्य पर विचार करना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, एक मिनट। इतनी चर्चा के बाद भी आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप चर्चा के लिए तैयार हैं?

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : पहले सरकार वक्तव्य दे। . . . (व्यवधान) . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक दूसरे के विरुद्ध प्रश्न उठाने का मामला नहीं है। यह केवल किसी दल या सरकार की आलोचना करने का प्रश्न नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसे आपको राष्ट्रीय हित में लेना चाहिए, उन संस्थानों के हित में लेना चाहिए जो संविधान के अन्तर्गत हैं। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता हूं, मैं इसके लिए इन्कार नहीं करूंगा, परन्तु आप जानते हैं कि इसमें अनेक बाधाएं हैं। आप बहुत सी बातें कहेंगे जोकि आपत्तिजनक होंगी और सभी सदस्य कहेंगे कि यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आपने जो कहा है, आप इसके लिए बी०ए०सी० की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? देखिए, अब कन्फ्यूजन जादा हो रहा है। आप पूरे हाउस की राय लेना चाहते हैं। पूरा हाउस कैसे राज़ी होगा?

[अनुवाद]

कृपया कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाएं जैसा कि आपने एक सुझाव दिया है इस मामले को वहां पर प्रस्तुत होने दो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पहले ही कर लिया है, मैंने सभी दलों के नेताओं को आमन्त्रित किया है। मुझे खेद है कि केवल कुछ नेता आ पाएंगे और कुछ नहीं आ पाएंगे मैंने यह पहले ही कर लिया है और मैंने इस मामले पर नेताओं की बैठक में विचार कर लिया है। मैं इस पर दूसरों के साथ भी चर्चा करना चाहता हूं। यह पहले ही किया जा चुका है।

श्री चन्द्रजीत यादव : निर्णय को कार्यान्वित करें।

अध्यक्ष महोदय : उनका निर्णय भी कुछ इसी तरह का है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनसे हम विमुख नहीं रह सकते हैं उन्हें चर्चा से अलग नहीं रखा जा सकता है। परन्तु इसमें जटिलताएं भी हैं। मैं दोनों विचारों को समझ सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका मामला बहुत गंभीर है। मैं इसके प्रति सचेत हूं। मैं आपको अनुमति

दूंगा परन्तु हर समय खड़े मत होइए।

श्री शोभनाद्रीश्वरराव वाड्डे (विजयवाड़ा): महोदय, मैंने दूसरे मामले पर नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: डिस्कशन होगा, लेकिन नियम से।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत संतुलित रूप से यहां पर इस सदन को चर्चा करने का अधिकार दिया है, उसको भी ध्यान में रखा और साथ ही जो विभिन्न हमारी जनतंत्र की संस्थाएं हैं, उनका एक दूसरे से जो सूक्ष्म संबंध है उनके बैलेंस पर भी आपने ध्यान दिया और मैं मानता हूं कि ऐसे मामले में एक कठिन फैसला आपके सामने होता है। आपने दोनों को निगाह में रखकर एक चीज़ हम लोगों के सामने रखी। चूंकि आपने स्वयं कहा कि इसके कई पक्ष हो सकते हैं और चर्चा से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो शायद बहुत अच्छी न हों, इसलिए यह अच्छा होता कि तथ्यों को प्राप्त करके गृह मंत्री कोई चीज़ लाते, तो उसमें एक अवसर प्राप्त होगा मुख्य मंत्री को, वहां की सरकार को। उसके ऊपर गंभीर रूप से चर्चा हो। मान्यवर, यह तो तिपहिया था—मुख्य मंत्री, गवर्नर और चीफ़ जस्टिस। दो पहिये तो अपने पहले ही पंक्चर कर दिये अब कैसे स्टीयरिंग को घुमायेंगे। पटरी पर अगर कोई पंक्चर करके पहिये को चलायेंगे तो वह कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिये बेहतर यह है कि बजाए उसको यों ही शुरू करके, गाड़ी को इधर उधर चलाने की कोशिश करें तो वह अपने पथ से हट सकती है, गम्भीरता के साथ सब चीजों को प्राप्त करके, तथ्यों को प्राप्त करके आगे बढ़े तो उससे साफ बात हो सकती है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): अध्यक्ष जी, आडवाणी जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अभी जो सुझाव दिया, गृह मंत्री जी को क्या कठिनाई है उस पर वक्तव्य देने में।

अध्यक्ष महोदय: नहीं नहीं।

श्री चन्द्र शेखर: उस पर वक्तव्य देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। ऐसा नहीं है कि वे कोई अन्तिम सत्य कहेंगे लेकिन जो उनको जानकारी हो, वह जानकारी उन्हें सदन के सामने देनी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: सरकार ने पहले ही कहा है कि वे सदन के सामने स्टेटमैंट करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण: महोदय, मैं संभवतः उस जानकारी को प्रकट नहीं कर सकता हूं जो कि सरकार के पास है। ऐसा करना जनहित में नहीं है। मुझे दो या तीन स्रोतों से जानकारी मिली है, परन्तु मेरे पास राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी नहीं है। यदि अध्यक्ष महोदय इस पर चर्चा की अनुमति देते हैं तो मुझे यह राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी। शून्य काल का उपयोग इस तरह के किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः यह आप पर निर्भर है कि आप निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय: मैं दुविधा में हूं। यदि मैं चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं तो लोग यह कहेंगे कि मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं और यदि मैं चर्चा की अनुमति देता हूं तो यह आपत्ति हो सकती है कि यह

संस्थानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है । चूंकि सभी सदस्य जिम्मेदारना ढंग से बोल चुके हैं और मैं समझता हूं कि हम कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, यदि यह जानकारी माननीय मंत्री के पास है इस पर · ·

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं भी आप नेताओं की एक बार फिर बैठक बुलाने का अनुरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारा उत्साह बढाना चाहिए ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, संस्थानों पर केवल चर्चा करने से बहुत अधिक बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है । जो रिपोर्टें आ रही है वह भी संस्थानों पर प्रभाव डाल सकती हैं, उससे उनकी प्रतिष्ठा और साख पर प्रभाव पड़ सकता है । अत: केवल चर्चा न कराना ही इन संस्थानों को बचाने का कोई तरीका नहीं है परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर जोर क्यों नहीं देती है और खुशी क्यों महसूस नहीं करती है जबकि हमारे पक्ष के लोग भी उसी मुद्दे को उठाते है । सरकार केवल अपने पक्ष के लोगों को ही यह मुद्दा उठाने की अनुमति देती है । सरकार इस पर सदन में वक्तव्य देने पर क्यों झिझक रही है जिसके आधार पर समुचित चर्चा की जा सके । अब मैंने और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री मुकुल वासनिक ने एक मांग की है कि इस मुद्दे पर चर्चा से पहले एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि वह भी यह काम करने के इच्छुक हैं बशर्ते कि आप उन्हें ऐसा करने की सलाह दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष के आसन पर बैठा हूं लेकिन मैं बहुत कनिष्ठ सदस्य हूं । इसके बजाय मैं अपने कक्ष में सभी वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना चाहूंगा और तत्पश्चात हम इस पर चर्चा करेंगे । महोदया, क्या मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तब तक इसे न उठाएं ?

(व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के उत्पाद शुल्क आयुक्त को पंजाब के उग्रवादियों ने कल उस समय गोली मार दी जब वह अपने कार्यालय जा रहे थे । उनका वाहन चालक और अंगरक्षक भी घायल हो गये । कार पर गोलियों की बौछार की गई । उनका घायल कार चालक उन्हें अस्पताल ले गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया इससे पहले जब शराब की नीलामी की जा रही थी, तो उस समय भी उन्हें मार डालने की धमकी दी गई थी और उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की गई थी । परन्तु नीलामी समाप्त होने के बाद सुरक्षा कर्मियों को वापस ले लिया गया था । खैर मैं उन्हे बहुत अच्छी तरह से जानता था । वह उड़ीसा के रहने वाले थे और वह मेरे बहुत पुराने मित्र श्री त्रिलोचन मिश्र के पुत्र थे ।

महोदय, वह एक नौजवान और कर्मठ अधिकारी थे और उनमें जिम्मेदारी की भावना भरी हुई थी । वह अपने कर्तव्य और सरकार के प्रति जीवन पर्यन्त वफादार रहे ।

अब मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार को उनके परिवार और उनके वृद्ध माता-पिता को पर्याप्त मुआवजा देने का प्रस्ताव करना चाहिए । मेरी आप से यही मांग है । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने लिखित में कुछ भी नहीं दिया है । मुझे मालूम नहीं है कि आप कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं ।

1.16 म०प०

बोफोर्स मामले के बारे में

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी विवाद की बात यहां पर नहीं रख रहा हूं । इस सदन में 23 अप्रैल को प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था । वह वक्तव्य उस संदर्भ में आया था जब 22 अप्रैल को अखबार में एक खबर छपी थी । बोफोर्स के मामले को लेकर और प्रधान मंत्री उस दिन सदन में नहीं आ पाए थे और 23 तारीख को उनके यहां आने का आपकी तरफ से या सरकारी पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ था । उनके सदन में आने के पहले, मैंने दिनांक 22 को उनको एक लम्बी चिट्ठी लिखी थी और जो बहस इस सदन में 23 तारीख को हुई उसके दरम्यान प्रधान मंत्री ने कहा कि जो मेरा पत्र है, उसको उन्होंने जॉर्जियन क्रिश्चियन्स करके कहा था, उसका जवाब देने का तो मैं काम करूंगा, लेकिन उनका यह जो वक्तव्य था वह केवल मेरे पत्र तक ही सीमित नहीं था उसमें वे यह भी बोले थे कि जो प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, उनके जवाब भेजने का काम तो मैं करूंगा, मुझे कल सुबह साढ़े सात बजे प्रधान मंत्री का पत्र मिला है, अध्यक्ष जी, जिसमें . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, देखिए . . .

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा नहीं है, . . . (व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : बोफोर्स पर कितनी बार चर्चा की जाएगी ? हम यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय से जानना चाहते हैं । ऐसा नहीं हो सकता है ।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : जब तक जरूरत होगी, तब तक बहस होगी ।

अध्यक्ष जी, 23 तारीख को भी मेरे साथ यही हुआ था । मेरे 10 मिनिट के वक्तव्य को देने के लिए एक घंटा दस मिनिट लगा था । अध्यक्ष जी सवाल मेरा नहीं है । आप मेरी बात तो सुन लीजिए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ नियमों के तहत बात करनी चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मैं कौन से नियम के अन्तर्गत आऊं ?

अध्यक्ष महोदय : आप बताईए ।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : मैं आपको बताता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाल मेरा नहीं है । प्रधान मंत्री जी ने सदन में जो वक्तव्य दिया था,

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर बहुत हैवी चर्चा हुई है जॉर्ज साहब । 5-6 दफा चर्चा हुई है । पार्लियामेंटी अफैयर्स के मिनिस्टर बताएंगे कितनी दफा चर्चा हुई है । आप बोल सकते हैं ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): क्या आप एक क्षण के लिए चुप रहेंगे ?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: मैं इस समय नहीं बोल रहा हूं ।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं भी नहीं रूक रहा हूं । आप इस सत्र के दौरान आठवीं बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: आप सत्य को दबाना चाहते हो । कैसे दबा सकते हो ।

[अनुवाद]

श्री अच्युतदेव आचार्य (बांकुरा): हमें इस पर विचार करना होगा । आपने पिछले सप्ताह क्या कहा था ? आपने आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री सात दिन के भीतर जानकारी देंगे । . . . **(व्यवधान)**

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): मुझे खेद है कि संसदीय कार्य मंत्री ने इस तरह से इसमें हस्तक्षेप किया और उग्र होकर कहा कि "मैं भी चुप नहीं रहूंगा ।" कुछ भी हो जब मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नान्डीज कुछ कहने के लिए उठे तो वह अध्यक्षपीठ की अनुमति से उठे थे । यह स्थापित प्रथा है कि जब वह बोलते हैं तो कोई भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है । परन्तु यदि वह चुप नहीं रहते हैं तो दूसरा सदस्य यह नहीं कह सकता है कि "मैं चुप नहीं रहूंगा ।" जब संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा है । . . .

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम नहीं है कि वह क्या मुद्दा उठाने जा रहे थे । मुझे आश्चर्य हुआ ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): परन्तु आपने उन्हें कुछ आग्रह करने की अनुमति दी है । मैं आप से और सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस विशेष मामले में प्रधान मंत्री ने सदन से कहा है कि जहां तक वाद-विवाद के दौरान उठाए गए विस्तृत प्रश्नों का संबंध है वह उनका जवाब देंगे चाहे वे प्रश्न श्री जॉर्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाए गए हों या किसी अन्य सदस्य के द्वारा उठाए गए हों ।

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है । उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): श्री जसवन्त सिंह को भी उत्तर मिल गया है । उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर ध्यान देना उचित होगा, उन्होंने कहा कि इस समय मेरे पास सभी ब्यौरे उपलब्ध नहीं है । मेरे पास जो कुछ भी उपलब्ध है मैं वह सब सदन के समक्ष रख रहा हूं ।

अन्य जो उपलब्ध नहीं है मैं उसके बारे में फाइलें देखूंगा और उत्तर दूंगा ।

मेरा यह कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि क्या यह मुद्दा सिर्फ प्रधान मंत्री और श्री जॉर्ज फर्नान्डीज तथा श्री जसवंत सिंह के बीच का है ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके लिये सही रास्ता ढूंढा जा सकता है लेकिन बात यह है कि बहस के दौरान जो प्रश्न उठाया गया था, वह इन दो पत्रों के प्रकाश में आने के बाद भी अभी तक अनुत्तरित है, इसलिये सरकार को स्वयं ही ऐसे अवसर की तलाश करनी चाहिए जिसमें ये सारी भ्रांतियां दूर की जा सके और इन सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल सके । कृपया इस सदन के दरवाजे बन्द करने की कोशिश न करें । कृपया ऐसा न करें ऐसा करना आपके हित में नहीं है । इसलिये, मैं चाहूंगा कि आप श्री जार्ज फर्नान्डीज और मेरे अन्य साथियों जो इस पर बोलना चाहते हों, को भी अनुमति दें और उसके लिये समय निर्धारित करें । . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में बहस हुई थी । यह निर्णय किया गया था कि इस पर सदन में बहस होगी । नियम 193 के अन्तर्गत इस पर बहस की गई । मैं समझता हूं कि इस पर सात या आठ घंटे की बहस हो चुकी है ।

इसे शून्य काल के दौरान भी उठाया गया ।

इस पर फिर दो-तीन घंटे की बहस हुई । इसके बाद फिर इसे शून्य काल में उठाया गया । फिर इस पर बहस हुई ।

उसके बाद फिर, इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया । इस पर फिर से बहस करने की कोशिश की गई ।

वह पत्र मौजूद है । आप फिर से उस पर बहस करने की कोशिश कर रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं ? आपको प्रतीक्षा करनी चाहिये थी । आप इस कार्य को एक ही समय में कर सकते हैं । आप इस पर एक साथ कई घंटे बहस कर सकते हैं । लेकिन आप तो इस मुद्दे को प्रति दिन उठा रहे हैं ।

मान लीजिए आप कोई पत्र प्रस्तुत करते हैं और प्रधान मंत्री उसका उत्तर भी देते हैं । आप कहते हैं कि इसका उत्तर नहीं मिला, आप तो उत्तर चाहते हैं । फिर से इसका उत्तर दे दिया जाता है । तो उसके बाद आप इसका और मतलब निकालते हैं । इस तरह से कैसे चल सकता है ?

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । मैंने जो पत्र दिया था वह कोई निजी बहस का विषय नहीं था । मैंने उसमें लिखा था :

[अनुवाद]

मैं निम्नलिखित प्रश्नों की सूची इस अनुरोध के साथ भेज रहा हूं कि आप इनका उत्तर अपने वक्तव्य जो कि आप सदन में कल देने वाले हैं, के साथ देंगे ।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी ने उस दिन बहस को खत्म कर दिया ।

[अनुवाद]

वह इसे बहस के लिए रखनेवाले थे ।

[हिन्दी]

उनका यह कहना रहा कि प्रश्नों के जवाब वे फाइल देखकर बाद में देने का काम करेंगे । अब जो उत्तर आया है उसमें हमारे द्वारा उठाए गए सवाल, जिसका जवाब देने का प्रधान मंत्री का वचन है, वह वचन यदि पूरा नहीं होता है तो फिर मैं कहां जाऊं । . . . (व्यवधान) मैं फिर इस प्रश्न को कहां छेड़ूं । . . . (व्यवधान) बात को किस तरह से छेड़ा जाए आप मुझे बताइए । . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आठ घंटे चर्चा की संधि दी ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : हर, इस मुद्दे पर अनेकों बार बहस कर चुके हैं । आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस पर अनेकों बार बहस हो चुकी है । हमें मालूम है कि कोई भी उत्तर उन लोगों को पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर पायेगा । इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता है । अगर हम राज्य स्तर की संस्थाओं के प्रति चिन्तित हैं तो क्या हम केन्द्र की संस्थाओं के प्रति चिंतित नहीं हो सकते ? इस मुद्दे को सिर्फ प्रधान मंत्री की छवि धूमिल करने की खातिर उठाया जा रहा है । प्रधान मंत्री जवाब भी देंगे तो भी वे लोग कभी संतुष्ट नहीं हो पायेंगे । विपक्ष को इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी । वे तो तभी संतुष्ट होंगे जब कांग्रेस सत्ता के बाहर हो जायेगी और उन्हें वह संतुष्टि प्रदान करने को हम तैयार नहीं हैं ।

श्री निर्मल कान्त चटर्जी (दमदम) : हम किसी की छवि धूमिल नहीं करना चाहते, इसलिये हम चाहते हैं कि पत्रादि सभा-पटल पर रखे जायें ।

श्री प्रफुल्ल पटेल (भंडारा) : वे उस समय में क्या करते हैं ?

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : इसका पर्दाफाश करना इनका सपना था । श्री राजीव गांधी की छवि धूमिल करना भी इनका सपना था । वे उनकी छवि तो धूमिल नहीं कर सके और वे अब श्री पी० वी० नरसिंहराव की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं । इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती .... लगातार ऐसा हो रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हमें श्री जसवंत सिंह को सुनना चाहिए । (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : महोदय, मैं सोचता हूं कि इसमें दो या तीन वैध मुद्दे हैं । इनमें कुछ वैधता है । यह सही है कि हम इन पर पहले बहस कर चुके हैं । लेकिन इन बातों का उत्तर तो दिया ही जाना चाहिए । उन्हें मुझे बोलने की अनुमति देनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : यह लगातार हो रहा है । हम तो किसी भी प्रकार की बहस से डरे नहीं हैं । श्री जसवंत सिंह ने ही उस दिन कहा था कि वे राहत महसूस कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री उस मामले में शामिल नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं केवल दो मिनट लूंगा । (व्यवधान)

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : वे जो भी कह रहे हैं, वह बिल्कुल ही गलत है ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : हमने एक नोटिस दिया है । (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, उस दिन जब प्रधान मंत्री ने अपने बयान में यह कहा कि वे इसमें शामिल नहीं हैं, तो भी जसवंत सिंह ने उस पर संतोष व्यक्त किया था । उन्होंने कहा था कि प्रधान मंत्री के उस प्रकरण में शामिल नहीं होने से उन्हें राहत मिली है । परन्तु प्रतिदिन वे कुछ न कुछ नई बात ले आते हैं । **(व्यवधान)**

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : हम उन्हें बोफोर्स मामला उठाने की अनुमति नहीं देंगे । हम कोई अन्य मामला उठाना चाहते हैं । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (आढ़) : आपके उपदेश का कोई असर सत्ता पक्ष पर नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हमने अध्यक्षपीठ के द्वारा व्यक्त किये गये विचार को मद्दे नजर रखते हुए पहले उठाये गये मुद्दे के दौरान संयम बरता था । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह को अब बोलने दें ।

श्री प्रफुल्ल पटेल : उन्हें बोफोर्स मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह को तो कम से कम दो मिनट सुन लें । उन्हें सुने तो सही कि वे क्या कहते हैं । कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह को दो मिनट के लिये सुने ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट तो उनकी बात सुन सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, पहले उन्हें सुन तो ले कि वे क्या कहते हैं । इस तरह से नहीं ।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उठाये गये मुद्दों में से दो तो निश्चय ही उचित मुद्दे हैं । वस्तुत: माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही है और जिसका अध्यक्ष महोदय ने भी अनुमोदन किया है कि इसी सत्र में बोफोर्स मुद्दे पर बहस हो चुकी है । संसदीय कार्य मंत्री ने भी लगभग वही बात कही है कि उस मुद्दे पर हम आठ बार बहस कर चुके हैं । लेकिन उसी के कारण तो फिर से प्रश्न उठ रहे हैं । हमें एक ही मुद्दे पर आठ-आठ बार बहस करने के लिये बाध्य होना पड़ा क्योंकि सत्तापक्ष ने अगर उस मामले को हमेशा के लिये निपटा दिया होता और सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो उस पर दूसरी बार भी बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । हम इसी समय बहस नहीं कर रहे हैं । हम तो आप से मात्र अनुरोध कर रहे हैं । हम इस समय बहस नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे संक्षेप में सिर्फ दो बातों के लिये अनुरोध कर रहे हैं । यहाँ जो बहस हुई थी . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जसवंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बात को दूसरे ही ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं नियम-पुस्तिका में दिए गए प्रावधानों को आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर यह उपबन्ध है। मैं नियम 58 (V) को पढ़ रहा हूँ जिसमें कहा गया है :

"किसी सत्र में जिस बात पर बहस हो चुकी हो, उसी सत्र में उस बात पर दुबारा बहस करने का प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता।"

मैं नियम 186 पढ़ रहा हूँ जिसमें कहा गया है :

"किसी ऐसे मुद्दे पर उसी सत्र में बहस नहीं हो सकती जिस पर उस सत्र में पहले ही बहस हो चुकी हो।"

मैं फिर इसे पढ़ता हूँ इसमें कहा गया है कि किसी ऐसे प्रश्न पर कोई प्रस्ताव उसी सत्र में नहीं लाया जा सकता अगर उसी से मिलते-जुलते प्रश्न पर उसी सत्र में निर्णय दिया जा चुका हो। यह सही है कि यह प्रावधान इस समय लागू नहीं होगा

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : हम तो सिर्फ उत्तर चाहते हैं, बहस नहीं।

अध्यक्ष महोदय : एक नियम में यह भी कहा गया है कि हमारे पास बहस करने के लिये अन्य मुद्दे भी हैं।

श्री जसवंत सिंह : निःसंदेह, महोदय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप बिल्कुल सही हैं। वास्तव में, अध्यक्षपीठ हमेशा सही होता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहूँगा कि अध्यक्षपीठ से सही होने की आशा की जाती है।

श्री जसवंत सिंह : नहीं, महोदय, अध्यक्षपीठ हमेशा ही सही होता है। वह जो भी निर्णय देगा, हमें पूर्ण रूप से स्वीकार्य होगा। मैं तो शून्य-काल के दौरान सिर्फ अनुरोध प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मैं बहस के लिये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो मात्र एक अनुरोध कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने भी कही है। जब आप नियमित रूप से किसी संकल्प का नोटिस देते हैं, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन शून्य-काल में आपको ऐसा करने की अनुमति दी जाती है।

श्री जसवंत सिंह : मैं अध्यक्षपीठ से निवेदन कर रहा हूँ। इसीलिए इसे शून्य-काल कहा जाता है। मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से अध्यक्षपीठ से अनुरोध कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दोनों तरफ से नहीं पकड़ें।

श्री जसवंत सिंह : आपने मुझे अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ चाहता था कि आप कुछ कहें लेकिन इस प्रकार से नहीं।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं केवल निवेदन कर रहा हूँ । मेरा निवेदन यह है कि जब बोफोर्स पर चर्चा हुई थी तब माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ सीधे पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया था । उदाहरण के तौर पर मैंने यह प्रश्न पूछा था । **(व्यवधान)**

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, उन्होंने दो मिनट के लिए कहा था और दो मिनट खत्म हो गये हैं । **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं उदाहरण के लिए . . . **(व्यवधान)**

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, जो लोग स्वयं लिये गये समय के प्रति जवाबदेह नहीं हैं तो हम उन्हें सभा में कही अपनी बात के प्रति कैसे उत्तरदायी मान सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : यह बहुत साधारण-सी बात है । मैं उदाहरण दे रहा था । उदाहरण के लिए मैंने अनुरोध किया था और मुझे याद है कि मैंने माननीय प्रधान मंत्री से ठीक-ठीक यही पूछा था कि क्या आपने 23 तारीख को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक से मुलाकात की थी और प्रधान मंत्री ने कहा था . . . **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, इस पर सहमती नहीं हो सकती है । हमें देखना चाहिए कि क्या वे नोटिस दे सकते हैं तभी हम नियमानुसार इस पर गौर करेंगे । महोदय, इसकी अनुमति नहीं है । **(व्यवधान)** हम इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होने देंगे । हर वक्त हम इस मसले में बाल की खाल उखाड़ते हैं । हम इतिहास बना रहे हैं । लाखों बार कहे झूट से यह सच नहीं होगा । यह तर्क संगत नहीं है । यहाँ तक कि गोबेलस भी इससे शर्मायेगा । अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है कि हम इस पर सहमत नहीं हे । **(व्यवधान)** हम इस पर अनुमति नहीं देने के निर्णय पर दृढ़ हैं । यह नियम है, यह संसद है और इसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन होता है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सभा ने चर्चा समाप्त नहीं की है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा करने के लिए और आपके द्वारा क्रिटीसाइज करने के लिए क्या अपोरच्युनिटी नहीं दी गई ? ऐसा नहीं है, बहुत सारा टाईम दिया गया है । इस पर भी आपका समाधान कुछ नहीं हुआ हो तो उसको बार-बार कैसे लगायेंगे । एन्वायरन्मेंट पालिसी के ऊपर सवाल है . . . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डुंकेल प्रस्ताव के विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं और इसको आप बाजू में रखना चाहते हैं और एक विषय को बार-बार रखना चाहते हैं । इस विषय में चर्चा का टाईम नहीं दिया जाता तो आप शिकायत करते । पांच-छह घंटे चर्चा करने के बाद क्या शिकायत रहेगी ।

. . . . . **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि जो प्रश्न पूछे जायेंगे तो उनका उत्तर माननीय प्रधान मंत्री जी देंगे । सदन में आश्वासन दिया गया था तो उनका उत्तर इन पत्रों के ज़रिए नहीं हो सकता । सदन में उत्तर होना चाहिए, यही निवेदन है । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे माफ कीजिए, मैं बार-बार उठ रहा हूं, लेकिन बाद में नहीं उठूंगा । इस सदन में प्रथा नहीं है कि स्टेटमेंट के बाद प्रश्नों का उत्तर देंगे, वह भी करवाया, ज़ीरो-आवर में उठाया तो वह भी करवाया और 197 के तहत उठाया तो वह भी करवाया । आपने लैटर बाहर दिया तो उसका भी उत्तर दिया गया । क्या उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बिल्कुल उत्तर नहीं दिया है । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम इस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं । **(व्यवधान)** वे इस संसदीय प्रणाली का गलत जानकारी देने के लिए उपयोग कर रहे हैं, झूठ बोलने के लिए उपयोग कर रहे हैं और गोयबल्लस सिद्धान्त को अपनाने के लिए कर रहे है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तीन साल से उत्तर नहीं दे सके, तो मैं क्या करूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर मिला है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं मिला है । सदन को गुमराह करने वाली बातें हैं । सीधा सवाल था, लेकिन उत्तर नहीं मिला मैं कहां जाऊं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : श्री जार्ज फर्नान्डीज और गोयबल्लस के मध्य समरूपता है । इस पर सहमती नहीं हो सकती है । वे क्रमबध्द रूप से गलत जानकारी देने के लिए संसदीय प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं । वे क्या कर रहे हैं ? यहां तक कि गोयबल्लस भी शरमा जायेगे । वे कई बार झूठ बोल रहे हैं ताकि झूठ सच बन जायें । **(व्यवधान)**

यह आश्चर्य की बात है कि कहाँ से वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : मेरा साधारण-सा निवेदन है । मैं दो बातें ही कहना चाहता हूं । जो सदन में कहा गया, जो आश्वासन सदन में दिया गया, जो सवाल सदन में उठाये गये . . .

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : पूरा आश्वासन दिया, पूरा उत्तर दिया गया, उस पर भी आप खुश नहीं हो सके । यह केवल राजनीतिक नाटक है । **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : जिस प्रकार से मंत्री महोदय और कांग्रेस के लोग खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, यह ठीक नहीं है . . **(व्यवधान)** . . . इनके चेहरों को देखिये, कैसे-कैसे चेहरे हो रहे हैं . . . **(व्यवधान)** . . . यह क्या तरीका है । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह सही नहीं है । इस पर सहमती नहीं हो सकती है । **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण तथा गन्ने की कीमत न भुगतान करने संबंधी दुखद मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैंने नोटिस दिया है। प्रधान मंत्री अपने को बचा नहीं सकते . .**(व्यवधान)** . .उनको सदन में बुलाइये। बोफोर्स पर बहस होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

अर्जुन सिंहजी प्रधान मंत्री को बुलाइये, वे कहां हैं। ऐसे नहीं चलेगा, हम जानना चाहते हैं किस ने चिट्ठी दी, किसके कहने से दी. **(व्यवधान)** बोफोर्स कोई मामूली चीज नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री मणिशंकर अय्यर : इन्होंने सदन का समय खराब किया है . . . **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : हम लोग सचाई जानना चाहते हैं। कौन है असली अपराधी, वह हम जानना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 2.45 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.45 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.47 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.47 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बोफोर्स मामले के बारे में—जारी

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष जी, आप जब चेयर पर नहीं थे, तो हमने यहां बोफोर्स का मामला उठाया था और हमने कहा था कि प्रधान मंत्री जी को बुलाया जाए।.... **(व्यवधान)** . . . इस संबंध में जार्ज साहब को उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन उस पत्र में कुछ नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का मामला है, सदन का मामला है, इसलिए सरकार को सदन में वक्तव्य देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन सदन में आना चाहिए और सरकार बतलाए क्योंकि सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया है। . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं आप क्रोधित हैं . . .

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : किस कारण क्रोधित हैं ? उनके क्रोधित होने का कोई कारण नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर उन्हें क्रोधित होने का अधिकार है । परन्तु पहले कार्यवाही में कुछ प्रगति तो हो । पहले सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम कार्यवाही कैसे चलायेंगे । नियम 377 के अन्तर्गत माननीय सदस्य बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं । उन्हें अवसर मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, प्रधान मंत्री की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । यह हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है . . . .**(व्यवधान)**

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय खड़े हो तो सदस्य को इस प्रकार खड़ा नहीं होना चाहिए । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम लोग आपसे बड़े अदब के साथ आग्रह कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में कहा था और हम गुलाम नबी आज़ाद साहब से कहेंगे कि प्रधान मंत्री को बुलवाइए और उनको कहिए कि बोफोर्स के सवाल पर क्लैरिफिकेशन दें । **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी मामलों सम्बन्धी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मेरे विचार से शून्य-काल समाप्त हो चुका है । अगर वे कोई प्रस्ताव लाना चाहें, तो ला सकते हैं । अगर आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते तो यह एक अलग बात है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, तथ्यों को सदन से छिपाने की कोशिश की जा रही है । सीधी-सी बात है, आप क्यों छिपाना चाहते हैं । यहां दो ही सवाल हैं—एक तो वह आदमी कौन था, बिना नाम का, उसका नाम बताया जाये, जिसने पत्र दिया । दूसरे, 24 अप्रैल से लेकर दो मई तक प्रधान मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की । प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि एक सप्ताह में वे यहां बयान देंगे । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं । शून्य-काल समाप्त हो गया है या नहीं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम कुछ कार्यवाही तो आगे बढा सकते है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, सरकार तथ्यों को छिपाना चाहती है । जब प्रधान मंत्री जी

ने कहा था कि वे लैटर का जवाब देंगे, सदन के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। प्रधान मंत्री जी को यहां स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी कार्यवाही समाप्त कर लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : भोजन अवकाश से पहले हम एक मुद्दा उठाने का प्रयत्न कर रहे थे तथा संसदीय कार्य मंत्री सहित सारा सत्ता पक्ष हमें अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त नहीं करने दे रहा था। (व्यवधान)। हम संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनने को तैयार हैं (व्यवधान)। वे सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों का सहयोग आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्रीकान्त जेना : प्रधान मंत्री को सदन में आये। (व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समस्या से उबरने के लिए श्री रवि राय कुछ सुझाव देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। शांति के साथ यहां हाउस में बहस होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : किस चीज़ पर बहस होनी चाहिये, कौन सी बहस आप चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या आप हाउस को बोफोर्स की पार्लियामैंट बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष जी, आप हाउस के मूड को देख रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस दिन प्रधान मंत्री जी ने . . . (व्यवधान) . . . चिट्ठी के बारे में यहां बात हुई . . . (व्यवधान) देखिये, उपाध्यक्ष जी, मैं कहे देता हूं कि यदि इस तरह की बैरकिंग चलेगी तो ठीक नहीं होगा। मैं बैरकिंग नहीं करता हूं यदि आप करेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं तो यहां सिर्फ उपाध्यक्ष जी की सहायता के लिये कुछ कहना चाहता हूं और उनकी अनुमति से यहां बोल रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आप मुझे इस प्रकार रोक नहीं सकते ! मैं नहीं मान रहा हूं। मैं इसका आदि नहीं हूं, मैं यहां डिप्टी स्पीकर के कहने पर खड़ा हुआ हूं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यही अन्तर है। हम प्रधान मंत्री को सुनना चाहते हैं। वे किसी की भी बात सुनना नहीं चाहते।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष जी, मै कलिंग पार्टी के दोस्तों से कह रहा हूं कि वे अन्तर्मुखी होकर सोचें, हाउस को सुचारू रूप से चलाना हम सबका कर्तव्य है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि यह अच्छा नहीं है, कुमार मंगलम जी की मेरे दिल में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन मैं देख रहा हूं, आज वे शून्य-काल के दरम्यान भी बार-बार खड़े होकर 15 मिनट तक बैरेकिंग कर रहे थे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर विरोधी दल के लोगों को बैरेक करें, यह ठीक नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं श्री गुलाम नबी आजाद जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन शिवराज जी पाटिल पीठासीन थे, उस दिन उन्होंने उठकर एक बयान दिया कि 7 दिन के बाद प्रधान मंत्री का जॉर्ज फर्नान्डीज के प्रश्नों का जवाब आएगा। अब उनके कथनानुसार कल जवाब आया है। उसके अनुसार अब यह एक नयी सिचुएशन शुरू होती है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अदूर) : आपने उन्हे अनुमति क्यों दी?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : श्री रवि राय जी, आपके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। परन्तु, कृपया अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का उल्लंघन मत कीजिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 3.45 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

2.57 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा 3.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.46 म० प०

लोकसभा 3.46 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बोफोर्स मामले के बारे में—(जारी)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी को सदन में बुलाया जाये। आप उन्हें बुलवाईये। उसका कारण यह है कि उन्होंने एक वायदा किया था, देश की जनता

से वायदा किया था कि वे कोई तथ्य नहीं छिपाना चाहते हैं । उन्होंने यह भी कहा था कि वे यहां एक बयान देंगे । इसलिये यहां कोई दूसरा सवाल नहीं है, सिर्फ यही सवाल है कि वे सदन में आयें और स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री पवन कुमार अंसल (चंडीगढ़) : कौन से तथ्यों को छिपाया गया है । **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : वह पत्र, प्रेम पत्र किसने दिया, यह तो हमें बता दिया जाये । समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की तरफ से कितने वकील यहां खड़े हो गये हैं । प्रधान मंत्री जी क्यों सदन में नहीं आ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सायंकाल के समय तो कुछ धैर्य से काम लीजिए । इस समय सभी राजनैतिक पार्टियों के नेता माननीय अध्यक्ष के पास बैठे हैं, तथा वे इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री जी भी उसमें हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रिय मित्रों, हमें नियमों का पालन करना चाहिए जब पीठासीन अधिकारी बोल रहा हो तो सदस्यों को कुछ शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए । सदस्य जब मन में आये खड़े हो कर बोलना शुरू कर देते हैं । सभी राजनीतिक दल और माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात पर चर्चा कर रहे है कि इस बाधा को कैसे दूर किया जाए । वह समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप तब तक हाउस को एडजोर्न कर दीजिए ।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अंदर क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, जब तक इसका समाधान नहीं मिल जाता है तब तक सभा स्थगित कर दीजिए । . . .**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही काफी समय व्यर्थ गंवा दिया है । हमें कार्य के प्रति न्याय करना चाहिए । सभी राजनीतिक दलों के नेता इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं । हम दो मुद्दें, एक सभा पटल पर पत्र रखने संबंधी मुद्दा और दूसरा नियम, 377 के अधीन मामलों को निपटा लें । वे इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास कर रहे है । अध्यक्ष के कक्ष में जो बैठक हो रही है उसमें सत्ता पक्ष और सभी दलों के प्रतिनिधि

शामिल हैं । पन्द्रह मिनट में ही वे किसी संगत निर्णय पर पहुंच जाएंगे । इसलिए कृपया मुझे सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र तथा नियम 377 के अधीन मामलों पर कार्यवाही करने दें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : कृपया सभा को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दीजिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आधे घंटे के लिए हाउस को फिर एडजोर्न कर दीजिए ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि पन्द्रह मिनट के भीतर हमारे सभी नेता, जो अध्यक्ष महोदय के साथ हैं, किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी छोटी सी मांग है—यहां प्राइम मिनिस्टर आ जाएं और स्पष्टीकरण कर दें ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें दो कार्य पूरे करने हैं । एक सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र तथा दूसरा नियम 377 के अधीन मामले को निपटाना ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : चूंकि अनेक नेता अध्यक्ष महोदय के कक्ष में हैं, हम उस मामले पर यहां भी चर्चा कर सकते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नेता इस पर चर्चा कर रहे हैं । यदि आप इस पर यहां भी चर्चा करना चाहते हैं तब उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सारा देश इस बात के लिए चिंतित है । जो मिटिंग अध्यक्ष महोदय के कमरे में सरकार और विरोधी दल के नेताओं के बीच हो रही है क्या उसमें प्रधान मंत्री जी शामिल हैं ? यदि नहीं हैं, तो प्रधान मंत्री जी को सदन में बुलाया जाए और आगे की कारवाई तभी शुरू की जाए ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रधान मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए । उन्हें अपना वचन पूरा करना है । (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : प्रधान मंत्री को बोफोर्स मामले को सभा में स्पष्ट करना चाहिए अन्यथा हम सहयोग नहीं दे पाएंगे । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अध्यक्ष महोदय के साथ हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल जॉर्ज फर्नान्डीज और प्रधान मंत्री जी के बीच का ही नहीं है । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्हें इसका समाधान करने दीजिए । मैं नहीं जानता कि यहां समस्या क्या है । समस्या यह है कि प्रधान मंत्री ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि वह पूर्ण जानकारी देंगे **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, पन्द्रह मिनट के भीतर ये नेतागण कोई निर्णय ले लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : सभा पटल पर पूरा विवरण क्यों नहीं रखा जा सकता है । सभा में यह प्रश्न उठाया गया था । उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए । श्री माधवसिंह सोलंकी द्वारा स्विटज़रलैंड के विदेश मंत्री को दिया गया नोट सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता है । **(व्यवधान)** उन्होंने पिछले सप्ताह यह आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री सभा को सारी जानकारी देंगे । लेकिन प्रधान मंत्री ने अभी तक यह जानकारी क्यों नहीं दी है ?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : प्रधानमंत्री जी ने जो ऐश्योरैंस दिया था, यदि उन्होंने पूरा नहीं किया तो उनकी क्रैडीबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी ।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : क्या कारण है, इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता ? ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : विभिन्न माननीय सदस्यों ने सुबह जो भी संबंधित मुद्दे उठाए थे उन्हीं मुद्दों पर विपक्षी दलों के माननीय सदस्य अन्दर चर्चा कर रहे हैं । वे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं और वे सभा के सम्मुख एक उचित समाधान रखेंगे । इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि पन्द्रह मिनट के लिए सहयोग दें ताकि हम कम से कम दो विषय पूर्ण कर लें...

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, तब तक सभा को स्थगित कर दें...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : रविराय जी, इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष कुछ कहना चाहते हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें उनके विचार जानने चाहिए...

(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, हम रविराय का सम्मान करते हैं लेकिन यह पूर्णतया भिन्न मामला है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के हित में मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सभी सदस्य कार्यवाही सही तरह से चलने दें। श्री रवि राय जी इस समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव देंगे। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। हमें उन्हें सुनना चाहिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 4.30 म०प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है। तब तक हम कोई समाधान ढूंढ लेंगे।

3.58 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा 4.30 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

4.31 म० प०

लोकसभा 4.31 म०प० पर पुन: समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, नेताओं की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि कल 10.00 म०पू० पर पुन: बैठक की जाये और आज कार्यवाही आरम्भ करें। हमें कुछ कार्य करने हैं। पहले सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे और बाद में मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह से अनुरोध करूंगा कि एक वक्तव्य दें और तब विधाई कार्य लिया जा सकता है।

"अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।"

4.32 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय वक्फ परिषद् का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : श्री सीताराम केसरी की तरफ से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद् के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 1945/92]

मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय इत्यादि के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : श्री संतोष मोहन देव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 1946/92]

(2) फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 1947/92]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, श्री एम० एम० जैकब की ओर से :

मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, उप-निरीक्षक (कम्पाउंडर/भंडार/फार्मासिस्ट) भर्ती नियम, 1992, जो 7 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 104 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 1948/92]

हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 1949/92]

(ख) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1950/92]

4.33 म०प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : 6 मई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में सिफारिश है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दी गई अवधि तक अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :—

1. श्री फूलचन्द वर्मा—24-2-92 से 10-4-92
2. श्री जी० एल० कनोजिया—11-3-92 से 30-4-92

क्या सभा सहमत है कि समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हा ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है । सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब अगली मद याचिका समिति

श्री पी० जी० नारायणन—अनुपस्थित

श्री रमेश चन्द तोमर—अनुपस्थित

अब माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह वक्तव्य देंगे ।

4.34 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान मैंने सभा में एक आश्वासन दिया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०) मई, 1986 में संसद द्वारा पारित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने तथा इसके संशोधनों के लिए सिफारिशें करने के वास्ते मई, 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने दिसम्बर, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुरोध पर, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट तथा नीति से संबंधित अन्य संगत विकासों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधनों पर विचार करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए जाने वाले संशोधनों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री एन० जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में जुलाई, 1991 में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने जनवरी, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट पर 5-6 मई, 1992 को हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक रूप से समर्थन करते हुए, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नीति में कुछेक परिवर्तनों की सिफारिश की है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। शैक्षिक स्थिति के सम्पूर्ण क्षेत्र की गहन समीक्षा पर आधारित तथा राष्ट्रीय सहमति के आधार पर तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास के लिए मार्गदर्शन करने हेतु व्यापक कार्य-ढांचा प्रतिपादित किया। यह कार्य-ढांचा आज भी प्रासंगिक है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुई प्रगति और इस नीति के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है। सभा-पटल पर रखे गए* "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986—संशोधित नीति—निर्धारण" कागज़ात में अपेक्षित संशोधनों का उल्लेख किया गया है। मैं, नीति से सम्बन्धित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट भी सभा-पटल पर रख रहा हूँ।

---

*[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 1951/92]

4.35 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल सरकार को राज्य में खेलों के विकास के लिए और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : केरल पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में पर्वतीय पश्चिमी घाट से घिरा एक छोटा भूभाग है तथा नारियल के बाग और धान के खेतों ने इसे हरियाली छटा प्रदान की है। केरल की नदियों और यहाँ प्रवाहित होने वाले काले जल में होने वाले खेलों का विकास किया जा सकता है। अल्लेपी, अरानमुन्ना और कोचीन के 'स्नेक बोट' दौड़, हजारों सजे सँवरे हाथियों के साथ त्रिचूर का पूरम महोत्सव, मन्दिर के महोत्सव, कथकली, मोहनीचट्टम, कालारीपायाटू, छविट्टूनाटकम और अन्य सांस्कृतिक

कलायें इस छोटे भूभाग की विशेषतायें हैं । टेक्काडी के वन्यजीव अभयारण्य पनमूडी और मन्नार के पर्वतीय पर्यटन स्थल, कालीकट में कोवलम से बेकल तक का समुद्र तट केरल को पर्यटकों का स्वर्ग बनाता है । इडली, दोसा, पयासम आदि केरल के स्वादिष्ट व्यंजन हैं । कोचीन के काले जल को जल सम्बन्धी खेलों के लिये विकसीत किया जा सकता है । मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि केरल में खेलों के विकास के लिए अधिकतम सहायता तथा अधिक धनराशि प्रदान की जाए ।

(दो) तमिलनाडु की 'कुरुवीकरन' जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : 'नारीकुरावार' ऐसे लोगों का एक वर्ग है जो तमिलनाडु में खराब मानवीय स्थिति में रहते हैं । मदास, चेंगलपट तथा दक्षिण आरकोट जिले में उन्हें 'कुरुवीकरन' कहा जाता है । कन्याकुमारी जिले में उन्हें 'रतियन' कहा जाता है । सलेम, दक्षिण आरकोट और त्रिचि जिलों में वे 'नारीकुरावार' नाम से जाने जाते हैं । गुजरात के कच्छ जिले में उन्हें 'वगरी' या 'वागरीवाला' के नाम से पुकारा जाता है । उनकी भाषा को वगरीबोली कहा जाता है । तमिलनाडु में उनकी जनसंख्या करीब 5 लाख समझी जाती है ।

वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं । वे अशिक्षित, अर्द्धनग्न और अर्द्ध भूख पीड़ित लोग हैं । वे सड़क के किनारे वृक्षों के नीचे, पुलों के नीचे, तथा पटरियों पर रहते हैं । वे आधुनिक सभ्यता से अलग हैं ।

इस वर्ग के लोगों को पददलित पिछड़ा वर्ग कहा जाता है । इसी वर्ग के लोग जो गुजरात के कच्छ जिले में 'वगरी' नाम से रहते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत रखा गया है और उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में मद 27 में सूचीबद्ध किया गया है । गुजराती शब्द 'वगरी' अंग्रेजी भाषा के "बर्ड" अथवा "बोर्ड केचर" तथा तमील के "कुरुवीकरन" के समतुल्य है । अत: यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु के "कुरुवीकरन" अथवा 'नारीकुरावार' गुजरात में 'वगरी' कहे जाने वाले वर्ग के ही लोग हैं । जब गुजरात में उन्हें अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत रखा गया है तो तमीलनाडु के 'वगरी' को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया है ?

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सभी उद्देश्यों के लिए तमीलनाडु के 'कुरुवीकरन' अथवा 'नारीकुरावार' वर्ग को भी अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए । आगे मैं केन्द्र सरकार से इन लोगों को सभ्यता की मुख्य धारा में लाने का तथा मानव विकास और प्रतिष्ठा के साथ इनका व्यवस्थित जीवन बसाने का अनुरोध करता हूँ ।

(तीन) उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद रेल फाटक पर उपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, फिरोजाबाद के एक विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में राष्ट्रीय राज मार्ग में रेलवे क्रासिंग होने के कारण फाटक प्रति दिन घण्टों बन्द रहता है, इस रेलवे लाईन से अनेक रेल गाड़ियां गुजरती हैं । फाटक बन्द होने के कारण राष्ट्रीय राज मार्ग से यातायात का आवागमन घण्टों बन्द रहता है, जिसके कारण वहां की जनता को तथा आने जाने वाले लोगों का काफी समय खराब हो जाता है । यदि गम्भीर रूप से कोई बीमार हो और उसको अस्पताल ले जाना हो और उस समय फाटक बन्द हो तो वह बीमार बिना डाक्टर की देखभाल से अपनी जान दे देता है । इस प्रकार की अनेक घटनायें उस स्थान पर हो गई हैं और लगातार हो रही है ।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के समाधान हेतु शिकोहाबाद में एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए ।

(चार) आगरा से इलाहाबाद, वाराणसी और मुम्बई तक सीधी तीव्रगामी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, आगरा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है । देश व विदेश के पचास लाख से अधिक पर्यटक आगरा में विश्व की धरोहर, ऐतिहासिक भवनों व स्थलों का अवलोकन करने आते हैं । आगरा का ताजमहल, किला, सिकंदरा, ऐत्मादुदोला व फतेहपुर सीकरी की मुगल कालीन इमारतें जहां प्रेम व स्थापत्य कला की अनुपम धरोहर है वहीं बटेश्वर व रूनकता क्षेत्र ऋषि मुनियों की साधना स्थली रही है । राधास्वामी मत का उद्गम स्थल भी आगरा में है ।

आगरा उत्तर प्रदेश के एक कोने पर बसा होने तथा राजस्थान व मध्य प्रदेश से सटा होने के कारण व्यापार का भी महत्वपूर्ण केन्द्र है । जहां देशी व विदेश व्यापारी भारी संख्या में आते हैं ।

आगरा से बंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे महानगरों तथा इलाहाबाद, वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों व अन्य प्रकार से महत्वपूर्ण नगरों के लिए पर्याप्त संख्या में अति द्रुतगामी सीधी यात्री रेलगाड़ी नहीं चलती है । वर्तमान में दिल्ली से आगरा होते हुए इलाहाबाद की ओर जाने वाली तूफान एक्सप्रेस यात्री गाड़ी भी सुविधाजनक नहीं, जिसके कारण इस मार्ग पर जाने वाले पर्यटक यात्रियों व अन्य यात्रियों को भारी परेशानी होती है । यही स्थिति दिल्ली से आगरा होते हुए बंबई जाने वाली यात्री रेलगाड़ी की है ।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह आगरा से इलाहाबाद व वाराणसी तथा बंबई जाने के लिए अति द्रुतगामी सुविधाजनक नई यात्री रेलगाड़ी प्रारंभ करें तथा आगरा से निकलने वाली सभी यात्री रेलगाड़ियों को आगरा में रूकने की व्यवस्था करें ताकि पर्यटकों व अन्य यात्रियों को होने वाली असुविधा से मुक्ति मिल सके ।

(पांच) उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूर संचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : मान्यवर, सम्भल लोक सभा क्षेत्र में संचार साधनों का अभाव है । इस सम्पूर्ण क्षेत्र में डाक-तार तथा टेलीफोन व्यवस्था प्राचीन एवं जर्जर अवस्था में है । इस क्षेत्र के 3 हजार की आबादी वाले प्रत्येक गांव में डाक घरों की स्थापना अति शीघ्र की जाये और प्रत्येक डाक घर में टेलीफोन की व्यवस्था भी अवश्य की जाये । उदाहरण के रूप में बिसौली क्षेत्र में ग्राम परसिया, जिसकी आबादी लगभग 20 हजार है और गुन्नौर क्षेत्र के ग्राम दिनौरा, जिसकी आबादी लगभग 6 हजार है, में अविलम्ब पोस्ट आफिस खोले जाएं ।

इसके अतिरिक्त टेलीफोन व्यवस्था का नवीनीकरण भी आवश्यक है । अतः इस क्षेत्र के ऐतिहासिक नगर सम्भल तथा सरायसरीन—हयातनगर—नगरपालिका बिसौली, नगरपालिका बहजोई, टाऊन एरिया गुन्नौर, अवराला, गवां, रजपुरा, इस्लामनगर, रूदायन, अहरा-फैजगंज, मुड़िया, सिरसी, उझारी एवं सैदनगली में एस० टी० डी० सुविधा के साथ इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन व्यवस्था अति शीघ्र प्रारम्भ किया जाये ।

(छः) भारतीय चाय व्यापार निगम के प्रबंधाधीन पश्चिम बंगाल के कुछ चाय बागानों को डब्ल्यू० टी० डी० सी० को दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, पश्चिम बंगाल में टी० टी० सी० आई० द्वारा प्रबंधित चार चाय बागान लोकसन, पासालोक, पूनौग और वाहतूकवार बन्द होने की स्थिति में हैं। इन बागानों को बन्द होने से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार पहले ही इन बागानों का प्रशासन डब्ल्यू० टी० डी० सी० को सौपने का प्रस्ताव भेज चुकी है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन बागानों को डब्ल्यू० टी० डी० सी० को सौपने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही की जाए और इस प्रकार इन बागानों को तथा कर्मचारियों को बचाया जाए।

(सात) केरल में क्वीलोन में काजू बोर्ड की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अट्टर) : महोदय, भारत सरकार ने काजू की खेती के सर्वांगीण विकास और प्रगति तथा काजू श्रमिकों के कल्याण के लिए केरल में काजू बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह प्रस्ताव विगत कई सालों से लम्बित पड़ा है। लेकिन प्रस्तावित काजू बोर्ड ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है।

केरल में काजू एक प्रमुख कृषि है और वहाँ काजू का उत्पादन प्रमुख उद्योग है। इस क्षेत्र में वहाँ अनेक उत्पादक तथा हजारों श्रमिक लगे हुए है। लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। काजू उत्पादकों को अपने कच्चे काजू के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। काजू उत्पादन से सम्बन्धित श्रमिक जो काजू के कारखानों में काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी रोजगार तथा अन्य सुविधायें अब तक नहीं मिली है। काजू उत्पाद से सम्बन्धित कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन मिलता है। श्रमिकों और उत्पादकों का यह विश्वास है कि यदि जल्द से जल्द काजू बोर्ड की स्थापना हो जाए तो निश्चित रूप से इससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। इसलिए मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि केरल में क्वीलोन में काजू बोर्ड की स्थापना के लिए जल्द से जल्द कदम उठाया जाए।

4.45 म० प०

याचिका समिति

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री पी० जी० नारायण (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं याचिका समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अन्तिम कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों की शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) के अध्याय-2 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और दसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय-2 के संबंध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(2) वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू करने के बारे में अभ्यावेदन संबंधी पहले प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और दूसरे प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय-4 के संबंध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण ।

(3) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1978 का प्रतिसंहरण करने के बारे में याचिका संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) के अध्याय-3 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और 11वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय-1 संबंध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण ।

(4) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति को माता-पिता की आय से अलग करने के बारे में अभ्यावेदन संबंधी पहले प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) के अध्याय-6 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और सातवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के छठे अध्याय के संबंध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण ।

(5) राष्ट्रीय बीज आयोग के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के बारे में अभ्यावेदन संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) के पांचवे अध्याय में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और आठवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के चौथे अध्याय के संबंध में अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण ।

[अनुवाद]

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन), राज्य सभा द्वारा यथा पारित

अध्यक्ष महोदय: अब हम विधायी कार्य पर चर्चा करेंगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 (अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन), राज्य सभा द्वारा यथापारित, एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 20 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
(2) श्री बूटा सिंह
(3) श्री चन्दूभाई देशमुख
(4) श्री जसवन्त सिंह
(5) श्री पी० आर० कुमारमंगलम
(6) श्री रामकृष्ण कुसमरिया
(7) प्रो० सावित्री लक्ष्मणन

(8) श्री सूरज मंडल

(9) श्री अरविन्द नेताम

(10) श्री राम विलास पासवान

(11) श्री के० प्रधानी

(12) श्री एस० एस० वी० राजेन्द्रकुमार

(13) डा० लाल बहादुर रावल

(14) श्री सुदर्शन राय चौधरी

(15) श्री एम० भागा रेड्डी

(16) श्री विश्वनाथ शास्त्री

(17) श्री सुखराम

(18) श्री सैयद शाहबुद्दीन

(19) श्रीमती चन्द प्रभा अर्स: और

(20) श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

मानसून सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने के निर्देशों के साथ।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 (अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन), राज्य सभा द्वारा यथापारित, एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 20 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री रघुनन्दन लाल भाटिया

(2) श्री बूटा सिंह

(3) श्री चन्दूभाई देशमुख

(4) श्री जसवन्त सिंह

(5) श्री पी० आर० कुमारमंगलम

(6) श्री रामकृष्ण कुसमरिया

(7) प्रो० सावित्री लक्ष्मणन

(8) श्री सूरज मंडल

(9) श्री अरविन्द नेताम

(10) श्री राम विलास पासवान

(11) श्री के० प्रधानी

(12) श्री एस० एस० वी० राजेन्द्रकुमार

(13) डा० लाल बहादुर रावल

(14) श्री सुदर्शन राय चौधरी

(15) श्री एम. भागा रेड्डी

(16) श्री विश्वनाथ शास्त्री

(17) श्री सुखराम

(18) श्री सैयद शाहबुद्दीन

(19) श्रीमती चन्द्र प्रभा असः और

(20) श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

मानसून सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने के निर्देशों के साथ।"

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो दो विधेयक विचारार्थ रखे गए हैं, जिसमें से एक विधेयक को इस सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव अभी अभी विधि मंत्री जी ने किया है मैं उन दोनों विधेयकों के समर्थन में हूं। सरकार ने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन उसका मैं विरोध नहीं करता हूं, उसमें भी सहभागी होता हूं। लेकिन मैं इस अवसर पर अपने मन का क्षोभ जरूर प्रकट करना चाहता हूं। इसलिए कि ये दोनों विधेयक देश की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित हैं। चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कुल मिला कर जो सरकार का रवैया है वह बहुत निराशाजनक रहा है। मुझे स्मरण है कि इस दसवीं लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो पहला दिन आया, उस पहले दिन प्रश्नोत्तरकाल था, आज तक हमने लगभग 900 प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरकाल में चर्चा की होगी, चूंकि तारांकित प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन इन 900 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न, तारांकित प्रश्न संख्या "एक" मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अटल बिहारी बाजपेयी और मेरे नाम से था। उसका जवाब विधि मंत्री श्री रेड्डी और विधि राज्य मंत्री श्री कुमारमंगलम दोनों ने जिस मुक्त ढंग से दिया था, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी और उम्मीद जगी थी कि इस सरकार का रवैया चुनाव सुधार के बारे में कुछ दूसरा होगा।

आज दस महीने से ऊपर हो गए। लगभग सालभर होने को आया है। मैं केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उस समय के जो आपके आश्वासन थे पहले-पहले प्रश्न के उत्तर में तो वे आश्वासन कहां गए। एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। आखिर तो दिनेश गोस्वामी जी की एक समिति बनी थी और उस समिति ने तीन-चार महीने की अवधि में अपना पूरा काम करके चुनाव सुधार के बारे में अनेक सुझाव दिए थे। अनेक सिफारिशें की थी और उन्हीं सिफारिशों में से यह एक विधेयक है, जिसको आज संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जा रहा है। लेकिन वह एक छोटा सा सुझाव है, बाकी सुझाव ऐसे ही हैं। विधेयक राज्य सभा में आज भी पड़े हैं। 1990 में इन्टोड्युस दिनेश गोस्वामी जी ने किया था। आज तक उनके बारे में एक इंच भी सरकार आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। यह आज चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का विधेयक है और वह भी अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि केवल मात्र संविधान में परिवर्तन किया जा रहा है इसलिए कि संसद को अधिकार मिल जाए कि वह चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कर दे। 1976 में एक संशोधन हुआ संविधान में, जिसके कारण देश भर में कुल मिलाकर संसद और विधान सभाओं की जो संख्या है, उसको फ्रिज़ कर दिया गया, उसको स्थाई बना दिया गया, स्थिर बना दिया गया कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अगर 543 मेम्बर हैं तो 555 या 545 नहीं हो सकते। दूसरी तरफ यह निर्णय किया गया कि उस संशोधन के द्वारा जो चुनाव क्षेत्र हैं, संसद के या विधान सभाओं के हैं तो उनमें हेर-फेर नहीं किया जा सकता। इस विधेयक के द्वारा हम केवल मात्र डीप-फ्रिज़ कर रहे हैं। संसद में फिर से अधिकार ला रहे हैं, जिस प्रकार का

परिसीमन विधेयक 1952, 64 और 72 में पास किया गया वैसा परिसीमन विधेयक डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, आज संसद पास कर सके । वह विधेयक नहीं आया है इसलिए सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया कि डीलिमिटेशन कमीशन बिल मानसून सैशन में लायेंगे तब तक वह प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए । कुछ लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों को दूर करने का भी अवसर मिल जाए । उस प्रवर समिति में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यद्यपि मेरी इस बात की शिकायत होगी कि यह एक अनोखा उदाहरण आ रहा है । मैं पुराने उदाहरण देख रहा था । 1964 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ । राज्य सभा एक विधेयक पास कर ले और उसके बाद लोक सभा उसको प्रवर समिति को भेज दे । सरकार पहले मन बनाती कि सदन में यह जो प्रस्ताव अभी आया है, वह प्रस्ताव ला सकती थी और हम एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें । लेकिन सरकार को जिस प्रकार से बिजनैस को मैनेज करना चाहिए तो उस बिजनैस मैनेजमेंट में भी कमी रह गई है । इस बात को स्वीकार करना चाहिए अन्यथा राज्य सभा एक विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर लें और हम उसको रोक कर कहें कि आपने जो निर्णय किया है, वह उचित नहीं है, हम उसको फिर से देखना चाहते हैं, इसमें परिष्कृत करना चाहते हैं । यह कोई वांछनीय बात नहीं है । यह हमारा अधिकार जरूर है संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द करना । लेकिन मैनेजमेंट के नाते और मैजोरिटी पार्टी के मैनेजमेंट के नाते अगर करना था तो इस प्रकार की प्रवर समिति में दूसरे सदन की भी भागीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए थी । दूसरे सदन को इससे अलग रखकर हम बैठकर इस पर विचार करें तो यह अच्छी स्थिति नहीं है । मैंने कहा कि तीन बार पहले भी हुआ है, माइनर बिल थे । एक बार 1954 में और एक बार 1964 में इस सदन की प्रवर समिति बनी थी जिसमें दूसरा सदन भागीदार नहीं हो सका । यह एक पहलू है । मैं चुनाव सुधार के बारे में जानना चाहूंगा कि बाकी विधेयक दूसरे सदन में पेन्डिंग है । एक कांस्टीट्यूशन में 70वां संशोधन बिल और एक है रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपल अमेंडमेंट बिल, 1990 । ये दो विधेयक हैं जिनमें से पहला 70वां संशोधन विधेयक है वह चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, उसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है । दूसरा विधेयक है रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपल अमेंडमेंट बिल, 1990, जिसको दिनेश गोस्वामी ने प्रस्तुत किया और जो संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन लोक सभा के विघटन के कारण वह वापस राज्य सभा में चला गया, वह इंटोहयूस है, पेंडिंग है । उसके बारे में सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की है । प्रवर समिति को ही करना था तो उसको करना चाहिए था, तुरन्त करना चाहिए था । लेकिन लगता है इन सारी बातों पर सरकार का जो चिन्तन होना चाहिए वह नहीं है । यहां तक कि मुझे इस सत्र का भी स्मरण है जब इससे सम्बन्धित सवाल पूछा गया तो विधि मंत्री ने यह कहा कि हम इसी सत्र में विभिन्न दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायेंगे और उसमें चुनाव सुधार के सम्पूर्ण सवाल पर पूरी चर्चा करेंगे और एक काम्प्रीहेंसिव बिल सदन के सामने लायेंगे । वह काम्प्रीहेंसिव बिल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और जो पीसमिल बिल पेंडिंग हैं उनके बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है । एक ही विधेयक था जिसको राज्य सभा ने पास करके हमारे पास भेजा, जिसके बारे में मैं उम्मीद करता था कि आज हम पास करेंगे, हम पास करने की स्थिति में नहीं हैं और प्रवर समिति को भेजा जा रहा है इसका मुझे खेद है, अफसोस है । यद्यपि, प्रवर समिति में निश्चित रूप से यह जो विधेयक है और परिष्कृत होकर आयेगा । जिन लोगों के मन में आशंकायें हैं उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं । मुझे लगता है कुछ सदस्यों के मन में शंका है कि इसमें जो रोटेशन आफ द शिड्यूल्ड कास्टस सीट्स की व्यवस्था है उसके कारण किस को क्षति हो सकती है । मैं बताना चाहता हूं इसकी पृष्ठभूमि में मांग की जाती रही है दोनों तरफ से, एक तरफ से जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है और फिर भी वर्षों से वह जनरल है, वहां से मांग होती रही है कि इसको सुरक्षित किया जाये, इसको अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया जाये, वही दूसरी तरफ मांग होती रही है कि उसको जनरल किया जाये । लेकिन उसका रोटेशन कैसे होगा इसकी व्यवस्था तो डीलिमिटेशन कमीशन बिल में ही

होगी । इसमें केवल एनेब्लिंग प्रोविजन है । इसलिए जो दिनेश गोस्वामी की समिति थी जिसमें पूर्व मुख्य आयुक्त श्री शकधर, दिनेश गोस्वामी जो स्वयं विधि मंत्री थे, इस सदन में मेरे सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी के श्री होमजी दोरजी, कांग्रेस पार्टी के श्री एच० के० एल० भगत, जनता दल के श्री इरा सेडियन और एल० पी० सिंह और कई वरिष्ठ लोग थे, श्रीमती रमा देवी जो विधि मंत्रालय में सचिव थीं वे उस समय भी समिति में थीं, श्री के० गणेशन् जो चुनाव आयोग में सचिव रह चुके हैं वे भी उस समिति में थे । सबने सभी पहलुओं पर विचार करके जो प्रस्ताव लाये थे उसके आधार पर यह विधेयक बना था । मैं यह मानता हूं अगर ठीक प्रकार से सब लोगों के सामने यह बिल रखा जाता तो आज प्रवर समिति के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं पड़ती । लेकिन कई आशंकायें हैं उनको दूर करने के लिए हम यह काम कर रहे हैं इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं । लेकिन चुनाव सुधार के मामले में सरकार को जिस प्रकार की तत्परता दिखानी चाहिए थी, जिस प्रकार की प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, मैं और मेरा दल उनमें से है जो इस चुनाव पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन के हामी रहे हैं । हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र भी इसी पक्ष के रहे हैं । फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम । इस समय हमारे हिन्दुस्तान में सही चुनाव प्रक्रिया नहीं है, स्वस्थ नहीं है इसलिए प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसी रूप को लाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बारे में हमारी दिनेश गोस्वामी समिति एकमत नहीं थी इसीलिए उसके बारे में इतनी सिफारिश की गई थी कि एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करे । लेकिन जिन मामलों में हम सहमत थे, उनको भी साल भर आपकी सरकार रहने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है इस पर मैं अफसोस जरूर व्यक्त करना चाहूंगा ।

दूसरा जो विधेयक आया है वह है दिल्ली के विधायकों और पांडिचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार देने की व्यवस्था ।

5.00 म० प०

मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि जिस समय दिल्ली के बारे में यहां पर चर्चा हुई थी और दिल्ली में विधान सभा बनाने का विधेयक हम पारित कर रहे थे, सभी लोगों की तरफ से यह सवाल उठाया गया था तो गृह मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया था कि इस दिशा में कदम उठायेंगे । मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं दिल्ली में विधान सभा बनने के बारे में इस अवसर पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा जब वे इसका उत्तर दें कि दिसम्बर के महीने में उन्होंने जो वचन दिया था कि हम यहां विधान सभा का विधेयक केवल पास ही नहीं कर रहे हैं लेकिन दिल्ली के नागरिक, जो चार वर्षों से बिना प्रतिनिधि के रहे हैं और उसके कारण संसद के चुने हुए सदस्यों को कारपोरेशन का काम करना पड़ रहा है, मैट्रोपालिटन कौंसिल का काम करना पड़ रहा है और दुनियाभर के और काम करने पड़ रहे हैं, सही रूप से स्थिति स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष जी, इसलिए 8 महीने के अन्दर [अनुवाद] हम दिल्ली में एक चुनी हुई विधान सभा चाहते हैं ।

[हिन्दी]

मैं इसके बारे में फिर से सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस मामले में जो चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का काम कितना प्रगति कर पाया है क्योंकि जब तक असेम्बली बनती नहीं है, तब तक मैम्बरों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की सुविधा या सवाल ही पैदा नहीं होता । मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार जो यह विधेयक इतना जल्दी लाया गया है, उतनी शीघ्रता किसी और मामले में नहीं की गयी है । जो शीघ्रता नहीं की गयी तो उसका कारण यह है कि कम से कम पाण्डिचेरी के लोगों को यह अधिकार मिले । मैं इसमें आपत्ति

नहीं कर रहा हूं लेकिन जहां शीघ्रता होनी चाहिए, वहां शीघ्रता नहीं होती और जिस मामले में आपत्ति नहीं होती है वहां काफी तेज़ी दिखाई देती है । इसके कहीं कहीं पॉलिटिकल कारण होते हैं । यद्यपि मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मैं स्पष्टीकरण जरूर चाहूंगा ।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः इस विधेयक का जो दिल्ली और पाण्डिचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार देता है, उसका समर्थन करता हूं और जो आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है — संविधान संशोधन विधेयक — जिसके द्वारा देश के चुनाव क्षेत्रों का पुनर्परिसीमन होगा बिना लोक सभा और विधान सभा की सदस्य संख्या बढ़ाये हुए, मैं उस विधेयक और उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री के वक्तव्य के लिये 5 बजे का समय नियत है, इसलिए मैं श्री मल्लिकार्जुन को वक्तव्य देने के लिये कहता हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी के कहने से पहले मैं काफी देर से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं और वह यह कि अभी सहारनपुर के पास रेलवे लाइन पर एक गेट होते हुए भी पांच दिन से गेटमैन नहीं था और उसका परिणाम यह हुआ कि एक बस रेल फाटक से गुजरते हुए रेलगाड़ी से टकराई और 15 लोग मर गये तथा 50 घायल हो गये । मंत्री जी को इस दुर्घटना का पता है या नहीं, यह बता दें । यह एक भयंकर दुर्घटना हुई है । जनता ने जा कर रेलवे अधिकारियों से कम्प्लेंट की कि पांच दिन से गेटमैन नहीं आ रहा है ।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, मेरी अर्ज़ है कि रेल दुर्घटना में लोगों को जो मुआवज़ा मिलता है, जो लोग मरे हैं इनको भी मुआवज़ा मिले ।

5.03 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

6-5-1992 को दक्षिण मध्य रेलवे के बल्हारशाह-काजीपेट बड़ी लाइन खंड पर 7022 दक्षिण एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : हालांकि ऐसी गाड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में, जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो, मंत्रालय द्वारा संसद में बयान देने की कोई परिपाटी नहीं है, फिर भी कुछ सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए, मैं दक्षिण मध्य रेलवे पर 7022 दक्षिण एक्सप्रेस के 6-5-1992 को पटरी से उतरने की घटना के बारे में सदन को सूचित करना चाहता हूं ।

6-5-1992 को लगभग 3.40 बजे जब 19 सवारी डिब्बों वाली 7022 निजामुद्दीन-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ी दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद मंडल के दोहरी लाइन वाले बल्हारशाह-काज़ीपेट बड़ी लाइन खंड पर उप्पल और हसनपर्ती रोड स्टेशनों के बीच चल रही थी, तब गाड़ी के इंजन से चौथे से लेकर 18वें स्थान तक लगे 15 सवारी डिब्बे कि० मी० 348/20 पर पटरी से उतर गये, जिससे केवल डाउन मेन

लाइन अवरुद्ध हो गई। गाड़ी के पटरी से उतरने के परिणामस्वरूप, 11 यात्रियों को मामूली चोटें आईं।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही, कार्ज़ापेट से चिकित्सा राहत यान तथा अधिकारियों और डाक्टरों के एक दल को तुरंत दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना किया गया, जो 5.00 बजे वहां पहुंच गया। अपर महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल दुर्घटना-स्थल के लिए रवाना हो गए। जिन यात्रियों को चोटें आई थीं, उनका दुर्घटना स्थल पर ही डाक्टरों द्वारा उपचार किया गया और तब उन्होंने अपनी आगे की यात्रा शुरू की।

इस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के यात्रियों को एक डुप्लीकेट गाड़ी में ले जाया गया, जो 6-5-1992 को 6.55 बजे वहां से चली।

इस दुर्घटना की जांच वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जा रही है। यद्यपि दुर्घटना के कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही लग पायेगा, तथापि मैं इस तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा कि मौके पर गए अधिकारियों के अनुसार, ऐसा प्रमाण मिला है जो इस बात का संकेत देता है कि संभवत: तोड़-फोड़ के कारण गाड़ी पटरी से उतरी। राज्य की पुलिस ने भी इस संभावना से इंकार नहीं किया है। पटरी के एक टूटे हुए टुकड़े को, जो दुर्घटना-स्थल पर अपनी जगह से हटा हुआ पाया गया था, रासायनिक परीक्षण के लिए सिकन्दराबाद स्थित फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेज दिया गया है, ताकि यह पता लग सके कि इस पर विस्फोटक सामग्री के कोई चिह्न तो नहीं हैं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

मेरे सहयोगी श्री जाफर शरीफ जी, सभी रेल कर्मचारी और मैं उन यात्रियों के प्रति अपनी सच्ची सहानुभूति प्रकट करते हैं जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं।

5.05 म० प०

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990

(अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन)

राज्य सभा द्वारा यथापारित—जारी

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं जब स्वयं पहली बार सदस्य होकर आया तो मैंने निजी सदस्य की हैसियत से संविधान संशोधन विधेयक जो पहला प्रस्तुत किया, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन का था और बहुत बड़ा अन्याय आपातकालीन स्थिति में हुआ जब संविधान संशोधन विधेयक थोक के भाव कर दिए गए। 44वें संविधान संशोधन विधेयक के ज़रिए उसमें सारे संशोधन ये कर दिए गए, एक संशोधन यह भी था कि हर जनगणना के बाद जो क्षेत्रों का परिसीमन होता था वह सन् 2001 तक स्थगित रहेगा और उसके बाद परिसीमन होगा। मेरी शिकायत आडवाणी जी से भी है कि इनकी सरकार ने उन सारे संविधान संशोधनों को थोक-भाव, अनडन कर दिया था, लेकिन केवल एक यही हिस्सा उस ज़माने में भी रह गया था। एक संविधान संशोधन विधेयक 1990 में आया जिसको राज्य सभा ने सर्वसम्मति से पास किया और आज यहां पर प्रस्ताव आ गया कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है। मैं उन्हीं की तरह इस पर बहुत आपत्ति नहीं करना चाहता, केवल एक सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि

संविधान संशोधन के मामले में लोक सभा और राज्य सभा दोनों के समान अधिकार हैं और आज अभी जो राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, वह अकेली जिस तरह का भी संविधान संशोधन चाहे, कराने की स्थिति में नहीं है । जब एक संविधान संशोधन वहां से सर्वसम्मत रूप से पास होकर आया तो हमारा दायित्व होता कि उसको उसी रूप में पास करते, लेकिन अब राज्य सभा का रवैया क्या होगा, मैं उसकी भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, न उस पर टीका करना चाहता हूं, लेकिन इतना सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि जब आपने कुछ समय पहले लिया और इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जा रहा है तो उसमें कोई परिसीमन के मामले में जो एक हिस्सा छूट गया है, वह हिस्सा यह है कि परिसीमन के साथ ही साथ बढ़ी हुई आबादी के अनुपात में सीटों की भी संख्या लोक सभा और विधान सभा की बढ़ जाया करती थीं । अभी जो विधेयक है, इस मामले में अधूरा है कि केवल सीटों को रोटेट करने के मामले में एक संविधान संशोधन विधेयक यहां आया था, वह अधिकार इस संसद को हो जाए यह देने के संबंध में । मैंने स्वयं प्रधान मंत्री जी से एक बार बात की थी जनवरी महीने में और उन्होंने अपनी व्यथा स्वयं मुझको प्रकट की थी कि जिस इलाके में वह पैदा हुए हैं, वह इलाका सन् 1952 से अनुसूचित जाति में आता है । वह अपने ही घर की सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते । एक प्रश्न तो यह है कि जो बहुत दिनों से परिगणित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनको रोटेट किया जाए, वहीं दूसरी तरफ जब हम अंबेडकर जी की शताब्दी समारोह वर्ष में गुज़र रहे हैं तो भारत में जो आबादी का अनुपात है, 1971 के बाद 20 वर्षों के अंतराल में परिगणित जातियों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या तीन से लेकर चार फीसदी तक बढ़ गई है और उसको नए सिरे से आबादी के अनुपात में फिर सीटों का पुर्ननिर्धारण और उनकी संख्या में वृद्धि हो तो इसका लाभ अनुसूचित जातियों और परिगणित जातियों को मिलने वाला है, इसलिए इस मामले में, जबकि यह सीमित प्रश्न पर है कि सीटों को रोटेट किया जाए, तो प्रवर समिति के ज़िम्मे यह काम भी दे दिया जाए कि बढ़ी हुई आबादी के अनुपात में इन सीटों के परिसीमन और उसमें वृद्धि का भी काम कर दिया जाए । जिसमें मैं ऐसा समझता हूं कि अधूरे काम को पूरा कर दिया जाएगा और इसे बहुत ज्यादा विलंबित करने से अपेक्षित लाभ और हमारी जो मंशा है वह पूरी नहीं हो पाएगी । इसलिए मैं विरोध नहीं करता लेकिन सुझाव देना चाहता हूं कि आबादी के अनुपात में, क्योंकि 1971 के बाद विधान सभा और लोक सभा की बहुत सारी सीटें, जैसे दिल्ली की एक सीट है, वहां पर मतदाताओं की संख्या 16-17 लाख हो गई है और इसी सदन में बहुत-सी ऐसी लोक सभा की सीटें हैं जहां मतदाताओं की संख्या केवल 40 से 60 हजार है । दोनों सदस्यों के काम करने का दबाव दूसरे ढंग का है । यदि इसके बारे में भी समन्वित दृष्टिकोण यह समिति नहीं अपनाती और उस तरह का परिसीमन नहीं होता तो मैं समझता हूं कि हमारा मकसद पूरा नहीं होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन जैसा हमारे साथियों ने कहा कि 81, 82, 170, 327 का संविधान संशोधन आया था और हमने उसमें दो संशोधन दिए थे । नियम भी है, आप जरूर उसको क्लैरीफाई करेंगे । हमने कहा था कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड टाईब्स की जनसंख्या बढ़ गई है क्योंकि हमने जब नियो बुद्धिस्ट को उसमें शामिल किया, उसके मुताबिक शैड्यूल्ड कास्ट की संख्या बढ़कर करीब 17 प्रतिशत हो गई है और शैड्यूल्ड टाईब्स की जनसंख्या भी साढ़े सात प्रतिशत से बढ़कर साढ़े आठ प्रतिशत हो गई है । दोनों मिलाकर 25 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है । निश्चित रूप से जब जनसंख्या बढ़ी है तो संविधान के मुताबिक जनसंख्या के अनुपात में लोक सभा में भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए । उनकी संख्या बढ़ाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए । दूसरा यह है कि संविधान की धारा 327 है, उसके अन्तर्गत जो लैजीसलेचर्स आते हैं, जिसमें दोनों सदन हैं, उसमें लोक सभा में तो रिजर्वेशन है लेकिन राज्य सभा और काऊंसिल में शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड टाइब्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है । नतीजा होता

है कि यहां तो प्रतिनिधित्व हो जाता है लेकिन राज्य सभा में उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है । यदि आप राज्य सभा की फिगर देखेंगे तो शायद दस से ज्यादा उसमें सदस्य नहीं हैं जबकि वहां 250 का हाउस है । मैं समझता हूं कि यह संविधान की मूल भावना के प्रति अन्याय है । इसलिए हमने संशोधन पेश किया था । दोनों पक्ष के लोगों ने चिन्ता जाहिर की है कि शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का अधिकार सभी स्तरों पर सुरक्षित किया जाए । इसलिए राज्य सभा और काउंसिल में उनका रिजर्वेशन हो । मैं समझता हूं कि जब यह हो जाएगा तो दोनों संशोधनों के साथ आ जाएगा ।

जो इस विधेयक में है, हमें नहीं मालूम, शायद जो सैन्सस हुआ है 1981 का रखा गया है । लास्ट जो सैन्सस हुआ है वह 1991 में हुआ है और कांसटीट्यूशन की धारा 81(3) को यदि आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है

[अनुवाद]

'पिछली जनगणना के दौरान जनसंख्या'

[हिन्दी]

पिछली बार 1961 में हुआ था । कुछ कारण था जिसकी वजह से संशोधन करना पड़ा था ।

[अनुवाद]

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : राज्य सभा में इसे संशोधित करके 1991 कर दिया गया है ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अभी तक रिजर्वेशन का जो मामला था वह 61 तक दो मैम्बर कांसटीट्यूएंसी चला था । लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि 1961 में इसका ऐबालिशन करना पड़ा । उसका सबसे बड़ा कारण हुआ कि एक माननीय सदस्य लोक सभा से हार गए थे । उनके स्थान पर शैडयूल्ड कास्ट के सदस्य जीत गए थे क्योंकि डबल मैम्बर कांसटीट्यूएंसी में यह होता है कि एक रिजर्व रहता है और यदि रिजर्व वाले को जनरल वाले से ज्यादा वोट मिल जाएं तो वह औटोमेटिक जनरल पर चला जाता है और दूसरा रिजर्व का रिजर्व रह जाता था । उस मामले में जब वे हार गए तब फिर यहां ऐक्ट के माध्यम से उसे बदलना पड़ा जिसके कारण 1961 के बाद दो मैम्बर कांसटीट्यूएंसी को ऐबालिश कर दिया और रिजर्व कांसटीट्यूएंसी का मामला चला । जो शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का फोरम हम संसद सदस्यों का है और जिसमें हरेक पोलिटिकल पार्टी के कांग्रेस, बी० जे० पी०, सी० पी० आई०, सी० पी० एम० और जनता दल सब हैं, वे आज मिले थे । निश्चित रूप से हम सब लोगों की यह राय थी कि एक तो लोक सभा के साथ राज्य सभा में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाये ।

दूसरी बात यह है कि जो टू मैम्बर सिस्टम शुरू में था, उस पर भी विचार किया जाये । तीसरा, आपने कहा है कि 1991 वाला उसमें लागू कर दिया गया है, यह एक अच्छी बात है । चौथा, बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से उनकी सीटें भी बढ़ायी जानी चाहिये । शैडयूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के साथ जनरल की भी बढ़ायी जायेगी तो उत्तम होगा । उनकी पापुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती है, उस अनुपात में उसको बढ़ाया जाना चाहिये ।

जो अमेंडमेंट्स हमने इनके सम्बन्ध में दिये हैं, वे भी अगर उनके साथ हो जायेंगे तो बहुत अच्छा होगा ।

इन शब्दों के साथ हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है, मैं भी उनकी उस भावना के साथ हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वरराव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इस विधेयक के उद्देश्यों से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन हमें इस अर्थ में अप्रसन्नता महसूस हो रही है कि माननीय मंत्री ने पहले किसी अवसर पर इस सदन को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार एक व्यापक चुनावी सुधार विधेयक लाने में काफी रूचि रखती है। लेकिन अब टुकड़े-टुकड़े में सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पंजाब में चुनाव करवाने के संदर्भ एक संशोधन लाया गया है। वर्तमान में सिर्फ परिसीमन के संबंध में ही संशोधन प्रस्तुत किया गया है जो कि बहुत दिनों से लम्बित पड़ा हुआ था। यह तो एक सामान्य बात है कि संसद या विधान सभा की चुनावों के लिये जो दो या कभी-कभी तीन दशकों के लिये सुरक्षित चुनाव क्षेत्र घोषित किये गये हैं, उन क्षेत्रों के मतदाताओं में आरक्षण के चलते नाराजगी व्याप्त रहती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों के मतदाताओं को छोड़कर बाकी मतदाताओं को अपनी भावना दबाकर रखनी पड़ती है। उसी प्रकार के अवसर दूसरे चुनाव क्षेत्रों में नहीं प्रदान किया जाता है।

कल आपके कक्ष में हुई चर्चा में जब आपने सभी दलों के नेताओं को बुलाया था तो हमें ऐसा लगा कि सरकार इसे आज ही पारित करवाने को उत्सुक है और वह शीघ्र ही एक वास्तविक परिसीमन समिति गठित करेगी जिसे अपनी प्रक्रिया पूरी करने में एक साल से कम समय नहीं लगेगा। अगर विभिन्न राज्यों में विधान सभा के चुनाव करवाने हैं तो सरकार चुनाव क्षेत्रों को तैयार रखना चाहेगी।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक के संबंध में वह न केवल प्रवर समिति की सिफारिशों के साथ आगे आए बल्कि मानसून सत्र में चुनाव संबंधी अन्य सुधारों को भी प्रस्तुत करें ताकि स्वर्गीय श्री दिनेश गोस्वामी और विद्वानों द्वारा किए गए कठोर परिश्रम को संवैधानिक रूप दिया जा सके। उन्होंने इस सोचविचार में भाग लिया और रचनात्मक सहयोग दिया। इससे इस देश की चुनावी प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते समय मैं स्वर्गीय श्री दिनेश गोस्वामी को नहीं भुला सकता हूं, जिन्हें हमने बहुत ही दु:खद परिस्थितियों में खो दिया है। अपने थोड़े समय के मंत्रित्वकाल के दौरान उन्होंने हमारे चुनाव संबंधी कानून में बहुत सक्रिय और उपयोगी भूमिका निभाई। जैसा कि श्री आडवाणी जी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और चुनाव कानून विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई थी। 1990 में यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसे पारित किया गया था।

लोगों ने सोचा होगा कि इस विधेयक में विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। परन्तु ऐसा लगता है कि प्रभावी विधेयक अर्थात सीमांकन समिति के गठन को इस समय इस सत्र में पारित नहीं किया जा सकता है। जब तक यह विधेयक पारित नहीं कर लिया जाता तब तक सीमांकन पर वास्तविक कार्य करने के लिए इन्तजार करना होगा। इसे इस सत्र में भी नहीं किया जा सकता है। अत: हम इस मामले पर बारीकी से अध्ययन किए जाने का बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि 1991 की जनगणना के आधार पर स्थानों के पुनर्समायोजन का प्रश्न इसमें निहित है और साथ ही जहां तक अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का संबंध है उसमें स्थानों की अदला-बदली का प्रश्न भी निहित है। चूंकि हम प्रवर समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हम अंशत: तथा कई अवसरों पर तदर्थ रूप से भी चुनाव संबंधी कानून में सुधार लाने का भी प्रयास कर रहे हैं । यही कारण है कि हम यह महसूस कर रहे हैं कि चुनाव संबंधी कानून में आवश्यक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एक व्यापक कानून पहले ही लाया जाना चाहिए था ।

1971 के बाद से इस उद्देश्य के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया । पहले की सरकार द्वारा गठित की गई इन समितियों में चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ था । परन्तु अनेक सर्वसम्मत सिफारिशें इस रूप में स्वीकार नहीं की गई हैं कि उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका और उन्हें कानून का रूप नहीं दिया जा सका ।

कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया और हमारे चुनाव कानून में काफी कमजोरियां हैं । चुनाव प्रणाली को ही विकृत करने के लिए अभी भी अनेक तरीके अपनाए जा रहे हैं । किसी को भी इस मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त सतर्क रहना होगा कि इस प्रणाली को आगे और विकृत न करने दिया जाए । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में और विलंब न किया जाए । मुझे विश्वास है कि श्री रेड्डी इस काम को अविलम्ब करना चाहते हैं । यदि आवश्यक हो तो वह किसी भी दिन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित कर सकते हैं । परन्तु यह सीमांकन का मामला एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अब कोई रूकावटें नहीं हैं । मैं आशा करता हूं कि हमने बाधाओं को लांघ लिया है । आगामी सत्र में हम इसे सीमांकन विधेयक के साथ पारित कर सकेंगे जो कि शीघ्र लागू हो जाना चाहिए ।

महोदय, अनेक मामले लंबित पड़े हुए हैं । इनमें दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें भी शामिल हैं । इनमें अन्य सिफारिशें भी हैं । चुनाव आयोग द्वारा नेमी सिफारिशें दी हैं । अत: इस मामले में विलंब न किया जाए । जैसा कि हमारे चुनाव संबंधी कानून और साथ ही चुनाव प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयां, कमजोरियां और त्रुटियां हैं । अत: हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । सिर्फ विचार ही नहीं हमें इन त्रुटियों में सुधार लाने के लिए इस देश में सबसे अच्छी चुनावी प्रक्रिया लोन से संबंधित अपने निश्चय को प्रमाणित करना चाहिए. मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, आर-आर चुनाव सुधार की बात लोक सभा में आई है और उसके मुताबिक आज इस पर डिसकशन हो रहा है । इसमें कहा गया है कि 1991 की जनगणना के मुताबिक इस बार नई सीटें निर्धारित की जानी चाहिए और इसके साथ-साथ जहां रिजर्व सीटें हैं, वहां हमेशा देखने को मिला है कि चुनाव के अन्दर मतदान में उदासीनता देखी जाती है । चुनाव सुधार के अन्दर यह व्यवस्था की जाए कि मतदाता कंपलसरी वोटिंग करें । इसके साथ-साथ राज्य सभा की बात है, उसमें मेरी मानना यह है जिस तरह से लोकसभा में रिजर्वेशन है, उसी तरह से राज्य सभा के अन्दर भी अगर रिजर्वेशन हो जाता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी सही प्रतिनिधित्व मिलेगा । वे अपने विचार आम जनता के लिए और अपने समाज के लिए भी सही तरीके से रख सकेंगे । यह भी देखा जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को चुनाव लड़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं । खर्च की दृष्टि से भी इन उम्मीदवारों को अपना चुनाव लड़ना मुश्किल होता है । इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि रिजर्व सीटों के लिए भारत सरकार की ओर से विशेष सुविधा दी जाए ।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : अध्यक्ष महोदय, समिति के अध्यक्ष तत्कालीन विधि मंत्री स्वर्गीय दिनेश गोस्वामी ने कुछ सिफारिशें की थी । उक्त समिति ने सिफारिश की थी कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाए और वहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाए ।

विधेयक को पारित किये जाने से पूर्व इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये । क्योंकि यदि आप इस विधेयक को पारित कर देंगे तो वह कानून बन जाएगा और यह लागू हो जाएगा । इस विधेयक को पारित किये जाने से पूर्व सभा के सभी सदस्यों को जनगणना रिपोर्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिये । महोदय, मैंने 1991 की जनगणना रिपोर्ट का अध्ययन किया है और मैंने यह पाया कि उस रिपोर्ट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का कोई उल्लेख नहीं है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर भी विचार किया जाना चाहिये । समिति की मुख्य तौर पर ये सिफारिशें हैं । इस विधेयक को पारित करने से पूर्व हमें जनगणना रिपोर्ट की पूरी जांच करनी चाहिये । कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां मात्र 40,000 मतदाता हैं, जबकि कई निर्वाचन क्षेत्रों में दस लाख से अधिक मतदाता हैं । इस प्रकार यदि हम अचानक इस विधेयक को पारित करते हैं तो न्यायोचित नहीं होगा । यद्यपि राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है, फिर भी इसकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिये । इस विधेयक में उन निर्वाचन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिये, जिन्हे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित होना चाहिये । अन्यथा, यदि हम इस विधेयक को पारित कर देंगे तो कार्यपालिका इसे लागू कर देगी और हमारी अपनी शिकायतें सामने नहीं आ पाएंगी ।

इसीलिये, मैं इस सभा से यह निवेदन करता हूं कि वह इसे प्रवर समिति को भेज दे ।

श्री पी० सी० थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग का मैं समर्थन करता हूं । यह अच्छी बात है कि मामले पर विस्तार से चर्चा होगी । इस बात पर सभी का एक मत है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को सही ढंग से उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

चुनाव सुधार के संबंध में मुझे याद है कि 9 जनवरी 1989 को एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें कई सुझाव दिये गए थे और उन सुझावों के आधार पर एक समिति गठित की गई थी और कई सुझाव प्राप्त हुए थे । श्री दिनेश गोस्वामी भी थे । तत्पश्चात उस मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । फिर जन प्रतिनिधि संबंधी कुछ विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किये गए । यह विधेयक एक बार नहीं बल्कि अनेक बार प्रस्तुत हो चुका है । लेकिन हम अब भी पीछे है और अभी तक हम कोई उपयुक्त सुधार नही ला पाए हैं ।

अत: मेरा यह सुझाव है कि इसे तुरंत लागू किया जाए और मैं पूरी तरह से इसे प्रवर समिति को भेजे जाने का समर्थन करता हूं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने राज्य सभा द्वारा पारित इस विधेयक को एकस्वर से प्रवर समिति को भेजने के लिये कहा है । लेकिन इस प्रक्रिया में कई सुझाव प्राप्त हुए है और विपक्ष के नेता ने चर्चा शुरू कर दी है

और उन्होंने कुछ कहा है । मैं जानता हूं कि बतौर विधि मंत्री के रूप में मैं श्री आडवाणी और श्री अटलबिहारी वाजपेयी के प्रथम प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा है कि हम विस्तृत रूप से एक कानून बनाने जा रहे हैं ।

हमारे यहां चुनाव हो चुके हैं । हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त करनी है । चुनाव के दौरान जो घटनाएं घटी हैं उनपर भी हमें विचार करना होगा । अत: सभा के समक्ष एक समन्वित विधेयक प्रस्तुत करने में समय लगेगा । मैं अब भी अपनी बात पर अडिग हूं । मैंने प्रक्रिया शुरू कर दी है और मैंने जो पहले कहा उस पर अब भी कायम हूं ।

कुछ दिनों में मैं विपक्ष के माननीय नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों को विधेयक का प्रारूप दे दूंगा । उसके बाद हम एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं । मैं टुकड़े-टुकड़े में कानून बनाना नहीं चाहता । अत: मैंने यह चाहा है कि हम सभा में एक समग्र विधेयक प्रस्तुत करेंगे । मैं अपने वादे पर टिका हूं और निश्चित रूप से अगले सत्र में हम इस पर चर्चा करेंगे ।

जल्द ही व्यापक निर्वाचन सुधार संबंधी विधेयक के बारे में सरकार के विचार से मैं आपको अवगत कराऊंगा तब मैं आपके सुझाव लूंगा । उसके बाद ही हम कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं ।

जहां तक राज्य सभा में पारित विधेयक का संबंध है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि वर्लों का प्रबंधन ठीक नहीं और इसीलिये हमने प्रक्रिया बदल दी है, यह बात पूरी तरह सही नहीं है ।

कुछ नये विचार रखे गये हैं और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इन्हें प्रवर समिति के पास विचारार्थ भेजा जाना चाहिए । कुछ नये विचार रखे गयें है अत: यह ठीक होगा कि इस प्रकार के विधेयक पर प्रस्तुत विभिन्न अवधारणाओं पर विचार करने हेतु इन विचारों को प्रवर समिति को भेज दिया जाये जिसमें अनुभवी संसद शामिल हैं । वहां इसे स्वत:पूर्ण विधेयक का रूप देने में मदद मिलेगी जिसे की अगले सत्र में पारित किया जा सकता है । इसके साथ ही हमने निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन विधेयक भी प्रस्तुत किया है । शायद यह विधेयक भी अगले सत्र में पारित हो जायेगा और परिसीमन आयोग का भी गठन हो जायेगा । विधेयक पारित हो जाने के बाद ही चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा ।

आठ-नौ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं । इस बार हमें जल्दबाजी की बजाय उचित तरीके से करना चाहिए । हम इसे उचित तरीके से ही करेंगे । मैं चाहता हूँ यह विधेयक चिरस्थायी रहे ।

जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रश्न है, इस विधेयक में उनका उल्लेख नहीं है, न ही यह उससे संबंधित है । हम निर्वाचन क्षेत्रों और अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों का केवल पुन: समायोजन कर रहें हैं ।

श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि पहले ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे, जहां से दो सदस्य निर्वाचित होते थे । ऐसे भी सदस्य रहे है जो ऐसे चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते रहें । 1955 में मैं भी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र दो विधान सभा के लिए चुना गया था । श्री संजीवय्या उम्मीदवार थे और मैं भी सामान्य उम्मीदवार था । मुझे याद है कि आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में दो हरिजन प्रतिनिधि चुने गये । प्रवर समिति में इस पर भी विचार किया जा सकता है । इस प्रकार हम उनके क्रम में परिवर्तन कर रहें है । इस विचार पर भी प्रवर समिति में विचार हो सकता है और प्रवर समिति जो भी सुझाव देगी, हम उस पर संसद में विचार कर सकतें हैं तथा निर्णय ले सकते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि अब चुनाव हो गये हैं सी० ई० एफ० के सुझाव भी आ गये है । हम यह प्रयास कर रहें हैं इस विस्तृत कानून पर कोई निर्णय पर पहुंच सके ।

मैं स्वर्गीय श्री गोस्वामी को जानता हूं । थोडी सी अवधि में उन्होंने अनेक कदम उठाये थे । एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था । प्रवर समिति ने एक मत होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । केवल कुछ मामलों में कुछ मतभेद थे हम उन सब पर भी विचार कर रहें है ।

कुछ विधेयक सदन के पास लम्बित पडे हैं । मैं उन्हें टुकडों में पारित कराने के पक्ष में नहीं हूं । अब जब हम एक विस्तृत विधेयक ला रहे हैं तब इस मामले पर गहराई से चर्चा की जानी चाहिए ।

अभी हाल ही में मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । उन्होंने कुछ सुझाव दियें हैं । उन सुझावों और पहले से मौजूद सुझावों के साथ हम जल्द ही विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करेंगे । मैं चाहता हूं कि संसद जिस विधेयक को पारित करे वह चिरस्थायी हो ।

हम शीघ्र ही विपक्ष के नेता से इस संबंध में विचार करेंगे । शायद यह कार्य सप्ताह या दस दिन में पूरा कर लिया जायेगा । विधेयक का प्रारूप तैयार है । कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं, इसी कारण हम इंतजार कर रहें हैं । अन्यथा संसद के सत्रावसान से पहले ही मैं यह कार्य कर लेना चाहता हूं लेकिन यह तीन-चार दिन में हो जायेगा । विस्तृत विधेयक इस सत्र में नहीं अपितु अगले सत्र में लाया जायेगा । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा 1990-91 की जनगणना पर विचार होगा न कि 1980-81 की जनगणना पर ।

श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधित किया गया था वह विधेयक 1991 का है । . . . **(व्यवधान)** यह समय उन बातों पर चर्चा करने का नहीं है । यह विधेयक केवल परिसीमन तक ही सीमित है ।

श्री राम विलास पासवान : अनुच्छेद 337 के अन्तर्गत इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : प्रवर समिति इन सभी बातों पर विचार करेगी । इसी कारण प्रवर समिति का गठन किया गया है । उनके द्वारा इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा । जहां तक दिल्ली का संबंध है विपक्ष के नेता यह जानना चाहते थे कि चुनाव कब होंगे । परिसीमन आयोग इस समय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्य में व्यस्त हैं । केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है । सुझावों और आपत्तियों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 16-6-92 है । यह अस्थायी कार्यक्रम है जिसे दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए निश्चित किया गया है । प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद प्रकाशन की अन्तिम तिथि 10-7-1992 है और मतदाता सूचियों का प्रकाशन 1-8-92 तक पूरा हो जायेगा । इसके बाद सरकार शीघ्र ही चुनाव कराने का निर्णय लेगी । सरकार दिल्ली में चुनाव कराने को उत्सुक है । हम एक विस्तृत चुनावी कानून भी लाना चाहते हैं । मेरी यही इच्छा है कि मैं जल्दबाजी में यह काम न करूं । मैं टुकडों में विधेयक प्रस्तुत नहीं करना चाहता अपितु एक ऐसा विधेयक पारित करना चाहता हूं, जो समय की कसौटी पर खरा उतरें । यही इसका कारण है । हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है । हम इसके प्रति ईमानदार हैं । मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हम यह कार्य जल्दी ही करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, डी-लिमिटेशन कमीशन बिल कब आयेगा ।

[अनुवाद]

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : इस विधेयक को संसद द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद यह प्रभाव में आ जायेगा जैसाकि अभी मेरे दोस्त, श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक अर्थात् संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 (अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन), राज्य सभा द्वारा यथापारित, एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 20 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
(2) श्री बूटा सिंह
(3) श्री चन्दूभाई देशमुख
(4) श्री जसवन्त सिंह
(5) श्री पी० आर० कुमारमंगलम
(6) श्री रामकृष्ण कुसमरिया
(7) प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन
(8) श्री सूरज मंडल
(9) श्री अरविन्द नेताम
(10) श्री राम विलास पासवान
(11) श्री के० प्रधानी
(12) श्री एस० एस० बी० राजेन्द्रकुमार
(13) डा० लाल बहादुर रावल
(14) श्री सुदर्शन राय चौधरी
(15) श्री एम० आगा रेड्डी
(16) श्री विश्वनाथ शास्त्री
(17) श्री सुखराम
(18) श्री सैयद शाहबुद्दीन
(19) श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: और
(20) श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

मानसून सत्र, 1992 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने के निर्देशों के साथ ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.38 म० प०

संविधान (छिहत्तरवाँ संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 54 और 239क्क में संशोधन)
राज्य सभा द्वारा यथापारित

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य-सभा द्वारा यथा-पारित, पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्यों को याद होगा कि दिल्ली की संरचनात्मक ढाँचे की पुनर्गठन समिति (बालकृष्ण समिति) की कुछ सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने के अनुपालन में पिछले वर्ष संसद द्वारा दो विधेयक, अर्थात (i) संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) विधेयक, 1991 और (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार संबंधी विधेयक पारित किये गये थे । नये कानूनों में अन्य चीजों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये एक विधान-सभा और एक मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया था ।

उस समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचक-मंडल में शामिल करने से संबंधित था । यहाँ यह उल्लेख करना युक्तिसंगत होगा कि केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकार अधिनियम, 1963 में पांडिचेरी के लिये एक विधान-सभा और एक मंत्रिमंडल का प्रावधान तो है लेकिन सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के लिये निर्वाचक मण्डल के सदस्य नहीं हैं ।

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में यह भी याद होगा कि दिल्ली से संबंधित विधेयकों पर विचार करते समय संसद के दोनों सदनों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिये जो निर्वाचक-मंडल का प्रावधान है, उसमें केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल करने के पक्ष में विचार व्यक्त किये गये थे । और सरकार की तरफ से कहा गया था कि उन सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि संविधान में एक दूसरा संशोधन करने की स्थिति में हैं जिससे भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक-मंडल में केन्द्र-शासित प्रदेशों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जा सके । प्रस्तुत विधेयक निर्वाचक-मंडल में उन सदस्यों को शामिल करवाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 54 में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है ।

अब मैं विधेयक में दिए गए प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा । वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 54 में जो निर्वाचक-मंडल का प्रावधान है उसमें सिर्फ दोनों सदनों और राज्य विधान-सभाओं (केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान-सभा नहीं) के चुने हुए सदस्य ही शामिल हैं । इसी प्रकार अनुच्छेद 55, जिसमें इस चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है, में भी सिर्फ राज्यों की विधान-सभाओं के बारे में कहा गया है । तदनुसार, अनुच्छेद 54 में एक टिप्पणी जोड़ने की माँग की गई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति-चुनाव के निर्वाचक-मंडल के संदर्भ में अनुच्छेद 54 और 55 में जो 'राज्य' शब्द का प्रसंग है, उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी केन्द्रीय शासित प्रदेश को भी शामिल किया जा सके । इससे वहाँ की विधान-सभाओं के चुने हुए सदस्यों को निर्वाचक-मंडल में शामिल किया जा सकेगा ।

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1991, जिसे संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, को राष्ट्रपति की मंजूरी 21 दिसम्बर, 1991 को दी गई थी । लोक-सभा मूल रूप से प्रस्तुत उक्त विधेयक में अनुच्छेद 239कक में अनुच्छेद 239 के की तरह उप-खण्ड ख से लेकर खण्ड (7) तक शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था जिसके अन्तर्गत केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के लिये एक विधान-सभा और एक मंत्रीमण्डल का प्रावधान किया गया था । बाद में उस उप-खण्ड को हटा दिया गया क्योंकि उसे शामिल करने से उस विधेयक की पुष्टि आधे से अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों से करवाने की आवश्यकता पड़ती जिससे केन्द्र शासित प्रदेश के लिये विधान-सभा के गठन में विलम्ब होता । उक्त उप-खण्ड को पूर्वकालिक प्रभाव के साथ अर्थात् 21 दिसम्बर, 1991 से प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक में जोड़ा गया है ।

अनुच्छेद 239कक का खण्ड (ख) व्याख्यात्मक प्रकृति का है । संशय की स्थिति से बचने के लिये इस उप-खण्ड में उल्लेख कर दिया गया है कि संशोधन (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जायेगा, क्योंकि उक्त संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत संसद को दिल्ली के लिये विधान-सभा का गठन, जैसा कि उस संविधान संशोधन विधेयक में निहित था, करने के सम्बन्ध में संसद को समुचित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है । इस उप-खण्ड का मुख्य उद्देश्य इस बात को स्पष्ट करना है कि उप-खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे संविधान में संशोधन न मानकर संसद द्वारा सामान्य विधायी कार्य के अन्तर्गत पारित एक साधारण कानून मात्र माना जायेगा । ऐसा कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये एक स्थानीय विधान-मण्डल या मंत्रीमण्डल के गठन के लिये संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत संसद द्वारा बनाये गये वैसी ही प्रावधानों की तर्ज पर बहुत ही सावधानीपूर्वक किया गया है ।

संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उप-खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद आधे से अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों से इसकी पुष्टि करवाने की आवश्यकता पड़ती है ।

प्रस्तुत विधेयक में शामिल किये गये प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की एक महत्वपूर्ण पहलू को आवरण प्रदान करते हैं । भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में केन्द्र शासित प्रदेशों के विधान-मण्डलों के विधायकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका लक्ष्य है । मुझे पूरी आशा है कि इस विधेयक को सदन के सभी वर्गों का सर्वसम्मत समर्थन मिलेगा जैसा कि इसे राज्य-सभा में मिला है ।

महोदय, अब मैं विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य-सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अभी जो संविधान में 76वां संशोधन करने वाला बिल आया है मैं उसका समर्थन करता हूं । पिछले दिसम्बर, 1991 में जब दिल्ली को विधान सभा देने का बिल सत्र में आया था तो मंत्री जी ने अनेक वादें किये थे, उसमें एक वादा यह भी था कि दिल्ली को और

पांडिचेरी को इलेक्टोरल कालेज में लाकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा । साथ ही एक वादा यह भी था कि सात-आठ महीने के अन्दर दिल्ली के चुनाव कराये जायेंगे । अब चुनाव कराना तो दूर रहा, दूसरा वादा दूर रहा, लेकिन पांडिचेरी के अन्दर चूंकि कांग्रेस को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट मिलने वाले हैं इसलिए.....(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वायदे के अनुसार जुलाई में 6-8 महीने बनते हैं । दिल्ली के चुनाव जुलाई से पहले कराते तो मुझे लगता कि आपने वायदा पूरा किया । आपने यह भी वायदा किया था कि इस सैशन के अन्दर दिल्ली के भावी ढांचे के बारे में बिल लाना है लेकिन दिल्ली कारपोरेशन का क्या होने वाला है ? ये कितने बनेंगे ? इनकी 2 होगी, 3 होगी या 5 होगी ? आप तो सरकारिया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बिल लाने वाले थे । उन सिफारिशों का क्या हुआ ? आपने वायदा किया था कि दिल्ली नगर निगम को कई डिस्सों में बांटा जायेगा । आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि असेम्बली के चुनाव होंगे या नहीं ? इस कारपोरेशन का चुनाव होगा या नहीं ? क्या 5 या 6 या 10 कारपोरेशन बनेंगे ? आप बता नहीं रहे हैं । नई दिल्ली नगरपालिका का, डी० डी० ए० का क्या होने वाला है ? उसके तीन डिस्से करने वाले हैं, वह हो रहा है या नहीं ? आप एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट करने वाले हैं या नहीं ? इसी प्रकार डेसू और वाटर बोर्ड बनाने वाले हैं या नहीं ? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो वायदे किये थे, दिल्ली के भावी ढांचे के बारे में जो वायदे किये थे, उन सबका क्या हुआ ?

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं भले ही आप दिल्ली विधान सभा के चुनाव करवा दें लेकिन जैसाकि आपने कहा दिल्ली की समस्या तब तक हल नहीं होगी, जब तक कि दिल्ली के लिए जो सिफारिशें सरकारिया कमेटी ने की थी, उसके बारे में जो बिल यहां पर आना चाहिये था, उसको पास करवाना चाहिये था, वह नहीं आ रहा है और इसलिए यह चिन्ता की बात है । आज आप बताने की स्थिति में नहीं हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे दिल्ली वालों को यह बतलायें कि विधान सभा के चुनाव कब होंगे और उसके बाद दूसरे मामलों का क्या होगा क्योंकि एक असर पड़ रहा है । दिल्ली में जो अनसर्टेनटी की हालत है, उसके 2-3 एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं । दिल्ली में आज चार लाख आदमी बाहर से आ रहे हैं और एक लाख मकान प्रतिवर्ष चाहिये जबकि दिल्ली की अपनी जनसंख्या रोज़ बढ़ रही है लेकिन आप प्रतिवर्ष 8 हजार मकान दे रहे हैं । दूसरी बात——तीन साल पहले दिल्ली में प्राईवेट और डी० टी० सी० की बसों की संख्या 5000 थी जो अब घटकर 4800 रह गयी है और दिल्ली की आबादी दस लाख बढ़ गयी है । बसें कम हो गयीं, मकान नहीं बन रहे हैं, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बद से बदतर हो रही है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस मौके पर दिल्ली के भावी ढांचे के बारे में एक घोषणा करें ।

अध्यक्ष जी, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी आपने कहा कि डिलिमिटेशन हो रहा है लेकिन एक काम रह गया । जल्दबाजी में यह पास कर दिया गया । डिलिमिटेशन एक्ट के अन्दर यह प्रोविज़न है कि हर प्रदेश की असेम्बली/लोकसभा का मैम्बर एक निश्चित रेशो के अन्दर डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जुड़ा होता है लेकिन आज दिल्ली के इलेक्टेड मैम्बर्स को कोई पूछ नहीं रहा है । इसलिए मेरा सुझाव है कि भले ही यह एक्ट पास नहीं हो लेकिन दिल्ली के इलेक्टेड मैम्बर्स को भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिये क्योंकि आज दिल्ली में डिलिमिटेशन एक व्यक्ति कर रहा है, इलेक्टेड मैम्बर्स की भावना का आदर करते हुए इस डिलिमिटेशन प्रक्रिया में एम० पी० को भी जोड़ा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष जी, जो धीमी रफ्तार चल रही है, उसके अनुसार दिल्ली के चुनाव कब होंगे यह अनिश्चित है । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने उस वायदे को दोहराएं, भले ही वह राष्ट्रपति के चुनाव के पहले चुनाव

नहीं करवा रहे लेकिन उसके बाद दिल्ली के चुनाव कब होने वाले हैं, इसकी तिथि नहीं तो कुछ कार्यक्रम की घोषणा कर सकें तो अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, मैं एक पॉइंट बाय-इलेक्शन के बारे में बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इससे संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं और सुधारों की चर्चा नहीं करता जिनका आडवाणी जी ने जिक्र किया है। इस बाय-इलेक्शन के अंदर चुनाव सुधारों के लिए एक बात थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल कर लें तो लोगों को लगेगा कि आप चुनाव सुधार करने में सिन्सियर हैं। क्या कारण है कि इन बाय-इलेक्शंस में आप मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? मुझे मालूम पड़ा है कि आपने गुजरात के चुनावों को पोस्टपोन कर दिया यह कहकर कि वहां सूखा है। क्योंकि गुजरात की चारों सीटें बीजेपी को मिलने वाली थीं, इसलिए आपने ऐसा किया। सच्चाई यह है कि वहां के मुख्य मंत्री अपने निजी कारणों से विदेश जाना चाहते हैं इसलिए वहां के बाय-इलेक्शन ही आपने पोस्टपोन कर दिए।

अंत में मैं जहां इस विधेयक का समर्थन करता हूं, वहां आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप दिल्ली के चुनाव शीघ्र कराने की घोषणा करें। राष्ट्रपति के चुनाव के पहले तो शायद ये नहीं करवा पाएंगे, लेकिन कब करवाने वाले हैं, यह ज़रूर बताएं, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक (फुलबनी) : महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने से पहले उस समिति में अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह दूसरा विधेयक है।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष जी, दिल्ली और पाण्डिचेरी के लोगों के लिए यह खुशी का अवसर है कि इस समय पर यह सदन इस संविधान संशोधन को पास कर रहा है कि जिससे पाण्डिचेरी और दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन इलाकों का भी जो जन समुदाय है, उनकी भी लोकतांत्रिक आशा और आकांक्षा एक ही प्रकार की होती है, इसलिए जो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़ जैसे केन्द्र शासित इलाके हैं, जहां विधान सभा नहीं है, उन इलाके के लोगों को इससे वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा चूंकि प्रधान मंत्री जी भी मौजूद हैं और सरकार के सभी वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं तथा विरोधी पक्ष के नेता भी हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये सब जो केन्द्र शासित इलाके हैं जहां विधान सभा नहीं है, वहां के लोगों को आज के दिन जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का मौका नहीं है, उनके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, सदन में जिस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है, मैं अपने दल की ओर से उसका समर्थन करता हूं । इसके साथ-साथ कुछ बातें दिल्ली के बारे में खासकर कहना आवश्यक समझता हूं ।

दिल्ली देश की राजधानी है और यहां की आबादी का बड़ी तेजी से गठन बदलता रहता है, इधर और तेजी से वह बदला है । इसलिये 1991 की जनगणना के आधार पर तो चुनाव होने ही हैं, मगर यहां पर क्षेत्रों का पुनर्गठन भी ठीक से होना चाहिये ताकि सभी को समान रूप से उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, जो दिल्ली के निर्माता हैं, चाहे वे श्रमिक हों, भवन बनाने वाले हों, झुग्गियों में रहने वाले हों या महलों में रहने वाले हों, सभी को पूरा प्रतिनिधित्व मिले, खासकर दिल्ली के बारे में, इस बात पर मेरा जोर है ।

अध्यक्ष जी, चुनावों के बारे में जो और सुधार आयेगा, दिल्ली के चुनावों में देरी हो, ऐसा मैं भी नहीं चाहता हूं, जो भी देरी हुई है, वह भी गलत हुई है । उसको भी पहले सोचना चाहिये था । मैं अभी नियत पर नहीं जाना चाहता कि सरकार जानबूझ कर देरी कर रही है, मगर शंका की गुंजाइश रह जाती है क्योंकि देरी हो रही है, यह छूट हुई है, मगर जब राजनैतिक निर्णय हो गया है तो अब उसमें विलम्ब का कारण नहीं होना चाहिये । यहां सही चुनाव हों, इसलिये चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन 1991 ईसवीं की जनगणना के आधार पर कर लिया जाये ताकि कोई इलाका उपेक्षित न रहे, कोई तबका उपेक्षित न रहे । यही कहकर मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष जी, दिल्ली और पांडिचेरी के सम्बन्ध में सदन में जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि दिल्ली में चुनाव कराने का जब निश्चय हो गया है, अभी यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो पिछली जनगणना में किन्हीं कारणों से छूट गये थे और उनकी संख्या, तकरीबन मैं समझता हूं कि 20 से 25 लाख है । इन 20-25 लाख लोगों का नाम अभी दिल्ली की वोटर लिस्ट या मतदाता सूची में शामिल नहीं है । मेरा आग्रह है कि उनके नाम आप शीघ्र मतदाता सूची में शामिल कराने की व्यवस्था करें और तभी चुनाव करायें ताकि यहां जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, वे भी अपने जन-प्रतिनिधियों को चुन सकें और उनकी भी चुनावों में भागीदारी हो । इसकी आज प्रबल आवश्यकता है ।

इस निवेदन के साथ मैं सदन में प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह बात निहित है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है । यह सिर्फ कहने भर के लिये नहीं लिखा गया था । गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन चुनाव के माध्यम से होना चाहिए । लेकिन संविधान का अनुच्छेद 54 इस मायने में दोषपूर्ण है कि इसमें सिर्फ चुने हुए सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों को ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार दिया गया है । लेकिन अब दिल्ली में एक चुनी हुई विधान सभा होने जा रही है । केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में एक चुनी हुई विधान सभा है ही । यह अच्छा है कि हमारे समक्ष यह संशोधन विधेयक है जो दिल्ली की प्रस्तावित विधान सभा के प्रस्तावित सदस्यों और पांडिचेरी विधान सभा के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के योग्य बनायेगा ।

अन्त में मैं केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की ओर से एक अपील करना चाहूंगा ।

वहाँ के लोगों की एक मांग बड़े लम्बे समय से चली आ रही है कि उनके यहाँ भी एक चुनी हुई विधान सभा होनी चाहिए जिसके सदस्य भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकें । इस सम्बन्ध में सरकार से शीघ्र कार्यवाही करने का मेरा अनुरोध है । धन्यवाद !

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि हमें इस कार्य को पूरा करने के लिये सदन का समय बढ़ाना होगा ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ ।

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय यह कार्य पूरा होने तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : अध्यक्ष जी, सदन में दिल्ली और पांडिचेरी के सम्बन्ध में जो संविधान संशोधन बिल आया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करता हूं और इसके साथ-साथ एक ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं ।

यह बात यह है कि दिल्ली एक मैट्रोपोलिटन सिटी है और कम्पोजिट रूप में यह देश का पहला स्टेट बने, उससे हमें खुशी होगी कि यह पहला ऐसा स्टेट होगा, जहां पर कि कम्पोजिट पौपुलेशन रहती हैं, बहु-लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं । यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनेगा, इस दिशा में यह पहला कदम होगा. इसलिये दिल्ली बहु-लिंग्विस्टिक बनना चाहिये, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर समर्थन करता हूं ।

6.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस विधेयक को सम्पूर्ण सदन का समर्थन मिला है । श्री मदन लाल खुराना द्वारा इस सम्बन्ध में शुरूआत की गई थी । हमने उन्हें कई बार सुना है । उनके दिमाग में दिल्ली सबसे पहले रहती है, वह हमेशा दिल्ली में चुनावों की ही बात करते हैं । यह सदन एक विधेयक पहले ही पारित कर चुका है, जिससे दिल्ली राज्य बनने जा रहा है और इसका अपना विधान मण्डल और मंत्रालय होगा तथा इसके चुने हुए विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान भी कर सकेंगे । दिल्ली के साथ-साथ पांडिचेरी को भी वह लाभ मिलेगा, मेरा मतलब है कि पांडिचेरी विधान-मंडल के सदस्यों को भी वही लाभ मिलेगा । जैसा कि माननीय सदस्यों का कहना था कि उनके विधान-सभा के चुने हुए सदस्यों को यह सुविधा मिलनी चाहिये ।

जहाँ तक दिल्ली का प्रश्न है, परिसीमन समिति अपना कार्य कर रही है, यह तो सभी जानते है और उसका निर्धारित समय, जिसके बारे में श्री आडवाणी मुझसे जानना चाहते है, के सम्बन्ध में कह चुका हूँ कि यह प्रक्रिया में है और जैसे ही चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पूरा हो जाता है चुनाव भी यथाशीघ्र निश्चय ही करा लिये जायेंगे । मैं नहीं कह सकता कि यह अभी ही शुरू हो जायेगा लेकिन यह जरूर है कि हम शीघ्र ही इसे करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : एम०पीज को साथ में लिया जाए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही वैध और उपयोगी मुद्दा है । आमतौर पर परिसीमन आयोग विधेयक में यह प्रावधान है कि संसद सदस्य इसके सह-सदस्य होंगे और विधान सभा परिसीमन के मामले में विधान सभा के सदस्य सह-सदस्य होने चाहिए । यहाँ इस मामले में कोई भी ऐसा परिसीमन विधेयक नहीं है । यहाँ यह निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है । अत: इन बातों को देखते हुए, इस परिसीमन प्रस्ताव की भावना को देखते हुए यदि आप दिल्ली के संसद सदस्यों को दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबद्ध करते हैं तो यह एक अच्छी बात होगी और ऐसा सरकार द्वारा किया जा सकता है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, आल पालिटिकल पार्टीज का उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह किसी भी तरह से किया जा सकता है ।**(व्यवधान)**

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, परिसीमन का कार्य मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा किया जा रहा है । मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस पर गौर करूंगा । मुझे इसकी जांच करनी होगी, जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसके बारे में मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि परिसीमन आयोग में संसद सदस्यों और विभिन्न राज्यों के विधायकों का सहयोग लिया जाता है । लेकिन यह कैसे किया जाता है, इन सब बातों पर गृह मंत्री गौर करते हैं । मैं इसकी जानकारी गृह मंत्री को दे दूँगा । अधिसूचना कार्य विवरण और सभी चीजों के लिए तारीखें निकाल दी गयी हैं । अत: सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के मामले में दृढ़ है । शायद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किये जाने के बाद सरकार चुनाव करायेगी और अगले राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली के विधायक भी मतदान में भाग लेंगे ।

अत:, मैं सभी सदस्यों को सहयोग देने के लिए पुन: धन्यवाद देता हूँ ।

श्री मनोरंजन भक्त : अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मेरे मित्र श्री मनोरंजन भक्त यह बात काफी पहले से पूछ रहे हैं और मेरी हमेशा उनसे सहानुभूति रही है लेकिन यह अलग मुद्दा है और इससे संबद्ध नहीं है । परन्तु हम इसे बाद में लेंगे । यदि दिल्ली और पांडिचेरी के मित्र जो कि विधायक हैं को मत मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से इससे आगे आपके मामले को समर्थन मिल सकता है । **(व्यवधान)**

धन्यवाद, मैं पुन: सभी दलों के सदस्यों का आभारी हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ कि यह विधेयक पारित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा ।

घंटियां खाली कर दी जायें

अब घंटियां खाली हो गयी हैं

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाय ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

[समय 6.11 म० प०

मत विभाजन संख्या 19]

पक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल०
अंजलोज़, श्री थाइल जान
अन्तुले, श्री ए० आर०
अंसारी, श्री मुमताज
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अय्यर, श्री मणिशंकर
आचार्य, श्री बसुदेव
आजम, डा० फैयाजुल
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्र जीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्बे, श्री लाईता
उराव, श्री ललित
ओडेयर, श्री चनैया
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
कड़ाडोले, श्री जेड० एम०
कमल नाथ, श्री
कमल, श्री श्याम लाल
करेड्डुला, श्रीमती कमला कुमारी
कठेरिया, श्री प्रभुदयाल
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, श्री राम
कामत, श्री गुरूदास
कामसन, प्रो० एम०
काले, श्री शंकरराव के०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुट्टमुला, कु० श्री० पदमश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमार मंगलम, श्री रंगराजन
कुमार, श्री नीतीश
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केवलसिंह, श्री
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कैनिथी, डा० विश्वानाथम
कैरो, श्री सुरेन्द्र सिंह
कोंताल, श्री राम कृष्ण
कोरी, श्री गया प्रसाद
कौल, श्रीमती शीला
कौर, श्रीमती सुखबंस
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खन्डूरा, श्रीभुवनचन्द्र
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री छीतूभाई
गालिब, श्री गुरचरणसिंह
गायकवाड, श्री उदयसिंहराव
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा, देवी श्रीमती
गुडादिन्नी, श्री बी० के०

गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोगोई, श्री तरूण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावडा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नितला, श्री रमेश
चौरे, श्री बापु हरि
चौधरी, डा० के० वी० आर०
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौधरी, श्रीमती संतोष
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगडे, श्री खेलन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जावाली, डा० बी० जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
टोपे, श्री अंकुशराव
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रबीन
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहन एस०
डोम, डा० राम चन्द्र
तम्काबालू, श्री के० वी०
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
तारासिंह, श्री
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा० रमेश चन्द्र
तोपनो, कुमारी, फ्रिडा
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरात, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री सुनील
दादाहूर, श्री गुरुचरणसिंह
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दिघे, श्री शरद
दिग्विजय सिंह, श्री
दुबे, श्रीमती सरोज
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती बिनू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह
धूमल, प्रो० प्रेम
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नाईक, श्री राम
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युंजय
नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०
निकम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पदमा, डा० (श्रीमती) नागापट्टीनम
पंडियन, श्री डी०
पवार, श्री शरद
पवार, डा० वसंत
पटनायक, श्री शरतचन्द्र
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री बृशिण
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री अमृतलाल कालिदास
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाणिग्राही, श्री श्रीवल्लभ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पाल, डा० देवी प्रसाद
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचोला, श्री वेंकटरंगया नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान श्री सुकदेव
पायलट, श्री राजेश
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश, श्री शशि
प्रधानी, श्री के०
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फारूक, श्री एम० ओ० एच०
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री चित्त
बालयोगी, श्री जी० एम० सी०
बाला, डा० असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
भक्त, श्री मनोरंजन
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भंडाना, श्री अवतार सिंह
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दनलाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
भोसले, श्री तेजसिंहराव
मंजय लाल, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्री भेरूलाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरयु, श्री रूप चंद
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला० के० एम०
मोल्लाह, श्री इन्नान
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री सूर्य नारायण
राठी, श्री राम लाल
राजुलु, डा० आर० के० जी०
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा
राणा, श्री काशीराम
रामदेव राम, श्री
राम बदन, श्री
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सिंह, श्री राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राजरवि वर्मा, श्री बी०
रामासामी, श्री राजागोपाल नायडू
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्पनाथ
राय, श्री रवि
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
रायचौधुरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्णा
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री भगवान शंकर
राठी, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री अनंत वेंकट
रेड्डी, श्री मटासमुद्रम गोपेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
रेड्डी, श्री जी० गंगा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
रेड्डयया यादव, श्री के० पी०
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लालजान बाशा, श्री एस० एम०
व्यास, डा० गिरिजा
वर्मा, भवानीलाल
वर्मा, श्री रतिलाल
वर्मा, कुमारी विमला
वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शिवप्पा, श्री कोडाकर्ना गौडानाक
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
श्रीधरन, डा० राजागोपालन
स्वामी, श्री जी० वेंकट
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डयया
साय, श्री ए० प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री मनकूल
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री राजबीर
सिंह, श्री शिविन्द बहादुर
सिंह, डा० छत्रपाल
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री के० पी०
सिलवेरा डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुख राम, श्री
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोलंकी, श्री सुरजभानु
सौन्दम, डा० (श्रीमती) के० एस०
हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

*1. श्री अन्बारासु इरा
*2. श्री सत्यगोपाल मिश्र
*3. डा० एस० पी० यादव

---

* गलती से विपक्ष में मत दिया ।

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 318
विपक्ष में : 3

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

* निम्न लिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

1. श्री अन्बारासु इरा, श्री बी० एम० मुजाहिद, प्रोफेसर के० पी० थामस, श्री पी० पी० कलिया पेरूमल, श्री संत एम० सिंगला, श्री के० एच० मुनियप्पा, श्री सुभाष चन्द्र नायक, श्री सत्यगोपाल मिश्र, श्रीमती विमल कुमारी भंडारी, श्री श्रीकांत जेना, डा० एस० पी० यादव, श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी ।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 2, खण्ड 2 को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा ।

घंटियां खाली कर दी जायें

अब घंटियां खाली हो गयी हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में

[समय 6.17 म० प०

मत विभाजन संख्या 20]

अकबर पाशा, श्री बी०
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल०
अंजलोज, श्री घाइल जान
अन्तुले, श्री ए० आर०
अंसारी, श्री मुमताज
अन्बारासु श्री इरा
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आचार्य, श्री बसुदेव
आजम, डा० फैयाजुल
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उम्बे, श्री लाईला
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उरांव, श्री ललित
ओडेयर, श्री चनैया
ओवैसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कमल, श्री श्याम लाल
कमल नाथ, श्री
कठेरिया, श्री प्रभू दयाल
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, श्री राम
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० एम०
कालियापेरुमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकरराव वे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुडुमुला, श्री पद्मश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमार, श्री नीतीश
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री वालिन
कृष्णस्वामी, श्री एम०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केवल सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
केरो, श्री सुरेन्द्र सिंह
केनिथी, डा० विश्वानाथम
कोरी, श्री गया प्रसाद
कोंताला, श्री रामकृष्ण
कौर, श्रीमती सुखबंस
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खंडूरी, श्री भुवन चन्द
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री असलम शेर

खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री छीतूभाई
गायकवाड, श्री उदयसिंहराव
गालिब, श्री गुरचरणसिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गूढेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोगोई, श्री तरूण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवर, श्री पवन सिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम्, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौरे, श्री बापू हरि
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जावाली, डा० वी० जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
जेना, श्री श्रीकान्त
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री बाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
टाईटलर, श्री जगदीश
टोपे, श्री अंकुशराव
टंडेल, श्री डी० जे०
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रबीन
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई एस०
तोम, डा० रामचन्द्र
तम्काबालू, श्री के० वी०
तारा सिंह, श्री
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
तीरकी, श्री पीयूष
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा० रमेश चन्द्र
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
योरात, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री सुनील
दादाहूर, श्री गुरचरण सिंह
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दुबे, श्रीमती सरोज
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०

देवी, श्रीमती विमू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धूमल, प्रो० प्रेम
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नाईक, श्री राम
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युन्जय
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पदमा, डा० (श्रीमती)
पंडियन, श्री डी०
पवार, श्री शरद
पंवार, डा० वसंत
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री वृशिण
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पाटिल, श्रीमती सूर्यकान्ता
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाणिग्राही, श्री श्रीवल्लभ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, डा० देवी प्रसाद
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचीला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पायलट, श्री राजेश
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश, श्री शशि
प्रधानी, श्री के०
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
फारुक, श्री एम० ओ० एच०
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
फैलीरो, श्री एड्वार्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री चित्त
बालयोगी, श्री जी० एम० सी०
बाला, डा० असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
भक्त, श्री मनोरंजन
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भडाना, श्री अवतार सिंह
भागेय गोवर्धन, श्री
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भाटिया, श्री रघुनन्दनलाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोसले, श्री तेजसिंह राव
भोसले, श्री प्रतापराव जी०
मंजय लाल, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री मेरूलाल
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुरयु, श्री रूप चंद
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के० एम०
मोल्लाह, श्री हन्नान
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण
राजरथिवर्मा, श्री वी०
राजुलु, डा० आर० के० जी०
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरी, श्रीमती आसवा
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सिंह, राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदेव राम, श्री
रामासामी, श्री राजागोपाल नायडू
राणा, श्री काशीराम
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री रवि
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्णा
रावत, श्री प्रभु लाल
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
रेड्डी, श्री एम० भागा
रेड्डी, श्री महासमुद्रम गणेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
रेड्डी, श्री जी० गंगा
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डयय्या यादव, श्री के० पी०
लक्ष्मन, प्रो० सावित्री
लालजान बाशा, श्री एस० एम०
व्यास, डा० गिरिजा
वर्मा, श्री रतिलाल
वर्मा, कुमारी विमला
वर्मा, श्री भवानीलाल
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
वाड़डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया
विजयराघवन, श्री वी० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेंद्र
शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा कुमारी
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी

श्रीधरण, डा० राजागोपालन
स्वामी, श्री जी० वेंकट
सईद, श्री पी० एम०
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सज्जन कुमार, श्री
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डयया
साय, श्री ए० प्रताप
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साक्त, श्री सुधीर
सिंगला, श्री संत राम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, डा० छत्रपाल
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री मोती लाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह, श्री हरि किशोर
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुखराम, श्री
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सौन्दम, डा० (श्रीमती) के० एस०
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुसैन, श्री सैयद मसूदल
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

विपक्ष में

1. चौधरी, डा० के० बी० आर०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के* अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 323

विपक्ष में : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अब खंड 3, दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गयी हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया:

पक्ष में · श्री मोहन लाल झिगराम, श्री बी० एम० मुजाहिद, श्री विलास मुत्तेमवार, श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, श्री के० पी० सिंह देव, श्री सुभाष चन्द्र नायक, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री रामबदन, श्री सूर्यनारायण यादव, श्री राम प्रसाद सिंह, श्री शशि प्रकाश।

पक्ष में

समय 6.17 म०प०

मत विभाजन संख्या 20

अकबर पाशा, श्री बी०
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल०
अंजलोज़, श्री० थाइल जान
अन्तुले, श्री ए० आर०
अंसारी, श्री मुमताज़
अन्बारासु, श्री इरा
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
आचार्य, श्री बसुदेव
आजम, डा० कैयाजुल
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्र जीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उम्बे, श्री लाईता
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उरांव, श्री ललित
ओडेयर, श्री चनैया
ओवैसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
कहांडोले, श्री झेड० एम०
कमल, श्री श्याम लाल
कमल नाथ, श्री
कठेरिया, श्री प्रभू दयाल
करेड्डुला, श्रीमती कमला कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, श्री राम
कामत, श्री गुरूदास
कामसन, प्रो० एम०
कालियाचेरूमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकरराव दे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुट्टमुला, श्री पदमश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमार, श्री नीतीश कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केवल सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कैरो, श्री सुरेन्द्र सिंह
कैनिथी, डा० विश्वानाथम
कोरी, श्री गया प्रसाद
कोंताला, श्री रामकृष्ण
कौर, श्रीमती सुखबंस

कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खंडूरी, श्री मुक्त चन्द्र
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री असलममशेर
खां, श्री सुधेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री छीतूभाई
गायकवाड, श्री उदयसिंहराव
गालिब, श्री गुरचरण सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरी, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गूढेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोगोई, श्री तरूण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिह, श्री किरिप
चावडा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौरे, श्री बापू हरि
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगडे, श्री खेलन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जावाली, डा० बी० जी०
जावरलम, श्री आर०
जेना, श्री श्रीकान्त
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री बाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
टाईटलर, श्री जगदीश
टोपे, श्री अंकुशराव
टंडेल, श्री डी० जे०
टिडिवनाम, श्री के० राममूर्ती
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रवीन
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहन एस०
डोम, डा० राम चन्द्र
तेरकाम्बालू, श्री के० वी०
तारा सिंह, श्री
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
तीरकी, श्री पीयूष
तोपनो, कुमारी फ्रिडा

तोप्पदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा० रमेशचन्द
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरात, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री सुनील
दावाहूर, श्री गुरचरण सिंह
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दुबे, श्रीमती सरोज
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती बिमू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह
धूमल, प्रो० प्रेम
न्यायगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नाईक, श्री राम
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युन्जय
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पद्मा डा० (श्रीमती)
पंडियन, श्री डी०
पवार, श्री शरद
पवार, डा० वसंत
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री बृशिण
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पाटिल, श्रीमती सूर्यकांता
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्री प्रकाश वी०
पाणिग्राही, श्री श्रीवल्लभ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, डा० देवी प्रसाद
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पायलट, श्री राजेश
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
पेरूमान, डा० पी० वल्लाल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश, श्री शशि
प्रधानी, श्री के०
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
फारूक, श्री एम० ओ० एच०
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
फैलीरो, श्री एडुआर्डो

बंसल, श्री पवनेकुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री चित्त
बालयोगी, श्री जी० एम० सी०
बाला, डा० असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
भक्त, श्री मनोरंजन
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भडाना, श्री अवतार सिंह
भागेय गोवर्धन, श्री
भण्डारी, श्रीमती विल कुमारी
भाटिया, श्री रघुनन्दनलाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
मंजय लाल, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकारजुनयया, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री मेरूलाल
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुरमु, श्री रूप चंद
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के० एम०
मोल्लाह, श्री हन्नान
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण
राजरवि वर्मा, श्री बी०
राजुलु, डा० आर० के० जी०
राजू, श्री मू० विजयकुमार
राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरी, श्रीमती वासवा
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सिंह, राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदेव राम, श्री
रामासामी, श्री राजागोपाल नायडू
राणा, श्री काशीराम
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री रवि
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्णा
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, श्री भगवान शंकर

रावत, प्रो० रासा सिंह
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बाराया
रेड्डी, श्री एम० भागा
रेड्डी, श्री महासमुद्रम गणेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
रेड्डी, श्री जी० गंगा
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डयया यादव, श्री के० पी०
लक्ष्मन, प्रो० सावित्री
लालजानवाशा, श्री एस० एम०
व्यास, डा० गिरिजा

वर्मा, श्री रतिलाल
वर्मा, कुमारी विमला
वर्मा, श्री भवानीलाल
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया
विजयराघवन, श्री वी० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेंद्र
शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा कुमारी
श्रीनिवासन, श्री चित्रासामी
श्रीधरन, डा० राजागोपालन
स्वामी, श्री जी० वेंकट
सईद, श्री पी० एम०
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सज्जन कुमार, श्री
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डययया
साय, श्री ए० प्रताप
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
सावन्त, श्री सुधीर

सिंगला, श्री संत राम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, डा० छत्रपाल
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री मोती लाल
सिंह, श्री शिवेन्द्रबहादुर
सिंह, श्री हरि किशोर
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
पुखराम, श्री
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सोढी, श्री मानकूराम
सौन्दम, डा० (श्रीमती) के० एस०
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुसैन, श्री सैयद मसूदल
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

1. चौधरी, डा० के० वी० आर०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 323
विपक्ष में : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में :

श्री मोहन लाल भिकराम, श्री बी० एम० मुजाहिद, श्री विलास मुत्तेमवार, श्री चन्दुलाल चन्द्राकर, श्री के० पी० सिंह देव, श्री सुभाष चन्द्र नायक, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री रामधन, श्री सूर्यनारायण यादव, श्री राम प्रसाद सिंह, श्री लक्ष्मि प्रकाश ।

खण्ड 1— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3
इकहत्तर के स्थान पर
सत्तर प्रतिस्थापित करे (1)

(श्री के० विजय भास्कर रेड्डी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मतदान हुआ ।

पक्ष में

[समय 6.20 म० प०

मत विभाजन संख्या 21]

अकबर पाशा, श्री बी०
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अंसारी, श्री मुमताज़
अन्बारासु, श्री इरा
अंजलोज़, श्री खाइल जान
अरूणाचलम, श्री एम०
आर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा

अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अय्यर, श्री मणि शंकर
आचार्य, श्री बसुदेव
आज़म, डा० फैयाजुल
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
अंथिस्पन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्र जीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उम्ब्रे, श्री लाईता
उरांव, ललित
उपाध्याय, श्री स्वरूप
ओडेयर, श्री चनैया
ओवैसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
कमल, श्री श्याम लाल
कमल नाथ, श्री
कहांडोले, श्री झेड० एम०
करेड्डुला, श्रीमती कमला कुमारी
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम
कामत, श्री गुरूदास
कामसन, प्रो० एम०
कलिया पेरूमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकरराव दे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुड्डुमुला, श्री पद्मश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुली, श्री बालिन
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुमार, श्री नीतीश
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृष्णस्वामी, श्री एम०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केवल सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कैरो, श्री सुरेन्द्र सिंह
कैनिथी, डा० विश्वानाथम
कोरी, श्री गया प्रसाद
कोताला, श्री रामकृष्ण
कौल, श्रीमती शीला
कौर, श्रीमती सुखबंस
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खंडूरी, श्री भुवन चन्द्र
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गालिब, श्री गुरचरण सिंह
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गामीत, श्री छीतुभाई
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोगोई, श्री तरूण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घायेवर, श्री पवन सिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

वाक्को, श्री पी० सी०
वार्ल्स, श्री ए०
वालिङा, श्री किरिप
वावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नितला, श्री रमेश
चौरे, श्री बापू हरि
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जावाली, डा० पी० जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
जेना, श्री श्रीकान्त
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टोपे, श्री अंकुशराव
टंडेल, श्री डी० जे०
टिडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रबीन
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई एस०
डोम, डा० राम चन्द्र
तंगकाबालु, श्री के० पी०
तारा सिंह, श्री
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा० रमेश चन्द्र
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मी नारायण मणि
थामस, प्रो० के० पी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरात, श्री संदीपान भगवान
दत्त, श्री सुनील
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दादाहुर, श्री गुरचरण सिंह
दिघे, श्री शरद
दिग्विजय सिंह, श्री
दुबे, श्रीमती सरोज
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती बिमू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
घूमल, प्रो० प्रेम
न्यायगौड, श्री सिदप्पा भीमप्पा
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नाईक, श्री राम
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युन्जय
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०
निकम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पंड्या, डा० (श्रीमती) (नागापट्टीयम)
पंडियन, श्री डी०
पवार, श्री शरद
पवार, डा० वसंत
पटनायक, श्री शरतचन्द्र
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री ऋषिण
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, कुमारी सूर्यकान्ता
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटील, श्री प्रकाश वी०
पाणिग्राही, श्री बल्लभ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पालचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पायलट, श्री राजेश
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पुरमायाच्च, श्री कबीन्द्र
पेरूमान, डा० पी० बल्लल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश, श्री शशि
प्रधानी, श्री के०
प्रभु झाट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
फारूक, श्री एम० ओ० एच
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री चित्त
बालयोगी, श्री जी० एम० सी०
बाला, डा० असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल, श्री
बूटासिंह, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
भक्त, श्री मनोरंजन
भंडारी, श्रीमती दिल कुमारी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मढाना, श्री अवतार सिंह
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
भोसले, श्री तेजसिंहराव
मंजय लाल, श्री
मन्टोष, श्री पाल आर०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मीणा, श्री मेरूलाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुरमु, श्री रूप चंद
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुत्तेमवार, श्री विलास
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मेथ्यू, श्री पाला के० एम०
मोल्लाह, श्री इन्नान
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री सूर्य नारायण
युमनाम, श्री याइमा सिंह
राजुलु, डा० आर०के०जी०
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरी, श्रीमती वासवा
राजरविवर्मा, श्री बी०
राणा, श्री काशीराम
रामबदन, श्री
राम बाबू, श्री ए०जी०एस०
राम सिंह, राव
रामचन्दन, श्री मुल्लापल्ली
रामदेवराय, श्री
रामासामी, श्री राजागोपाल नायडू
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्पनाथ
राय, श्री रवि
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्णा
रावत, श्री प्रभुलाल
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री भगवान शंकर
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री एम० बागा
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री जी० गंगा
रेड्डी, श्री महासमुद्रम गणेन्द्र
रेड्डी, श्री मगुन्टा, सुब्बारामा
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
रेड्डयया यादव, श्री के० पी०
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लालजान वाशा, श्री एस० एम०
व्यास, डा० गिरिजा
वर्मा, श्री रतिलाल
वर्मा, कुमारी विमला
वर्मा, श्री भवानीलाल
वाइडे, श्री शोभनादीश्वर राव
विजयराघवन, श्री वी० एस०

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेन्द्र
शिवप्पा, श्री मोडामनी गौडाना
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्री धरण, डा० राजागोपालन
श्रीनिवासन, श्री सी० चिन्नासामी
स्वामी, श्री जी वेंकट
सईद, श्री पी० एम०
सगमा, श्री पूर्णो ए०
सज्जन कुमार, श्री
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सावन्त, श्री सुधीर
साबुल, श्री धर्मन्ना मोन्डयया
साय, श्री ए० प्रताप
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
सिंगला, श्री संत राम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री के० पी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुख राम, श्री
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सौन्दय, डा० (श्रीमती) के० एस०
सोलंकी, श्री सुरजभानु
हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुसैन, श्री सैयद मसूदल
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 326
विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया, डा० डी० पी० पाल, श्री नारायण सिंह चौधरी, श्री बारेलाल जाटव, श्री के० तुलसिऐया वान्डायार, श्री के० बी० आर० चौधरी, श्री एम० मदन, श्री एम० प्रसाद सिंह।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए अतः मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें—
अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

पक्ष में

[समय 6.23 म० प०

मत विभाजन संख्या 22]

अकबर पाशा, श्री बी०
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अडईकलराज, श्री एल०
अंजलोज़, श्री थाइल जान
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
अंसारी, श्री मुमताज
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा
अशोकराज, श्री ए०
अय्यर, श्री मणि शंकर
अहमद, श्री कमालुद्दीन

आचार्य, श्री वसुदेव
आजन, डा० फैयाजुल
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदित्यन, श्री आर० घनुषकोडी
इन्द्र जीत, श्री
उम्बे, श्री लाईता
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उराव, श्री ललित
ओडेयर, श्री चनैया
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
कमल नाथ, श्री
कमल, श्री श्याम लाल
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
करेदुला, कुमारी कमला कुमारी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम
कामत, श्री गुरूदास
कामसन, प्रो० एम०
कालिया पेरूमल, श्री वी० पी०
काले, श्री शंकरराव दे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुडुमुला, श्री पद्मश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमार, श्री नीतीश
कुमार मंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केवल सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कैरो, श्री सुरेन्द्र सिंह
कैनिथी, डा० विश्वानाथम
कैरी, श्री गया प्रसाद
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कौर, श्रीमती सुखबंस
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खन्डूरी, श्री भुवनचन्द
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री छीतूभाई
गायकवाड, श्री उदयसिंहराव
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गालिब, श्री गुरचरणसिंह
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा, देवी श्रीमती
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोगोई, श्री तरूण
गोमांगो, श्री गिरिधर
चाटोवार, श्री पवन सिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चावडा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चालिहा, श्री किरिप
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्निल्ला, श्री रमेश
चौधरी, डा० के० बी० आर०
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौरे, श्री बापु हरि
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जावाली, डा० बी० जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
जेना, श्री श्रीकांत
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टाईटलर, श्री जगदीश
टोपे, श्री अंकुशराव
टंडेल, श्री डी० जे०
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ती
ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रबीन
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई एस०
डोम, डा० राम चन्द्र
तग्गाबालू, श्री के० वी०
तारासिंह, श्री
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा० रमेश चन्द्र
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरात, श्री संदीपान भगवान
दत्त, श्री सुनील
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दादाहूर, श्री गुरचरणसिंह
दिघे, श्री शरद
दिग्विजय सिंह, श्री
दुबे, श्रीमती सरोज
देब, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती बिभू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
द्रोण, श्री जगतबीर सिंह
धूमल, प्रो० प्रेम
न्यायगौड, श्री सिद्दप्पा भिमप्पा
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नाईक, श्री राम
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री मृत्युंजय
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पवार, श्री शरद
पवार, डा० वसंत
पटनायक, श्री शरतचन्द्र
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री बृशिण
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पाटील, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटील, कुमारी सूर्यकान्ता
पाटील, श्री प्रकाश वी०
पाटील, श्रीमती प्रतिमा देवीसिंह
पाटील, श्री यशवंतराव
पाणिग्राही, श्री श्रीवल्लभ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाल, डा० देवी प्रसाद
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचोला, श्री वेंकटरंगया नायडू
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पायलट, श्री राजेश
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पुरकायस्थ, श्री कमीन्द्र
पेरूमान, डा० पी० बल्लाल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रकाश, श्री शशि
प्रभु झाट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रधानी, श्री के०
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
फारूक, श्री एम० ओ० एच०
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
बनर्जी, कुमारी ममता
बंसल, श्री पवन कुमार
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री चित्त
बालयोगी, श्री जी० एम० सी०
बाला, डा० असीम
बालियान, श्री नरेश कुमार
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
बैठा, श्री महेन्द्र
भक्त, श्री मनोरंजन
भडाना, श्री अवतार सिंह
भण्डारी, श्रीमती दिलकुमारी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोंसले, श्री तेजसिंहराव
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
मंजय लाल, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, श्री पूर्ण चन्द
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस०
मल्लू, डा० आर०
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, श्री भेरूलाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुरयु, श्री रूप चंद
मुत्तेमवार, श्री विलास
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के० एम०
मोल्लाह, श्री हवान
मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री सूर्य नारायण
युवराज, श्री चाइया सिंह
राजरविवर्मा, श्री बी०
राजुलु, डा० आर० के० जी०
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरी, श्रीमती वासवा
राणा, श्री काशीराम छबीलदास

रानासामी, श्री राजागोपाल नायडू
राम वदन, श्री
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सिंह, राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदेव राय, श्री
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री रवि
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्णा
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री जी० गंगा
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० गंगा
रेड्डी, श्री महासमुद्रम गणेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
रेड्डयया यादव, श्री के० पी०
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लालजान बाशा, श्री एस० एम०
व्यास, डा० गिरिजा
वर्मा, कुमारी विमला
वर्मा, श्री रतिलाल
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
वाहडे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
विजयराघवन, श्री वी० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेंद्र
शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
श्रीधरण, डा० राजागोपालन
स्वामी, श्री जी० वेंकट
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डयया
साय, श्री ए० प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
सिंगला, श्री सेतराम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री खेलनाथ
सिंह, डा० छत्रपाल
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मनकूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह देव, श्री के० पी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराज, श्री एन०
सुख राम, श्री
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोढी, श्री मानकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
सौन्दम, डा० (श्रीमती) के० एस०

हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 328
विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 8 मई, शुक्रवार, को 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.23 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 मई, 1992/18 वैशाख, 1914, 11 म० पू० तक के लिए स्थगित होती है

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में श्री अर्जुन सिंह, डा० (श्रीमती) पद्मा, श्री भवानीलाल वर्मा, श्री के० तुलसिऐया चान्डायार, श्री एम० प्रसाद सिंह ।

GMGIPN—23 LSS/ND/93—15-2-94—200.